"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 312 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2006—अग्रहायण 28, शक 1928

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-78/2006/मक/26 (1).—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक 56 सन 2000) की धारा 68 द्वारा पदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

### नियम

### अध्याय-एक

### प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2006 है।

(2) इन नियमों का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

**2. परिभाषाएं** - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं.56)

(ख) ''दत्तक ग्रहण'' से अभिप्रेत है किसी बालक या किशोर को अभिरक्षा में लेना और स्थायी रूप से जिम्मेदारी लेना जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया हो एवं जिसे प्राकृतिक रूप से जन्म लेने वाले बालक के समान समस्त अधिकार एवं विशेषाधिकार होगा ।

(ग) ''विशेष आवश्यकताओं वाला बालक'' - विशेष आवश्यकताओं वाला बालक से अभिप्रेत है वह बालक जिसे अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नियमित सेवा के अतिरिक्त उचित देखरेख और पुनर्वास सुकर बनाने के लिए विशेष सेवाएं या मध्यक्षेप आवश्यक हो ।

(घ) ''सुरक्षित स्थान'' से अभिप्रेत है ऐसा कोई स्थान या ऐसी कोई संस्था (जो पुलिस लॉकअप या जेल नहीं हो) जिसका भारसाधक व्यक्ति किसी बालक को अस्थाई रूप से प्राप्त करने और उसकी देखरेख करने के लिए रजामंद है और जो सक्षम प्राधिकारी की राय में बालक के लिए सुरक्षित स्थान हो सकता है ।

(ङ) ''पोषक देखरेख'' से अभिप्रेत है किसी बालक को एकल परिवार या समूह पोषण गृह के साथ रखा जाना ।

(च) ''दत्तक पूर्व पोषण देखरेख'' से अभिप्रेत है किसी बालक का किसी कुटुंब में, किसी स्थाई गृह में बालक के पुनर्वास तक अस्थाई रूप से रखा जाना ।

(छ) ''पोषक बालक'' से ऐसा बालक अभिप्रेत है जिसे पोषक माता-पिता या पोषक कुटुंब के साथ रखा गया हो ।

(ज) ''पोषक माता-पिता'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जो किसी बालक के माता-पिता नहीं हैं किन्तु जो संपत्ति आदि के आवश्यक विधिक अधिकारों के बिना बालक के माता-पिता के रूप में उसकी देखरेख और भरण-पोषण के लिए जिम्मेदारी लेने को रजामंद है ।

(झ) ''विस्तारित कुटुंब'' से अभिप्रेत है बालक के वे रिश्तेदार, जिनके साथ उसे पोषण देखरेख में रखा जा सकता है ।

(ञ) ''समूह पोषण देखरेख'' से अभिप्रेत है एक कुटुंब में या किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाये जा रहे समूह पोषक गृह में बालकों को किसी समूह की देखरेख ।

(ट) ''सामाजिक कार्यकर्त्ता'' से अभिप्रेत है ऐसे सामाजिक कार्यकर्त्ता, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त हों और पैनल में हों, जो व्यावसायिक हों, या परामर्श, दत्तक ग्रहण सामुदायिक सेवा, पोषण देखरेख, प्रायोजन जैसे क्षेत्रों और किसी अन्य ऐसी सेवा में सामाजिक कार्य में विशेषज्ञता उपलब्ध कराने में विशेष रूप से प्रशिक्षित हों ।

(ठ) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है इन नियमों में संलग्न प्ररूप ।

(ड) ''संस्था'' से अभिप्रेत है इन नियमों के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 8, 9, 34, 37 और 44 के अधीन स्थापित किया गया कोई सम्प्रेक्षण गृह या कोई विशेष गृह या कोई बालगृह या कोई आश्रय गृह ।

(ढ) ''भारसाधक अधिकारी'' से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन प्रमाणित या मान्यता प्राप्त संस्था के नियंत्रण और प्रबंधक के लिए उस रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति ।

(ण) ''सरकार'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ।

(त) ''द्वितीयक उत्पीड़न'' से अभिप्रेत है और उससे बाल न्याय प्रणाली के अंतर्गत बालकों के प्रति प्राधिकारियों तथा कार्मिकों का वह व्यवहार एवं दृष्टिकोण संदर्भित है जो पीड़ितों को और मानसिक आघात पहुंचाता है ।

(थ) "लैंगिक दुर्व्यवहार" तब होगा, जब कोई वयस्क किसी बालक का लैंगिक सुख के लिए उपयोग करता है लैंगिक दुर्व्यवहार शारीरिक, मौखिक या भावनात्मक हो सकता है और उसमें सम्मिलित है।

1. लैंगिक स्पर्श और आलिंगन।
2. बालकों को लैंगिक गतिविधियों या अश्लील चलचित्रों और फोटोग्राफ का अभिदर्शित करना।
3. बालकों को वस्त्रहीन मुद्रा में दिखाना या यौन संबंधी फैशन में फिल्म पर अथवा व्यक्तिशः प्रदर्शित करना।
4. बलात्संग या प्रयासित बलात्संग।
5. किसी बालक को लैंगिग बोध या गतिविधि में लिप्त होने के लिए विवश करना, प्रवंचना करना, धमकाना या दबाव डालना।

(द) "जिम्मेदारी होना" से अभिप्रेत है बालक के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा संपूर्ण स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होना।

(ध) "परिवीक्षा अधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के अधीन परिवीक्षा अधिकारी के रूप में उक्त अधिनियम के अधीन बालकों से संबंधित कर्तव्यों तथा कृत्यों के निर्वहन के लिए विशेष रूप में नियुक्त अधिकारी।

(न) समस्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियां जो इस नियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं उनके क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (केंद्रीय अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) में दिए गए हैं।

(प) सी.ए.आर.ए. मार्गदर्शक सिद्धांत से अभिप्रेत है भारतीय बालकों के दत्तक ग्रहण से संबंधित विषयों को विनियमित करने के लिए सेंट्रल अडाप्शन रिसोर्स एजेंसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांत।

(फ) शब्द और अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है उनके क्रमशः वहीं अर्थ हैं जो उनके लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम, 2000 (केन्द्रीय अधिनियम 56 सन् 2000) में दिए गए हैं।

## अध्याय - दो
## विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर

**3. किशोर न्याय बोर्ड** - (1) किशोर न्याय बोर्ड में यथास्थिति एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और दो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिनमें कम से कम एक महिला होगी जिनसे एक न्यायपीठ (बैंच) गठित होगी।

(2) ऐसी प्रत्येक न्यायपीठ को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं.2) द्वारा प्रदत्त शक्तियां होंगी।

(3) बाल मनोविज्ञान या बाल कल्याण में विशेष ज्ञान/प्रशिक्षण प्राप्त किसी मजिस्ट्रेट को, किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(4) ऐसी विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण प्राप्त प्रधान मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं होने की दशा में राज्य सरकार, ऐसे अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करेगी।

(5) दो सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें कम से कम एक महिला होगी, राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति किए जाएंगे।

**4. किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों का चयन -** (1) बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों की चयन समिति द्वारा किया जाएगा, अर्थात :-

(क) जिला एवं सत्र न्यायाधीश

(ख) जिला कलेक्टर

(ग) पुलिस कमिश्नर/जिला पुलिस अधीक्षक।

(2) समिति द्वारा चयनित जिले के इच्छुक तथा सक्षम व्यक्तियों में से अभिज्ञापित पांच नाम से अनधिक नाम की एक पैनल होगी।

(3) सरकार, चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से ही बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों को नियुक्त करेगी। कोई भी व्यक्ति नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र तब तक नहीं होगा, जब तक कि चयन समिति द्वारा उसकी सिफारिश नहीं की जाती।

**5. सामाजिक कार्यकर्ता की अर्हताएं -** (1) बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने वाला सामाजिक कार्यकर्ता ऐसा व्यक्ति होगा, जो -

(क) बाल अधिकारों संबंधी विषयों से संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा या अन्य कल्याणकारी कार्यकलापों की योजना, क्रियान्वयन तथा प्रशासन में कम से कम पांच वर्षों से सक्रिय रूप से लगा हो।

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हो।

(ग) कोई शिक्षक, कोई चिकित्सक, सेवानिवृत्त लोक सेवक या कोई व्यवसायी, जो बालकों से संबंधित कार्य में लगा हुआ हो या

(घ) कोई सामाजिक कार्यकर्ता, जो बाल कल्याण में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हो।

(2) विधि व्यवसाय करने वाले वकील को बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(3) सदस्य की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार समाप्त की जा सकेगी।

(4) कोई सदस्य, राज्य सरकार को लिखित में एक महीने की सूचना देकर पद त्याग कर सकेगा।

(5) सदस्यों में हुई आकस्मिक रिक्ति उस सदस्य की, जिसके स्थान पर नियुक्त की गई है, पदावधि की शेष कालावधि के लिये दूसरे सदस्यों की नियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी।

**6. बोर्ड के सदस्य की अवधि -** बोर्ड के सदस्य की अवधि, उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष होगी, परन्तु बोर्ड का सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य, अधिकतम दो अवधियों के लिए नियुक्ति का पात्र होगा और सदस्यों की आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष की होगी।

**7. किशोर न्याय बोर्ड की बैठक का समय तथा स्थान -** (1) बोर्ड संप्रेक्षण गृह के परिसर में बैठकें करेगा, बोर्ड, सप्ताह के दो कार्य दिवस बुधवार और गुरुवार को 11 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक बैठक करेगा एवं अधिक से अधिक प्रकरण देखेगा। बोर्ड अतिरिक्त बैठक के लिए विचार करेगा।

(2) जांच का अंतिम निपटारा कम से कम दो सदस्यों द्वारा जिनमें एक प्रधान मजिस्ट्रेट होगा, किया जायेगा।

(3) निपटारे या अंतरिम आदेश किये जाने की प्रक्रिया में मतभेद होने की दशा में बहुसंख्या की राय प्रभावी होगी, किन्तु जहां ऐसा बहुमत न हो, वहां प्रधान मजिस्ट्रेट की राय प्रभावी होगी, ऐसे मामलों में प्रधान मजिस्ट्रेट उन परिस्थितियों को अभिलिखित करेगा, जिन्होंने उसे अंतिम विनिश्चिय करने तक पहुंचाया है।

**8. मानदेय -** किशोर न्याय बोर्ड के सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य को ऐसे मानदेय का भुगतान किया जायेगा, जैसा कि राज्य सरकार, समय-समय पर अवधारित करे।

**9. वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा किसी बालक को बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकेगा -** (1) व्यक्ति जिनके मार्फत विधि का उल्लंघन करने के लिए कथित बालक को बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकेगा।

(क) विशेष किशोर पुलिस इकाई के अधिकारी,

(ख) कोई भी पुलिस अधिकारी,

(ग) बालक स्वयं,

(घ) उत्तरदायित्व लेने को इच्छुक कोई मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन।

(2) ऐसे समस्त व्यक्ति, गिरफ्तारी के समय को छोड़कर, जहां संभव हो, सादे वस्त्र ही पहने न कि वर्दी, जब तक कि विशिष्ट परिस्थितियों द्वारा यह अपेक्षित न हो कि उक्त अधिकारी बालक के हित में पुलिस वर्दी पहने तथापि वे अपने पहचान-पत्र सभी समय साथ रखेंगे, जो कि मांग किए जाने पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

(3) संबंधित पुलिस अधिकारी, बालक के मित्र की भूमिका निभाएगा, वह विधि का उल्लंघन करने के लिए कथित बालक के संबंध में पुलिस द्वारा अपेक्षित समस्त विशिष्ट भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को निभाएगा/निभाएगी/वह विशेष किशोर पुलिस इकाई में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ घनिष्ट सामंजस्य के कार्य करेगा/करेगी तथा पुलिस द्वारा अपेक्षित विशेषज्ञतायुक्त भूमिकाएं भी निभाएगा/निभाएगी समस्त पुलिस अधिकारी बालकों की देखरेख और संरक्षण के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी होंगे।

(4) विशेष किशोर पुलिस इकाई में सामाजिक कार्यकर्ता, विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए कथित बालक के संबंध में केस वर्कर होंगे तथा बालक के मित्र की भूमिका भी निभाएंगे, वह बालक को संवेदनशील तथा मैत्रीपूर्ण रीति में लेगा/लेगी तथा उसे प्रथम परिचय और प्रारंभिक जांच की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान सहज अनुभव करने में समर्थ बनाएगा/बनाएगी।

(5) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के पकड़े जाने पर पुलिस यथाशीघ्र बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या पदाभिहित पुलिस अधिकारी के भारसाधक में रखेगी, किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा बालक को किशोर न्याय बोर्ड में ले जाने की दशा में स्वैच्छिक संगठन, संबंधित पुलिस स्टेशन को भी सूचना देगा।

(6) विशेष किशोर पुलिस इकाई या, कोई अन्य पेश करने वाला अभिकर्ता बालक को मजिस्ट्रेट या बोर्ड के सदस्य के समक्ष, उसे पकड़ने के 24 घंटे के भीतर (बालक को पुलिस स्टेशन/सुरक्षा के स्थान से बोर्ड तक लाने के लिये किये गये समय को छोड़कर) पेश करेगा, मजिस्ट्रेट/बोर्ड के समक्ष पेश करने में विलंब की दशा में ऐसा नहीं करने संबंधी ब्यौरे, पुलिस दैनिकी/सामान्य डायरी में अभिलिखित किए जाएंगे, प्रारंभिक जांच, यथासंभव शीघ्र पूर्ण कर ली जानी चाहिए तथा यह सावधानी रखी जाएगी कि इस निर्धारण का प्रारंभिक रिपोर्टों के लिए जानकारी निकलवाने के प्रयोजनों के लिए बालक पर कोई दबाव न डाला जाए।

(7) बालक को उसके विरुद्ध आरोपों को तत्परता से तथा प्रत्यक्षतः ऐसी भाषा तथा रीति में सूचित किया जायेगा जो वह जानता हो, ताकि उसके द्वारा पूरी तरह से समझा जाना सुनिश्चित हो सके।

(8) गिरफ्तारी पर, बालक को उसकी पसंद के किसी व्यक्ति को फोन पर या अन्यथा बुलाने के उसके अधिकार को पूरा करने के लिए समस्त संभव सहायता दी जाएगी।

(9) बालक को संस्वीकार (कन्फेस) करने या परिसाक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बालक से जानकारी निकलवाने के लिए किसी प्रकार की यातना या उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

(10) गिरफ्तारी पर प्रारंभिक जांच करने के लिए बालक को पुलिस स्टेशन के हवालात या जेल में नहीं रखा जाएगा, इसके बजाए यथासंभव अल्प समय में, जो आठ घंटे से अधिक का नहीं होगा, विशेष किशोर पुलिस इकाई या अन्य ऐसा संगठन, जहां भी ऐसा संगठन हो या किसी संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, जब कोई बालक, विशेष किशोर पुलिस इकाई से भिन्न किसी स्थान पर रखा जाता है तो उक्त स्थान का भारसाधक अधिकारी, उस अधिकारिता के विशेष किशोर पुलिस इकाई को तत्काल सूचना देगा तथा जहां तक संभव हो, समन्वय में कार्य करेगा, ऐसे समस्त स्थान, वातावरण, सेवाओं तथा प्रसुविधाओं से युक्त स्थान तक बालक मित्रवत होंगे जहां बालक का व्यक्ति के रूप में सम्मान हो तथा जो उन्हें तनावरहित होने, खेलने, अपनी राय अभिव्यक्त करने, अपने से संबंधित विनिश्चयों में भाग लेने तथा देखभाल करने वाले और जिम्मेदार वयस्कों तक पहुंच में समर्थ बनाए, पुलिस/मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगठन, पकड़े गए या उनके भारसाधन में रखे गये बालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(11) विधि का उल्लंघन करने के लिए कथित बालक को आहार संबंधी देखरेख के साथ ही उस समय आवश्यक समझी जानी वाली सामग्री अन्य सेवाएं, जैसे तत्काल चिकित्सीय देखभाल, बुनियादी आवश्यकताएं, परामर्श आदि उपलब्ध कराई जाएंगी।

(12) विशेष किशोर पुलिस इकाई, जहां बालक लाया गया है, बालक के पूर्ववृत्त तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि और अन्य सारवान परिस्थितियों से संबंधित जानकारी, जो जांच करने में बोर्ड की सहायता के लिए उपयोगी हो सकती हो, अभिप्राप्त करने के लिए संबंधित परिवीक्षा अधिकारी को ऐसे पकड़े जाने की सूचना प्रारुप नौ में देगी।

(13) पदाभिहित बाल कल्याण अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई के अधिकारी, यथासंभव अल्प समय में बालक को प्रभार में लिये जाने के बारे में माता-पिता या विधिक संरक्षक को प्रारुप-दस में सूचना देंगे, बालक से और प्रश्न करने के दौरान वे माता-पिता या विधि संरक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे, संबंधित अधिकारी किसी व्यक्ति को, अधिमानतः एक सामाजिक कार्यकर्ता, जो बालक को जानता हो और जिम्मेदारी लेने को इच्छुक हो, "उपयुक्त व्यक्ति" के रुप में, सम्मिलित करेगा, अधिकारी उपयुक्त व्यक्ति के साथ बालक से परामर्श करेगा और उन मामलों को ध्यान में रखते हुए, कि जिनमें माता-पिता/विधिक संरक्षक इनका कथित रुप से शोषण करते हैं या दुर्व्यवहार करते हैं, साथ-साथ अवधारित करेंगे कि क्या वह बालक/बालिका के हित में हैं कि माता-पिता/विधिक संरक्षक को सूचित किया जाए।

(14) विशेष किशोर पुलिस इकाई का सामाजिक कार्यकर्ता या मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन का वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, यथासंभव बालक के घर और साथ ही अभिकथित अपराध के स्थान पर जाएगा तथा पकड़े जाने और किए गए अपराध की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए, उन संभावित कारणों के विवरण के साथ कि बालक ने क्यों अभिकथित अपराध किया, एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा।

(15) पेश करने वाला अभिकर्ता, सिफारिशों के साथ बोर्ड को रिपोर्ट दे सकेगा, ऐसी सिफारिशों के अंतर्गत भर्त्सना या सुलह के पश्चात् तुरंत निर्मुक्ति हो सकेगी जो विशेष किशोर पुलिस इकाई के बाल कल्याण अधिकारी द्वारा स्वयं ही सुकर बनाई जाएगी। जहां कहीं उपयुक्त और संभव हो, छोटे मोटे अपराध करने के लिए अभिकथित बालक, विशेष किशोर पुलिस इकाई से ही निर्मुक्त किये जा सकेंगे। जब बोर्ड का एक सदस्य या न्यायपीठ (बैंच) प्रारंभिक जांच के लिए अधिकतम 24 घंटे की कालावधि के भीतर ऐसी सिफारिश को स्वीकार कर ले, यदि बोर्ड, ऐसी सिफारिश का अनुसमर्थन करता है तो उक्त बालक सुरक्षित स्थान से ही निर्मुक्त किया जाएगा, यदि बोर्ड यह विनिश्चय करता है कि इस सिफारिश पर विचार न किया जाए, तब उक्त बालक को सम्प्रेक्षण गृह में स्थानांतरित किया जा सकेगा तथा उसे बोर्ड के समक्ष पेश किया जा सकेगा।

**10. किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जांच में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया -** (1) बोर्ड बालक से संबंधित प्रत्येक मामले में, उसकी आयु तथा उसकी शारीरिक और मानसिक दशा के बारे में जन्म प्रमाण-पत्र या चिकित्सकीय राय अभिप्राप्त करेगा।

(2) बोर्ड या तो लिखित में पुलिस की घोषणा से या अन्यथा स्वयं का यह समाधान करेगा कि बालक को बोर्ड के समक्ष पेश करने के पूर्व पुलिस हवालात या जेल में नहीं रखा गया था और यह कि उसे भारसाधन में लेने के 24 घंटे के भीतर पेश किया था, बोर्ड यह भी समाधान करेगा की भारसाधन में लेने के समय से या तो पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बालक के साथ बुरा बर्ताव या उसका उत्पीड़न नहीं किया गया है, बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि पुलिस द्वारा किसी लड़की को सूर्यास्त तथा सूर्योदय के बीच भारसाधन में नहीं लिया गया था, बशर्ते यदि परिस्थितियों से इस बात का औचित्य प्रमाणित हो कि उसे किसी महिला की देखरेख में सुरक्षित स्थान में या किसी संप्रेक्षण गृह में रखा गया था।

(3) किसी किशोर या बालक को अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन हथकड़ी या बेड़ी नहीं लगाई जाएगी।

(4) जब बालक को प्रथम बार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो बोर्ड तत्काल यह अवधारित करेगा कि क्या बालक को जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकता है, यदि बालक जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकता हो तो बोर्ड, बालक को या तो माता-पिता, संरक्षक और उचित व्यक्ति/संस्था के लिए या बालक द्वारा व्यक्तिगत बांड पर निर्मुक्त करेगी।

(5) जब बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो बोर्ड बालक से घर जैसे वातावरण में बाल मित्रवत रीति में तथा इस रीति में बात करेगा कि बालक उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप का सार समझ सके। बालक से यह पूछा जाएगा कि क्या उसने वह अपराध किया है जिसमें वह आरोपी है।

(6) यदि बालक यह स्वीकार करता है कि उसने वह अपराध किया है जिसमें वह आरोपी है तो बोर्ड स्वीकृति को अभिलिखित करेगा तथा समुचित आदेश जारी करेगा, यदि अपराध गंभीर नहीं है तो बोर्ड जहां भी संभव हो, भर्त्सना पर बालक को निर्मुक्त करेगा।

(7) जब साक्षियों को परीक्षण के लिए पेश किया जाए, तब बोर्ड साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 165 द्वारा उसे प्रदत्त की गई शक्तियों

का प्रयोग करेगा और उनसे इस संबंध में कहेगा कि वे कोई ऐसा बिन्दु लाएं, जो बालक के पक्ष में हो।

(8) यदि बालक आरोप का सार स्वीकार नहीं करता है तो बोर्ड अभियोजन को सुनने के लिए अग्रसर होगा तथा अभियोजन द्वारा पेश किए गए समस्त साक्ष्य लेगा और आरोपी को भी सुनेगा एवं उन समस्त साक्ष्यों को ग्रहण करेगा, जिन्हें वे उनके बचाव में पेश करें।

(9) बोर्ड, यदि वह उचित समझे तो अभियोजन पक्ष के या बालक के आवेदन पर, किसी साक्षी को उपस्थित होने के लिए या कोई दस्तावेज अथवा वस्तु पेश करने के लिए निदेशित करते हुए समन जारी कर सकेगा।

(10) बोर्ड, इस प्रश्न के साथ कि बालक ने अपराध क्यों किया और उसके लिए प्रेरणार्थक कारणों के बेहतर निवारण के साथ अपनी जांच शुरू करेगा। धारा 10 की उपधारा (2) के अनुसार बोर्ड, परिवीक्षा अधिकारी को या अन्यथा प्ररुप-एक में आदेश यह निर्धारित करने की दृष्टि से करेगा कि रखे जाने का सर्वोत्तम संभव तरीका जैसे परिवार, संस्था या अधिनियम के अधीन अन्यथा अनुज्ञेय हो, बालक के चरित्र तथा पूर्ववत् के संबंध में रिपोर्ट देते हुए सामाजिक जांच आयोजित करें।

(11) बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश में निम्नलिखित को विचार में लिया जाएगा -

(क) बालक के विचार,

(ख) बालक का सर्वोत्तम हित,

(ग) यह तथ्य कि निरोध, अंतिम विकल्प और संभवतया अल्पतम कालावधि के लिए होना चाहिए, केवल गंभीर अपराधों या बार- बार अपराध करने वालों के मामले में बोर्ड, निरोध का निर्णय करेगा।

(12) राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन पारित आदेशों के संबंध में बोर्ड द्वारा यथा निर्देशित नियतकालिक रिपोर्टों का पर्यवेक्षण करने तथा प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों को मान्यता देगी।

(13) जब कोई बालक माता-पिता या संरक्षक की देखरेख में रखा जाए और यदि किशोर न्याय बोर्ड, बालक को किसी परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन रखना समीचीन समझता है तो वह प्ररुप-दो में एक पर्यवेक्षण आदेश जारी करेगा।

(14) सक्षम प्राधिकारी, किसी बालक को यथास्थिति माता-पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख के अधीन रखने का आदेश जारी करते समय, ऐसे माता-पिता, संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति को प्ररुप-चार में प्रतिभू या प्रतिभूओं के साथ या उसके बिना एक बंध पत्र निष्पादित करने के लिए निर्देशित कर सकेगा।

(15) जब कभी किशोर न्याय बोर्ड किसी बालक को किसी संस्था में रखे जाने के लिए आदेश करे तो वह प्ररुप-तीन में उसके आदेश की एक प्रति, उसके गृह और माता-पिता या संरक्षक की विशिष्टयों तथा पूर्व के अभिलेखों के साथ ऐसी संस्था के भार साधक अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(16) समस्त बालकों को, जब तक कि संघर्ष/आपदा जैसी स्थितियों में ऐसा करना उनके हित में नहीं हो, ऐसे गृह में रखा जाएगा, जो ऐसे स्थान के सबसे निकट हो, जहां के वे हैं।

(17) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन विशेष गृह के रुप में प्रमाणित किसी संस्था के भारसाधक अधिकारी को, किसी बालक को उसे सुपुर्द किए जाने के पूर्व, बोर्ड द्वारा अग्रिम में सूचित किया जाएगा।

(18) उक्त संस्था का भारसाधक अधिकारी, सूचना प्राप्त होने पर बालक की सुपुर्दगी के लिए आपत्तियाँ, यदि कोई हों, लिखित में संसूचित करेगा और बालक को उक्त संस्था के सुपुर्द किए जाने से पूर्व, बोर्ड द्वारा आपत्तियों पर पूर्ण रुप से विचार किया जाएगा।

(19) उस दशा में, जब बोर्ड बालक के माता-पिता या बालक को जुर्माने का भुगतान करने का प्ररुप-आठ में आदेश करे तो वसूल की गई रकम, सरकारी कोषालय में जमा की जाएगी।

(20) जब किसी बालक को बोर्ड के किसी एकल सदस्य के समक्ष पेश किया जाता है तो सदस्य के द्वारा दिये गये आदेश का, बोर्ड

की आगामी बैठक में अनुसमर्थन किया जायेगा।

(21) बोर्ड, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में कोई मामला प्रकाशित करने के लिए किसी मीडिया के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करेगा यदि ऐसी सामग्री बालक की पहचान किए जाने की ओर हो।

**11. अधिनियम की धारा 23, 24, 25 तथा 26 की बावत् प्रक्रिया -** किशोर या बालक के विरुद्ध धारा 23, 24, 25 तथा 26 में विनिर्दिष्ट अपराध, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के उपबंधों के अधीन संज्ञेय होने के अतिरिक्त या तो जमानती होंगे या गैर जमानती होंगे और जमानत अथवा अन्य के उपबंध, पुलिस या बोर्ड तथा संबंधित को तदनुसार लागू होंगे।

## अध्याय - तीन
## देखरेख तथा संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक

**12. बाल कल्याण समिति -** (1) समिति में एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होंगे, जैसा कि राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे, जिसमें कम से कम एक महिला तथा दूसरा बालकों से संबंधित मामलों का विशेषज्ञ होगा।

(2) समिति, मजिस्ट्रेट की न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी तथा उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियाँ होंगी।

(3) राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट प्रत्येक जिला या जिलों के समूह के लिए एक या अधिक बालक कल्याण समिति गठित करेगी।

(4) चयन समिति में निम्नलिखित सात सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या राज्य सरकार का सेवानिवृत्त सचिव जिसे समाज कल्याण में अनुभव प्राप्त हो, चयन समिति का अध्यक्ष होगा,

(दो) बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि,

(तीन) किसी शैक्षणिक निकाय का एक प्रतिनिधि,

(चार) राज्य सरकार के संबद्ध विभाग के दो प्रतिनिधि,

(पांच) राज्य मानव अधिकार आयोग या ऐसे मान्यता प्राप्त अभिकरण या केंद्र का एक प्रतिनिधि या सेवानिवृत्त विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट

**13. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष (चेयर पर्सन) तथा सदस्यों का चयन -** (1) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का चयन निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति द्वारा किया जाएगा :-

(i) जिला तथा सत्र न्यायाधीश,

(ii) जिला कलेक्टर

(iii) पुलिस कमिश्नर/जिला पुलिस अधीक्षक

(2) कम से कम दस नामों की एक पैनल होगी, जो जिला चयन समिति द्वारा चुने गए जिले के इच्छुक तथा सक्षम व्यक्तियों में से होंगे।

(3) सरकार, चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से ही समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को नियुक्त करेगी।

(4) कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि चयन समिति द्वारा उसकी सिफारिश नहीं की गई हो।

**14. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य की अर्हताएं -** (1) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में चयनित होने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई अर्हता उनके अपने-अपने क्षेत्र में पांच वर्ष के अनुभव के साथ होनी चाहिए -

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक

(ख) सामाजिक कार्य, बाल मनोविज्ञान शिक्षा, समाजशास्त्र या गृह विज्ञान के विशेष ज्ञान की पृष्ठभूमि वाला प्रतिष्ठित, सुशिक्षित नागरिक ।

(ग) कोई शिक्षक या चिकित्सक अथवा वरिष्ठ सेवानिवृत्त लोक सेवक, जो बाल कल्याण से संबंधित कार्य में संलग्न हो, या

(घ) कोई ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता, जो बाल अधिकारों के कार्य में प्रत्यक्षतः संलग्न हो ।

(2) कोई विधि व्यवसायी/वकील नियुक्त नहीं किया जायेगा ।

(3) राज्य सरकार द्वारा, अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष/सदस्य की नियुक्ति किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी ।

(4) कोई अध्यक्ष/सदस्य, राज्य सरकार को लिखित में एक माह की सूचना देकर पद त्याग कर सकेगा ।

(5) कोई रिक्ति, उस सदस्य की अवधि की शेष कालावधि के लिए जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, किसी दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति पैनल के दूसरे सदस्यों में से भरी जाएगी और समिति के शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

**15. समिति का कार्यकाल** - समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा, परन्तु समिति का कोई सदस्य, अधिकतम दो अवधियों के लिए नियुक्ति का पात्र होगा और सदस्यों की आयु 35 से 65 वर्ष की होगी ।

**16. बाल कल्याण समिति की बैठक का समय तथा स्थान** - (1) समिति, अपनी बैठक किसी बालगृह के परिसर में या किसी अन्य ऐसे स्थान पर करेगी, जैसा कि राज्य सरकार, समय-समय पर अवधारित करे, और समिति सप्ताह में कम से कम 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक बैठक करेगी, तथापि अध्यक्ष, उस दशा में जब कोई महत्वपूर्ण कामकाज संपादित किया जाना है, बैठक का समय बढ़ा सकेगा ।

(2) सम्मिलन की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी, जिनमें अध्यक्ष सम्मिलित है ।

(3) जब समिति की बैठक नहीं हो रही हो, तो किसी एकल सदस्य द्वारा किए गए विनिश्चय का समिति द्वारा पुष्टिकरण उसकी आगामी बैठक में अपेक्षित होगा ।

(4) देखरेख तथा संरक्षण के जरूरतमंद बालकों से संबंधित मामलों का अंतिम निपटारा, समिति के कार्यालय में अध्यक्ष एवं कम से कम दो सदस्यों के आदेश द्वारा किया जाएगा ।

**17. मानदेय** - समिति के सदस्यों को ऐसे मानदेय का भुगतान किया जाएगा, जैसा कि राज्य सरकार, समय-समय पर, अवधारित करें।

**18. बालक कल्याण समिति की प्रक्रिया** - (1) जब अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति/संगठन, देखरेख तथा संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक को प्राप्त करता हैं, तो वह/वे भी बालक को, प्ररुप-तेरह में उन परिस्थितियों की, जिनमें वह बालक उनकी जानकारी में आया, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के साथ समिति के समक्ष पेश करेगा । उन्हें परिवार के बारे में पता लगाने के प्रयत्नों में सहायता करने को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

(2) यदि विशेष किशोर पुलिस इकाई के अधिकारी से भिन्न पुलिस के किसी व्यक्ति द्वारा बालक को प्राप्त किया गया हो, तो वह, जहां तक संभव हो, बालक के मामले को विशेष किशोर पुलिस इकाई को या अधिनियम की धारा 32 के अधीन किसी अन्य समुचित गैर पुलिस व्यक्ति को अंतरित करेगा/करेगी ।

(3) समिति की बैठक न होने की दशा में, बालक को पुलिस स्टेशन या जेल में नहीं रखा जायेगा, किन्तु किसी सुरक्षित स्थान पर, जैसे किसी मान्यता प्राप्त या प्राधिकृत गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे अभिहित आश्रय गृह में और यदि ऐसा नहीं तो चाइल्ड हेल्प लाइन या ऐसा कोई संगठन, जहां कहीं भी ऐसा संगठन उपलब्ध हो, या बालगृह ले जाया जाएगा, ऐसे प्राधिकरण, ऐसे मामलों में जांच लंबित रहने तक, ऐसे निरोध की सबसे कम संभव अवधि को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों पर अतिशीघ्र कार्यवाही करने को सर्वोच्च प्राथमिकता

देंगे, जो स्वयं अंतिम समाधान का एक उपाय होना चाहिए।

(4) बालक को किसी भी समय प्रवेश दिया जाएगा तथा बालगृह/स्वागत इकाई का भारसाधक अधिकारी समय का ध्यान रखे बिना बालक को लेगा। रात्रि के दौरान लाए गए बालक को आदेश अभिप्राप्त करने के लिए समिति के समक्ष उनकी आगामी दिवस में पेश किया जाएगा।

(5) बालक की देखरेख करने वाले जिम्मेदार वयस्कों तक पहुंच तथा अन्य बुनियादी आवश्यकताओं संबंधी उपबंध, संस्था में रखे जाने की इस कालावधि के दौरान सुनिश्चित किए जाएंगे। यदि यह पाया जाता है कि बालक को चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता है या यदि बालक इसके लिए विशेष रूप से अनुरोध करता है तो चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। लड़कियों तथा अन्य बालकों पर, जिन्हें विशिष्ट देखरेख की आवश्यकता है, विशेष ध्यान दिया जाएगा।

(6) (एक) पेश करने वाला अभिकर्ता स्वयं या किन्हीं अन्य व्यक्तियों की सहायता से माता-पिता या संरक्षक को तत्काल सूचना देगा। पेश करने वाला अभिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रारंभिक जांच के समय बालक के माता-पिता/संरक्षक उपस्थित है। एक अपवाद हो सकता है जब केस वर्कर/परिवीक्षा अधिकारी द्वारा बालक से परामर्श द्वारा, जो माता-पिता/संरक्षक को सूचना नहीं दिए जाने के उसके अधिकार को विशेष रूप से अभिव्यक्त करता/करती है। यह विचार किया जाए कि ऐसा करना बालक के सर्वोत्तम हित के विरुद्ध है। ऐसे अपवादों के कारण लिखित में अभिव्यक्त किए जाएंगे।

(दो) जहां बालक के माता-पिता या संरक्षक से पूर्व से संपर्क नहीं किया जा सका हो या जैसा खण्ड (1) में वर्णित किया गया है, यदि बालक विशेष रूप से यह चाहे कि उनसे संपर्क न किया जाए, बालक द्वारा स्वीकार किये गये तथा केस वर्कर/परिवीक्षा, अधिकारी द्वारा उपयुक्त समझे गऐ किसी योग्य व्यक्ति को अधिनियम के अधीन सहायता चाहने की बालक की इच्छा सूचित की जाएगी, ताकि वह प्रारंभिक जांच में उपस्थित हो सके।

(7) प्रारंभिक जांच यथा संभव शीघ्र पूर्ण की जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोई बालक आरंभिक प्रक्रम में जानकारी देने के लिए तैयार नहीं होते हैं यह सावधानी रखी जाएगी कि निर्धारण/आरंभिक रिपोर्टों के लिए जानकारी निकलवाने के प्रयोजनों के लिए बालक पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। विश्वास का सकारात्मक संबंध बना कर बालक को प्रेरित करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बालक के मामलों में कार्यवाही करने वाला व्यक्ति परिवार का पता लगाने और उसे जांच के सहबद्ध करने का हर प्रयास करेगा, जब तक कि वह विश्वास न हो जाए कि ऐसी प्रक्रिया बालक पर अनुचित दबाव नहीं डालेगी या ऐसी परस्पर क्रिया बालक के सर्वोत्तम हित में नहीं है, पुलिस, मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन/चाइल्ड लाइन की सहायता भी ली जा सकेगी। उन संस्था/संगठन का सामाजिक कार्यकर्ता/परिवीक्षा अधिकारी, जिसमें बालक को प्रारंभिक अवस्था में प्रवेश दिया गया हो, यथासंभव, बालक के घर जाएगा और एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा, जो लेखबद्ध होगी।

(8) बालक के खो जाने या लापता हो जाने की दशा में, नियम 18 के उपनियम (7) में उपबंध किए गए अनुसार विस्तृत जांच की जाएगी।

(9) वे बालक, जो दो वर्ष से अधिक आयु के हैं, यात्रा का समय छोड़कर संगठन द्वारा बालक को प्राप्त करने के पश्चात् चौबीस घंटे के भीतर समिति के समक्ष पेश किए जाएंगे, दो वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए संगठन यात्रा के समय को छोड़कर बालक के प्रवेश के अड़तालीस घंटे के भीतर, फोटो के साथ एक लिखित रिपोर्ट भेजेगा।

**19. वे व्यक्ति, जिनके माध्यम से बालक समिति के समक्ष पेश किया जा सकेगा** - देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद प्रत्येक बालक, निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा समिति के समक्ष पेश किया जाएगा -

(क) विशेष किशोर पुलिस इकाई के किसी पुलिस अधिकारी या कोई पदाभिहित पुलिस अधिकारी,

(ख) कोई लोक सेवक,

(ग) चाइल्ड लाइन, रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठन या ऐसा अन्य स्वैच्छिक संगठन या किसी अभिकरण द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो,

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई सामाजिक कार्यकर्ता या लोक भावना से युक्त नागरिक या,

(ङ) स्वयं बालक द्वारा।

**20 समिति के समक्ष पेश किए जाने के पश्चात विस्तृत जांच की प्रक्रिया -** (1) जब कोई बालक समिति के समक्ष लाया जाए तो समिति यथास्थिति, गृह के परिवीक्षा अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता/केस वर्कर/बाल कल्याण अधिकारी/भारसाधक अधिकारी या किसी समुचित मान्यता प्राप्त अभिकरण को प्ररुप एक में विस्तृत जांच संचालित करने के लिए मामला समनुदेशित करेगी। पेश करने वाले अभिकर्ता को विस्तृत जांच में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा ताकि अनेक जांचों से बचा जा सके।

(2) समिति, संबंधित व्यक्ति/संगठन को उपयुक्त पुनर्वास के लिए जांच किए जाने वाले ब्यौरों/विशिष्टियों के संबंध में निदेश देगी। अधिनियम की धारा 33 के अधीन जांच के लिए निर्देश प्ररुप एक में होंगे। समिति, समाज कल्याण विभाग के परामर्श से, मनोविज्ञान परामर्श आदि के क्षेत्र में विशेषज्ञों की, जो ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के इच्छुक हों, एक सूची भी रखेगी। देखरेख तथा संरक्षण के जरुरतमंद बालक के बारे में विशेष रिपोर्ट देने के लिए ऐसे पेशेवर व्यक्ति को निदेश दे सकेगी।

(3) विस्तृत जांच 4 मास के भीतर पूर्ण की जानी होगी, जब तक कि विशेष परिस्थितियों में बालक के हित में ऐसा करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाए, अधिनियम की धारा 33 (2) के अधीन जांचकर्ता अधिकारी/अभिकरण (एजेंसी) द्वारा, ऐसी परिस्थितियों के अधीन कालावधि का विस्तार लिखित में लिया जाना चाहिए।

(4) यदि संबंधित कार्मिक उचित समझे या बालक इसके लिए विशेष रुप से अनुरोध करे तो चिकित्सकीय जांच की जा सकेगी और सहायता दी जा सकेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी रखी जाएगी कि ऐसी चिकित्सीय जांच संवेदनशील रीति में की जाए।

(5) जहां बालक के माता-पिता या संरक्षक से पहले या नियम 18 के उपनियम (6) में उल्लिखित किए गए अनुसार संपर्क नहीं किया जा सका हो और यदि बालक विशेष रुप से यह चाहता हो कि उनसे संपर्क न किया जाए तो परिवीक्षा अधिकारी बालक द्वारा स्वीकार किए गए तथा उपयुक्त समझे गए किसी योग्य व्यक्ति की पहचान के लिए मिलकर प्रयास करेगा तथा उसे, अधिनियम के अधीन सहायता चाहने की बालक की वांछा की सूचना देगा ताकि वह जांच में उपस्थित हो सके।

(6) समिति, विस्तृत जांच लंबित रहने के दौरान आयु तथा लिंग का ध्यान रखते हुए बालक को अभिहित किए गए सुरक्षित स्थान या समुचित प्रसुविधाओं वाले बालगृह में भेजने की व्यवस्था करेगी। बालकों को यथासंभव ऐसे गृह में रखा जाना चाहिए जो उस स्थान के समीप हो, जहां के वे हैं, जब तक कि विपदा/संघर्ष जैसी स्थितियों में यह उनके हित में न हो।

(7) समिति, माता-पिता/संरक्षक को बालक की अस्थायी अभिरक्षा से इंकार कर सकेगी, यदि निर्मुक्ति बालक के सर्वोत्तम हित के विरुद्ध पाये जाने की संभावना है। ऐसे कारण लेखबद्ध किए जाएंगे और आगे की विस्तृत जांच, उचित स्थानन के लिए की जाएगी।

(8) किसी स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि या किसी पुलिस अधिकारी की अनुरक्षा में या समिति द्वारा समुचित समझी गई किसी अन्य व्यवस्था द्वारा बालक को ले जाया जाएगा। पुलिस द्वारा अनुरक्षा अंतिम विकल्प होगा। पदाभिहित पुलिस अधिकारियों को या उन्हें, जो विशेष किशोर पुलिस इकाई से जुड़े हों, प्राथमिकता दिया जाएगा।

(9) जांच के पूर्ण होने के पश्चात यदि बालक को बालगृह में बने रहने का आदेश किया जाता है तो समिति गृह में बालक के विकास का वार्षिक पुनर्विलोकन करेगी।

(10) जब भी समिति, किसी बालक को किसी संस्था में रखने का आदेश करती है, तो वह ऐसी संस्था के भारसाधक अधिकारी को प्ररुप तीन में उसके आदेश की एक प्रति, गृह तथा माता-पिता या संरक्षक की विशिष्टयों और पूर्व अभिलेख के साथ भेजेगी।

(11) सक्षम प्राधिकारी, बालक को यथास्थिति माता-पिता संरक्षक या योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखने का आदेश करते समय, ऐसे माता-पिता संरक्षक या योग्य व्यक्ति को प्रतिभूओं सहित या उसके बिना, प्ररुप-चार में बंधपत्र निष्पादित करने का निर्देश दे सकेगा।

## अध्याय - चार
## अधिनियम के अधीन संस्थाओं की स्थापना

**21. संप्रेक्षण गृह -** (1) राज्य सरकार, प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में या तो स्वयं या स्वैच्छिक संगठन के साथ करार के अधीन उतने संप्रेक्षण गृह स्थापित कर सकेगी और संचालित कर सकेगी, जो विधि का उल्लंघन करने वाले कथित किसी बालक को अधिनियम के अधीन

उससे संबंधित किसी जांच के लंबित रहने के दौरान अस्थायी रूप से रखने के लिए अपेक्षित हों।

(2) लड़के तथा लड़कियों के लिए पृथक संस्थाएं संधारित की जाएंगी

(3) संस्था के अंतःवासियों का वर्गीकरण किया जाएगा तथा उनके अपराध की डिग्री तथा उनकी आयु के अनुसार उन्हें निम्नानुसार पृथक-पृथक किया जाएगा -

12 वर्ष तक का आयु समूह

12 वर्ष से 16 वर्ष तक का आयु समूह

16 वर्ष से 18 वर्ष तक का आयु समूह

(4) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी संस्था को संप्रेक्षण गृह के रूप में प्रमाणित भी कर सकेगी या मान्यता भी दे सकेगी।

**22. संप्रेक्षण गृह के उद्देश्य -** (1) शिक्षा जारी रखने के अवसर सृजनात्मक-अनौपचारिक कक्षाओं की व्यवस्था के माध्यम से किए जाएंगे, विशेष रूप से यदि बालक ऐसे स्कूल में उपस्थित रहा है तो औपचारिक शिक्षा में उसकी अभिरुचि बनाए रखने में उसे समर्थ बनाएंगे।

(2) विधि का उल्लंघन करने वाले कथित बालकों को उनकी स्थिति के बारे में उनकी भावनाओं तथा भय के संबंध में व्यवहार करने में समर्थ बनाने के लिए उन्हें विधिक सहायता देने हेतु प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा विशेष परामर्श (काउंसलिंग) सत्र संचालित किए जा सकेंगे।

(3) किसी भी मामले में संप्रेक्षण गृह की इस अल्प कालावधि के दौरान भी बालकों को उनके समय का सृजनात्मक उपयोग करने के लिए अवसर दिए जाएंगे।

**23. संप्रेक्षण गृह का प्रबंध -** संप्रेक्षणगृह का प्रबंध संस्था के अधीक्षक के रूप में पद धारण करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो जिले के कलेक्टर तथा विभागीय जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी, समाज कल्याण विभाग के आयुक्त/संचालक के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन होगा। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की संप्रेक्षण गृह में अभिरक्षा, न्यायिक अभिरक्षा होगी।

**24. बालक का प्रवेश -** (1) संप्रेक्षण गृह में बालक को रात दिन किसी भी समय प्रवेश दिया जाएगा और संप्रेक्षण गृह का भारसाधक अधिकारी, समय का ध्यान किए बिना बालक को प्राप्त करने के लिए बाध्य होगा।

(2) संप्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान पर बालक को प्रवेश, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित तथा मुद्रा (सील) लगा हुआ स्थानन आदेश जारी करके किया जाएगा। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से भिन्न कोई बालक किसी संप्रेक्षण गृह में नहीं रखा जाएगा।

(3) भारसाधक अधिकारी, रात्रि के दौरान लाए गए किसी बालक को अगले दिन आदेश अभिप्राप्त करने के लिए उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किए जाने तक संप्रेक्षण गृह में निरुद्ध किए जाने के लिए प्राधिकृत होगा।

(4) भारसाधक अधिकारी, किसी ऐसे बालक को प्रवेश देने से इंकार करेगा जिसकी आयु, पहचान चिन्ह तथा वह अपराध जिसके लिए उसे आरोपित आदि किया गया है, विशेष रूप से वर्णित न किए गए हों, परन्तु प्रवेश से तब भी इंकार किया जा सकेगा, यदि स्थानन आदेश सम्यक रूप से हस्ताक्षरित न हो या शुद्धियां उचित रूप से अनुप्रमाणित न हो या बिना मुद्रा (सील) लगाए हुए लाया गया हो।

(5) अधीक्षक/भारसाधक अधिकारी, यह देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा कि किसी बालक को अप्राधिकृत तौर पर प्रवेश नहीं दिया गया है। जब किसी बालक को विषम समय पर प्रवेश दिया जाता है तो वह उसकी उचित जांच पड़ताल करेगा।

**25. विशेष गृह -** (1) राज्य सरकार या तो अपनी ओर से स्वैच्छिक संगठन के साथ करार के अधीन प्रत्येक जिले में या जिलों के किसी समूह में विशेष गृह स्थापित करेगी और संधारित करेगी, जो विधि का उल्लंघन करने वाले उन बालकों को रखने उनकी देखरेख, उपचार तथा पुनर्वास के लिए अपेक्षित हों, जिन्हें विधि के विरुद्ध उनके क्रियाकलापों के लिए संस्थागत प्रशिक्षण हेतु निर्देशित किया गया हो।

(2) लड़के तथा लड़कियों के लिए पृथक संस्थाएं संचालित की जाएंगी।

(3) संस्थाओं के अंतःवासियों को उनके अपराध की डिग्री तथा उनकी आयु के अनुसार निम्नानुसार वर्गीकृत तथा पृथक किया जाएगा

(क) 12 वर्ष तक का आयु समूह

(ख) 12 वर्ष से 16 वर्ष का आयु समूह

(ग) 16 वर्ष से 18 वर्ष तक का आयु समूह

(4) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी संस्था को, विशेष गृह के रूप में भी प्रमाणित कर सकेगी या मान्यता दे सकेगी

**26. विशेष गृह के उद्देश्य** - विशेष गृह के उद्देश्य होंगे :-

(1) (क) - विधि का उल्लंघन करने वाले किसी ऐसे बालक को लेना, जिसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आदेश दिया गया हो,

(ख) - भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक समर्थन, प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना,

(ग) - बालक के समुचित स्वास्थ्य, देखरेख, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यवहार में परिवर्तन संबंधी कार्यक्रम आदि सुकर बनाना ,

(घ) - परिवर्तित व्यक्ति के रूप में समुदाय के भीतर पुनः सम्मिलित होने के लिए बालक को तैयार करना

(ङ) - विशेष कार्यक्रम,

(एक) - अपने कार्यों के उत्तरदायित्वों से बचने के बजाए उन्हें स्वीकार करने में बालक की सहायता करना

(दो) - उन समस्याओं का समाधान करने में बच्चों की मदद करना, जो उनका आक्रामक व्यवहार को बढ़ावा देने वाली होती है।

(तीन) तनावों का सामना करने के लिए व्यावहारिक अनुकल्पिक उपायों को विकसित करने में बालक की सहायता करना

(चार) जहां संभव हो, अपराधियों के कुटुम्बों को ऐसे पारवारिक मुद्दों पर काम करने में जिनसे अपराध कम होने की संभावना हो, शामिल करना ,

(पांच) सामाजिक सक्षमता बढ़ाने के लिए बुनियादी तौर पर शैक्षणिक कमियों का उपचार करना ,

(छः) मार्केट स्थापन के कार्य संबंधी कौशल को विकसित करने में मदद करना, जो प्रशिक्षण संबंधी अवसर अर्हताएं तथा वास्तविक रोजगार को और आगे बढ़ा सके ,

(सात) ऐसे अन्य विशिष्टजनों से, जो सलाहकार तथा आदर्श भूमिका वाले व्यक्ति हो सकते हैं, संबंध स्थापित करने और सुदृढ़ करने में बालक की सहायता करना ,

(आठ) बालकों की स्वयं की आवश्यकताओं के निर्धारण तथा उनके स्वयं के मामलों संबंधी योजनाएं बनाने और उन्हें नियंत्रित करने के अनुभवों के सशक्तिकरण में उन्हें शामिल करना ,

(नौ) सकारात्मक नेतृत्व और स्व अनुशासन के लिए कौशल और विश्वास बढ़ाने में बालक की मदद करना।

(2) ऐसे विशेषज्ञों के साथ रुचि रखने वाले तथा सक्षम अशासकीय संगठनों को शामिल करते हुए पीड़ित अपराधी पुनर्मिलाप कार्यक्रम

को विकसित करने के प्रयास किए जा सकेंगे (विकटिम आफेन्डर, रिकान्सिलिएशन प्रोग्राम से ली गई संकल्पना (www. worp.com) ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य, संसूचना, उत्तरदायित्व, पुनर्मिलाप तथा पुनःस्थापन के लिए मार्ग प्रशस्त करना हो सकेगा।

(3) समूह परामर्श के लिए कार्यक्रम तथा अन्य ऐसी सेवाएं, स्थानीय विशेषज्ञों की ही मदद से उद्विकसित की जाएगी।

(4) अर्थपूर्ण तथा प्रभावी सामुदायिक सेवा देने तथा उनका अनुश्रवण करने के लिए आदेशित कार्यक्रम हेतु विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को सक्षम तथा संवेदनशील अशासकीय संगठनों/विशेषज्ञों की मदद से उदविकसित किया जाएगा। ऐसी सामुदायिक सेवा का उद्देश्य बालक को समुदाय में समन्वय स्थापित करने के प्रति आगे बढ़ने की दिशा में समर्थ बनाना होगा और इससे उसमें आगे किसी भी प्रकार विकृति या उसके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होगा।

**27 विशेष गृह का प्रबंध** - विशेष गृह का प्रबंध किसी ऐसे भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो संस्था के अधीक्षक के रूप में पद धारण करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया हो, जो जिला कलेक्टर या विभागीय जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी, आयुक्त/संचालक, समाज कल्याण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा।

**28. बालक का प्रवेश** - (1) विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को, संस्थागत कार्यक्रम लेने के प्रयोजन के लिए, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और जारी किए गए लिखित स्थानन आदेश पर प्रवेश दिया जाएगा।

(2) किशोर न्याय बोर्ड या किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य स्थानन आदेश के बिना विशेष गृह में किसी भी बालक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा या उसे रखा नहीं जाएगा।

(3) किसी भी बालक को विशेष गृह में उस तारीख के बाद नहीं रखा जाएगा, जिस तारीख तक बालक को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के अनुसार रखा जा सकता है।

(4) यदि बालक को विशेष गृह में उस तारीख के बाद , जिस तारीख तक बालक को उस संस्था में रखे जाने के लिए आदेशित किया गया था, शिक्षा संबंधी या व्यावसायिक प्रशिक्षण के शैक्षणिक वर्ष समाप्त होने तक पूर्ण करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड का औपचारिक आदेश अग्रिम में प्राप्त किया जाएगा।

**29 बाल गृह** - (1) राज्य सरकार या तो स्वयं या स्वैच्छिक संगठन से करार के अधीन प्रत्येक जिले में या जिलों के समूह में बालगृह की स्थापना कर सकेगी और उसका संधारण कर सकेगी, जैसा कि देखरेख और संरक्षण के जरुरतमंद बालकों के लिए अपेक्षित हो।

(2) लड़के और लड़कियों के लिए पृथक संस्थाएं संचालित की जाएंगी

(3) संस्थाओं के अंतःवासियों को उनकी आयु के अनुसार प्ररूप-पन्द्रह में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा -

12 वर्ष तक का आयु का समूह

12 वर्ष से 16 वर्ष का आयु समूह

16 वर्ष से 18 वर्ष का आयु समूह

(4) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी संस्था को बालगृह के रूप में प्रमाणित भी कर सकेगी और मान्यता भी दे सकेगी।

(5) प्रत्येक बालगृह, व्यापक बालक देखरेख केन्द्र होना चाहिए

**30 . बालगृह के उद्देश्य** - बालगृह के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे -

(क) देखरेख और संरक्षण के जरुरतमंद बालक को लेना

(ख) बालक के लिए व्यक्तिगत वृद्धि और विकास हेतु शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम

द्वारा सुकर बनाना ।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि बालक, परिवार के प्रति सकारात्मक रुख विकसित करता है तथा परिवार के साथ संपर्क बनाता है ।

**31. बालगृह का प्रबंध -** बालगृह का प्रबंध ऐसे भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो संस्था के अधीक्षक के रुप में पद धारण करने के लिए विशेष रुप से नियुक्त किया गया हो जो जिला कलेक्टर या विभागीय जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारी, आयुक्त/संचालक, समाज कल्याण के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन हो

**32. बालक का प्रवेश -** (1) देखरेख और संरक्षण के जरुरतमंद बालकों को बाल कल्याण समिति के आदेश के अनुसार, बालगृह में प्रवेश दिया जाएगा ।

(2) विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को किन्हीं भी परिस्थितियों के अधीन, बालगृह में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा ।

**33. अभिग्राही इकाई -** (1) प्रत्येक बालगृह में एक अभिग्राही इकाई होगी, जो बाल कल्याण समिति द्वारा जांच के लंबित रहने के दौरान बालकों की देखरेख करेगी ।

(2) बालगृह में बालकों का प्रवेश, बाल कल्याण समिति के आदेश द्वारा किया जाएगा । बाल कल्याण समिति के औपचारिक आदेश के बिना संस्था में बालकों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

(3) संस्था का भारसाधक अधिकारी बाल कल्याण समिति की सहमति के बिना प्रवेश लिए हुए बालक को किसी भी रीति में संस्था से मुक्त नहीं करेगी ।

(4) किसी भी बालिका के प्रवेश के दौरान संस्था के किसी भी पुरुष कर्मचारी द्वारा छानबीन और जांच नहीं की जाएगी ।

(5) प्रत्येक बालिका की, उसके प्रवेश के 24 घंटों के भीतर महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा या तो शासकीय चिकित्सक द्वारा या संस्था में रखे गए अनुमोदित महिला चिकित्सकों के पैनल द्वारा चिकित्सकीय जांच की जाएगी, प्रत्येक बालक को प्रवेश होने पर उस समय तक अभिग्राही इकाई में रखा जाएगा, जब तक कि बालक के संबंधित जांच, बाल कल्याण समिति द्वारा पूर्ण नहीं कर ली जाती ।

**34. अभिग्राही इकाई से बालकों को छोड़ा जाना -** अभिग्राही इकाई में के बालकों को बाल कल्याण समिति के आदेश पर अभिग्राही इकाई से मुक्त किया जाएगा । बाल कल्याण समिति आदेश दे सकेगी कि -

(क) बालक को बाल कल्याण समिति के आदेश पर माता-पिता या नातेदारों की देखरेख में प्रत्यावर्तित किया जाए, या

(ख) बालक को विकास संबंधी आगे के क्रियाकलापों के लिए बालगृह की नियमित इकाई में स्थानांतरित किया जाए या

(ग) बालक को वैसे ही बालगृह या किसी आश्रयगृह या किसी उपयुक्त संस्था या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में स्थानांतरित किया जाए

(घ) यदि बालक किसी अन्य राज्य/जिले का है तो बालक को संबंधित बाल कल्याण समिति को और आगे की जांचे तथा व्यवस्था के लिए स्थानांतरित किया जाए,

**35. स्थानांतरण/अनुरक्षा -** (1) बालक का, किसी अन्य राज्य के किसी भी बालगृह या आश्रयगृह में स्थानांतरण बाल कल्याण समिति के आदेश के एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा तथा अन्य राज्य को स्थानांतरण से संबंधित मामले को समुचित अनुरक्षा की व्यवस्था करके 30 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाएगा ।

(2) बालक का स्थानांतरण, संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा किए गए यात्रा दस्तावेज द्वारा प्रभावी होगा ।

(3) बालिका को महिला कर्मचारी की अनुरक्षा में ले जाया जाएगा, जिसके साथ एक पुरुष कर्मचारी होगा।

**36. पश्चातवर्ती देखरेख गृह -** (1) बालकों द्वारा विशेष गृह और बालगृह छोड़ने के पश्चात बालकों की देखरेख के लिए पश्चातवर्ती देखरेख गृह स्थापित किये जा सकेंगे। पश्चातवर्ती देखरेख सेवाएं 18 से 20 वर्ष की आयु के बीच के समस्त बालकों को सशक्त बनाने और संस्थागत जीवन से सामुदायिक जीवन में उनके सहज परिवर्तन को सुकर बनाने के लिए दी जाएगी।

(2) इन गृहों का उद्देश्य, ऐसे बालकों या युवकों को जीवन कौशल सीखने के योग्य बनाना होगा, जो उन्हें समाज को अपनाने योग्य बनाएगा इन गृहों में उनके रहने के दौरान इन बालकों को संस्था आधारित जीवन से हटाकर सामान्य जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए,

(3) टारगेट समूहों में वे सम्मिलित होंगे जिन्होंने या तो विशेष गृह अथवा बालगृह छोड़ दिया है

(4) माडल के मूल घटक में उन युवकों के किसी समूह के लिए अस्थायी गृहों को स्थापित करना सम्मिलित हो सकेगा, जिन्हें व्यवसाय सीखने, रेंट और गृह को चलाने के प्रति योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।एक परामर्शदाता को भी उपलब्ध किया जाना चाहिए। परामर्शदाता, इन युवकों की पुनर्वास योजनाओं पर विचार विमर्श करने, उनके जीवन में संकट की कालावधि में सहायता करने और उनकी उर्जा के सृजनात्मक उपयोग की व्यवस्था के लिए उनके नियमित संपर्क में रह सकेगा।

(5) पश्चातवर्ती देखरेख कार्यक्रम की योजना के अधीन निम्नलिखित कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाएगा -

(क) इन युवकों के लिए रोजगार सृजित करने के कार्य को सुकर बनाना, जब एक युवक ने पर्याप्त रकम की बचत की हो तब उसे उसके स्वयं के स्थान में रहने और गृह से हटने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है अन्यथा युवक को उसी गृह में लगातार रहना होगा। वे युवक, जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें छात्रवृत्ति दी जा सकती है किन्तु युवकों को रोजगार मिलने पर रोक दिया जाएगा

(ख) इन युवकों को उद्यमी क्रियाकलापों को चलाने के लिए ऋण की व्यवस्था का प्रयास किया जाना।

(ग) माइक्रोक्रेडिट तथा उद्यमिता प्रशिक्षण और आय उत्पन्न करने संबंधी कार्यक्रम आयोजित किया जाना।

(घ) लड़कियों को विशेष रुप से आगे शिक्षा प्राप्त करने तथा अन्य शासकीय छात्रावासों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यद्यपि अन्य विकल्पों में से उस दशा में, जब वे विवाह का विकल्प चुनती हैं, तो उन्हें वित्तीय या अन्यथा सहयोग दिया जा सकेगा। पश्चातवर्ती देखरेख गृह से मुक्त होने पर ऐसा युवक जिसके कोई माता-पिता या अभिभावक अथवा सलाहकार नहीं हैं उसके आगे प्रशिक्षण या प्रशिक्षुता अथवा अन्य ऐसे पुनर्वास संबंधी उपाय के लिए समुचित मान्यता प्राप्त अभिकरणों (एजेंसियों) या गैर सरकारी संगठनों को निर्देशित किया जाएगा।

(ङ) इन गृहों में युवकों के लिए एक अभिज्ञात सलाहकार भी उपलब्ध होगा। चूंकि जीवन की इस अवस्था में वे अपराध करने या ड्रग लेने तथा ऐसी अन्य आदतों या विचलित व्यवहार की ओर आकर्षित हो सकते हैं, अतएव एक सलाहकार की आवश्यकता होगी

(च) यथा संभव ये पश्चातवर्ती देखरेख गृह ऐसे सामुदायिक क्षेत्र में अवस्थित रहेंगे, जहां युवक स्वस्थ्य सामाजिक तथा सामुदायिक जीवन के संपर्क में रहने योग्य बने, प्रत्येक गृह में 6-8 युवक रह सकेंगे जो साथ-साथ रहने का विकल्प ले सकते हैं। एक अभिज्ञात सलाहकार पांच गृहों के समूह का प्रभारी हो सकता है।

(छ) राज्य सरकार, जहां भी संभव हो, पश्चातवर्ती देखरेख गृह कार्यक्रम का अन्य राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के स्कीमों से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करेगी, जो युवक को अपने स्वयं के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के अवसर का लाभ उठाने योग्य बनाए।

**37 आश्रय गृह -** (1) राज्य सरकार, ऐसे बालक जिन्हें देखरेख और संरक्षण की शीघ्र आवश्यकता है, जैसे निराश्रित आवारा बालक, भागे हुए बालक आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों/स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से, अपेक्षित संख्या में कम से कम एक आश्रय गृह बनाने में सहायता करेगी। बालगृहों के ऐसे बालक, जिन्हें विशेष देखरेख की आवश्यकता हो, उन्हें भी इन आश्रयगृहों में विशेष देखरेख के लिए, यदि

ऐसी विशेष देखरेख उपलब्ध हों, तो निर्देशित किया जा सकेगा।

(2) आश्रयगृह ऐसी रीति में संचालित किए जा सकेंगे, जो बालकों से प्रारंभिक संपर्क स्थापित करने की कालावधि के दौरान मध्य कार्यवाही की निम्नलिखित दो अवस्था को सुकर बनाए -

(क) **प्रथम संपर्क-** मध्य कार्यवाही की प्रथम अवस्था, रेल्वे स्टेशनों पर अवस्थित सड़क संपर्क केन्द्रों या बालकों के लिए जोखिम भरे सघन आबादी वाले अन्य क्षेत्रों में प्रथम संपर्क की कार्यवाही के समान होगी।

(ख) **पारनयन (मध्यावधि) देखरेख** : द्वितीय अवस्था संकटग्रस्त उन बालकों को अधिक व्यवस्थित रुप में रखने को सुकर बनाने की होगी, जिन्हें अधिक समय तक रखे जाने के पूर्व मध्यावधि में देखरेख की आवश्यकता है।

**(3) अधोसंरचना -** आश्रयगृह के प्रथम संपर्क केन्द्र मध्यावधि में बालकों को रखने के लिए विशुद्ध रुप से एक बड़ा स्थान होगा, जिसमें स्नान तथा प्रसाधन सुविधाएं होंगी। पारनयन देखरेख के लिए आश्रयगृहों में वस्त्र, भोजन, स्वास्थ्य देखरेख और आहार आदि के रुप में बुनियादी आवश्यकताओं के साथ ही शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा आमोद-प्रमोद के लिए अतिरिक्त सुविधाओं को पूरा करने की व्यवस्था के अलावा भोजन तथा आवासीय न्यूनतम सुविधाएं होंगी। आवास गृह के इन दोनों केन्द्रों का प्रबंध इस प्रकार किया जाएगा जिससे बालकों को बालहित समुदाय पर आधारित अभिग्राही केन्द्रों की सुविधा मिल सके।

(4) बाल कल्याण समितियां, विशेष किशोर पुलिस इकाईयां (यूनिटस) लोक सेवक, चाइल्ड लाइन, स्वैच्छिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता तथा बालक स्वयं ऐसी सुविधाओं के लिए बालक को प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) अधिनियम या बालक से संबंधित अन्य विधियों के निबंधनों के अनुसार बालक के हित में विधिक कार्रवाई प्रारंभ करने के अलावा, लापता या गृहहीन बालकों के बारे में समिति तथा पुलिस को सूचना देने के सिवाय और अन्वेषण तथा निपटारे की विधिक अपेक्षाएं, आश्रयगृह में निवास करने वाले बालकों के मामलों में लागू नहीं होंगी।

**(6) आश्रय गृह में ठहरने की अवधि -** आश्रय गृहों के कर्मचारिवृन्द, प्रत्येक बालक के लिए केस प्लान (कार्ययोजना) बनाएंगे तथा यथासंभव शीघ्र उपयुक्त स्थानन की कोशिश करने तथा पता लगाने के लिए बालक के साथ काम करेंगे। सरकारी निधि प्राप्त होने की दशा में साधारणतः कोई भी बालक, पारनयन देखरेख आश्रयगृह में 3 से 6 मास से अधिक नहीं ठहरेगा। ऐसे समस्त बालक, जिन्हें ऐसे गृह में नहीं रखा गया है, उन्हें अन्य गैर सरकारी संगठनों में आगे फालोअप के लिए भेजा जाएगा। ऐसे गैर सरकारी संगठनों की एक सूची रखी जाएगी तथा प्रभावी संपर्क और नेटवर्क ऐसी व्यवस्था को सुकर बनाने के लिए आरंभ किया जाएगा।

**(7) प्रबंधन -** आश्रय गृह, विशेष रुप से कठिन परिस्थितियों में बालकों के साथ कम से कम एक वर्ष कार्य करने वाले मान्यता प्राप्त या प्राधिकृत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित किया जाएगा, आश्रय गृह का प्रबंध, जिस सीमा तक संभव हो, बालक की आवश्यकताओं के अनुसार उन सिद्धांतों तथा मानकों पर विचार करते हुए किया जाएगा, जिसकी रुप रेखा संस्थागत प्रबंधन पर, अध्याय - सात में सूचीबद्ध नियमों में दी गई है।

**38 आश्रय गृह के उद्देश्य -** (1) आश्रय गृह के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे -

(क) उन बालकों की, जो जोखिम में है तथा अतिशीघ्र देखरेख तथा संरक्षण के जरुरतमंद है तथा वे, जो उस क्षेत्र में विशेष रुप से मदद चाहते हैं, पहचान करना उन्हें प्राप्त करना

(ख) बालक को उसकी वर्तमान स्थिति के कारणों को समझने तथा उससे सहमत होने के लिए साथ ही उसके स्थानन से संबंधित विनिश्चय में सहभागी बनने के लिए बालक के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाना।

(ग) त्वरित निर्धारण सेवा तथा विस्तृत निर्धारण और अन्य सेवाओं के लिए संदर्भ उपलब्ध करना

(घ) परामर्श, आमोद-प्रमोद चिकित्सा, अनौपचारिक शिक्षा, खुली तथा निर्बाध रुप से 24 घंटे आश्रय की सेवा उपलब्ध करना,

(ङ) अधिनियम के अधीन उन सक्षम प्राधिकारियों तथा संस्थाओं के साथ जो उस अधिकारिता के अधीन आते हों,

सीधे जुड़ना और क्षेत्र की चाइल्ड हेल्प लाइन और अन्य समस्त मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों तथा उपयुक्त व्यक्तियों, जो आश्रय गृह के काम में सहायता के इच्छुक हो, के साथ नेट वर्क।

(2) **अवस्थिति स्थापित करना -** आश्रय गृह, विषम परिस्थितियों में बालकों की अधिक सघनता के क्षेत्रों में जैसे रेलवे स्टेशनों, बाजार स्थानों तथा अन्य व्यापारिक क्षेत्रों में अधिमानतः अवस्थित होंगे।

(3) **अधिकारिता -** राज्य सरकार, प्रत्येक जिले में कम से कम एक आश्रय गृह स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी

(4) **अधिकारिता में के पुलिस थाने में संबद्धता -** प्रत्येक आश्रय गृह को किसी विनिर्दिष्ट सहायता के लिए अधिकारिता में के पुलिस थाने तथा चाइल्ड हेल्प लाइन से संबद्ध किया जाएगा।

(5) **कर्मचारिवृन्द का पैटर्न -** आश्रय गृह के कर्मचारिवृन्द का पैटर्न निम्नानुसार हो सकेगा -

(क) एक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता जो अर्हित हो तथा जो विशेष रूप से विषम परिस्थितियों में बालकों के साथ काम करने का विशेष प्रशिक्षण या अनुभव रखता हो,

(ख) एक कनिष्ठ सह पेशेवर व्यक्ति, जो विशेष रूप से विषम परिस्थितियों में बालकों के साथ काम करने का विशेष प्रशिक्षण या अनुभव रखता हो,

(ग) एक सहायक,

(घ) दो अभिज्ञात युवक परामर्शदाता बालकों के मित्रों की भूमिका संपादित करते हों।

(6) **विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए आश्रय गृह -** राज्य सरकार, मानसिक रूप से असुविधाग्रस्त बालकों तथा कई प्रकार की निःशक्तता वाले बालकों के लिए आवश्यकतानुसार गृहों का संचालन कर सकेगी, इन नियमों के अध्याय- सात के समस्त नियम इन गृहों को लागू होंगे।

**39. विस्थापन, घोर विपत्ति तथा संघर्ष से प्रभावित बालक -** घोर विपत्ति तथा संघर्ष के द्वारा प्रभावित बालकों के संबंध में इन नियमों के अधीन देखरेख तथा संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों के समान कार्यवाही की जाएगी, तथापि विशेष देखरेख के लिए उपलब्ध किए जाने वाले अतिरिक्त सिद्धांत तथा नियमों का नीचे कथित किए गए अनुसार अनुपालन किया जाएगा -

(1) विस्थापन, आपदा और संघर्ष से प्रभावित बालकों के लिए विशेष उपबंध -

(क) बालकों को उनकी स्वयं की स्थिति तथा उनके कुटुंब, यदि ज्ञात हो, के विवरण पुनर्वास में प्रगति और कोई अन्य विषय जो बालक से सुसंगत हो, की सूचना दी जाएगी

(ख) जाति, भाषा, नस्ली स्त्रोत, लिंग या कोई अन्य परिस्थिति पर आधारित कोई विभेद या तो कर्मचारिवृन्द या अन्य बालकों द्वारा नहीं किया जाएगा, संघर्ष या अन्य ऐसी स्थिति मे जुड़ी परिवर्तनकारी शक्तियों पर सम्यक विचार किया जाएगा।

(ग) सांस्कृतिक आवश्यकताओं के प्रति सम्मान - यह ध्यान में रखते हुए कि बालक किसी विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से हैं इसलिये बालक की सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होने के प्रत्येक प्रयत्न किए जाएंगे। ऐसे प्रयत्नों में सम्मिलित है बालक के सुपरिचित भोजन बनाना, ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो बालक के साथ वार्तालाप करने के लिए बालक की भाषा बोलते हों और बालक को निश्चिन्त तथा निर्भय बनाना, जिससे कि अपरिचित वातावरण में रहने का तनाव कम हो सके। बालक को उसके स्वयं का धर्म, संस्कारों और त्यौहारों को मानने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(घ) कुटुंब और समुदाय आधारित पुनर्मिलान को प्राथमिकता दी जाएगी। यद्यपि मामले के मूल कारण और विशेष परिस्थितियों का सम्यक ध्यान रखते हुए, लिखित में अभिलिखित कारणों के साथ अपवादों को रखा जाएगा।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी, सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में लागू अंतरराष्ट्रीय मानवीय विधि के सुसंगत नियमों का सम्मान करेंगे और सम्मान को सुनिश्चित करेंगे।

**(2) प्रतिवेदन करना (रिपोर्टिंग)** - केवल एक प्रशिक्षित सामाजिक, शिशु मनोविज्ञानी या शिशु मनोरोग चिकित्सक बालक की स्थिति को निर्धारित करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा, रिपोर्ट को समझने और ऐसे बालकों पर गहरे मनोवैज्ञानिक प्रभाव का भेंट अधिकारी को जवाब देने का प्रत्येक प्रयत्न करेगा और बालक को प्राप्त करने तथा उसे बरतने का संवेदनापूर्ण प्रयास करेगा। रिपोर्ट तैयार करने और समस्त अन्य प्रक्रियाओं के दौरान अप्रत्यक्ष उत्पीड़न से बचाने का प्रत्येक प्रयत्न किया जाएगा।

**(3) प्रक्रिया** - किसी बाल मनोवैज्ञानिक या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा बालक के संपर्क में आने के चार दिनों के भीतर बालक का आवश्यक मूल्यांकन किया जाएगा, समस्त अन्य प्रक्रियाएं ऐसी होंगी, जैसी कि इन नियमों के अध्याय- तीन में विहित है।

**(4) गैर संस्थागत देखरेख** - जहां तक संभव हो, बालक को किसी राज्य संस्था में नहीं रखा जाएगा लेकिन ऐसे पोषक माता-पिता द्वारा जो ऐसे बालकों की देखरेख के लिए विशेष रूप से विदित और प्रशिक्षित..., पोषण देखरेख स्कीम के अधीन किसी पोषकगृह में रखा जाएगा, पोषकगृह, अंतरिम देखरेख के लिए गृह के रूप में कार्य करेंगे। बालक के अंतरिम गृह में रुकने के दौरान देखरेख का एक आधारभूत स्तर जिससे बालक की शारीरिक भावनात्मक, विकास और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सुनिश्चित किया जाएगा।

**(5) परामर्श और मनोघात देखभाल** - ऐसे बालक, जिनका ऐसी आपदा, संघर्ष या विस्थापना आदि के कारण शारीरिक दुर्व्यवहार हुआ है, मानसिक रूप से असुविधाग्रस्त या भयाक्रान्त हो गए हैं या जिनकी विशेष आवश्यकताएं, जो जैसे एच.आई. व्ही. की सुनिश्चित अवस्था होने से उद्भूत हुई हों, जहां तक संभव हो, किसी बाल मनोविज्ञानी, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता या मनोरोग चिकित्सक द्वारा देखभाल की जाएगी और उन्हें तुरंत चिकित्सकीय सहायता तथा परामर्श दिया जाएगा। प्रशिक्षित कार्मिकों के साथ-साथ बालकों के नियमित परामर्श सत्रों को (एक सप्ताह में कम से कम एक बार) सुकर बनाया जाएगा।

**(6) शिक्षा** - वह शिक्षा, जो बालक की पूर्व शिक्षा की निरंतरता को सुकर बनाती हो, जहां तक संभव हो, पोषक गृह में बालक के ठहरने या अंतरिम अवधि के दौरान किसी अन्य और दीर्घकालीन स्थानन के दौरान दी जानी चाहिए, ऐसी शिक्षा अनौपचारिक पद्धतियों के द्वारा भी सुकर बनाई जा सकेगी।

**(7) विधिक संरक्षण और सहायता** - यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा कि ऐसे बालकों के विधिक अधिकारों का सम्मान किया जाए और सुसंगत विधियों के अधीन कार्यवाई की जाए।

**(8) कुटुंब की खोज** - ऐसे बालक के लिए, जो पाया गया है और स्वैच्छिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जिसे प्रवेश नहीं दिया गया है उस बालक के कुटुंब या उसके निकटतम ज्ञात रिश्तेदार की खोज करना, प्रथम कार्य होगा। यह कार्य, समय की अधिकतम समुचित अवधि के भीतर निम्नानुसार पूर्ण किया जाएगा -

(क) किसी दीर्घ अवधि की देखरेख में बालक को रखने के पूर्व, बालक के कुटुंब/विस्तारित कुटुंब का पता लगाने और बालक के इतिहास को समझने के प्रत्येक प्रयत्न किए जाने चाहिए, समुदाय आधारित पहल को, जो कि धारणीय हो, और बालकों के हित में हो, पहचान की जा सकेगी और सम्यक विचारण के पश्चात उसे उपयोगी बनाया जा सकेगा। यदि बालक अनाथ है और उसका कोई विस्तारित कुटुंब नहीं है तब बालक के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, वैकल्पिक पोषक या दत्तक ग्रहण करने वाले कुटुंबों की अधिमानतः बालक के समुदाय के भीतर से पहचान की जा सकेगी।

(ख) जब सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान में यह आता है कि बालकों के संबंध में कोई हेतुक है, विशेषकर ऐसी स्थिति में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनका शोषण या व्यापार किया जा रहा है तो ऐसे बालकों की पहचान की जाएगी और उन्हें मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों, योग्य व्यक्तियों या अन्य राज्य संचालित संस्थाओं में दीर्घ कालावधि की देखरेख के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा और वयस्क अपराधियों के साथ सुसंगत विधि के अधीन कार्यवाही की जाएगी। ऐसे बालकों के मनमाने ढंग से अंतरण या ऐसे व्यक्तियों के साथ उन्हें रखने से निवारित करने के लिए विशेष सावधानी रखी जाएगी जो कि हृदय से बालक के सर्वोत्तम हित न रखते हों, जैसे कि वे व्यक्ति, जो परेशानी के ऐसे समय के दौरान ऐसे बालकों की उनके तथाकथित संरक्षण के लिए विवाह संबंधी व्यवस्था करते हों।

**(9) अनुसरण करना** - परिवीक्षा अधिकारी या कोई अन्य मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन या सिविल सोसाइटी संगठन की जो बालक की सहायता करेंगे, पहचान की जानी चाहिए, इस संगठन द्वारा पुनर्निर्धारण के एक माह के भीतर बालक की भलाई के बारे में संसूचित करना

चाहिए, पुनर्निर्धारण के समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाएगा -

(क) गृह राज्य में स्थिति और आपदा, संघर्ष या विस्थापन के अन्य ऐसे कारणों की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए गृह राज्य में बालक के रुके रहने की वांछनीयता पर एक रिपोर्ट,

(ख) कुटुम्ब या अन्य व्यक्तियों की स्थिति, जो कि विस्थापन के पूर्व बालक की देखभाल कर रहे हैं,

(ग) स्थापन के बारे में बालक की भावनाओं और राय को ध्यान में रखते हुए पुनर्मिलन और पुनर्वास के लिए देखरेख योजना।

**(10) प्रायोजकता** - यदि, कुटुंब वित्तीय कारणों से बालक की देखरेख करने में असमर्थ है तो कुटुंब के लिए प्रयोजकता सहयोग पर विचार किया जाएगा ।

**(11) वैकल्पिक व्यवस्था** - यदि बालक/बालिका को उसके गृह राज्य में वापस नहीं रखा जाता है या पोषण देखरेख में या दत्तक दिया जाता है तो उसे विशेष देखरेख के लिए आश्रय गृह में निर्दिष्ट किया जा सकेगा ।

**40. विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए संदर्भ सेवाएं** - (1) सक्षम प्राधिकारी, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने वाली मान्यता प्राप्त संस्थाओं की पहचान करेगा और इन संस्थाओं में बालकों को विनिर्दिष्ट करेगा जिससे कि उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ।

(2) ऐसी सेवाएं, शारीरिक रुप से असुविधाग्रस्त बालकों, आवारा बालकों, लैंगिक दुर्व्यवहार से पीड़ित बालकों, एच.आई.व्ही. एड्स से पीड़ित बालकों, कैदियों के बालकों, बाल वेश्याओं, मादक पदार्थों से वशीभूत बालकों, घातक/दीर्घकालिक बीमार बालकों और कोई अन्य इसी प्रकार के बालकों को उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(3) मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित अन्य विशेषज्ञ सेवाओं या संस्थाओं को निर्दिष्ट विशेष आवश्यकताओं वाले बालक इस अधिनियम के अधीन प्रायोजकता स्कीम के अंतर्गत रहेंगे, जिससे कि निर्दिष्ट किए जाने पर व्ययों के साथ बालक को शामिल किया जावे।

## अध्याय पांच

## विशेष किशोर पुलिस इकाई

**41. विशेष किशोर पुलिस इकाई** - (1) राज्य सरकार, जिले में कम से कम एक विशेष किशोर पुलिस इकाई सृजित करेगी जो इस अधिनियम के अधीन बच्चों के लिए प्रथम व्यापक संपर्क देखरेख केन्द्र संचालित करेगा ।

**(2) विशेष किशोर पुलिस इकाई के उद्देश्य** - विशेष किशोर पुलिस इकाई के उद्देश्य नीचे दिए अनुसार होंगे-

(क) प्रथम संपर्क के केन्द्र पर बालकों की पहचान करना और प्राप्त करना, जोखिम में रह रहे बालकों की पहचान करने के लिए क्षेत्राधिकार में पहुंच से बाहर के कार्य हाथ में लेना और बालकों की गृह भेंट संचालित करना ।

(ख) बालक के साथ मित्रवत संबंध बनाना, जिससे कि वह उसकी वर्तमान स्थिति के कारणों को समझने और बांटने और उनसे संबंधित कार्यवाहियों के संबंध में किसी विनिश्चय में भाग लेने में समर्थ हो सके ।

(ग) एक वैयक्तिक शीघ्र निर्धारण और जांच संचालित करना तथा परामर्श चिकित्सीय देखभाल, आमोद-प्रमोद सेवाएं साथ ही विस्तृत निर्धारण और अन्य सेवाओं का संदर्भ प्रस्थापित करना ।

(घ) 1098 के माध्यम से चाइल्ड हेल्प लाइन और आपातकालीन पहुंच वाली सेवाएं उपलब्ध कराना ।

(ङ) क्षेत्र की चाइल्ड हेल्प लाइन और विशेष पुलिस इकाई के कार्य में सहायता करने के इच्छुक समस्त अन्य मान्यता प्राप्त उपयुक्त व्यक्तियों/संस्थाओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के साथ नेटवर्क तथा उस अधिकारिता के अधीन आने वाले अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारियों और संस्थाओं के साथ प्रत्यक्ष रुप से जुड़ना।

(च) बालक मित्रवत प्रथम मध्यक्षेप केन्द्रों की भूमिका का निर्वहन करना और प्राप्त करने के लिए संप्रेक्षण गृह/बाल गृह की समुदाय आधारित स्वागत इकाई के कृत्यों का निर्वहन करना, प्रारंभिक जांच हाथ में लेना, विभिन्नता के सिद्धांत को प्रवर्तन में लाते समय परामर्श और शीघ्र मध्यक्षेप उपलब्ध कराना।

(छ) बालकों के प्रति पुलिस के व्यवहार को समन्वित और उन्नत करना।

(ज) एक चलित विशेष किशोर पुलिस इकाई की व्यवस्था करना, जिसे कि जब कभी कोई बालक अधिनियम के अधीन या तो पकड़ा जाए या प्राप्त किया जाए, तब संबंधित पुलिस थाने द्वारा उसे बुलवाया जा सके।

(झ) बालकों के लिए सुरक्षित स्थान के रुप में कार्य करना।

(ञ) कोई अन्य कार्य, जिन्हें इकाई द्वारा किसी बाल केन्द्रित रीति में उसके सामान्य कर्तव्यों के अनुक्रम में पूरा करना होगा।

**(3) विशेष किशोर पुलिस इकाई की अवस्थिति** – विशेष किशोर पुलिस इकाई किसी पुलिस थाने की प्रसीमा के भीतर अवस्थित नहीं होगा परन्तु किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन द्वारा या किसी लोक शिक्षण संस्था द्वारा या किसी ऐसे स्थान द्वारा उपयोग में लाई जा रही जगह के परिसर में अवस्थित होगी। इसके अतिरिक्त विशेष किशोर पुलिस इकाई की चलित इकाई स्थापित की जा सकेगी जो संबंधित अधिकारिता वाली विशेष किशोर पुलिस इकाई से संबंध बनाए रखेगी।

**(4) अधिकारिता** - (क) विशेष किशोर पुलिस इकाई की अधिकारिता किसी विशेष क्षेत्र (जोन) में उतनी संख्या में पुलिस थानों पर होगी, जो विशेष किशोर पुलिस इकाई के क्षेत्र में जोखिम में रह रहे बालकों की घनता को ध्यान में रखते हुए यथा आवश्यक परिलक्षित हो प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेष किशोर पुलिस इकाई होगी।

**(ख) अधिकारिता के पुलिस थाने में संबद्धता** - प्रत्येक विशेष किशोर पुलिस इकाई, दस्तावेजीकरण और किसी विशिष्ट सहायता के लिए निकटतम पुलिस थाने में संबद्ध होगी।

**(5) विशेष किशोर पुलिस इकाई का कर्मचारिवृन्द**- (क) अधिनियम की धारा 63 के संबंध में एक बाल कल्याण अधिकारी पदाभिहित किया जाएगा, जो पुलिस निरीक्षक या उपनिरीक्षक की पदश्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो।

(ख) विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला स्तर पर एक बाल कल्याण अधिकारी और दो स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगी, जिनमें से एक महिला होगी और दूसरा अधिमानतः बाल विशेषज्ञ या सुसंगत अनुभव रखने वाला होगा।

(ग) एक कनिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, विशेष रुप से विषम परिस्थितियों में बालकों के साथ प्रत्यक्ष रुप से कार्य करने के कम से कम एक वर्ष के अनुभव सहित सह पेशेवर व्यक्ति के रुप में अर्हित या अनुभवी हो।

(घ) कम से कम एक पुलिस आरक्षक, महिला होगी,

(ङ) एक सहायक हेल्पर,

(च) बालकों के मित्रों की भूमिका निभाने वाले दो युवा परामर्शदाता, जो विशेष किशोर पुलिस इकाई में आते हैं,

(छ) एक पुलिस अधिकारी,

(ज) अधिनियम के अधीन बालकों के साथ संव्यवहार करने वाले पदाभिहित व्यक्तियों द्वारा पहने जाने वाले परिधान -

जब भी संभव हो, समस्त ऐसे व्यक्ति, गिरफ्तारी के समय के सिवाए, केवल सादे वस्त्र न कि यूनीफार्म पहनेंगे, जब तक कि विशिष्ट परिस्थितियों में, उक्त अधिकारी का पुलिस यूनीफार्म पहनना बालक के हित में अपेक्षित न हो। तथापि वे हमेशा अपने पास एक पहचान पत्र

रखेंगे, जो मांग किए जाने पर प्रस्तुत की जाएगी।

6. **प्रबंधन** - (क) प्रत्येक विशेष किशोर पुलिस इकाई का अनुभव और विशेष रूप से विषम परिस्थितियों में बालकों के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने का अनुभव और/या प्रशिक्षण रखने वाले किसी मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन से नेटवर्क हो सकेगा।

(ख) समस्त विशेष किशोर पुलिस इकाईयां, आयुक्त/पुलिस अधीक्षक को सीधे रिपोर्ट करेंगी।

**(7) प्रक्रिया** - (क) विशेष किशोर पुलिस इकाई के कर्मचारिवृन्द ऐसे बालक को प्राप्त करेंगे, जिसे इन नियमों में रेखांकित सिद्धांतों के अनुसार अधिनियम के अधीन उपबंधित सेवाओं की आवश्यकता वाले बालक के रूप में पहचाना गया है और वे प्रारंभिक जांच संचालित करने के लिए अग्रसर होंगे एवं ऐसी सेवाएं देंगे, जिनका बालक को प्रारंभिक संपर्क के इस बिन्दु पर आवश्यकता हो।

(ख) विशेष अन्वेषण और रिपोर्ट, जो पुलिस द्वारा किया जाना अपेक्षित हों, उन सामाजिक अन्वेषण रिपोर्टों के अतिरिक्त तैयार की जाएगी, जो विशेष किशोर पुलिस इकाई के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा भी बनाई जा सकती हों, विशेष किशोर पुलिस इकाई से संबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता की सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट पर भी विचार किया जा सकेगा।

(ग) प्रत्येक पुलिस थाना पुलिस थाने के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड पर किशोर न्याय अधिनियम की मुख्य बातों का सम्प्रदर्शन करेगा।

**(8) गुमशुदा बालकों का ब्यूरो** - (क) राज्य सरकार, गुमशुदा बालकों से संबंधित जानकारी के दस्तावेजीकरण और प्रकाशन के लिए गुमशुदा बालकों का एक ब्यूरो स्थापित करेगी। ऐसी सेवा को सुकर बनाने के लिए एक कंप्यूटरीकृत साफ्टवेयर तैयार किया जाएगा और संपूर्ण देश में स्थापित इसी प्रकार की समस्त अन्य सुविधाओं को जोड़ने के प्रयत्न किए जाएं जिससे कि संपूर्ण देश में ऐसे बालकों के बारे में शीघ्र जानकारी परीक्षण और संप्रेषण को सुकर बनाया जा सके। यह गुमशुदा बालकों के डाटाबेस के रूप में भी सहायक होगा।

(ख) गुमशुदा बालकों के ब्यूरो को चाइल्ड हेल्प लाइन से, जहां कहीं उपलब्ध हो, साथ ही साथ, प्रत्येक जिले में समस्त मुख्य पुलिस थानों से जोड़ा जाएगा।

(ग) समस्त नागरिकों की जो इस जानकारी से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित पाए गए हों या इस जानकारी तक पहुंचने के लिए अन्यथा प्राधिकृत किए गए हों, इस डाटाबेस तक निर्बाध पहुंच होगी। बालकों के हितों के विरुद्ध इस डाटाबेस का दुरुपयोग करते पाये गये व्यक्तियों का अन्वेषण किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

## अध्याय छः
## संस्थाओं की मान्यता और प्रमाणीकरण

**42. उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त संस्था की मान्यता** - (1) किसी समुचित व्यक्ति, व्यक्तियों के निकाय, किसी संगम, स्थान या संस्था को, जिसका अधिभोगी या प्रबंधक उतनी कालावधि के लिए, जैसी कि आवश्यक हो, देखरेख, संरक्षण या उपचार के जरुरतमंद/फुटपाथी किसी बालक/बालकों को अस्थायी रूप से प्राप्त करने और उसकी देखरेख में सौंपे गए किसी बालक के पालन-पोषण के लिए उसके जन्म के समय के धर्म के अनुरूप सुविधाएं प्रदान करने का इच्छुक है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक उपयुक्त व्यक्ति या उपयुक्त संस्था के रूप में मान्यता दी जा सकेगी।

(2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए उपयुक्त व्यक्तियों और उपयुक्त संस्थाओं के नाम और पते की एक सूची बोर्ड/समिति के कार्यालय में रखी जाएगी और जब आवश्यक हो, उपयोग में लाई जाएगी। ऐसी संस्थाओं की, जिनसे विशेषज्ञीय मध्यक्षेप और सेवाओं की अपेक्षा रखने वाले बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, की पहचान करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के प्रयत्न किए जाएंगे।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी बालक को किसी ऐसी संस्था को, जो संबंधित शाखाओं सहित एक उपयुक्त संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हो, सुपुर्दगी के पश्चात ऐसी संस्था का प्रबंधक सक्षम प्राधिकारी को जिसके आदेशों के अधीन बालक को सुपुर्द किया गया था, प्रज्ञापन देने के पश्चात ऐसी संस्था की किन्हीं भी शाखाओं में बालक को भेज सकेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति/संस्था को उपयुक्त व्यक्ति/उपयुक्त संस्था के रूप में घोषित करने के पूर्व सम्यक जांच करेगा और समाधान होने पर ही इस रूप में मान्यता प्रदान करेगा।

**43. संस्थाओं का प्रमाणीकरण/मान्यता और अंतरण -** (1) यदि किसी संगठन का प्रबंधन या वांछा करता हो कि उसके संगठन को अधिनियम के अधीन प्रमाणित किया जाए या मान्यता प्रदान की जाए तो वह नियमों, उप विधियों, संस्था के ज्ञापन, संगठन चलाने वाली सोसाइटी/संगम (एसोसिएशन) के सदस्यों की सूची, पदाधिकारी और संगठन की प्रास्थिति और संगठन एवं संगठन को चलाने वाली सोसाइटी की सामाजिक या सार्वजनिक सेवा का पिछला अभिलेख दर्शाने वाले विवरण के साथ प्ररूप उन्नीस में एक लिखित आवेदन संचालक, समाज कल्याण को जिला कलेक्टर के माध्यम से करेगा। आवेदन को संचालक, समाज कल्याण, राज्य सरकार को अनुशंसित करेगा।

(2) राज्य सरकार, भोजन व्यवस्था और आवास, सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और उपचार संबंधी सेवाओं के लिए संगठन में की गई व्यवस्था का सत्यापन करने के पश्चात यथास्थिति अधिनियम की धारा 8,9,34, 37 और 44 के अधीन प्रमाणन/मान्यता प्रदान कर सकेगी। यह इस शर्त पर होगा कि संगठन, मानकों का अनुपालन करे तथा अधिनियम और इन नियमों के अधीन अधिकथित सेवाएं दें और उसके प्रभार के अधीन रखे गए बालकों की संपूर्ण वृद्धि और विकास को सुनिश्चित करने के लिए सहमत हों।

(3) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन संचालित संस्था के प्रबंधन को किसी ऐसे ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठन को, जो ऐसी संस्था चलाने में सक्षम हो, अंतरित कर सकेगी और यह प्रमाणित कर सकेगी कि उक्त स्वैच्छिक संगठन, अपेक्षित उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने वाली एक उपयुक्त संस्था है।

**44. संयुक्त प्रबंधन -** (1) राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं का प्रबंध गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी किया जा सकेगा। भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व और प्रबंधन के अन्य विवरणों को उक्त संगठन के साथ विशिष्ट और व्यक्तिनिष्ठ परामर्श के पश्चात अंतिम रुप से तय किया जा सकेगा और उन्हें एक विशिष्ट समयावधि के लिए एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) द्वारा तय किया जा सकेगा।

समझौता ज्ञापन पर भी पक्षों द्वारा निम्नलिखित रीति में हस्ताक्षर किए जाएंगे, अर्थात -

(क) प्रत्येक पक्ष की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व,

(ख) वे क्षेत्र, जिसमें वित्तीय/कार्यक्रम आधारित आगम, सहयोगी अभिकरणों द्वारा किए जाएंगे,

(ग) संयुक्त प्रबंधन के पुनर्विलोकन के लिए युक्ति,

(घ) बालकों की भागीदारी के लिए स्थान ,

(ङ) कर्मचारिवृन्द/स्वयं सेवकों की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व, जो इन संस्थाओं में संयुक्त प्रबंधन प्रयासों के भाग के रुप में आते हों।

(च) तत्कालीन विशेष परिस्थितियों से सुसंगत कोई अन्य विषय।

(2) उस संस्था और अधोसंरचना का, जो कि किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अधीन राज्य सरकार को पहले ही उपलब्ध हो, अधिनियम के कार्यान्वयन में उपयुक्त रुप से उपयोग किया जाएगा।

(3) राज्य सरकार, यदि वह अधिनियम के अधीन प्रमाणित अथवा मान्यता प्राप्त संगठन की शर्तों, नियमों या प्रबंधन से संतुष्ट नहीं हैं, किसी भी समय, संगठन के प्रबंधक पर तामील दो मास का नोटिस देकर यह घोषित कर सकेगी कि नोटिस में विनिर्दिष्ट की गई तारीख से, यथास्थिति संगठन का प्रमाण-पत्र उसकी मान्यता वापस ले ली जाएगी। उक्त तारीख से संगठन, यथास्थिति अधिनियम की धारा 8, 9, 34, 37 अथवा 44 के अधीन प्रमाणित अथवा मान्यता प्राप्त हों।

(4) संगठन के प्रमाण-पत्र अथवा उसकी मान्यता को वापस लेने अथवा उन्हें प्रत्यावर्तित करने का विनिश्चय, अधिनियम की धारा 62 के अधीन विशेष रुप से गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा संपूर्ण जांच-पड़ताल के आधार पर किया जाएगा। सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर, गृह के भारसाधक अधिकारी से, 30 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए दर्शित करने को कहा जाएगा।

(5) जब कोई संगठन, अधिनियम की धारा 8,9, 34, 37, या 44 के अधीन प्रमाणित अथवा मान्यता प्राप्त संगठन नहीं रह जाता है, तो उसमें रखे गए बालक, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए पदाभिहित अधिकारी के आदेशों के अधीन या तो :-

(क) ऐसी शर्तों पर जैसी कि अधिकारी अधिरोपित करें, पूर्णतः निर्मुक्त कर दिए जाएंगे, अथवा

(ख) अधिनियम की धारा 8,9,34, 37 या 44 के अधीन स्थापित, प्रमाणित या मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था को, उन्मोचन तथा स्थानांतरण से संबंधित अधिनियम के उपबंधों और नियमों के अनुसार स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। ऐसी निर्मुक्ति अथवा स्थानांतरण की सूचना, यथास्थिति बोर्ड, अथवा समिति को दी जाएगी।

**45. प्रमाणित या मान्यता प्राप्त संगठन को सहायता अनुदान -** (1) अधिनियम की धारा 8,9,34, 37 या 44 के अधीन प्रमाणित या मान्यता प्राप्त कोई संगठन, उस समय जबकि प्रमाणीकरण या मान्यता की कालावधि प्रवृत्त हो, राज्य सरकार को, अधिनियम के उपबंधों के अधीन, उन्हें प्राप्त बालकों के भरण-पोषण के लिए और उनकी शिक्षा, उपचार व्यावसायिक प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास पर उपगत व्ययों के लिए अधिनियम के उपबंधों के अधीन सहायता अनुदान हेतु आवेदन कर सकेगा। राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान ऐसी दरों पर, जो कि विहित सनियम के अनुरुप हों, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए मंजूर किया जा सकेगा, जिन पर कि दोनों पक्ष परस्पर सहमत हों।

(2) अधिनियम की धारा 8,9,34, 37 और 44 के अधीन सरकार द्वारा चलाए जा रहे गृहों के प्रबंधन के स्वैच्छिक संगठन को अंतरित हो जाने की दशा में अन्य भूमिका एवं बाध्यताएं विहित करते हुए दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में सहायता अनुदान के रुप में, स्वैच्छिक संगठनों को वही बजट दिया जाएगा, जो कि सरकार उस गृह पर खर्च कर रही थी।

## अध्याय - सात
## संस्थागत प्रबंधन

**46. (1) संस्थाओं में, अधिक नाजुक बालकों के अधिकारों का संरक्षण :** (क) सभी प्राधिकारी, अधिकारी और कार्मिक ऐसे बालकों की आवश्यकताओं के प्रति हर समय संवेदनशील रहेंगे जो कि आयु, लिंग, लैंगिक अवस्थिति, एचआईव्ही स्थिति, गंभीर बीमारी या किसी अन्य कारण से नाजुक हों। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, जहां भी संभव हो, सकारात्मक कार्यवाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(ख) राज्य सरकार/स्वैच्छिक संगठन, लड़के और लड़कियों के लिए पृथक संस्थाएं स्थापित करेंगे। 10 वर्ष से ऊपर की आयु और 10 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए पृथक सुविधाएं दी जाएंगी। लड़कों की संस्थाओं के संबंध में 12 वर्ष तक, 12 से 16 वर्ष तक और 16 से 18 वर्ष तक के आयु समूहों के लिए पृथक सुविधाएं दी जाएंगी। शिशुओं के लिए समुचित सुविधाओं सहित 0-5 वर्ष तक आयु समूह में बालकों के लिए पृथक सुविधाएं दी जाएंगी।

**(2) बालक को प्रवेश -**

(क) संस्थाओं में बालकों को केवल उन्हीं शर्तों के अधीन रखा जाएगा जिनमें उनकी आयु, व्यक्तित्व लिंग और अपराध के प्रकार यदि लागू हो, के साथ ही उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और विशेष आवश्यकताओं का पूर्ण ब्यौरा हो, और जो हानिप्रद प्रभावों और जोखिम की परिस्थितियों से उनका संरक्षण सुनिश्चित करती हों।

(ख) बालकों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों को पृथक करने के लिए प्रमुख मानदंड, संबंधित प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं की सर्वोत्तम अनुकूल देखरेख और उसकी शारीरिक-मानसिक और नैतिक संनिष्ठा का संरक्षण तथा कल्याण होगा।

(ग) बालक को ऐसे कार्मिक द्वारा जिम्मेदार रीति में लिया जाएगा, जो प्रशिक्षित रहे हों और जो संस्था में भेजे जा रहे बालकों की विशेष आवश्यकताओं और भावनाओं के प्रति संवेदनयुक्त हों। यदि आवश्यक हो तो बालक के लिए बाल कटवाने की व्यवस्था की जाएगी औरऐसी रीति में स्नान कराया जाएगा, जिससे उसकी गरिमा का संरक्षण हो और उससे सहमति प्राप्त हो। जब भी संभव हो, शेविंग के विकल्प के रुप में जूं वाले लोशन का प्रयोग किया जाएगा।

(घ) बालक को उसका निजी सामान और अन्य मूल्यवान वस्तुएं रखने के लिए लॉकर दिया जाएगा।

(ङ) बालक की तात्कालिक आवश्यकताओं और कुशंका पर, जैसे कि आवश्यक चिकित्सकीय देखरेख और माता-पिता से संपर्क

की आवश्यकताओं पर शीघ्र दक्षतापूर्ण और सहज रीति में ध्यान दिया जाएगा।

(च) प्रभारी अधिकारी बालक को प्राप्त करने के पूर्व किशोर न्याय बोर्ड या बालक कल्याण समिति के आदेशों को सत्यापित करेगा।

(छ) बालक को प्राप्त किए जाने के समय, उसे संप्रेक्षण गृह/विशेष गृह/बालगृह को शासित करने वाले नियमों की एक प्रति और उसके अधिकारों और दायित्वों का लिखित विवरण, ऐसी भाषा में, जिसमें वह समझ सके, शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों जैसे कि चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, सानिध्य समितियों, जिला स्तरीय समितियों के पते के साथ लोक अथवा ऐसे प्राइवेट अभिकरणों तथा संगठनों के जो विधिक सहायता उपलब्ध कराते हों, उपलब्ध कराए जाएंगे। बालक द्वारा अनुरोध किया जाने पर उसकी इन तक पहुंच कराई जाएगी।

उन बालकों को, जो अशिक्षित हों अथवा जो लिखित रूप में भाषा नहीं समझ सकते हों अथवा जिन्हें किसी अन्य रूप में सहायता की आवश्यकता हो, ऐसी रीति में जानकारी दी जानी चाहिए जिससे वे पूरी तरह से समझ सकें।

(ज) बालक को, संस्था के आंतरिक संगठन को शासित करने वाले विनियमों और उसकी की जा रही देखरेख के लक्ष्यों और तरीकों, अनुशासन संबंधी अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं की, जानकारी ज्ञात करने की तथा शिकायतें करने की अन्य अधिकृत रीतियों का और समस्त ऐसे अन्य मामलों को, जो कि उसे संस्था में रहने की अवधि के दौरान अपने अधिकारों और दायित्वों को पूरी तरह से समझने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों, समझने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

**47. रजिस्टरों का रखा जाना** - (1) भारसाधक अधिकारी, कार्यालय में ऐसे रजिस्टर और प्ररूप रखेंगे जैसे कि अधिनियम और इन नियमों द्वारा विहित किए जाएं।

(2) **केस फाइल** - केस फाइल में निम्नलिखित विशिष्टयां अंतर्विष्ट होंगी -

(क) समस्त रिपोर्ट, जिसमें सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट सम्मिलित है, विधिक अभिलेख, चिकित्सा अभिलेख और अनुशासनिक कार्यवाहियों का अभिलेख और प्ररूप से संबंधित समस्त अन्य दस्तावेज, उपचार के विषय और ब्यौरे एक व्यक्तिगत गोपनीय फाइल में रखे जाएंगे। इन फाइलों को अद्यतन रखा जाएगा और वे केवल प्राधिकृत व्यक्तियों को ही जिसमें बालक/बालिका स्वयं सम्मिलित हैं, प्राप्य होंगी और उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा ताकि आसानी से समझ में आ सके.

(ख) जहां संभव हो, प्रत्येक बालक को उसकी फाइल में अंतर्विष्ट किसी तथ्य अथवा मत का प्रतिवाद करने का अधिकारी होगा ताकि गलत, निराधार अथवा नाजायज कथनों को सुधारा जाकर इस अधिकार का प्रयोग करने की दृष्टि से ऐसे किसी व्यक्ति जो किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा प्राधिकृत है, निवेदन करने पर फाइल प्राप्त करने और उस पर परामर्श करने की अनुमति होगी। निर्मुक्त होने पर बालकों के अभिलेख सील कर दिए जाएंगे और उपयुक्त समय पर उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।

(ग) संस्था में प्रत्येक बालक की केस फाइल निम्नलिखित जानकारी, जो लागू हो अंतर्विष्ट करते हुए संस्था में रखी जाएगी :-

(एक) सेन्ट्रल इंडेक्स नम्बर,

(दो) प्रत्येक वर्ष का फोटोग्राफ,

(तीन) उस व्यक्ति/अभिकरण की रिपोर्ट, जिसमें बालक को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश किया हो (सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के फार्मेट (प्ररूप) की ही तरह),

(चार) परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट (सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट के फार्मेट (प्ररूप) में भी),

(पांच) पूर्व की संस्था से जानकारी,

(छः) स्टाफ के सदस्यों से बालक की शिक्षा स्वास्थ्य में प्रगति की माहवारी की रिपोर्ट (लड़कियों के मामले में),

| | |
|---|---|
| दूध/दही | 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी मिलाए बिना |
| नाश्ता (मूंगफली, चना, पोहा) | 50 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन |
| चाय पत्ती | 4 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन |
| फल | 45 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एक सप्ताह में तीन बार) |
| मसाले | 10 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन विभिन्न क्षेत्रीय मांगों के अनुसार |
| नमक | 15 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन |
| ईंधन/जलाऊ लकड़ी | 1 किलोग्राम 250 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन |
| अन्य वस्तुएं - | |
| दूध (पाउडर) | 50 ग्राम प्रतिमाह |
| हेयर ऑइल | 100 ग्राम प्रतिमाह |
| नहाने का साबुन | 1 प्रतिमाह |
| साबुन (कपड़े धोने के लिए) | 2 नग प्रतिमाह |

**टिप्पणी -** सुझायी गई आहार संबंधी स्केल, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित की जा सकती है जहां एल.पी.जी. गैस उपलब्ध न हो, वहां गैस की अनुपलब्धता की अवधि के दौरान जलाऊ लकड़ी/ईंधन स्केल लागू होगी।

**52. वस्त्र, बिस्तर और अन्य वस्तुएं -** (1) बालकों को, जहां तक संभव हो सके, यूनीफार्म से भिन्न अपने स्वयं के वस्त्र का उपयोग करने का अधिकार होगा। संस्थाएं यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रत्येक बालक के पास जलवायु के अनुकूल और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निजी वस्त्र हों और जो किसी भी रुप में अपेक्षित कोटि से कम अथवा अप्रतिष्ठकार न हों। किसी भी प्रयोजन से संस्था से हटाए गए अथवा संस्था छोड़ने वाले बालकों को अपने निजी वस्त्र पहनने की अनुमति होगी। वे इस बात को ध्यान में रखते हुए, यूनिफार्म नहीं पहनेंगे कि ऐसी प्रक्रिया से बालकों का नामकरण जैसा हो जाता है और वे बदनाम हो सकते हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित स्केल के अनुसार प्रत्येक बालक को वस्त्र और बिस्तर जिसमें परम्परागत अधोवस्त्र, तौलिए,शीतकाल के लिए जर्सी, बाहर के स्कूलों में जाने वाले बालकों के लिए स्कूल यूनिफार्म, दरी, चादरें, कम्बल, तकिया, चप्पल या जूते, यथापेक्षित बर्तन और टूथ पाउडर, साबुन, तेल, कंघा इत्यादि सम्मिलित हैं। वस्त्र और बिस्तर के लिए सुझावी गयी नवीनतम स्केल निम्नानुसार हो सकती है : -

| वस्तु | नार्म्स (प्रति निवासी) स्कूल न जाने वाले बालक- | मानसिक रुप से असुविधाग्रस्त बालक |
|---|---|---|
| शर्ट | | |
| टेरीकार्ट/काटन शर्ट | 3 टेरीकार्ट/काटन शर्ट प्रति वर्ष | 5 टेरीकाट/काटन शर्ट प्रतिवर्ष |
| निकर/पायजामा/ स्कर्ट | 3 टेरीकाट/काटन हाफ पेंट प्रति 12 वर्ष तक ट्राउजर्स प्रतिवर्ष 12 वर्ष से उपर | 5 टेरीकार्ट/काटन हाफ पेंट प्रतिवर्ष 2 काटन पायजामा प्रतिवर्ष |
| कच्छा | 4 प्रतिवर्ष | 6 प्रतिवर्ष |
| बनियान | 4 प्रतिवर्ष | 4 प्रतिवर्ष |
| (13 वर्ष से उपर के लिए ब्रेसियर्स) | 4 प्रतिवर्ष | 4 प्रतिवर्ष |
| तौलिए | 2 प्रतिवर्ष | 2 प्रतिवर्ष |
| स्कार्फ/चुन्नी | 2 प्रतिवर्ष (केवल लड़कियों के लिये 12 वर्ष से अधिक आयु की ) | 2 प्रतिवर्ष (केवल लड़कियों के लिये) 12 वर्ष से अधिक आयु की |
| चमड़े के जुते | 1 प्रतिवर्ष | 1 केनवास जूते प्रतिवर्ष |
| चप्पल | 1 प्रतिवर्ष | 1 प्रतिवर्ष |
| (लड़कियों के लिए) | - | - |
| रुमाल | | |

| | | |
|---|---|---|
| केनवास के पी.टी.के जुते | | 1 प्रतिवर्ष |
| आधी बांह का स्वेटर | 2 वर्ष में 1 | 1 प्रतिवर्ष |
| ऊनी जर्सी | 2 वर्ष में 1 | 1 प्रतिवर्ष |
| सैनिटरी पैड्स | जैसी आवश्यकता हो | जैसी आवश्यकता हो |
| (13 वर्ष की उपर की लड़कियों के लिये) | नायलोन के मोजे 2 प्रति वर्ष नायलोन के मोजे | 2 प्रतिवर्ष |

**53. सेवाएं, जो बालक की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं और गरिमा के अनुरुप होंगी -** (1) अपनी स्वतंत्रता से वंचित बालकों को ऐसी सुविधाओं तथा सेवाओं का अधिकार होगा जो स्वास्थ्य और मानवीय गरिमा से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो।

(2) संस्थाओं की डिजाइन और उनका वास्तविक परिवेश जहां तक संभव हो, अंतरंगता, संवेदनात्मक उद्दीपन, सभ्य समाज से जुड़ने के अवसरों और खेलों में सहभागिता, शारीरिक व्यायाम और खाली समय के क्रियाकलापों संबंधी बालक की आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए, घर सदृश व्यवहार के पुनर्वासीय उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए होगा। यद्यपि, राज्य सरकार के पास उपलब्ध विद्यमान अधोसंरचना का उपयोग किया जा सकता है। तथापि समस्त संस्थाओं की सजावट को इस प्रकार पुनर्गठित करने के सम्मिलित प्रयास किए जाएंगे, ताकि ये बाल केन्द्रित गृहों की छवि निरुपति करें न कि किसी जेल अथवा सरकारी कार्यालय की। दीवारों तथा फर्नीचर के लिए रंगीन पेन्ट, पोस्टर तथा प्रदर्शन बोर्ड उन बालकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जो उनके गृह सुसज्जित करने के लिए उनका उपयोग कर सकें।

(3) गृहों की डिजाइन और संरचना इस प्रकार की हो जिसमें आग का खतरा कम से कम हो और परिसर से सुरक्षित निकलना सुनिश्चित हो सके। आग लगने की दशा में एक प्रभावी अलार्म प्रणाली साथ ही बालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुव्यवस्थित और अभ्यास में लाई हुई प्रक्रिया हो। उन क्षेत्रों में, जहां कि स्वास्थ्य या अन्य खतरे या जोखिम ज्ञात हों, सुविधाएं निविष्ट नहीं की जाएंगी।

(4) सोने की जगह सामान्यतया (छोटे) समूह शयनागार के रुप में होगी, जिसमें स्थानीय मानकों को ध्यान में रखा जाएगा। सोने के घंटों के दौरान, प्रत्येक बालक की संरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से समस्त शयन क्षेत्रों तथा समूह शयनागार की नियमित सतर्क देखभाल की जाएगी। प्रत्येक बालक को अलग-अलग तथा पर्याप्त बिस्तर दिए जाएंगे जो दिए जाते समय स्वच्छ होंगे, उन्हें अच्छी हालत में रखा जाएगा और उनकी स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर बदला जाएगा।

(5) सेनेटरी व्यवस्थाएं इस प्रकार अवस्थित हों और पर्याप्त स्तर की हों, जिससे की प्रत्येक बालक की शारीरिक आवश्यकताएं यथा अपेक्षित अंतरंगता में पूरी हो सके और स्वच्छ एवं समुचित रीति में मिल सकें। बालकों से शौचालय साफ नहीं करवाए जाएंगे।

**(6) स्वच्छता और स्वास्थ्य** - प्रत्येक संस्था में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी -

(क) पर्याप्त और उपचारित पेयजल ,

(ख) नहाने और वस्त्र धोने के लिए पर्याप्त पानी, परिसरों का रखरखाव और सफाई ,

(ग) उचित जल निकास प्रणाली ,

(घ) कूड़े के निस्तारण के लिए प्रबंध ,

(ङ) मच्छरों से संरक्षण,

(च) पर्याप्त संख्या में शौचालय, सात बालकों के अनुपात में कम से कम एक शौचालय ,

(छ) पर्याप्त संख्या में स्नानागार, दस बालकों के अनुपात में कम से कम एक स्नानागार ,

(ज) धुलाई के लिए पर्याप्त स्थान,

(झ) रसोईघर में सफाई ,

(ञ) मक्खी परिरक्षी रसोइघर ,

(ट) बिस्तर और वस्त्रों को धूप में रखने की व्यवस्था,

(ठ) चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता।

(7) **आवास** - जहां तक संभव हो सके, आवास का न्यूनतम मापदंड निम्नानुसार होगा -

| | |
|---|---|
| शयनागार | 40 वर्गफीट प्रति किशोर |
| क्लास रुम | पर्याप्त स्थान |
| कर्मशाला | कार्य करने के लिए पर्याप्त जगह |

**खेल का मैदान** - संस्था में बालकों की कुल संख्या के अनुसार प्रत्येक संस्था में, खेल के मैदान के लिए पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा और समस्त बालकों को खेल के मैदान में दिन में कम से कम दो घंटे खेलने की छूट होगी।

(8) शयनागारों, कक्षाओं और कर्मशालाओं में आमने-सामने की पर्याप्त हवा और प्रकाश होगा।

**51. शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण** - (1) जहां कहीं संभव हो, संस्था के बाहर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं/राज्य द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओंद्वारा चलाये जा रहे औपचारिक स्कूलों में शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी शिक्षा अर्हताप्राप्त शिक्षकों द्वारा देश की शिक्षा प्रणाली के साथ एकीकृत कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाएगी ताकि निर्मुक्त होने पर बालक अपनी शिक्षा बिना किसी कठिनाई के जारी रखें।

(2) किसी भी कौशल में के स्कूल के लिए अनिवार्य आयु के प्रत्येक बालक को जिसमें संप्रेक्षण गृह भी सम्मिलित हैं, ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा जो उसकी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुरुप तथा उसे समाज में लौटाने के लिए तैयार करने की परिकल्पना के आधार पर तैयार की गई हो, जहां तक संभव हो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा यथाविहित शिक्षा के न्यूनतम स्तरों पर आधारित विशेष कार्यपद्धति को, विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बालकों की, जैसे कि आवारा बालकों इत्यादि की विशेष शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुधारशील संस्थाओं में शिक्षा प्रणाली में समाविष्ट किया जाए, प्रशासन द्वारा, बालकों की शिक्षा पर, उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक या जन्मजात संबंधित आवश्यकताओं अथवा किन्हीं अन्य विशेष आवश्यकताओं के सहित विशेष ध्यान दिया जाएगा।उन बालकों को, जो अशिक्षित हों अथवा जिन्हें संज्ञानात्मक अथवा सीखने के संबंध में कठिनाई हो, विशेष शिक्षा का अधिकार होगा।

(3) उन बालकों को, जो कि स्कूल जाने की अनिवार्य आयु से ऊपर के हों और जो अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हों, अनुमति दी जाएगी और उन्हें इस हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें समुचित शैक्षणिक कार्यक्रम सुलभ हो सकें, इसहेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा।

(4) अधिनियम के अधीन बालकों को प्रदान किए जाने वाले डिप्लोमा अथवा शिक्षा संबंधी प्रमाण-पत्रों में किसी भी रुप में यह नहीं दर्शाया जाएगा कि बालक ऐसी संस्था में रहा है।

(5) प्रत्येक संस्था को ऐसा पुस्तकालय सुलभ करना चाहिए जिसमें बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षण संबंधी तथा आनंदप्रद दोनों ही प्रकार की पुस्तकों का तथा नियतकालिक पत्रिकाओं (पीरियोडिकल्स) का पर्याप्त भंडार हो, जिसके लिए उन्हें प्रोत्साहित और इसका पूरा उपयोग करने के लिए समर्थ बनाया जाना चाहिए।

(6) उन बालकों को छोड़कर, जो कि संप्रेक्षण गृह में अस्थायी रुप से देखरेख में हों, अनिवार्य स्कूल शिक्षा की आयु के ऊपर के प्रत्येक बालक को उस व्यवसाय में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा, जो भविष्य में उसे रोजगार के लिए तैयार कर सके।

(7) संप्रेक्षण गृह के अलावा प्रत्येक गृह में प्रशिक्षित अनुदेशकों के मार्गदर्शन के अधीन उपयुक्त व्यावसायिक प्रशिक्षण भौगोलिक एवं क्षेत्र विशेष की स्थिति के सुविधा अनुसार होगी। ये गृह तकनीकी शिक्षा संस्था (आईटीआई) सरकार और निजी संगठन/एन्टरप्राइसेस एजेंसियों/गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञ और नियोजन एजेंसियों के साथ अपने नेटवर्क विकसित करेंगे।

(8) उचित व्यावसायिक चयन और संस्थागत प्रशासन की अपेक्षाओं का सम्यक ध्यान रखते हुए, बालकों को उस प्रकार का कार्य चुनने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, जिसे वे करना चाहते हों।

(9) जहां संभव हो तथा बाल श्रम कानून के अनुसार बालकों को पारिश्रमिक सहित कार्य तलाशने के तथा अपनी शिक्षा या प्रशिक्षण जारी रखने के अवसर दिए जाएंगे परन्तु उनसे ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। कार्य, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण संस्था में बालक के बने रहने का कारण नहीं बनेंगे।

(10) जहां संभव हो, बालकों को अपने समुदायों में लौटने पर उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ाने की दृष्टि से दिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के पूरक के रूप में, यदि संभव हो तो स्थानीय समुदाय में पारिश्रमिक सहित कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। कार्य इस प्रकार का हो, जिससे बालक को ऐसा समुचित प्रशिक्षण मिल सके, जो उनके निर्मुक्त होने पर उनके लिए लाभदायक हो। संगठन और दक्षताओं में दिए जाने वाले काम की रीतियों में एवं समुदाय में उसी प्रकार के काम में यथा संभव निकटतम रूप से समानता होगी, ताकि बालकों को सामान्य व्यावसायिक जीवन की स्थितियों के लिए तैयार किया जा सके।

**(11) उपार्जन** - प्रत्येक बालक को, जो कि काम करता है, यदि काम पारिश्रमिक वाला है तो उसे न्यायोचित पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार होगा बालकों के और उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण के हितों को किशोर न्याय संस्था या किसी तीसरे पक्ष को कोई लाभ दिलवाने के प्रयोजन के अधीन नहीं होंगे किसी बालक के उपार्जन के 3/4 भाग को बचत निधि गठित करने के लिए अलग रखा जा सकेगा, जो निर्मुक्त होने पर उसे सौंप दिया जाए। बालक को उस उपार्जन के शेष भाग को उसके स्वयं के उपयोग की वस्तुएं क्रय करने के लिए या उसके अपराध द्वारा क्षतिग्रस्त पीड़ित की क्षतिपूर्ति करने के लिए या उसे उसके परिवार को अथवा संस्था के बाहर के किन्हीं अन्य व्यक्तियों को भेजने का अधिकार हो सकेगा।

**(12) पुरस्कार** - बालकों को, गृह के प्रबंधक द्वारा समय-समय पर नियत किए गए अनुसार पुरस्कार, परिश्रमी कार्य और अच्छे व्यवहार के प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए जा सकेंगे। बालक को ये पुरस्कार उसके द्वारा इसे उपार्जित करने के दो माह की कालावधि के भीतर बालक से एक समुचित रसीद अभिप्राप्त करके दिए जाएंगे।

(13) बालकों के धार्मिक विश्वासों का सम्यक आदर किया जाएगा और ऐसी कोई कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी, जो शिक्षा के नाम पर धर्मान्तरित करने का प्रयास करती हों।

**(14) शिक्षण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण का निरीक्षण** - समीक्षा एवं मूल्यांकन समिति का निरीक्षण समिति को या शिक्षा के विषय पर विशेष अधिकारिता रखने वाली राज्य में स्थापित किसी अन्य सम्बद्ध विशेषज्ञता निरीक्षण समिति को जैसे कि जिला शिक्षा अधिकारी तकनीकी शिक्षा संचालक, किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा परामर्शी को प्रतिवेदन देगी।

**55. चिकित्सकीय देखरेख** - (1) प्रत्येक बालक को निवारक और उपचारी पर्याप्त चिकित्सीय देखरेख प्राप्त होगी, जिसमें दांत संबंधी, नेत्र संबंधी और मानसिक स्वास्थ्य देखरेख इत्यादि, साथ ही औषधि-निर्माण संबंधी उत्पाद और चिकित्सीय दृष्टि से सुझाए गए विशेष आहार भी सम्मिलित है। ऐसी समस्त चिकित्सीय देखरेख, जहां तक संभव हो, बालक को बदनामी से बचाने और समुदाय में उसका आत्म सम्मान बढ़ाने और उसको मिलाने की दृष्टि से, समुदाय की स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं की मार्फत ही दी जाएगी, जिसमें कि संस्था अवस्थित है।

(2) प्रत्येक संस्था यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक चिकित्सीय सुविधायें उपलब्ध कराएंगी कि-

(क) चिकित्सीय उपचार के लिए नियमित सुविधाएं उपलब्ध हैं,

(ख) प्रतिरक्षण विस्तार के लिए प्रबंध किए गए हैं,

(ग) गंभीर मामलों को निकटतम सिविल अस्पताल या उपचार केन्द्रों को निर्दिष्ट करने के लिए व्यवस्था विकसित की गई है

(घ) रुग्ण बालकों को निरन्तर चिकित्सीय पर्यवेक्षण के अधीन रखा गया है,

(ङ) स्पर्शजन्य/संक्रामक बीमारियां फैलने की दशा में उन्हें पृथक-पृथक रखा जाना सुनिश्चित किया गया है।

(3) किसी गृह में प्रवेश दिए गए प्रत्येक बालक का चिकित्सा अधिकारी द्वारा 24 घंटे के भीतर चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा और बालक के किसी विशेष गृह में स्थानांतरण/निर्मुक्ति/विशेषगृह के लिए आदेश के समय अथवा किसी परिवार/समुदाय में स्थानन के पूर्व, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के मामले में, स्थानांतरण के पूर्व तथा आगे और ऐसे समय पर जो कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा अथवा

भारसाधक अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाए, उतनी ही अवधि में चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा । बालक को इस प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता के प्रति दिशा निर्दिष्ट किया जाएगा ऐसा चिकित्सीय परीक्षण प्रशिक्षित और संवेदनयुक्त चिकित्सा कार्मिकों द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, जिसमें कि बालक की मर्यादा और अधिकार संरक्षित होते हों ।

(4) किसी बालक की कोई शल्य चिकित्सा उसके माता-पिता या संरक्षक की पूर्व सहमति के बिना तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि या तो माता-पिता का या संरक्षक का पता नहीं चल सकता हो और बालक की स्थिति ऐसी हो कि किसी भी प्रकार के विलंब से, चिकित्सा अधिकारी की राय में, बालक के स्वास्थ्य को अनावश्यक क्षति या हानि हो सकती है । इस उद्देश्य से किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति से शीघ्र ही समुचित निदेश आवश्यक रुप से अभिप्राप्त किए जाना चाहिए ।

(5) संस्था में तिमाही चिकित्सीय जांच के आधार पर प्रत्येक बालक का स्वास्थ्य अभिलेख प्ररुप बाईस में संधारित किया जाएगा । प्रत्येक बालक का स्वास्थ्य अभिलेख बालक की फाइल में बहुत सावधानी से संधारित किया जाएगा, अभिलेख में, वजन और ऊंचाई किसी रुग्णता तथा उपचार तथा अन्य शारीरिक मानसिक समस्या, यदि कोई हो, का भी अभिलेख सम्मिलित होगा ।

(6) किसी चिकित्सा अधिकारी को, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी बालक का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य हानिकारक रुप से प्रभावित रह चुका है या हो सकता है अथवा कोई अन्य दशा हो तो बालक के हित की सुरक्षा के लिए इस तथ्य की रिपोर्ट तत्काल अधीक्षक तथा संबंधित प्राधिकारी को करनी चाहिए ।

(7) किसी ऐसे बालक का उपचार जो मानसिक रुग्णता से ग्रस्त हो, विशिष्ट संस्था में स्वतंत्र चिकित्सीय प्रबंधन के अधीन किया जाना चाहिए, निर्मुक्त होने के पश्चात बालक के मानसिक स्वास्थ्य की देख-रेख में आवश्यक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए समुचित अभिकरणों से व्यवस्था द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाना चाहिए ।

(8) संप्रेक्षण गृह/विशेष गृह/बाल गृह ऐसे बालकों को, जिन्हें किसी विशिष्ट मादक द्रव्य के कुप्रयोग के निवारण और पुनर्वास कार्यक्रमों की आवश्यकता हो, ऐसे अनुमोदित स्थान को निर्दिष्ट करें जिनका प्रशासन अर्हित कृत्यकारियों द्वारा किया जाता हो । ये कार्यक्रम संबंधित बालकों की आयु, लिंग और अन्य आवश्यकताओं के अनुकूल होंगे ।

(9) दवाएं, केवल आवश्यक उपचार के लिए, चिकित्सीय आधारों पर ही दी जानी चाहिए और जहां संभव हो, वहां संबंधित बालक को सूचित कर उसकी सहमति प्राप्त करके दी जाएंगी, विशेषकर, कोई जानकारी निकलवाने या कुछ स्वीकार कराने की दृष्टि से दंड के रुप में या दमन के एक साधन के रुप में नहीं दी जाएंगी । औषधियों और उपचार के प्रयोगात्मक उपयोग का बालकों पर कभी भी परीक्षण नहीं किया जाएगा । औषधि सदैव अर्हित चिकित्सीय कृत्यकारियों द्वारा अधिकृत होनी चाहिए और दी जानी चाहिए ।

(10) प्रत्येक गृह में विहित किए गए बालकों के अनुपात के अनुसार यथासंभव प्रशिक्षित परामर्शदाता की सेवाएं होंगी । बाल मार्गदर्शन केन्द्र, मनोविज्ञान तथा मनोविकार विज्ञान विभाग या वैसे ही अभिकरणों की सेवाएं भी ली जा सकेंगी ।

(11) किसी बालक के परिवार या संरक्षक को और बालक द्वारा निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य व्यक्ति को, अनुरोध पर बालक के स्वास्थ्य की दशा के बारे में पता लगाने का अधिकार होगा और बालक के स्वास्थ्य में किन्हीं गंभीर परिवर्तनों की दशा में उसके परिवार अथवा संरक्षक को सूचित किया जाएगा ।

(12) मृत्यु या ऐसी रुग्णता जिसमें बालक को बाहर की किसी चिकित्सा संस्था में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो, की दशा में या ऐसी दशा में, जिसमें कि गृह में ही 48 घंटे से अधिक के लिए उसे चिकित्सीय देख-रेख की आवश्यकता हो किशोर न्याय संस्था के अधीक्षक द्वारा, संबंधित बालक के परिवार या संरक्षक को तत्काल सूचित किया जाना चाहिए, उस राज्य के प्राधिकारी को भी सूचना दी जाएगी, जिसका कि बालक निवासी है ।

**56. ऐसे बालक से व्यवहार करने का तरीका, जो स्पर्शजन्य रोगों अथवा मानसिक व्याधि से ग्रस्त हों-** (1) जब अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी गृह में रखा गया हो या किसी उपयुक्त व्यक्ति अथवा किसी उपयुक्त संस्था की देखरेख में रखा गया कोई बालक किसी ऐसे रोग से, जिसका दीर्घ अवधि तक चिकित्सीय उपचार आवश्यक हो या किसी ऐसी शारीरिक अथवा मानसिक व्याधि से जो उपचार से ठीक हो सकती है, ग्रस्त पाया जाए अथवा किसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ का आदी पाया जाए तो उस बालक को, इस निमित्त सशक्त किए गए प्राधिकारी के आदेश द्वारा उस अवधि के शेष भाग के लिए, जिसके लिए उसे सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन अभिरक्षा में रखा जाना है अथवा ऐसी अवधि के लिए जो कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा बालक के उचित उपचार के लिए आवश्यक प्रमाणित की जाए ऐसे प्रयोजन

के लिए स्थापित किसी अनुमोदित स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकेगा।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन बालक को, स्थानांतरित करने का आदेश देने वाले प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि बालक के रोग अथवा शारीरिक या मानसिक व्याधि का इलाज हो गया है तो वह यदि बालक को अभी भी अभिरक्षा में रखा जाना है तो उसके भारसाधक व्यक्ति को, बालक को गृह में जहां से या उपयुक्त व्यक्ति के पास जिसके पास से वह स्थानांतरित किया गया था, भेजने का आदेश दे सकेगा और यदि बालक को गृह में और नहीं रखा जाना है तो उसे निर्मुक्त करने का आदेश दे सकेगा।

(3) जहां तक पाया जाए कि किसी बालक को विवाहित साथी या माता-पिता अथवा संरक्षक के किसी स्पर्शजन्य रोग से ग्रस्त होने के कारण संस्था में रखा गया है तो यथासंभव शीघ्र परिवार में लौटने में बालक को समर्थ बनाने के लिए प्रायोजकता स्कीम के माध्यम से उक्त व्यक्ति को सहायता दी जाएगी। बालक का सर्वोत्तम हित सर्वोपरि विचारणीय होगा। बाल कल्याण समिति द्वारा स्वैच्छिक प्रवेश हेतु आने वाले समस्त मामलों का यथासंभव अनुवीक्षण किया जाएगा और गैर-संस्थागत विकल्पों का पता लगाया जाएगा।

(4) यदि अधिनियम की धारा 58 द्वारा यथापेक्षित स्पर्शजन्य रोगों से ग्रस्त बालक को भेजने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर या राज्य के पास में कोई संगठन नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे स्थानों, पर जिन्हें कि वह उपयुक्त समझे,आवश्यक संगठन स्थापित किए जाएंगे या उचित चिकित्सालय को इस हेतु मान्यता दी जायेगी।

(5) संस्था के प्राधिकारी, बालकों और संस्था के कर्मचारिवृन्द को एचआईव्ही के निवारण संबंधी जानकारी और शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। स्वैच्छिक परीक्षण और परामर्श, निवारण उपचार और देखरेख के साधनों की सुविधाएं क्रमबद्ध रीति में उपलब्ध कराई जाएगी। गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए और अनिवार्य परीक्षण, पार्थक्य तथा सुविधाएं और विशेषाधिकार लेने से इन्कार करना प्रतिषिद्ध होना चाहिए। एड्स प्रभावितों के साथ रहने वालों को सहानुभूतिपूर्वक जल्दी निर्मुक्त करने अथवा निर्दिष्ट किया जाने पर विचार किया जाएगा।

**57. आमोद प्रमोद -** (1) प्रत्येक बालक को जब भी मौसम अनुकूल हो, खुली हवा में प्रतिदिन कम से कम दो घंटे व्यायाम का अधिकार होगा जिसके दौरान सामान्यतया समुचित आमोद-प्रमोद संबंधी और शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन क्रियाकलापों के लिए पर्याप्त स्थान, संस्थापनाएं और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।

(2) बालक को प्रतिदिन के खाली समय के क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा जिसका कुछ भाग, यदि बालक चाहे तो कला और क्राफ्ट कौशल के विकास में लगाया जाना चाहिए।

(3) संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि शारीरिक शिक्षा के उपलब्ध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रत्येक बालक शारीरिक रूप से समर्थ हो। उन बालकों को, जिनको कि आवश्यकता हो, चिकित्सीय पर्यवेक्षण के अधीन उपचारात्मक शारीरिक शिक्षा तथा थैरेपी दी जाएगी।

**58. धर्म -** प्रत्येक बालक को, संस्था में उपलब्ध कराई जा रही सेवाएं का प्रार्थना में सम्मिलित होकर या स्वयं की प्रार्थनाएं संचालित करके अपने धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने और अपने धर्म के पालन और उसकी शिक्षा की आवश्यक पुस्तकें अथवा वस्तुएं अपने कब्जे में रखने की अनुमति होगी।

**59. मुलाकात और बाहरी संपर्क -** (1) प्रत्येक बालक को नियमित और बारम्बार मुलाकात का अधिकार होगा जो विशेष कर उन परिस्थितियों में, जो बालक के परिवार तथा जब भी उपयुक्त हो, प्रतिरक्षा के लिए प्राधिकृत परामर्शदाता से अंतरगता, संपर्क और अप्रतिबंधित संपर्क संबंधी बालक की आवश्यकता से संबंधित सप्ताह में एक बार तथा माह में कम से कम एक बार होगी।

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक साधन उपलब्ध कराए जाएंगे कि बालकों का बाहरी संसार से पर्याप्त संपर्क हो, जो कि अच्छा और मानवोचित व्यवहार प्राप्त करने के उनके अधिकार का अखंड भाग और बालकों को समाज में उनकी वापसी की तैयारी के लिए आवश्यक है।

(3) बालकों को उनके परिवारों, मित्रों तथा अन्य व्यक्तियों अथवा प्रतिष्ठित बाहरी संगठनों के प्रतिनिधियों से संपर्क स्थापित करने उनके घर और परिवार से मुलाकात करने के लिए गृह छोड़ने और शैक्षणिक, व्यावसायिक अथवा अन्य महत्वपूर्ण कारणों से गृह छोड़ने की विशेष अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। संस्था के बाहर बिताए गया समय सजा की अवधि में गिना जाएगा।

(4) संस्था में बालकों द्वारा पत्र प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और उन्हें सभी उपयुक्त समयों पर उतने पत्र, जितने कि वे चाहे लिखने की स्वतंत्रता होगी। जहां कभी परिवीक्षा अधिकारियों की यह राय हो कि यह बालक के सर्वश्रेष्ठ हित में होगा कि उसके माता पिता

से संपर्क रखा जाए, वहां बालकों को एक माह में कम से कम एक पत्र लिखकर अपने परिवार से जीवन्त संबंध बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसके लिए डाक व्यय दिया जाएगा।

(5) प्रत्येक बालक को सप्ताह में कम से कम दो बार अपने माता-पिता/संरक्षक/निकट के रिश्तेदार आदि को लोकल टेलीफोन करने का अधिकार होगा, और उसे आवश्यक होने पर इस अधिकार का प्रभावी ढंग से लाभ लेने के लिए सहायता दी जाएगी। टेलीफोन का व्यय बालक स्वयं वहन कर सकते हैं। उन बालकों की, जिनकी कोई बचत अथवा जिन्हें कोई वित्तीय सहारा नहीं है, अपने माता-पिता अथवा संरक्षक से, तुरन्त संवादवहन के लिए फोन पर संपर्क स्थापित करने में संस्था सहायता कर सकती है यदि संभव हो तो संस्था ऐसी सहायता दे सकती है। प्रत्येक बालक को टेलीफोन संदेश सुनने का अधिकार होगा। प्रत्येक बालक को सप्ताह में कम से कम एक बार और संकटकालीन स्थिति के दौरान किसी भी समय चाइल्ड हेल्प लाइन से संपर्क करने का अधिकार होगा।

(6) बालकों को समाचार पत्र नियत कालिक पत्रिकाएं तथा अन्य प्रकाशन पढ़कर, रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रमों तथा मोशन पिक्चर के द्वारा तथा कि.. ऐसी एसोसिएशन, यूथ सोसाइटी, क्लब अथवा संगठन के प्रतिनिधियों से, जिनमें कि बालक की रुचि हो, मिलकर स्वयं को नियमित रुप से ..माचारों से अवगत रखने का अवसर दिया जाएगा।

**60. अंतरंगता** - (1) वैयक्तिक चीज का कब्जा अंतरंगता के अधिकार का मूल तत्व है और बालकों के मनोवैज्ञानिक कल्याण हेतु आवश्यक है। प्रत्येक बालक को वैयक्तिक चीज को रखने और उसके लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होने के अधिकार को पूरी तरह मान्य किया जाए और उसका आदर किया जाएगा।

(2) प्रत्येक संस्था में प्रत्येक बालक के लिए एक लॉकर होगा, जहां वह अपनी वैयक्तिक माल असबाब रख सकेगा।

(3) प्रत्येक संस्था में धन, मूल्यवान वस्तुओं और अन्य वस्तुओं का, जिन्हें बालक सुरक्षा में रखने के लिए सौंपना चाहता हो, एक रजिस्टर रखा जाएगा जो वैयक्तिक माल असबाब का रजिस्टर कहलाएगा। प्रत्येक बालक से संबंधित प्रविष्टियां, बालक को एक साक्षी की उपस्थिति में पढ़कर सुनवाई जाएंगी, जिसके हस्ताक्षर ऐसी समस्त प्रविष्टियों की शुद्धता के प्रमाण स्वरुप लिए जाएंगे। ऐसी समस्त प्रविष्टियां भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाएंगी।

(4) धन मूल्यवान वस्तुएं और अन्य वस्तुएं भारसाधक अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएंगी।

(5) जब ऐसा बालक एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरित किया जाए तब उसकी समस्त संपत्ति और मूल्यवान वस्तुएं, उनके संपूर्ण और सही विवरण और उनके प्राक्कलित मूल्य सहित बालक के साथ उस संस्था के भारसाधक अधिकारी को, जहां उसे स्थानांतरित किया गया है, भेजी जाएंगी।

(6) ऐसे किशोर की निर्मुक्ति के समय अभिरक्षा में रखी गई संपत्ति या मूल्यवान वस्तुएं और बालक के नाम पर जमा किया गया धन, बालक को सौंप दिया जाएगा और इस बाबत रजिस्टर में प्रविष्टि कर दी जाएगी। ऐसी प्रविष्टि भारसाधक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी।

(7) जब किसी संस्था के किसी बालक की मृत्यु हो जाती है तब मृतक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति और बालक के नाम पर जमा किया गया धन, भारसाधक अधिकारी द्वारा ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा जो उसके प्रति अपना दावा स्थापित करे और क्षतिपूर्ति बंधपत्र निष्पादित करे। ऐसे व्यक्ति से, ऐसी संपत्ति और रकम प्राप्त करने की रसीद अभिप्राप्त की जाएगी। यदि ऐसे किशोर की मृत्यु/निकल भागने की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर कोई दावेदार उपस्थित नहीं होता है तो संपत्ति और रकम का व्ययन, अनुश्रवण (मानिटरिंग) और मूल्यांकन समिति द्वारा किए गए विनिश्चय के अनुसार किया जाएगा।

**(8) प्रतिषिद्ध वस्तुएं-** कोई भी व्यक्ति संस्था में निम्नलिखित प्रतिषिद्ध वस्तुएं नहीं लाएगा -

(क) अग्नेयास्त्र या अन्य अस्त्र चाहे उनके लिए लाइसेंस अपेक्षित हो या नहीं, जैसे लाठी, भाला, (बरछी) तलवार आदि।

(ख) किसी भी प्रकार का अल्कोहल और स्पिरिट,

(ग) भांग, गांजा, अफीम और अन्य नारकोटिक्स/मन प्रभावी पदार्थ,

(घ) तंबाकू, या

(ङ) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की गई कोई अन्य वस्तु

**61. बालक को अवकाश -** (1) बालक को किसी निकटस्थ पारिवारिक सदस्य की मृत्यु, गंभीर बीमारी या चोट के बारे में यथासंभव शीघ्र सूचित किया जाएगा और मृतक की अंत्येष्टि में सम्मिलित होने या गंभीर रुप से बीमार रिश्तेदार से रोगशय्या पर मिलने का अवसर दिया जाएगा।

(2) बालक को किसी संस्था से अवकाश पर अनुपस्थिति अथवा लायसेंस पर विमुक्ति के लिये अनुमति दी जा सकती है और वह परीक्षा की आपातकालिक स्थितियों अथवा परिवार में विवाह आदि विशेष अवसरों में अपने परिवार के साथ रुक सकता है।

(3) लघु कालावधि के लिए अवकाश पर अनुपस्थिति की सिफारिश, जो यात्रा का समय अपवर्जित करते हुए सात दिन से अधिक न हो, भारसाधक अधिकारी द्वारा की जाएगी, किंतु ऐसी अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्ररुप सात में दी जाएगी।

(4) बालक के माता-पिता या संरक्षक अनुमति के लिए प्रयोजन और अनुमति की कालावधि को स्पष्ट रुप से कथित करते हुए बालक को अनुमति पर निर्मुक्त करने के लिए निवेदन करते हुए, अधीक्षक को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि अधीक्षक का यह विचार है कि ऊपर उल्लिखित कारणों से या अन्यथा बालक को अवकाश स्वीकृत करना बालक के हित में है तो वह औचित्य या अन्यथा परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मंगाएगा तथा मामले को सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(6) माता-पिता या संरक्षक, बालक को संस्था से लाने ले जाने में अनुरक्षा संबंधित प्रबंध करेगा और यात्रा व्ययों का वहन करेगा। आपवादिक मामलों में या आपातकाल के दौरान भारसाधक अधिकारी, बालक को कुटुम्ब के स्थान तक तथा वहां से वापसी तक अनुरक्षा संबंधी प्रबंध कर सकेगा।

(7) यदि बालक अवकाश की कालावधि में कुटुम्ब से भाग जाता है तो माता-पिता या संरक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे तत्काल संस्था के भारसाधक अधिकारी को सूचना दें तथा बालक को ढूढ़वाने का प्रयास करें और यदि मिल जाए तो बालक को संस्था में भिजवाएं।

(8) यदि किशोर या बालक, मंजूर अवकाश का अवसान होने पर संस्था में वापस नहीं आता है तो कोई किशोर या बालक का प्रभार लेने और उसे संस्था में वापस लाने के लिए मामले को पुलिस को निर्दिष्ट करेगा।

(9) ऐसे अवकाश की कालावधि को संस्था में रहने की कालावधि का भाग माना जाएगा। केवल विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामले में वह समय जो नियत कालावधि के भीतर, बालक के संस्था में वापस आने में असफल रहने के पश्चात बीत जाता है, संस्था में उसे निरुद्ध रखने की कालावधि की संगणना करने में अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(10) समय पूर्व निर्मुक्ति योजना और विशेष गृहों से निर्मुक्त मामलों के अनुसरण के लिए विद्यमान सरकारी और स्वैच्छिक कल्याण संगठनों के निकट सहयोग से समस्त संस्थाओं में सुनियोजित कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

**62. बालक को सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के बाहर भेजने की प्रक्रिया -** (1) ऐसे बालक के मामले में जिसका सामान्य निवास स्थान, सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के बाहर हो और यदि सक्षम प्राधिकारी धारा 50 के अधीन कार्यवाई करना आवश्यक समझे तो वह बालक के सामान्य स्थान पर प्राप्त करने के लिए रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति की उपयुक्तता या रजामंदी और ऐसे रिश्तेदार या अन्य योग्य व्यक्ति द्वारा बालक की समुचित देखरेख और उस पर नियंत्रण कर सकने के बारे में जांच करने के लिए परिवीक्षा अधिकारी को निर्देशित करेगा।

(2) कोई भी बालक, जो विदेशी नागरिक है और जिसका कुटुंब के साथ संपर्क नहीं रह गया है, सुरक्षा का भी हकदार होगा। बालक शीघ्र ही विदेश मंत्रालय और संबंधित राजदूतावास या उच्च आयोग के सहयोग से देश को प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

(3) यथास्थिति परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर/बाल कल्याण अधिकारी, की रिपोर्ट से समाधान हो जाने पर सक्षम प्राधिकारी यदि आवश्यक हो तो उक्त रिश्तेदार या उपयुक्त व्यक्ति को बालक द्वारा प्ररुप पांच में बंधपत्र के निष्पादन पर या उक्त रिश्तेदार या उपयुक्त व्यक्ति द्वारा प्ररुप छह में वचनबंध (अंडरटेकिंग) देने पर बालक को भेज सकेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 50 के अधीन पारित आदेश की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाएगी -

(क) ऐसे परिवीक्षा अधिकारी, जिसे उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निदेश दिया गया था,

(ख) उस स्थान पर, जहां बालक को भेजा जाना है, अधिकारिता रखने वाला परिवीक्षा अधिकारी, यदि कोई हो,

(ग) उस स्थान पर जहां बालक को भेजा जाना है अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी और

(घ) नातेदार या वे व्यक्ति जिन्हें बालक को प्राप्त करना है।

(5) उपरोक्त उपनियम (3) के अधीन दिये गये किसी बंधपत्र या वचनबंध या दोनों का कोई भंग हो, बालक को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लाये जाने का दायी बना देगा, जो बालक को गृह में भेजे जाने संबंधी निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा।

(6) उपनियम (3) के अधीन आदेशों के लंबित रहने के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा बालक को संप्रेक्षण गृह/बालगृह भेजा जाएगा।

(7) ऐसे बालक के मामले में, जहां सक्षम प्राधिकारी, धारा 50 के अधीन बालक को उसके सामान्य निवास स्थान पर वापिस भेजना समीचीन हो वहां सक्षम प्राधिकारी नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति को, जिसे तदनुसार बालक को प्राप्त करना है, सूचित करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी उक्त नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति को, उसके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तारीख को बालक का प्रभार लेने हेतु गृह में आने के लिए आमंत्रित करेगा।

(8) सक्षम प्राधिकारी उपनियम (7) के अधीन उक्त नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति को आमंत्रित करते हुए, यदि आवश्यक हो तो बालक को भेजते समय नातेदार या उचित व्यक्ति की, समुचित श्रेणी द्वारा दोनों तरफ की गई यात्रा का और बालक की गृह से उसके सामान्य निवास स्थान तक की यात्रा के वास्तविक व्ययों का गृह के भारसाधक अधिकारी द्वारा भुगतान किए जाने के लिए भी निदेश दे सकेगा।

(9) यदि उपयुक्त व्यक्ति या नातेदार विनिर्दिष्ट तारीख पर बालक का प्रभार लेने हेतु आने में असफल रहता है तो अधिनियम के अधीन गृह के अनुरक्षक द्वारा बालक को उसके निवास के सामान्य स्थान पर ले जाया जाएगा किसी बालिका के मामले में कम से कम एक अनुरक्षक महिला होगी।

**63. स्थानांतरण** - (1) बालकों को यात्रा के समय उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई या अनादर न होने की शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रशासन के खर्च पर पर्याप्त हवा एवं प्रकाश युक्त वाहन में किया जाएगा। बालकों को एक संस्था में अन्य संस्था में मनमाने रूप से स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(2) जांच के दौरान, यदि यह पाया जाएगा कि बालक सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के बाहर के स्थान से है तो सक्षम प्राधिकारी, बालक के निवासस्थान पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी के यहां बालक के स्थानांतरण हेतु आदेश करेगा।

(3) किसी संस्था के किशोर/बालक का अन्य संस्था में स्थानांतरण समाज कल्याण विभाग के आयुक्त या संचालक द्वारा किया जा सकेगा। किशोर/बालक के स्थानांतरण का प्रस्ताव अधीक्षक द्वारा पर्याप्त औचित्य के साथ किया जाएगा।

(4) कोई भी स्थानांतरण साधारणतः इस आधार पर प्रस्तावित नहीं किया जाएगा कि बालक ने समस्याएं उत्पन्न की है या विद्यमान संस्था में उसकी व्यवस्था करना कठिन है।

(5) प्रस्तावित स्थानांतरण से बालक अपने कुटुम्ब के निकट हो जाएगा और इससे उसके पुनर्वास में मदद हो जाएगी।

(6) कोई अन्य कारण, जिससे स्थानांतरण, बालक के कल्याण के हित में होगा।

(7) किसी भी बालक को, बाल कल्याण समिति अथवा किशोर न्याय बोर्ड की सहमति के बिना, दत्तक ग्रहण के प्रयोजनों के लिए जिले/शहर के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(8) अधीक्षक, स्थानांतरण आदेश की प्राप्ति पर, शासन के खर्च पर, आदेश में यथा विनिर्दिष्ट स्थान/व्यक्ति तक बालक को अनुरक्षा में ले जाने की व्यवस्था करेगा। बालक की केस फाइल तथा अभिलेख बालक के साथ भेजे जाएंगे।

**64. निर्मुक्ति** - (1) भारसाधक अधिकारी, बोर्ड और समिति द्वारा यथा आदेशित स्टे की कालावधि की समाप्ति पर निर्मुक्त किए जाने वाले मामलों का एक रोस्टर रखेगा। प्रत्येक मामले को अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति के समक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए रखा जाएगा

कि समाज में वापसी संबंधी प्रत्यावर्तन सुकर हो सके। उन पृथक मामलों के संबंध में, जिनमें बालक को अधिकतम कालावधि के लिए रखा गया हो, उसके द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के छह माह पूर्व कार्रवाई प्रारंभ की जा सकेगी।

(2) किसी बालक की निर्मुक्ति तथा निर्मुक्ति की संभाव्य तारीख की सूचना माता-पिता या संरक्षण को समय पर दी जाएगी और माता-पिता या संरक्षण को नियत तारीख पर बालक को अपने प्रभार में लेने के लिए संस्था में आने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। माता-पिता को निर्मुक्ति के छह माह पूर्व सूचना दी जाएगी तथा बालक को परामर्शदाता के साथ एक औपचारिक परामर्श सत्र के माध्यम से निर्मुक्ति के लिए तैयार किया जाएगा। बालक, उसका परिवार तथा परामर्शदाता परस्पर सामंजस्य पुनर्वास योजना बनाएंगे। यदि आवश्यक हो तो भारसाधक अधिकारी द्वारा माता-पिता या संरक्षक की दोनों तरफ की यात्रा के तथा संस्था से बालक की यात्रा के वास्तविक व्ययों का भुगतान बालक की निर्मुक्ति के समय माता-पिता या संरक्षक को किया जाएगा। यदि यथास्थिति माता-पिता या संरक्षक, नियत तारीख पर बालक को प्रभार में लेने के लिए आने में असफल रहते है तो संस्था का अनुरक्षक, बालक को प्रभार में लेगा। महिला अनुरक्षक, बालिकाओं को अपने अनुरक्षण में रखेगी।

(3) विशेष गृह या किशोर गृह से निर्मुक्ति या उन्मोचन के समय भारसाधक अधिकारी, यथास्थिति ग्रीष्म/शीत ऋतु के वस्त्रों की एक जोड़ी एवं जेब खर्च (पाकेट मनी) हेतु पचास रुपए, बालक की किसी अन्य बचत के साथ उसे देगा।

(4) यदि बालक के कोई माता-पिता या संरक्षक नहीं है तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ समस्त स्थानन विकल्प असफल हो गए हैं तो उसे पश्चात्वर्ती देखरेख संगठन में भेजा जा सकेगा।

(5) बालिकाओं की संस्था का भारसाधक अधिकारी, बालिकाओं के परामर्श से, बालिकाओं के लिए उपयुक्त जीवनयापन विकल्प उपलब्ध करवाएगा और बालिकाओं का झुकाव है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार उनका विवाह करवाएगा।

(6) भारसाधक अधिकारी, किसी ऐसे किशोर के उन्मोचन का आदेश पारित करेगा, जिसके निरोध की कालावधि समाप्त हो चुकी है एवं सक्षम प्राधिकारी को की गई कार्रवाई की सूचना सात दिवस के भीतर देगा। यदि निर्मुक्ति की तारीख रविवार या किसी अन्य सार्वजनिक अवकाश को आती है तो निर्मुक्ति के रजिस्टर में इस आशय की प्रविष्टि करते हुए बालक को पूर्ववर्ती दिवस को निर्मुक्ति किया जा सकेगा। सभी मामलों में भारसाधक अधिकारी भत्तों के भुगतान का आदेश करेगा, निर्वाह एवं यात्रा व्यय समाहित होंगे।

(7) भारसाधक अधिकारी, उपयुक्त मामलों में, किसी व्यवसाय को, ऐसी अधिकतम लागत के अध्यधीन रहते हुए, जो नियत की जाए प्रारंभ करने के लिए अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रायोजकता कार्यक्रम के माध्यम से बालकों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकेगा एवं किसी जाने पहचाने प्रायोजक के माध्यम से छोटे औजारों की व्यवस्था करवा सकेगा, जो आवश्यक हो एवं ऐसे संगठनों की भी तलाश करेगा, जहां ऐसे बालक, जो स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकते, प्रशिक्षु के रूप में कार्य कर सकें।

(8) भारसाधक अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी बालिकाओं या बालकों, जिनके पास कहीं जाने के लिए कोई संस्था न हो, उनकी स्वयं की प्रार्थना पर, उनके निरोध की कालावधि समाप्त हो जाने के पश्चात् अन्य उचित व्यवस्था के हो जाने तक संस्था/पोषक गृह में रुकने की अनुज्ञा दे सकेगा।

**65. निकल भागना** - (1) भारसाधक अधिकारी, बालक की तलाश में रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन तथा अन्य ऐसे स्थानों पर, जहां कि बालक के जाने की संभावना है, रक्षकों को तुरन्त भेजेगा।

(2) माता-पिता या संरक्षकों को ऐसे निकल भागने की घटना की जानकारी होते ही तुरंत सूचना दी जाएगी।

(3) क्षेत्र के पुलिस थाने तथा सक्षम प्राधिकारी को किशोर के ब्यौरों/विवरण के साथ, उसके पहचान चिन्ह तथा फोटो सहित किशोर न्याय बोर्ड तथा संबंधित प्राधिकारियों को एक प्रति के साथ रिपोर्ट भेजी जाएगी।

(4) अधीक्षक, ऐसी प्रत्येक निकल भागने की घटना के बारे में जांच करेगा तथा संबंधित सक्षम प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट भेजेगा।

(5) किसी बालक के अनुज्ञा के बिना गृह छोड़ने की दशा में, इसकी जानकारी पुलिस एवं परिवार को, यदि ज्ञात हो तो दी जाएगी बालक को ढूंढने के प्रयासों की जानकारी के साथ विस्तृत रिपोर्ट, समिति की जानकारी के लिए समिति की पश्चात्वर्ती बैठक में भेजी जाएगी।

**66. अनुशासनात्मक प्रक्रिया** - (1) अधिनियम के अधीन सभी संस्थाओं में अनुशासनात्मक उपाय तथा प्रक्रियाएं इस प्रकार की होंगी

जिससे कि सामुदायिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में बनी रहे। यह बालक की सहज मर्यादा बनाए रखने तथा संस्थागत देखरेख के आधारभूत उद्देश्य यथा बालक के मस्तिष्क में न्याय का भाव, स्वाभिमान तथा प्रत्येक व्यक्ति के बुनियादी अधिकारों के प्रति सम्मान का भाव बनाए रखने के अनुरूप होगा।

(2) सभी ऐसे अनुशासनात्मक उपायों का, जिनसे क्रूर, अमानवीय या तिरस्कारपूर्ण व्यवहार समाविष्ट है, कड़ाई से निषेध होगा। जिसमें शारीरिक दण्ड तथा बालकों को पीटना, अंधेरी कोठरियों में रखना, बंद या एकांत परिरोध अथवा ऐसा कोई दण्ड सम्मिलित होगा, जो कि संबंधित बालक के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या शिक्षा में रुझान को प्रभावित करें। किसी भी प्रयोजन से आहार में कमी और परिवार के सदस्यों से मिलने पर प्रतिबंध या इंकार का प्रतिषेध होगा। श्रम को हमेशा शिक्षा के साधन तथा समाज में बालक/बालिका की वापसी के लिए उसे तैयार करने की प्रक्रिया में बालक में स्व. सम्मान की भावना का विकास करने के एक साधन के रूप में देखा जाएगा और दण्ड के रूप में अधिरोपित नहीं किया जाएगा। किसी भी बालक को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दण्डित नहीं किया जाएगा। सामूहिक या आम दंड **प्रतिषिद्ध होगा।**

(3) किसी भी प्रयोजन से अवरोध या बल प्रयोग के साधन का सहारा नहीं लिया जाएगा। अवरोध और बल के साधनों का प्रयोग केवल उन आपवादिक मामलों में किया जा सकेगा, जहां नियंत्रण करने के समस्त अन्य तरीके समाप्त हो चुके हों और सफल नहीं रहे हों और जो केवल विधि और विनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्राधिकृत तथा विनिर्दिष्ट हों। उनके प्रयोग से अपमान या तिरस्कार कारित नहीं होना चाहिए और उनका प्रयोग सीमा में रहते हुए एवं न्यूनतम संभव कालावधि के लिए ही किया जाएगा। प्रशासन के अधीक्षक के आदेश द्वारा ऐसे साधनों का बालक द्वारा स्वयं को या अन्य लोगों के चोट पहुंचाने या संपत्ति गंभीर विनाश करने से रोकने की दृष्टि से ही सहारा लिया जा सकेगा। ऐसे मामलों में अधीक्षक को चाहिए कि वह तुरन्त चिकित्सीय और अन्य संबद्ध कृत्यकारियों से परामर्श करें और सक्षम प्राधिकारी को इसकी रिपोर्ट दें।

(4) अधिनियम के अधीन स्थापित सभी संस्थाओं में कृत्यकारियों द्वारा हथियारों का या हिंसा के अन्य उपकरणों यथा बेंत, छड़ी, चेन, बैल्ट रस्सियां तथा कोड़ों का सामान्य अनाधिकृत वहन तथा उपयोग प्रतिषिद्ध होगा।

(5) संबंधित परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर या अधीक्षक ही दंड अधिरोपित करने के लिए समक्षम प्राधिकारी होंगे। सभी अन्य कृत्यकारी तथा बालक दण्ड अधिरोपित करने के लिए सक्षम नही होंगे।

(6) कदाचरण की रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारियों को तुरंत प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो कि असम्यक विलंब के बिना विनिश्चित की जानी चाहिए। संबंधित सक्षम प्राधिकारी को मामले का गहन परीक्षण करना चाहिए।

(7) इन नियमों की शर्तों के कड़ाई से अनुसरण करने के सिवाय, किसी बालक को दण्डित नहीं किया जाएगा। किसी भी बालक को तब तक दण्डित नहीं किया जाएगा। जब तक कि उस बालक या उस बालिका को आरोपित अपराध की जानकारी ऐसी रीति में न दी गई हो जो बालक को भलीभांति समझ में आ जाए और बालक या बालिका को अपनी प्रतिरक्षा का अवसर न दिया गया हो, जिसमें संबंधित सक्षम प्राधिकारी या निरीक्षक समिति को अपील करने का अधिकार सम्मिलित है। समस्त अनुशासनात्मक कार्यवाही का पूर्ण अभिलेख रखा जाना चाहिए।

(8) किसी भी बालक को विनिर्दिष्ट सामाजिक, शैक्षणिक या खेलकूद की गतिविधियों या स्वसमर्थित सरकारी कार्यक्रमों के निरीक्षण के समय अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दायी नहीं बनाया जाएगा।

(9) अधिनियम के अधीन कृत्यकारी के, जिनमें स्वयं सेवी संगठन के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता भी सम्मिलित है, विरुद्ध उन्हें समनुदेशित कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान उनके अधिनियम के अनुसरण में सद्भाव में किए गए किसी कार्य या किये जाने के आशय की किसी कार्य की बाबत कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

**67. बालक की मृत्यु पर प्रक्रिया -** मृत्यु या आत्महत्या के मामले के घटित होने पर निम्नलिखित प्रक्रिया अंगीकृत की जाएगी -

(क) यदि बालक की मृत्यु संस्था में उसके प्रवेश के 24 घंटे के भीतर हो जाती है तो मृत्यु समीक्षा तथा शव परीक्षा की जाएगी।

(ख) जब कभी भी कोई मृत्यु अचानक हो जाए या हिंसा से मृत्यु हो जाए या आत्महत्या हो जाए या दुर्घटना से मृत्यु हो जाए

तो भारसाधक अधिकारी को या चिकित्सा अधिकारी को इसकी सूचना तत्काल दी जाएगी। भारसाधक अधिकारी तथा चिकित्सा अधिकारी को ऐसी सूचना मिलने पर तत्काल शव का परीक्षण तथा निरीक्षण करना चाहिए यदि किसी बालक की मृत्यु प्राकृतिक कारणों के अलावा होती है या यदि मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो या मृत्यु आत्महत्या या हिंसा या दुर्घटना के कारण हुई हो या जब कभी किसी बालक की मृत्यु के कारण से संबंधित कोई संदेह, शिकायत या कोई प्रश्न हो तो भारसाधक अधिकारी तुरंत ही क्षेत्राधिकार रखने वाले पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को इसकी जानकारी देगा। भारसाधक अधिकारी, निकटतम मजिस्ट्रेट को भी, जो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सक्षम हो, तत्काल सूचना देगा।

(ग) संस्था में रहने की कालावधि के दौरान किसी बालक की मृत्यु पर निकटतम रिश्तेदार को यह अधिकार होगा कि वह मृत्यु-प्रमाण-पत्र का निरीक्षण कर सके, शव को देख सके तथा शव के अंतिम संस्कार की विधि तय कर सके। इन परिस्थितियों में, निरीक्षण समिति द्वारा नियुक्त उप-समिति के द्वारा मृत्यु के कारणों की स्वतंत्र जांच की जाएगी जिसकी रिपोर्ट, निकटतम रिश्तेदारों के लिए सहज सुलभ करवाई जाएगी। यह जांच तब भी की जानी चाहिए, जब कि बालक/बालिका की मृत्यु संस्था में उसकी निर्मुक्ति की तारीख से छह माह के भीतर घटित हो जाए और यह विश्वास करने का कारण हो कि मृत्यु, निरोध की कालावधि से संबंधित है।

(घ) चिकित्सा अधिकारी, किसी बालक की स्वाभाविक मृत्यु होने की रिपोर्ट भारसाधक अधिकारी को देगा तथा यह देखेगा कि शव को शव-गृह के लिए शिष्टपूर्ण ढंग से हटा दिया गया है।

(ङ) किसी गृह के बालक की स्वाभाविक मृत्यु या बीमारी की दशा में भारसाधक अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करेगा, जिसमें मृत्यु के कारणों का उल्लेख होगा। मृत्यु के बारे में लिखित सूचना निकटतम पुलिस थाने, किशोर न्याय बोर्ड, बालक कल्याण समिति, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा संबंधित प्राधिकारी को तत्काल दी जाएगी।

(च) मृत बालक के माता-पिता या संरक्षकों से सम्पर्क किया जाएगा तथा भारसाधक अधिकारी रिश्तेदारों के आने की 24 घंटे प्रतिक्षा करेगा। मृत्यु समीक्षा हो जाने के पश्चात् किशोर के ज्ञात धर्म के अनुसार उसके शव का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए।

**68. अभिरक्षा में बलात्संग या लैंगिक दुर्व्यवहार के मामले में प्रक्रिया -** (1) अभिरक्षा में बलात्संग या लैंगिक दुर्व्यवहार की घटना होने पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी -

(क) यदि किसी निवासी या अन्य व्यक्ति ने यह देखा हो, जानता हो या उसके पास यह संदेह करने का कारण हो कि लैंगिक दुर्व्यवहार की घटना घटित हुई है तथा इस आशय की शिकायत अधीक्षक को या शिकायत के माध्यम से या चाइल्ड लाइन के माध्यम से या किन्हीं अन्य साधनों से करता है या यह चिकित्सा अधिकारी या अन्य कर्मचारिवृन्द की जानकारी में यह आता है कि किसी बालक में निम्नलिखित में से एक या अधिक सामान्य व्यवहार संबंध परिवर्तन देखे गए हैं तो वह किशोर न्याय बोर्ड को या बाल कल्याण समिति को, लैंगिक दुर्व्यवहार की संभावना के बारे में पता लगाने के लिए विशेष अन्वेषण करने हेतु रिपोर्ट करेगा। सभी कृत्यकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे ऐसे संदेहों की रिपोर्ट तत्काल करें। यह रिपोर्ट व्यवहार संबंधी अचानक परिवर्तनों पर आधारित होगी, यथा -

(एक) वयस्क लैंगिक दुर्व्यवहार की नकल,

(दो) अन्य बालकों के साथ स्वयं ही, खिलौनों या पालतु जानवरों के साथ लगातार लैंगिक दुर्व्यवहार,

(तीन) बालक की भाषा या व्यवहार में सामान्य रूप में उनकी आयु तथा परिस्थितियों से अधिक लैंगिक जानकारी का आधिक्य होना,

(चार) मुंह, जननेन्द्रिय या गुदा के समीप के हिस्से में दर्द, जो बताया नहीं जा सके, रक्तस्राव या जलन मूत्रदाह, लैंगिक संक्रमण योग्य बीमारी होना,

(पांच) दुर्व्यवहार के बारे में इशारे, परोक्षतः टिप्पणी या कथन।

(2) किशोर न्याय बोर्ड, बालक कल्याण समिति, स्थानीय पुलिस थाने की विशेष किशोर पुलिस इकाई को, जहां कहीं हो भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धारा के अधीन आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध मामला रजिस्टर करने के लिए निदेश देगा। विशेष किशोर पुलिस इकाई जहां कहीं संभव हो विशेषज्ञ अभिकरणों के पर्यवेक्षण के अधीन आवश्यक अन्वेषण करेगी। यदि संस्था के किसी कृत्यकारी का इसमें शामिल होने का संदेह हो तो संबंधित कृत्यकारियों को आगे की जांच में लंबित रहने के दौरान तत्काल निलंबित किया जाएगा।

(3) यदि किसी बालक के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार करने के मामले में संदेहास्पद व्यक्ति स्वयं कोई बालक या बालिका है तो बालक को किसी विशेषज्ञ संस्था को या किसी अन्य ऐसे अभिकरण को परामर्श/मंत्रणा के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। जो युक्तियुक्त कार्ययोजना विहित करेगा।

(4) यदि बालक संस्था छोड़ने के पश्चात् किसी व्यक्ति को लैंगिक दुर्व्यवहार/बलात्संग के बारे में बताता है तो वह व्यक्ति किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति की जानकारी में यह बात लाएगा, जो इस पर जांच संस्थित करेगा।

(5) किशोर न्याय बोर्ड, बालक कल्याण समिति अंतःवासियों के संबंध में कारित किसी अन्य अपराध की दशा में संज्ञान लेगा तथा जहां कहीं संभव हो, विशेषज्ञ अभिकरणों के पर्यवेक्षण के अधीन विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा कार्यान्वित किए जाने हेतु आवश्यक अन्वेषण की व्यवस्था करेगा।

(6) यह सुनिश्चित करने में यह ध्यान रखा जाएगा कि पीड़ित बालक को उचित देखभाल तथा शारीरिक और मानसिक उपचार प्राप्त हो रहा है और अन्वेषण के दौरान परोक्ष उत्पीड़न को टालने की सम्यक सावधानी रखी गई है।

**69. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति -** (i) अधिनियम के अधीन प्रत्येक संस्था में एक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा जिसकी नियतकालिक बैठक या सुनिश्चित करने के लिए कि बालकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए और अधिकथित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जा रहा है। समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार प्ररूप चौदह के आधार पर पुनर्विलोकन के लिए तथा संस्था के सभी मामलों पर अनुशंसा के लिए की जाएगी। समिति, स्थानन के संबंध में विनिश्चय करने और संस्थाओं में बालकों के रहने के दौरान उनकी देखरेख के निर्धारण से जुड़े उत्तरदायित्व भी पूरा करेगी।

(2) प्रत्येक संस्था में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित कृत्यकारी होंगे -

| | |
|---|---|
| भार-साधक अधिकारी/अधीक्षक | अध्यक्ष (चेयर पर्सन) |
| परिवीक्षा अधिकारी/मनोविज्ञानी | सदस्य सचिव |
| चिकित्सा अधिकारी | सदस्य |
| हाउस मास्टर/मैट्रन | सदस्य |
| अनुदेशक व्यावसायिक | सदस्य |
| शिक्षक | सदस्य |
| परामर्शदाता यदि कोई हो | सदस्य |
| संस्था में निवास कर रहे बालकों के प्रतिनिधि<br>पड़ोस समिति का प्रतिनिधि यदि कोई हो | सदस्य |

(3) प्रत्येक संस्था में यह सुनिश्चित करने के लिए बालकों को उनके स्वाद, रुचि तथा पसंद के अनुसार भोजन मिल सके, नाश्ता/दिन का खाना/रात के भोजन को निश्चित करने हेतु भोजनालय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें मैट्रन, रसोइया तथा अंतःवासियों दो संस्था के परामर्शदाता/परिवीक्षा अधिकारी द्वारा उसके जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के लिए समुचित मार्ग-दर्शन दिया जा सकेगा।

(4) अधिनियम के अधीन स्थापित प्रत्येक संस्था द्वारा एक शिकायत पेटी रखी जाएगी, जिस पर बिना नाम की शिकायतें सहज रूप

से डालने के लिए बालक निर्बाध पहुंच सके। प्रणाली का प्रयोग करने के लिए किसी भी बालक को दंडित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक संस्था के परामर्शदाता/परिवीक्षा अधिकारी द्वारा उसके जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग के लिए समुचित मार्ग-दर्शन दिया जा सकेगा।

## अध्याय-आठ
## अधिनियम के अधीन कृत्यकारी

**70. कृत्यकारियों के सामान्य कर्त्तव्य -** (1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक कृत्यकारी से अपेक्षित अर्हताएं ज्ञान, रूख तथा कौशल आधारभूत मानकों के अनुसार है। प्रशासन, अनुभाग (सेक्शन) साथ ही सामाजिक संपरीक्षा, निरीक्षण, अनुश्रवण (मानीटर) तथा मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, अधिनियम के अधीन प्रत्येक संस्था में मासिक स्टाफ बैठक और बालकों की समूह बैठकों में उठने वाले विशेष बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देगा।

(2) अधिनियम के अधीन समस्त कृत्यकारी लोक सेवक समझे जाएंगे, अतएव सौंपे गये कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी होंगे। इस अधिनियम के अधीन समस्त स्वैच्छिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता तथा स्वेच्छया कार्य करने वाले सक्षम प्राधिकारियों तथा निरीक्षण समितियों सामाजिक संपरीक्षा के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(3) आवासीय प्रसुविधाओं के कृत्यकारी, उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में, मानवीय गरिमा तथा विशेषतः समस्त बालकों के मूलभूत मानवीय अधिकारों का आदर तथा संरक्षण निम्नानुसार करेंगे -

(क) संस्था का कोई भी सदस्य या संस्थागत कृत्यकारी किसी भी किन्हीं भी परिस्थितियों के अधीन दण्ड, सुधार या अनुशासन के लिए यातना या किसी भी प्रकार का कठोर, क्रूरतापूर्ण, अमानवीय या तिरस्कारपूर्ण व्यवहार के अंतर्गत आने वाला कोई कार्य नहीं करेगा, न ही उसके लिए उकसाएगा या उसे सहन करेगा।

(ख) समस्त कृत्यकारी भ्रष्टाचार के किसी कार्य का दृढ़तापूर्वक विरोध करेंगे तथा उसका मुकाबला करेंगे और सक्षम प्राधिकारियों को अविलम्ब उसकी रिपोर्ट देंगे।

(ग) समस्त कृत्यकारी इन नियमों के अधीन कार्य करेंगे। उन कृत्यकारियों को, जिनके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इन नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ है या हो सकता है, तो वे अपने उन वरिष्ठ अधिकारियों को जिनमें पुनर्विलोकन या उसका उपचार करने की शक्ति निहित है, मामले की रिपोर्ट करना चाहिए।

(घ) समस्त कृत्यकारियों को, बालकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की पूर्ण सुरक्षा और साथ ही शारीरिक, लैंगिक तथा भावनात्मक दुर्व्यवहार तथा शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए तथा जब भी अपेक्षित हो, चिकित्सीय देखरेख सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

(ङ) समस्त कृत्यकारियों को वृत्तिक हैसियत के अंतर्गत उद्भूत बालक की अंतरंगता के अधिकार का आदर और विशेषतः संबंधित बालकों तथा उनके परिवारों से संबंधित समस्त गोपनीय मामले की संरक्षा करनी चाहिए।

(च) समस्त कृत्यकारियों को, संस्था के भीतर के तथा उसके बाहर के जीवन के बीचके उस अंतर को कम करने के प्रयास करना चाहिए, जिससे मानव के रूप में बालकों की गरिमा के प्रति आदर कम होता हो।

**71. अधीक्षक के कर्त्तव्य -** अधीक्षक, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा -

(1) भारसाधक अधिकारी के सामान्य कर्त्तव्य, कृत्य तथा उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे - -

(क) यह सुनिश्चित करना कि बालक के अधिकार संरक्षित है और नियमों में अधिकथित समस्त प्रक्रियाओं का अनुपालन हो रहा है,

(ख) बालकों को प्रेम, स्नेह, देखरेख, विकास तथा कल्याण का घरेलू वातावरण उपलब्ध कराना,

(ग) समस्त संस्थागत क्रियाकलापों, कार्यक्रमों, तथा संक्रियाओं की योजना बनाना, उनका क्रियान्वयन तथा समन्वयन करना,

(घ) बालक के अधिकारों के साथ ही अधिकथित की गई प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अनुशासन संबंधी समस्याओं से निपटना,

(ङ) गृह में न्यूनतम स्तर बनाए रखना,

(च) बालकों के प्रशिक्षण तथा उपचार कार्यक्रम और सुधारात्मक क्रियाकलाप की संविक्षा करना,

(छ) कृत्यकारियों को कर्त्तव्यों का आबंटन,

(ज) कृत्यकारियों के कल्याण तथा कर्मचारिवृन्द के अनुशासन के प्रति ध्यान देना,

(झ) बजट तैयार करना तथा वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखना,

(ञ) भोजन सामग्री का उचित भण्डारण तथा निरीक्षण,

(ट) जल के भण्डारण, आपात बिजली आदि की आपातोपयोगी व्यवस्था करना,

(ठ) संयंत्र तथा उपस्कर को सावधानीपूर्वक संभालना,

(ड) दुर्घटना तथा आग लगने को रोकने संबंधी उपाय,

(ढ) कार्यालय प्रशासन का पर्यवेक्षण,

(ण) कार्यालय का मासिक निरीक्षण तथा आदेश पुस्तिका का संधारण इस पुस्तिका में अधीक्षक के आदेश तथा साथ ही कोई अनुश्रवण ब्यौरे अभिलिखित तथा प्रदर्शित किए जाएंगे,

(त) संस्था का दैनिक निरीक्षण तथा भ्रमण,

(थ) बालकों के लिए तैयार किए गए भोजन का रसोई घर में से ही मुख्य पात्र में से निरीक्षण करना तथा चखना और यह सुनिश्चित करते हुए कि अच्छे आहार के मूल सिद्धांत, जैसे रंग, (टेक्सचर) संरचना, स्वाद, गंध तथा किस्म का अनुपालन हो रहा है, मीनू का प्रबंध करना,

(द) आपात से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई करना,

(ध) समुचित पुनर्वास के उपाय करना,

(न) प्रत्येक मास कर्मचारिवृन्द की बैठक आयोजित करना, जिसके दौरान वह कर्मचारिवृन्द तथा बालकों से संबंधित समस्याओं और संस्था से संबंधित अन्य मामलों का निष्कर्ष निकालेगा तथा उनके संबंध में जवाब देगा। इस प्रयोजन के लिए एक कार्यवृत्त पुस्तिका रखी जाएगी तथा प्रत्येक संकल्प या चर्चा पर सम्यक् ध्यान दिया जाएगा और उस पर कार्यवाही की जाएगी।

(2) अधीक्षक, बालकों की रिपोर्ट तथा केस फाइलों के संधारण को सुनिश्चित करेगा। संस्था में प्रत्येक बालक की एक केस फाइल संधारित की जायेगी, जिसमें लागू होने वाली निम्नलिखित जानकारी अन्तर्विष्ट होंगी -

(क) उस व्यक्ति/अभिकरण (एजेन्सी) की रिपोर्ट, जिसने बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया,

(ख) परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट जो कि गोपनीय होगी,

(ग) पूर्व संस्था से जानकारी,

(घ) प्रारंभिक साक्षात्कार, कुटुम्ब के सदस्यों, नातेदारों, समाज, मित्रों से सारवान जानकारी तथा विविध जानकारी,

(ङ) और अधिक जानकारी का स्त्रोत,

(च) कर्मचारिवृन्द से पर्यवेक्षण रिपोर्ट,

(छ) चिकित्सा अधिकारी, आई क्यू टेस्ट, क्षमता संबंधी टेस्ट, शैक्षणिक/व्यावसायिक टेस्ट की रिपोर्ट ,

(ज) सामाजिक इतिवृत्त,

(झ) भारसाधक अधिकारी द्वारा संक्षेपिका तथा विश्लेषण,

(ञ) प्रारंभिक वर्गीकरण पत्रक,

(ट) प्रशिक्षण तथा उपचार कार्यक्रम के संबंध में और ली जाने वाली विशेष सावधानियों के बारे में अनुदेश,

(ठ) छुट्टी तथा दिए गये अन्य विशेषाधिकार,

(ड) नियमों, विनियमों का उल्लंघन, विशेष उपलब्धियां (पुनर्विलोकन में अभिलिखित की जायेगी। इस रिपोर्ट में नहीं।),

(ढ) विभिन्न अनुभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट,

(ण) पुनर्विलोकन पत्रक,

(त) मेन्सुरेशन रिपोर्ट (लड़कियों के मामले में),

(थ) निर्मुक्ति पूर्व (प्री-रिलिज) कार्यक्रम,

(द) अंतिम प्रगति रिपोर्ट शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण के अभिलेख, स्वास्थ्य तथा अन्य प्रगति रिपोर्ट के साथ उपयोग समस्त के संक्षिप्त निष्कर्ष सम्मिलित किये जा सकेंगे,

(ध) अनुपस्थिति छुट्टी/अनुज्ञप्ति पर निर्मुक्ति,

(न) अंतिम रूप से निर्मुक्ति (उक्त रिपोर्ट की अनुशंसा पर लिया गया अंतिम निर्णय एवं मुक्तिपूर्व रिपोर्ट को सम्मिलित किया जाये),

(प) फालोअप रिपोर्ट,

(फ) सेंट्रल इन्डेक्स नंबर,

(ब) वार्षिक फोटोग्राफ,

(भ) टिप्पणियां ।

(3) संस्थाओं तथा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा संधारित समस्त केस फाइलों को कम्प्यूटरीकृत किया जाकर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, ताकि डाटा का केन्द्रीय संकलन हो लापता बालकों से संबंधित समस्त डाटा का यथासंभव व्यापक रूप से प्रचार किया जाएगा। लापता या खोए हुए बालकों से संबंधित डाटा-लापता बालकों के ब्यूरों की स्थापना की मार्फत विशेष रूप से स्थानीय तथा केन्द्रीय रूप से कम्प्यूटरीकृत तथा नेटवर्क से जुड़ा होगा जिससे बालकों की पहचान संबंधी मूल जानकारी के साथ उनके फोटोग्राफ की स्केनिंग सुकर हो सकेगी।

**72. परिवीक्षा अधिकारी के कर्त्तव्य -** (1) धारा 13 के खण्ड (ख) के अधीन भारसाधक अधिकारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई से जानकारी प्राप्त होने पर, परिवीक्षा अधिकारी, बालक के पूर्ववृत्त तथा कुटुम्ब के इतिवृत्त और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों की, जैसी आवश्यक हों, जांच करेगा तथा बोर्ड को यथासंभव शीघ्र, प्ररूप-ग्यारह में एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो कि पूर्णतः गोपनीय होगी तथा बोर्ड/समिति को ही अधिकार होगा।

(2) प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी, बोर्ड/समिति या संबंधित प्राधिकारी द्वारा दिए गए समस्त निदेशों को कार्यान्वित करेगा तथा निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगा -

(क) उनके पर्यवेक्षण के अधीन किशोर/बालक के गृह तथा स्कूल की परिस्थितियों, आचरण, चरित्र तथा स्वास्थ्य से संबंधित जांच करना,

(ख) किशोर न्याय बोर्ड या बालक कल्याण समिति की कार्यवाहियों में नियमित रूप से उपस्थित रहना तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करना,

(ग) डायरी केस फाइल और ऐसे रजिस्टर, जो समय-समय पर विहित किए जाएं रखना,

(घ) उनके पर्यवेक्षण के अधीन के बालक के निवास और साथ ही ऐसे बालकों के नियोजन के स्थानों या ऐसे स्कूलों में जहां वे जाते हों, नियमित रूप से जाना तथा प्ररूप-बारह में पाक्षिक रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करना,

(ङ) जहां तक संभव हो, यथास्थिति, बोर्ड के कार्यालय से संप्रेक्षण गृह, विशेषगृह बाल गृह या योग्य व्यक्ति तक बालकों के साथ जाना ,

(च) ऐसे बालकों को बोर्ड/समिति के समक्ष तत्काल लाना, जिनका पर्यवेक्षण की कालावधि के दौरान अच्छा व्यवहार न रहा हो,

(छ) बालकों को संगठनों से उनकी निर्मुक्ति के पश्चात् फालोअप करना तथा उन्हें सहायता और मार्गदर्शन देना,

(ज) बालकों को पुनर्वास तथा उन्हें सामाजिक रूप से पुनः मिलाने को सुकर बनाने के लिए स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं तथा संगठनों के साथ संयोजन स्थापित करना तथा आवश्यक फालोअप सुनिश्चित करना,

(झ) उसकी देखरेख के अधीन प्रत्येक बालक से पूछताछ करना कि क्या उसकी भोजन तथा वस्त्र की आवश्यकता, मानक के अनुसार पूरी हुई है या नही,

(ञ) उसकी देखरेख के अधीन प्रत्येक बालक से पूछताछ करना कि क्या परिसरों की स्वच्छता तथा भौतिक अधोसंरचना संबंधी अपेक्षाओं का, जिसमें पानी तथा विद्युत् आदि की व्यवस्था सम्मिलित है, का अनुपालन हो रहा है ।

(ट) वैयक्तिक साक्षात्कार के माध्यम से तथा कुटुम्ब, सामाजिक अभिकरणों और अन्य स्त्रोतों से बालक का सामाजिक अन्वेषण करना ।

(ड) अभिसंस्करण, अनुश्रवण, शिक्षण, व्यावसायिक तथा पुनर्वास कार्यक्रमों को सुकर बनाना,

(ढ) पूर्व निर्मुक्ति कार्यक्रम को सुकर बनाना तथा बालक को संपर्क स्थापित करने में सहायता करना, जिसमें बालक को उसकी निर्मुक्ति के पश्चात् भावानात्मक तथा सामाजिक सहारा मिल सकें ।

(ण) किशोर/बालक के बारे में प्ररूप इक्कीस में फालोअप रिपोर्ट तैयार करना, जो अनुज्ञप्ति पर निर्मुक्त हुआ हो ।

(3) परिवीक्षा अधिकारी, उनके पर्यवेक्षण के अधीन के बालकों को उनके स्वयं के प्रयोजनों के लिए नियोजित नहीं करेंगे या उनसे कोई व्यक्तिगत सेवा नहीं लेंगे ।

(4) विद्यमान परिवीक्षा सेवा का संवर्धन करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त पाए जाने वाले स्वैच्छिक संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं में से परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे । इसी प्रकार अवैतनिक तथा स्वैच्छिक परिवीक्षा सेवा भी सक्षम प्राधिकारी के आदेशों द्वारा क्रियान्वयन मशीनरी से आयोजित की जा सकेगी ।

**73. केसवर्कर के कर्त्तव्य** - केसवर्कर या बाल कल्याण अधिकारी के सामान्य कर्त्तव्य, कृत्य तथा उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे -

(क) वैयक्तिक साक्षात्कार के माध्यम से तथा कुटुम्ब से, सामाजिक अभिकरणों या अन्य स्त्रोतों से किशोर या बालक की प्ररूप

तेईस में सामाजिक अन्वेषण/केस हिस्ट्री तैयार करना,

(ख) किशोर/बालक की समस्याओं को स्पष्ट करना तथा संस्थागत जीवन में उनकी कठिनाइयों से निपटना,

(ग) अभिसंस्करण, अनुश्रवण (मानिटरिंग), शिक्षण व्यावसायिक तथा पुनर्वास कार्यक्रमों में भाग लेना,

(घ) किशोर/बालक तथा भारसाधक अधिकारी के बीच सहयोग तथा सामंजस्य स्थापित करना,

(ङ) किशोर/बालक को कुटुम्ब के साथ सम्पर्क बढ़ाने में सहायता करना तथा कुटुम्ब के सदस्यों को भी सहायता उपलब्ध कराना,

(च) पूर्व निर्मुक्ति कार्यक्रम में भाग लेना तथा बालक को संपर्क स्थापित करने में सहायता करना, जिससे बालक को उसकी निर्मुक्ति के पश्चात् भावनात्मक और सामाजिक सहारा मिल सके,

(छ) यह सुनिश्चित करना कि बालकों को भोजन तथा वस्त्र की जरूरत विनिर्दिष्ट मानक के अनुसार पूरी हुई है। परिसरों की सफाई तथा भौतिक संरचना का संधारण सुनिश्चित करना, जिसमें पानी तथा विद्युत की व्यवस्था सम्मिलित है।

**74. हाउस मास्टर/मैट्रन के मुख्य कर्त्तव्य** - हाउस मास्टर/मैट्रन के सामान्य कर्त्तव्य, कृत्य तथा उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे -

(क) यह सुनिश्चित करना कि बालक और अधिकार सुरक्षित हैं और नियमों में अधिकथित प्रक्रियाओं का अनुपालन हो रहा है।

(ख) वह उसकी देखरेख के अधीन के बालकों के लिए माता-पिता, मित्र परामर्शदाता तथा मार्गदर्शक की भूमिका करेगा। इस हैसियत में वह बालकों के साथ खेलेगा/खेलेगी, व्यक्तियों के रूप में उनका पालन-पोषण करेगा/करेगी उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को सुनेगा/सुनेगी तथा उनके साधनों के भीतर पूरा करेगा/करेगी।

(ग) बालक के अधिकारों तथा साथ ही अधिकथित की गई प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अनुशासन संबंधी समस्याओं को निपटाना।

(घ) रखरखाव, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य रक्षा।

(ङ) दैनिक कार्य प्रभावकारी रीति में कार्यान्वित करना तथा बालकों के समूह के माध्यम से बालकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना।

(च) बालकों की अनुरक्षा करना, जब कभी वे गृह (होम) से बाहर जाएं।

**75. अवैतनिक परिवीक्षा अधिकारियों को मान्यता** - राज्य सरकार, अवैतनिक परिवीक्षा अधिकारियों की सूची के अतिरिक्त, प्रशिक्षित स्वैच्छिक कार्मिकों के पैनल की, जो अवैतनिक परिवीक्षा अधिकारियों के रूप में सेवा करने के लिए किसी मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संघ से भी संबद्ध हो सकेंगे, सेवाओं को मान्यता देगी। यह प्रक्रिया प्रत्येक मामले के लिए जांच की संख्या कम करने के लिए अपनाई जा सकेगी।

**76. कृत्यकारियों का प्रशिक्षण** - पंचायत एवं समाज कल्याण संचालनालय, कर्मचारिवृन्द के प्रत्येक प्रवर्ग के कृत्यकारियों के प्रशिक्षण के लिए, उनके वैधानिक उत्तरदायित्वों तथा नियम संबंधी विशिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में

(क) नए भरती किए गए कर्मचारिवृन्द का अनुस्थापन और प्रशिक्षण,

(ख) कर्मचारिवृन्द के प्रत्येक सदस्य को तीन वर्ष में कम से कम एक बार पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम,

(ग) कृत्यकारियों के संगठन के विभिन्न स्तरों पर किशोर न्याय प्रणाली के विभिन्न घटकों/कृत्यकारियों, सरकार आदि के साथ कर्मचारिवृन्द के सम्मेलन, सेमीनार, कार्यशालाएं, सम्मिलित हैं।

**77. कृत्यकारियों का संगठन -** (1) प्रत्येक गृह में कृत्यकारियों की संख्या का अवधारणा कर्मचारिवृन्द के प्रत्येग प्रवर्ग के लिए आधार के रूप में प्रतिदिन के कर्त्तव्य पर, कर्त्तव्य के घंटों के अनुसार किया जाएगा। संस्थागत संगठनात्मक सेट अप, गृह (होम) के आकार, क्षमता, कार्यभार, कृत्यों के विवरण तथा कार्यक्रमों की अपेक्षाओं के अनुसार नियत किया जाएगा।

(2) किसी गृह (होम) के पूर्णकालिक कर्मचारिवृन्द में आवश्यकतानुसार अधीक्षक, परिवीक्षा अधिकारी (संप्रेक्षण गृह/विशेष गृह के मामले में), केस वर्कर (बाल गृह/आश्रय गृह पश्चात्वर्ती देखरेख संगठन के मामले में), बाल कल्याण अधिकारी, (काउन्सलर), शिक्षक, व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदेशक, चिकित्सा कर्मचारिवृन्द, प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द, केयर टेकर, हाउस मास्टर/मैट्रन, भंडारी (स्टोर कीपर), रसोईया, सहायक, धोबी, क्लीनर, माली हो सकेंगे।

(3) अंशकालिक कर्मचारिवृन्द के अंतर्गत समय-समय आवश्यकतानुसार मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, व्यावसायिक चिकित्सा विज्ञानी तथा अन्य वृत्तिक (प्रोफेशनल) हो सकेंगे।

(4) गृह का कर्मचारिवृन्द, अधीक्षक के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन होगा, जो आदेश द्वारा उनके विशिष्ट उत्तरदायित्वों को अवधारित करेगा तथा समय-समय पर उसके द्वारा किए गए ऐसे आदेशों की संबंधित प्राधिकारी को जानकारी देगा। उसके अधीन के कर्मचारिवृन्द के कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व, अधिनियम की कानूनी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नियत किए जाएंगे। अधीक्षक तथा ऐसा अन्य कर्मचारिवृन्द जो आवश्यक हो, गृह के परिसरों के भीतर उन्हें उपलब्ध कराए गए आवास गृहों में रहेंगे।

(5) कर्मचारिवृन्द के प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की संख्या को संस्था की क्षमता के आधार पर नियत किया जाएगा। कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुभव आदि के अनुसार की जाएगी। किसी संस्था के लिए सुझाया गया कर्मचारिवृन्द पैटर्न, 100 बालकों की क्षमता के साथ नीचे वर्णित किए गए अनुसार हो सकता है -

| अनुक्रमांक | पदनाम | पद की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | अधीक्षक | 1 |
| 2. | परामर्शदाता | 2 |
| 3. | केस वर्कर/परिवीक्षा अधिकारी | 3 |
| 4. | हाउस मास्टर/मैट्रन | 4 |
| 5. | शिक्षक | 2 |
| 6. | व्यावसायिक अनुदेशक (इंस्ट्रक्टर) | 1 |
| 7. | चिकित्सक | 1 (अंशकालिक) |
| 8. | पेरा मेडिकल स्टॉफ | 1 |
| 9. | भंडारी सह लेखापाल | 1 |
| 10. | ड्राइवर | 1 |
| 11. | रसोइसा | 1 |
| 12. | सहायक | 2 |
| 13. | झाडुकश (स्वीपर) | 2 |
| 14. | कला तथा हस्तकला सह संगीत शिक्षक | 1 (अंशकालिक) |
| 15. | माली | 1 (अंशकालिक) |
| 16. | भृत्य | 1 |
| | **योग** | **25** |

परामर्शदाता, केस वर्कर/परिवीक्षा अधिकारी/हाउस मास्टर/मैट्रन, शिक्षक तथा व्यावसायिक अनुदेशक के प्रवर्ग में पदों की संख्या में संस्था की क्षमता में वृद्धि के साथ आनुपातिक वृद्धि होगी।

## अध्याय-नौ
## पुनर्वास तथा सामाजिक रूप से पुनः मिलाना

**78. दत्तक ग्रहण -** चूंकि कुटुम्ब ही बालकों की देखरेख करने तथा संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए एक सर्वोत्तम विकल्प है इसलिये ऐसे बालकों के पुनर्वास और उन्हें सामाजिक रूप से पुनः मिलाने के लिये, जो अनाथ हैं, परित्यक्त है, या जो उपेक्षित है और जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, दत्तक ग्रहण ही प्रथम विकल्प है।

**(1) दत्तक ग्रहण अभिकरण -**

(क) राज्य सरकार देश के भीतर संरक्षण के जरूरतमंद बालकों के लिये बालगृह या राज्य द्वारा चलाये जा रहे सरकारी गृहों को ऐसे बालकों की संवीक्षा तथा स्थानन दोनों के लिये दत्तक ग्रहण अभिकरणों के रूप में मान्यता देगी।

(ख) दत्तक ग्रहण पर बालकों की संवीक्षा तथा स्थानन की प्रक्रिया परिवीक्षा अधिकारी द्वारा की जावेगी।

(ग) सरकार द्वारा चलाया जा रहा कोई अस्पताल या निजी नर्सिंग होम, जो किसी परित्यक्त शिशु को परिसर में पाता है, मान्यताप्राप्त दत्तक ग्रहण अभिकरण को सूचना देगा।

(घ) उक्त अभिकरण द्वारा जो किसी बालक या शिशु को प्राप्त करता है, उसे शीघ्रातिशीघ्र छह घंटे के भीतर समीपस्थ पुलिस स्टेशन तथा साथ ही बाल कल्याण समिति को रिपोर्ट की जाना चाहिये। पुलिस ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर रजिस्टर में प्रविष्टि करेगी तथा किशोर पुलिस इकाई को समुचित जांच के लिये सूचना भेजी जावेगी। पुलिस द्वारा एक सप्ताह के भीतर बाल कल्याण समिति को प्राथमिक रिपोर्ट फाईल की जाना चाहिये।

(ङ) कोई बालक, जो दत्तक ग्रहण के लिए पात्र है और किसी अमान्यताप्राप्त गृह में निवास करता है, दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिये मान्यताप्राप्त गृह में अंतरित किया जायेगा।

**(2) परित्यक्त बालकों के मामले में प्रक्रिया -** (क) कोई परित्यक्त बालक केवल तभी दत्तक ग्रहण के लिए दिया जा सकेगा, जब समिति ऐसे बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित कर दे और इस आशय का एक आदेश समिति के कम से कम दो सदस्यों द्वारा, जिनमें एक अध्यक्ष होगा, हस्ताक्षरित कर दिया जाये।

(ख) समिति किसी बालक को परित्यक्त घोषित तथा दत्तक ग्रहण के लिए उसे विधिक रूप से मुक्त प्रमाणित करने के पूर्व जांच की प्रक्रिया संस्थित करेगी, जिनमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा -

(एक) एक संपूर्ण जांच, यथास्थिति, परिवीक्षा अधिकारी या केस वर्कर या विशेष किशोर पुलिस इकाई द्वारा संचालित की जाएगी तथा अधिकतम एक माह की कालावधि के भीतर प्ररूप सोलह में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें निष्कर्ष अंतर्विष्ट होगा।

(दो) सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह कथित करते हुए, घोषणा कि कम से कम एक प्रमुख समाचार-पत्र में अधिसूचित करने, टेलिविजन तथा रेडियो पर उद्घोषित करने के पश्चात् भी तथा एक माह की कालावधि के लिए उस समय तक, जो संचालित की जाने वाली जांच तथा खंड (क) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के साथ-साथ का रहेगा, प्रतीक्षा करने के पश्चात् भी बालक का कोई दावेदार नहीं रहा है।

(तीन) समिति, आवेदन की तारीख से, दो वर्ष से कम आयु के बालकों की दशा में, छः सप्ताह की कालावधि के भीतर तथा दो वर्ष की आयु से अधिक के बालकों की दशा में, तीन मास के भीतर बालक को दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित करते हुए, निर्मुक्ति आदेश करेगी। परन्तु 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई बालक, जो समझ सकता है तथा अपनी राय अभिव्यक्त कर सकता है। उसकी सहमति के बिना दत्तक ग्रहण में नहीं लिया जायेगा।

**(3) बालक के अभ्यर्पण के मामले में प्रक्रिया -** ऐसे अभ्यर्पित बालक के मामले में, जिसके माता-पिता या संरक्षक है, निम्नलिखित

प्रक्रिया अपनाई जावेगी - कोई माता-पिता जो स्वैच्छिक रूप से विभिन्न परिस्थितियों में बालक/बालकों पर से अपना अधिकार अभ्यर्पित करते है। तो संबंधित अभिकरण द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण किया जायेगा -

(क) संबंधित अभिकरण का सामाजिक कार्यकर्ता, माता-पिता को दत्तक ग्रहण के परिणामों को स्पष्ट करते हुए, सलाह देगा तथा बालक को माता-पिता के पास ही रहने की संभावनाओं को खोजेगा।

(ख) यदि अभ्यर्पण अनिवार्य है तो बाल कल्याण समिति की उपस्थिति में नॉन-ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर अभ्यर्पण संबंधी दस्तावेज या विलेख निष्पादित किया जायेगा।

(ग) ऐसे अभ्यर्पण विलेख में अभ्यर्पण का कारण तथा बालक की अन्य सुसंगत जानकारी स्पष्ट होगी। यह क्षेत्रीय भाषा में लिखा जायेगा। दस्तावेज में यह जानकारी अंतर्विष्ट होगी की माता-पिता को, उक्त विलेख के निष्पादन की तारीख से दो मास के भीतर अभ्यर्पण संबंधित विलेख रद्द करने का अधिकार है।

(घ) यदि माता और पिता जीवित हैं तो वे दोनों ही विलेख निष्पादित कर सकेंगे।

(ङ) यदि अभ्यर्पण विलेख माता-पिता में से किसी एक के द्वारा निष्पादित किया जाता है तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति, जिसने विलेख निष्पादित किया है, दूसरे व्यक्ति माता या पिता की वर्तमान स्थिति की घोषणा करनी चाहिए। माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु की दशा में मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसी परिस्थितियों में बाल कल्याण समिति द्वारा परिवीक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट बुलवाई जावेगी और परित्यक्त बालकों से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

**(4) दत्तक ग्रहण के लिये अनुज्ञप्त तथा मान्यताप्राप्त सरकारी तथा गैर-सरकारी अभिकरणों की भूमिका -**

(क) किसी परित्यक्त बालक के मामले में, मान्यताप्राप्त अभिकरण, उस पुलिस स्टेशन में, जिसकी अधिकारिता में बालक परित्यक्त पाया गया था, फाईल की गई रिपोर्ट की प्रति के साथ, अड़तालीस घंटे के भीतर समिति को रिपोर्ट करेगा।

(ख) दत्तक ग्रहण अभिकरण, परित्यक्त बालकों के मामले में दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिये दो मास की कालावधि के भीतर तथा दत्तक ग्रहण के लिए बालक को विधिक रूप से मुक्त घोषित करने के लिये समिति के समक्ष आवेदन करने हेतु शीघ्रताशीघ्र निर्वहन की प्रक्रिया कर सकेंगे।

(ग) किसी बालक को उसके जैविक माता या पिता अथवा माता-पिता द्वारा अभ्यर्पण के दस्तावेज निष्पादित कर अभ्यर्पित किए जाने की दशा में दत्तक ग्रहण अभिकरण बालक को दत्तक में देने के लिए बोर्ड को सीधे आवेदन करेगा।

(घ) दत्तक ग्रहण अभिकरण, माता या पिता अथवा माता-पिता को दिये गये दो मास के पुनर्विचार के समय के पूर्व होने की प्रतीक्षा करेगा।

(ङ) माता-पिता को परामर्श देने के लिए गंभीर प्रयास किए जायेंगे, जिससे कि उन्हें बालक को स्वयं के पास ही रखने के लिए प्रेरित किया जा सके और यदि माता-पिता तब भी बालक को स्वयं के पास रखने के इच्छुक न हों तो ऐसे बालकों को आरंभ में पोषण देखरेख में रखा जायेगा या उनकी प्रवर्तकता के लिए व्यवस्था की जायेगी।

(च) किसी ऐसे अभ्यर्पित या परित्यक्त बालक के मामले में, जो दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त है, अनुज्ञप्त अभिकरण को यह विवेकाधिकार होगा कि वह अंतिम आदेश के लंबित रहने तक उसके स्थानन के एक सप्ताह के भीतर बोर्ड को सूचना देकर बालक को पूर्व दत्तक ग्रहण पोषण देखरेख में रखे।

**(5) स्थानन अभिकरण के रूप में बाल गृह/राज्य द्वारा संचालित अनाथालय की भूमिका -**

मान्यताप्राप्त बाल गृह तथा स्थानन अभिरणों के रूप में राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त राज्य द्वारा चलाए जा रहे अनाथालय निम्नलिखित कर्त्तव्यों तथा जिम्मेदारियों का पालन करेंगे -

(क) आवेदनों को प्राप्त करना, भावी दत्तक माता-पिता की छानबीन तथा पहचान,

(ख) पहचान होने पर भावी दत्तक माता-पिता के गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना,

(ग) भावी दत्तक माता-पिता के साथ बालक की अनुरूपता तथा बालक को अस्थाई पोषण देखरेख में, अधिकतम 6 मास की कालावधि के लिए रखना,

(घ) पोषण देखरेख की अवधि के दौरान नियमित फालो-अप तथा रिपोर्ट करना,

(ङ) बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड में बालक के दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना,

(च) स्वैच्छिक, समन्वयक अभिकरणों से समन्वय,

(छ) दत्तक ग्रहण से संबंधित अभिलेखों का संधारण,

(ज) बालकों की प्रोफाइल,

(झ) दत्तक ग्रहण के पश्चात् तीन वर्ष तक फालोअप।

**(6) गृह अध्ययन रिपोर्ट की तैयारी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत -**

गृह अध्ययन रिपोर्ट की तैयारी के लिये निम्नलिखित मानदण्ड होगा -

(क) सामाजिक प्रास्थिति तथा कौटुम्बिक पृष्ठभूमि,

(ख) गृहों का विवरण,

(ग) जीवनस्तर, जैसा गृह में दिखाई दे,

(घ) पति तथा पत्नि के बीच वर्तमान संबंध,

(ङ) माता-पिता तथा बालकों के बीच वर्तमान संबंध (यदि कोई बालक हो),

(च) पूर्व में दत्तक ग्रहण लिए गए बालकों (यदि कोई हों) का विकास,

(छ) दंपत्ति तथा कुटुम्ब के प्रत्येक अन्य सदस्यों के बीच वर्तमान में संबंध,

(ज) दंपत्ति का रोजगार प्रास्थिति,

(झ) स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरे, जैसे चिकित्सालयीन परीक्षण, स्वास्थ्य दशाएं, पुरानी बीमारी आदि,

(ञ) दंपत्ति की आर्थिक प्रास्थिति,

(ट) बालक के लिए वास सुविधा,

(ठ) विद्यालयीन सुविधायें,

(ड) गृहों में सुख-सुविधायें,

(ढ) बालक को दत्तक लेने की चाह का कारण,

(ण) दत्तक ग्रहण के प्रति पितामह या पितामह तथा अन्य नातेदारों का रूख,

(त) दत्तक बालक के लिए पूर्वनियोजित योजनाएं,

(थ) भावी माता-पिता की विधिक प्रास्थिति।

**(7) फालो-अप** - देश के भीतर रखे बालक के लिए फालो-अप निम्नानुसार होगा -

(क) यदि कोई पूर्व स्थानन (पोषण-देखरेख) किया जाता है तो उस पोषण देखरेख का नियमित अनुश्रवण (समीक्षा एवं मूल्यांकन होते रहना चाहिए, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता को नियमितरूप से परिवार में भेंट करना चाहिए,

(ख) मान्यताप्राप्त स्थानन अभिकरण द्वारा फालो-अप प्रारुप पूर्ण किया जाना चाहिए तथा स्वैच्छिक समन्वयक अभिकरण और संचालक/आयुक्त, समाज कल्याण को 6 माह में एक बार अग्रेषित किया जाना चाहिए,

(ग) अभिकरण को यह देखना चाहिए कि विधिक दत्तक ग्रहण शीघ्रातिशीघ्र प्रभावशील हो, ताकि उसके द्वारा बालक के हितों का संरक्षण किया जा सके,

(घ) विधिक दत्तक ग्रहण के पश्चात् भी अभिकरण को कुटुम्ब के साथ कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक संपर्क में रहना चाहिए,

(ङ) अभिरकण द्वारा दत्तक माता-पिता को दत्तक ग्रहण पश्चात्वर्ती परामर्श उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

**(8) अभिलेख** - प्रत्येक मान्यताप्राप्त बाल गृह और राज्य द्वारा चलाये जा रहे अनाथालयों द्वारा निम्नलिखित अभिलेख तथा रजिस्टर रखे जाएंगे -

(क) प्रवेश रजिस्टर -

(ख) विहित प्रारुप में प्रत्येक बालक के संपूर्ण-ब्यौरे/इतिवृत्त देते हुए एक पृथक फाइल। प्रत्येक दत्तक ग्रहण के सुसंगत विधिक दस्तावेज तथा बालक की पृष्ठभूमि/इतिवृत्त को भविष्य के संदर्भ के लिये कम से कम 18 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाना चाहिए।

(ग) भावी दत्तक माता-पिता के ब्यौरें सहित रजिस्टर।

**(9) विच्छिन्नता संबंधी कार्यवाहियां** - (क) दत्तक बालक या दत्तक ग्रहण करने वाले माता-पिता अथवा परिवीक्षा अधिकारी अथवा प्रत्यापित बाल गृहों के सामाजिक कार्यकर्ताओं को यह अधिकार होगा कि वे बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड को लिखित में शिकायत करें या विच्छिन्नता की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करें।

(ख) विच्छिन्नता पर बाल कल्याण समिति के सहमत हो जाने के पश्चात् बालक को उस बाल गृह को लौटा दिया जावेगा, जहां से उसे लिया गया था। उन परिस्थितियों के अधीन यह विनिश्चिय किया गया था तथा समस्याओं को दूर करने के लिए किये गये प्रयत्नों की एक रिपोर्ट अभिलिखित की जाएगी तथा बाल कल्याण समिति, समाज कल्याण विभाग और स्वैच्छिक समन्वयक अभिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) जब कभी कोई गंभीर कुव्यवस्था हो तो बाल कल्याण समिति की सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् बालक को हटाया जा सकेगा और किसी वैकल्पिक गृह/अस्थाई गृह में रखा जा सकेगा।

(घ) किसी स्थानन के विच्छिन्न हो जाने पर समिति, बालक के लिए परामर्श और देखरेख संबंधी पर्याप्त व्यवस्थाओं वाले वैकल्पिक स्थानन की सिफारिश करेगा।

**(10) किशोर न्याय बोर्ड और दत्तक ग्रहण** - उन बालकों को, जिसने कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के विभिन्न उपबंधों के अधीन व्यवहार किया गया हो दत्तक ग्रहण में रखा जावेगा। किशोर न्याय बोर्ड, ऐसे बालकों को दत्तक ग्रहण में रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिरिक्त दत्तक ग्रहण पर सेंट्रल एडाप्शन रिसोर्स एजेंसी द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांत और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्णय लागू होंगे।

(क) अभ्यर्पित बालक के मामले में किशोर न्याय बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह उसके माता-पिता से जैविक माता-पिता द्वारा की गई घोषणा की प्रमाणिकता के बारे में अभिनिश्चित कर लें। ऐसा करते समय माता-पिता को यह सूचित किया

जा सकता है कि उनके द्वारा की गई घोषणा का, साक्ष्य के रूप में उनके विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है।

(ख) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि बालक को देश के भीतर दत्तक रखा गया है और केवल अनुज्ञप्तिधारी अभिकरण ही दत्तक ग्रहण के लिए किशोर न्याय बोर्ड को निवेदन कर सकता है।

(ग) प्रत्येक किशोर न्याय बोर्ड में अनुमोदित अभिकरणों की सूची रखी जानी चाहिए।

**(11) किशोर न्याय बोर्ड एवं दत्तक ग्रहण प्रक्रिया -**

किशोर न्याय बोर्ड, बालकों का दत्तक ग्रहण घोषित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा -

(एक) अनुज्ञप्तिधारी अभिकरण, दत्तक ग्रहण आदेश के लिए अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा -

(क) सरकार द्वारा जारी किया गया अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र,

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र,

(ग) अभ्यर्पण विलेख, यदि कोई हो,

(घ) बाल कल्याण समिति द्वारा जारी किया गया परित्याग प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो),

(ङ) सामाजिक कार्यकर्ता को, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए गए अभिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिया गया प्राधिकार पत्र,

(च) बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा रिपोर्ट,

(छ) भावी माता-पिता के बारे में सामाजिक कार्यकर्ता, स्वैच्छिक समन्वयक अभिकरण अथवा किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा की गई गृह अध्ययन रिपोर्ट,

(ज) भावी माता-पिता का आय प्रमाण-पत्र,

(झ) भावी माता-पिता का संपत्ति प्रमाण-पत्र,

(ञ) भावी माता-पिता का जाब प्रमाण-पत्र,

(ट) भावी माता-पिता का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र,

(ठ) भावी माता-पिता का विवाह प्रमाण-पत्र अथवा विवाह का साक्ष्य,

(ड) समाज के सम्माननीय लोगों से 3 संदर्भ पत्र,

(ढ) दत्तक ग्रहण के लिए सहमति पत्र,

(ण) बालक और दत्तक माता-पिता के फोटो, जो सक्षम व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित हो।

(दो) भावी दत्तक माता-पिता स्थान और अभिकरण, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष समस्त सुसंगत दस्तावेजों सहित संयुक्त याचिका दाखिल करेंगे। एकल माता-पिता की दशा में (अकेला व्यक्ति) याचिका दाखिल करेगा।

(तीन) संबंधित संस्था अथवा वह अभिकरण जो बालक को दत्तक ग्रहण के लिए प्रस्थापित करता है, सहप्रत्यर्थी होगा।

(चार) दत्तक ग्रहण के लिए किसी मान्यता प्राप्त अभिकरण से कोई आवेदन स्वीकार हो जाने पर बोर्ड मान्यता प्राप्त छानबीन करने वाले अभिकरण से स्वतंत्र जांच के लिए कह सकता है और छानबीन संबंधी रिपोर्ट दो सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

(पांच) बोर्ड, जांच की ऐसी प्रक्रिया अंगीकार करेगा, जिसमें भावी माता-पिता का साक्षात्कार लेना, दस्तावेजों और छानबीन करने वाले अभिकरण की रिपोर्ट सत्यापित करना सम्मिलित होगा। यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि स्थानन बालक के सर्वोत्तम हित में हो तो वह दत्तक माता-पिता की स्थायी अभिरक्षा में संबंधी आदेश पारित करेगा। दत्तक ग्रहण का कोई आदेश प्रधान मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त बोर्ड के दो सदस्यों में कम से कम एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित किया जायगा।

(छः) बोर्ड चिकित्सा विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर जन्म की तारीख निश्चित करेगा। किशोर न्याय बोर्ड समुचित प्राधिकारी को, जन्म की तारीख, दत्तक ग्रहण की तारीख तथा माता-पिता के नामों को सम्मिलित करते हुए एक जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने का निदेश देगा।

(सात) दत्तक ग्रहण का आदेश पारित करने में लिया जाने वाला फाइल करने की तारीख से 3 माह से अधिक नहीं होगा। आदेश में बालक के हित सुनिश्चित करने की दृष्टि से या तो परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर द्वारा अथवा दत्तक अभिकरण द्वारा नियतकालिक फालो-अप रिपोर्ट का उपबंध भी सम्मिलित होगा। ऐसे फालो-अप की कालावधि 3 वर्ष और ऐसी अन्य कालावधि से कम नहीं होगी, जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निदेश दे। फालो-अप 6 माह में एक बार किया जाएगा।

(12) **बाल कल्याण समिति और दत्तक ग्रहण प्रक्रिया** - बाल कल्याण समिति किसी बालक को ऐसा बालक घोषित करने के लिए, जो दत्तक ग्रहण के लिए विधिक तौर से मुक्त हो, निम्नलिखित प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी -

(अ) अनुज्ञप्त या अनुमोदित अभिकरण को किसी बालक को ऐसा घोषित करने के लिए जो दत्तक ग्रहण के लिए विधिक तौर से मुक्त हैं के लिए याचिका के साथ निम्नलिखित दस्तावेज दो प्रतियों में प्रस्तुत करना चाहिए।

(क) दोनों, याचिकाओं पर बालक के फोटोग्राफ चिपकायें जावें,

(ख) संस्था के योग्य होने संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति,

(ग) सरकार द्वारा जारी किया गया अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र

(घ) उस दशा में, जब बालक अस्पताल में परित्यक्त था, डिस्चार्ज समरी और अस्पताल के अभिलेख,

(ङ) ऐसे बालक को, जो कि अस्पतालों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर परित्यक्त रहे हों, अभिरक्षा में लेने के लिए संस्था को प्राधिकृत करने वाले सरकार के कोई आदेश,

(च) अस्थायी अभिरक्षा आदेश की एक प्रति,

(छ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र,

(ज) अभ्यर्पण विलेख (यदि कोई हो),

(झ) अभिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की ओर से समिति के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता को प्राधिकृत करने वाला प्राधिकार पत्र,

(ञ) बालक के फोटोग्राफ तथा अन्य ब्यौरे का प्रकाशन,

(ट) बालक के प्रवेश के समय लिए गये फोटो और नवीनतम फोटो, इस घोषणा के साथ कि दोनों फोटो उसी बालक से संबंधित है,

(ट) निकटतम पुलिस स्टेशन को भेजी गई रिपोर्ट तथा साथ ही पुलिस से प्राप्त अनिस्वीकृति की प्रति,

(ड) बालक के स्वास्थ्य की हालत तथा आनुमानिक आयु,

(ढ) सम्यक् रूप से प्रमाणित बालक के विवरणात्मक अंक,

(ण) अभिकरण द्वारा यह घोषणा कि उसने उसके पास उपलब्ध समस्त जानकारी दे दी है और वे उनके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।

(आ) यदि कोई दस्तावेज खो गया हो तो अभिकरण का आवेदन नामंजूर कर दिया जावेगा और तत्पश्चात् अभिकरण को एक नई याचिका फाइल करनी होगी।

(इ) यदि आवेदन, उपर खण्ड (क) से (ण) तक में यथाविनिर्दिष्ट सुसंगत दस्तावेजों के साथ फाइल किया गया है तो समिति द्वारा आवेदन स्वीकार कर लिया जावेगा। आवेदन स्वीकर कर लिए जाने पर समिति, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट मंगवाएगी।

(ई) बालक कल्याण समिति, चिकित्सा विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर, बालक के हित में जन्म की तारीख अवधारित करेगी।

(उ) ऐसे बालक के संबंध में, जो कि 2 वर्ष से कम आयु का हो, आदेश पारित करने में यथासंभव 6 सप्ताह से अधिक का समय नहीं लिया जाएगा और 2 वर्ष की आयु के ऊपर के बालक के संबंध में फाइल करने की तारीख से 3 माह के भीतर आदेश पारित किया जाएगा।

(ऊ) बालक कल्याण समिति यह सुनिश्चित करेगी कि कोई बालक किसी भी ऐसे संगठन में अनाधिकृत रूप से नहीं रखा गया है जो कि अधिनियम के उपबंधों के अधीन या तो योग्य संस्था के रूप में बालगृह के रूप में अथवा दत्तक ग्रहण के लिए अनुज्ञप्तिधारी के रूप में मान्यताप्राप्त नहीं है।

**79 पोषण देखरेख -** (1) यथासंभव ऐसे छोटे बालकों को, जिन्हें छोड़ दिया गया हो अथवा जो निराश्रित हो, उनकी निरंतर देखरेख के हित में, पोषण देखरेख में नहीं, बल्कि दत्तक ग्रहण के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) ऐसे छोटे बालकों को जिन्हें कि दत्तक ग्रहण में नहीं रखा गया है, अधिमान्यतः किसी दंपत्ति के साथ वैयक्तिक पोषण देखरेख/समूह पोषण देखरेख में बालक की पारिवारिक परिस्थितियां सहायक समझी जाने पर उसके घर लौटने के समर्थ होने तक रखा जाएगा।

(3) तरुणों को समूह पोषक गृहों में निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(4) अधिक आयु के बालकों को अभिज्ञात समूह गृहों में ऐसे व्यक्तियों की पोषण देखरेख के अधीन रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो कि ऐसे इंतजामों का पर्यवेक्षण करने के इच्छुक हों।

(5) पोषण देखरेख, भले ही वह अस्थायी स्वरूप की हो, यदि आवश्यक हो तो वयस्क होने तक जारी रहेगी, किन्तु वह बालक को या तो स्वयं के माता-पिता के पास पहले लौटने अथवा उसके दत्तक ग्रहण में व्यवधान नहीं डालेगी।

(6) पोषक पारिवारिक देखरेख के समस्त मामलों में भावी पोषक माता-पिता, उपयुक्त बालक और उसके स्वयं माता-पिता पर्याप्त रूप से भाग लेंगे, बालक के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण करने हेतु बाल कल्याण समिति उत्तरदायी होगी।

(7) जुड़वा तथा सहोदर भाई, या बहिनों को पोषक स्थानन द्वारा असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, पृथक नहीं किया जाएगा। यदि किसी कारण से उन्हें पृथक किया गया है तो उनके लिए संपर्क में बने रहने के इंतजाम किए जायेंगे।

(8) प्रस्तावित पोषण व्यवस्था के संबंध में बालक की इच्छाओं पर स्थानन के पूर्व ध्यान दिया जाएगा।

**80 अल्पकालिक अस्थायी पोषण देखरेख -** (1) अस्थायी पोषण देखरेख के संबंध बालक को तब तक कि शारीरिक अभिरक्षा/

देखरेख से है, जब तक कि उसकी पारिवारिक स्थितियां सुधरते ही वह अपने स्वयं के कुटुम्ब में वापस लौटने के योग्य न हो जाए, अस्थायी अल्प अवधि की पोषण देखरेख चार मास से अधिक नहीं होगी और अस्थायी दीर्घावधि की पोषण देखरेख पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। पांच वर्ष पश्चात् यदि बालक अपने कुटुम्ब में नहीं लौट सकता है तो पोषण देखरेख की कालावधि बढ़ाई जा सकेगी अथवा बालक को समूह पोषक गृह में रखा जा सकेगा। स्थानन के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी कि सेन्ट्रल एडाप्शन रिसोर्स एजेंसी के मार्गदर्शी सिद्धांतों द्वारा विहित की जाए।

(2) अस्थायी पोषण देखरेख, सक्षम प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन यथास्थिति, परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर/सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की जाएगी। अस्थाई पोषण देखरेख की कुल अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) वे व्यक्ति, जो पोषक माता-पिता होने के लिए सक्षम होंगे - पोषक माता-पिता होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति आवेदन दे सकेंगे -

(क) कोई एकल माता-पिता,

(ख) दंपत्ति,

(ग) बालक के विस्तारित कुटुम्ब के सदस्य,

(घ) ऐसे गैर सरकारी संगठन अथवा अन्य मान्यता प्राप्त व्यक्ति/अथवा अभिकरण जो व्यक्तिगत तौर पर अथवा समूह पोषण देखरेख के लिए बालक/बालकों की जिम्मेदारी लेने के इच्छुक हों।

(4) पोषण देखरेख के लिए प्रक्रिया -

**(अ) माता-पिता के चयन के लिए प्रक्रिया -** (क) किसी बालक को पोषण के लिए आवेदन परिवीक्षा अधिकारी, केस वर्कर अथवा अनुमोदित आवासीय गृह के भारसाधक व्यक्ति के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप-अठारह में दिया जाएगा जो आवेदन को समाज कल्याण विभाग/बाल कल्याण समिति को अग्रेषित करेगा।

(ख) यदि आवेदन प्रथम दृष्टया समाधान प्रद है तो बाल कल्याण समिति, परिवीक्षा अधिकारी को निम्नलिखित कदम उठाने के लिए प्राधिकृत करेगी।

(एक) परिवीक्षा अधिकारी/केसवर्कर को भावी पोषक माता-पिता का साक्षात्कार लेने तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि वे बालक का पोषण करने के उपयुक्त हैं। परिवीक्षा अधिकारी विशेष कर भावी पोषक माता-पिता के उद्देश्यों का अन्वेषण करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका आशय घरेलू मदद के लिए बालक का नियोजन करना नहीं हैं।

(दो) भावी पोषक माता-पिता के घर पर जाने तथा यह पुष्टि करने के लिए वहां बालक विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है और वहां की स्थिति समाधानप्रद है। कुटुम्ब गृह के बालकों की संख्या के आधार पर स्नानागार तथा रसोईघर सहित पर्याप्त कमरों की व्यवस्था करना चाहिए और बालक के स्वास्थ्य और हितों के उन्नयन के लिए स्वच्छता संबंधी और रहने संबंधी व्यवस्था के साथ सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पोषक कुटुम्ब की गृह अध्ययन रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को प्ररूप-सत्रह में दी जाएगी।

(तीन) यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कम से कम दो व्यक्ति हो, जो पोषक माता-पिता को अच्छी तरह से जानते हों और जो उसके चरित्र तथा बालक की देखरेख की उपयुक्तता को प्रमाणित कर सकते हों।

(चार) क्षेत्र में की किसी सरकारी चिकित्सा इकाई के भारसाधक व्यक्ति से यह निश्चित करवाना कि भावी पोषक माता-पिता के घर में कोई व्यक्ति किसी ऐसी शारीरिक अथवा मानसिक बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है जो बालक को प्रतिकूल प्रभावित कर सकती है।

(पांच) स्थानीय प्राधिकारियों से अथवा क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी से यह निश्चित करवाना कि गृह

के किसी व्यक्ति का कोई पुलिस रिकार्ड नहीं है या व्यक्ति किसी ऐसे गंभीर दाण्डिक अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं किया गया है जिससे कि बालक को उस व्यक्ति के साथ सहयुक्त करने के लिए उसे सौंपा जाना अवांछनीय हो जाये ।

(छः) यह सुनिश्चित करना कि पोषक माता-पिता/माता-पिता के परिवार में स्थाई भावनात्मक वातावरण है ।

(सात) यह सुनिश्चित करना कि पोषक माता-पिता के पास उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यूनतम आय है और वे पोषण देख-रेख भरण-पोषण भुगतान पर निर्भर नहीं करेंगे ।

(आठ) यह सुनिश्चित करना कि पोषण देख-रेख परिवार अधिकथित नियमों का पालन करने के लिए सहमत है जिसमें बालक को नियमित रूप से बाल रोग चिकित्सक को दिखाना, बालक के स्वास्थ्य अभिलेख इत्यादि का रखा जाना सम्मिलित है ।

(नौ) यह सुनिश्चित करना कि विनिर्दिष्ट परिस्थिति, जैसे विच्छिन्नता, दुर्व्यवहार और बालक की उपेक्षा की दशा मे, जिसमें कि बालक पोषक परिवार के साथ समन्वय करने में असमर्थ रहा हो, परिवार उसे अभिकरण को लौटा देने के करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो जाएगा ।

(दस) यह सुनिश्चित करना कि पोषक माता-पिता, स्थानन के पूर्व और उसके पश्चात् जब भी आवश्यक हो प्रशिक्षण/अभिसंस्करण कार्यक्रमों में उपस्थित होने के लिए सहमत हैं ।

(ग्यारह) सेवायुक्त माता-पिता के मामले में, यह सुनिश्चित करना कि स्कूल के समय के पश्चात् बालक की देख-रेख के पर्याप्त प्रबंध किए गये हैं ।

(बारह) यह सुनिश्चित करना कि उसी गृह में निवास कर रहे निकटतम परिवार के सदस्य, पोषक बालक के स्थानन को अपनी सहमति दें ।

**(आ) बालक के स्थानन की प्रक्रिया -** (क) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि बालक का अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षण किया जा चुका है जो कि स्थानन के पूर्व बालक की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर अपना लिखित में प्रतिवेदन देगा । तथापि किसी आपात की दशा में चिकित्सा रिपोर्ट स्थानन के पश्चात् चार सप्ताह के भीतर दी जाएगी ।

(ख) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि बालक को रखे जाने के पूर्व उसके परिवार का पता लगाने के प्रयत्न किए गए हैं ।

(ग) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि बालक का प्रारंभिक मूल्यांकन हो चुका है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं -

(एक) मानसिक/विकासात्मक निर्धारण-डेनवर डेवलोपमेंट स्केल या किसी अन्य उपयुक्त इन्स्ट्रूमेंट द्वारा सुझाए गए निर्देश।

(दो) शैक्षणिक निर्धारण सीखने के निर्धारित कार्यक्रम के न्यूनतम स्तर के अनुसार ।

(तीन) स्वभाव निर्धारण - बालक के स्वभाव का निर्धारण भावनात्मक, गतिविधियों का स्तर, सतर्कता तथा एकाग्रता की क्षमता, सामाजिकता स्तर, आक्रमकता, भोजन तथा निद्रा का सामंजस्य, बालक को अभिप्रेरणा, विश्वसनीयता, निर्भरता, अनुकूलनशीलता के आधार पर किया जाना आवश्यक है ।

(घ) यह सुनिश्चित करेगी कि बालक का परिचय दंपत्ति से हो गया है तथा न्यूनतम तीन वार्तालाप एवं दो गृह मुलाकत के साथ-साथ संबंधित समाज कल्याण अधिकारी/परिवीक्षा अधिकारी के साथ परामर्श के अपेक्षित सत्र पूर्ण हुए हैं ।

(ङ) उपरोक्त प्रक्रिया के पूर्ण होने पर परिवीक्षा अधिकारी, प्ररूप-सत्रह में एक गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करेगा ।

(च) यदि गृह अध्ययन रिपोर्ट बालक कल्याण समिति द्वारा अनुमोदित की जाती है तो पोषक माता-पिता प्ररूप-बीस में एक पोषण

देखरेख करार करना होगा, जिसमें पोषक माता-पिता के अधिकार तथा जिम्मेदारियां सम्मिलित होंगी। प्रत्येक पोषक माता-पिता को करार की एक प्रति वचनबंध की एक प्रति संबंधित परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर को तथा आयुक्त/संचालक समाज कल्याण विभाग को दी जाएगी।

(छ) इसके पश्चात् बालक को दंपत्ति/एकल माता-पिता समूह गृह के साथ रखा जाएगा।

**(इ) टारगेट ग्रुप -** (क) दुष्क्रियारत परिवारों या संस्थाओं के बालक या जिनके जैविक माता-पिता या तो अक्षम हैं या संकट की स्थिति में हैं तथा बालक की देखरेख तथा स्थिति में नहीं है।

(ख) पोषण देखरेख ऐसे बेसहारा बालकों के लिये है, जो कि अनाथालयों में पल रहे तथा बाल कल्याण संस्थाओं द्वारा उन्हें पारिवारिक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है।

(ग) ऐसे बालकों की पोषण देखरेख के लिए विचार किया जा सकेगा, जिन्हें विभिन्न कारणों से दत्तक हो नहीं दिया जा सकता।

(घ) पोषण देखरेख आवश्यकतानुसार अल्पकालीन या दीर्घकालीन हो सकती है।

(ङ) बाल कल्याण समिति की सहमति से बालक को संस्था से दूर रखते हुए उन्हें पोषण देखरेख में रखा जा सकता है।

**(ई) कार्यक्रम कार्यान्वयन -** पोषण देखरेख का कार्यान्वयन प्रत्येक जिले में या जिलों के समूह के लिए ऐसे गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जायेगा, जो कि आयुक्त/संचालक समाज कल्याण विभाग की सलाह पर विनिर्दिष्ट रूप से इस प्रयोजन के लिए बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा योग्य संस्थाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।

**(उ) फालो-अप -** (क) यथास्थिति, परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी/सोशल केस वर्कर द्वारा नियमित मुलाकात इस प्रकार की जायेगी कि बालक के सर्वोत्तम हित की सुरक्षा हो सके।

(ख) स्थानन रिपोर्ट का पुनर्विलोकन प्रत्येक छह माह में अनुश्रवण तथा मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा। इन रिपोर्टों को बाल कल्याण समिति तथा समाज कल्याण विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) पोषक गृह में बालक के उत्पीड़न की दशा में, माता-पिता के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(घ) जब पोषण स्थानन प्रारंभ हो तो बालक को रखने वाला व्यक्ति, बालक में किए गये प्रतिरक्षणों की एक सूची पोषक माता-पिता को प्रस्तुत करेगा तथा बालक के संबंध में किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य प्रतिरक्षणों की सूची पोषण माता-पिता को उपदर्शित करेगा और पोषक माता-पिता यह सुनिश्चित करेंगे कि ये प्रतिरक्षण कर लिये जाते हैं। पोषक माता-पिता और जिला परिवीक्षा अधिकारी तथा समाज कल्याण अधिकारी बालक के संबंध में प्रतिरक्षणों का अभिलेख हर समय रखेंगे।

(ङ) जहां पोषक माता-पिता के पास रखा गया बालक पांच वर्ष से कम आयु का हो, वहां

(एक) स्थानन की तारीख के पश्चात् एक मास के भीतर तथा

(दो) उसके पश्चात् प्रत्येक छह मास में एक बार, सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा बालक का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा।

(च) जहां पोषक माता-पिता के पास रखा गया बालक पांच वर्ष से अधिक आयु का हो, वहां से एक बार चिकित्सा कृत्यकारियों द्वारा बालक का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संबंधित परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर, अपेक्षाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में पोषक माता-पिता की यथासंभव सहायता करेंगे।

**(ऊ) विच्छेद -** (क) यदि परिवीक्षा अधिकारी/केसवर्कर को यह प्रतीत हो कि यह बालक के सर्वोत्तम हित में है तो वह विच्छेद की आवश्यकता के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कर सकेगा/सकेगी तथा उसे बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत कर सकेगा/सकेगी।

(ख) परिवीक्षा अधिकारी/केसवर्कर, कुसमायोजन के उपचार के लिए किए गए प्रयासों के अभिलेख को भी बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(ग) जब कहीं कुसमायोजन हो, बाल कल्याण समिति की सहमति अभिप्राप्त करने तथा पोषक माता-पिता को सुनवाई के अवसर देने के पश्चात् बालक को हटाया जा सकेगा और किसी आनुकल्पिक गृह/ट्रांजिट होम में रखा जा सकेगा।

(घ) किसी आपात की दशा में, बाल गृह के अधीक्षक तथा अन्य कर्मचारिवृन्द के परामर्श से परिवीक्षा अधिकारी/केसवर्कर के विवेक के आधार पर, शारीरिक या लैंगिक दुर्व्यवहार या शोषण की दशा के अनुसार बालक को हटाया जा सकेगा।

(ङ) स्थानन के विच्छिन्न होने पर बाल कल्याण समिति, सलाह देने तथा देखरेख करने के यथोचित उपबंधों के साथ बालक के आनुकल्पिक स्थानन की सिफारिश करेगी।

**(ए) बालक की बीमारी/मृत्यु या पोषक माता-पिता की मृत्यु होने की स्थिति में -** (क) यदि बालक गंभीर रूप से बीमार हो तो पोषक माता-पिता यथाशक्य शीघ्र, संबंधित परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर को सूचित करेगा, जो माता-पिता/संरक्षकों तथा बाल कल्याण समिति को सूचित करेगा।

(ख) यदि पोषक बालक की मृत्यु हो जाती हो तो पोषक माता-पिता 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभिप्राप्त करने का हर संभव प्रयास करेगा।

(ग) वह संबंधित परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर को भी तत्काल सूचित करेगा जो माता-पिता/संरक्षकों, समाज कल्याण विभाग तथा बाल कल्याण समिति को सूचित करेगा।

(घ) ऐसे मामले में जहां बालक को एकल पोषक माता-पिता के साथ रखा गया है, उसकी मृत्यु होने पर बालक को उस मान्यता प्राप्त गृह, जहां से बालक को प्राप्त किया गया था, वापिस भेज दिया जाएगा।

**(ऐ) बाल कल्याण समिति/स्थानन अभिकरण/बाल गृह के उत्तरदायित्व -** (क) बाल कल्याण समिति द्वारा केवल मान्यता प्राप्त/प्रस्थापित संस्थाओं एवं परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर के माध्यम से ही पोषक देखरेख स्थानन किए जायेंगे।

(ख) बाल कल्याण समिति, लिखित पालिसी एवं क्रियान्वयन मेन्यूअल को विकसित, रखरखाव, अद्यतन एवं नियोजित करेगी।

(ग) प्राधिकृत अभिकरण/बाल गृह इस तथ्य से स्वयं का समाधान करेंगे कि बालक को उसे परिवार में रखे जाने संबंधी समस्त विकल्पों की जांच पड़ताल करली गई है और बालक के लिये पोषक देखरेख ही अधिकतम उपयोगी चयन है।

(घ) प्राधिकृत अभिकरण/बाल गृह पहचान करेंगे, आश्रय देंगे, वस्तुस्थिति को निश्चित करेंगे और पोषक परिवारों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

(ङ) बाल कल्याण समिति से साथ प्राधिकृत अभिकरण/बाल गृह -

(एक) बालक एवं पोषक परिवार की आवश्यकताओं का निर्धारण करने,

(दो) बालक की आवश्यकताओं का पोषक परिवार की क्षमता एवं संसाधनों से मिलान करने,

(तीन) स्थापन हेतु बालक एवं पोषक कुटुम्ब दोनों को तैयार करने के लिए एक पद्धति की योजना बनायेंगे।

(च) बाल कल्याण समिति/स्थानन अभिकरण/बाल गृह/सक्षम अधिकारी या अभिकरण जब कभी संभव हो तथा जब बालक के हित में सहायक हो बालक का जैविक परिवार से संपर्क स्थापित करने का समर्थन करेगा।

(छ) बाल कल्याण समिति के साथ प्राधिकृत अभिकरण/बाल गृह स्थानन के तत्काल पश्चात् बालक के स्थायित्व की योजना प्रारंभ करेगा।

(ज) प्राधिकृत अभिकरण/बाल गृह के साथ बाल कल्याण समिति पोषक परिवार को नियतकालिक पारस्परिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रक्रिया विकसित करेगा। यह पुनर्विलोकन बालक की देखरेख करने के लिए पोषक कुटुम्ब की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेगा तथा सक्षम प्राधिकारी या अभिकरण तथा पोषक कुटुम्ब के बीच रिश्ते को सशक्त करेगा।

(झ) प्राधिकृत अभिकरण/बाल गृह के साथ बाल कल्याण समिति बाल कल्याण के पोषक क्षेत्र में कुटुम्ब द्वारा किए गए सकारात्मक योगदानों को समझने हेतु नीति का विकास करेगी।

(ञ) बाल कल्याण समिति विभिन्न परिस्थितियों के अधीन पोषण गृहों के समाप्त होने संबंधी लिखित योजनाएं एवं कार्य प्रणाली का विकास करेगी, इसमें पोषक कुटुम्ब द्वारा सेवा को स्वेच्छा से वापस करना भी सम्मिलित है। यह प्रक्रिया सेवा वापस करने के निर्णय पर पहुंचने से पूर्व पोषक माताओं/पिताओं को सुनवाई का अवसर देगी।

(ट) स्थानन अभिकरण/बाल गृह/व्यष्टिक मामलों का अभिलेख रखेंगे जिसमें बालक तथा पोषक देखरेख में अन्तर्ग्रस्त जैविक कुटुम्ब के संबंध में नियतकालिक विस्तृत रिपोर्ट सम्मिलित है।

**81. प्रवर्तकता -** (1) प्रवर्तकता सेवाएं बालक तथा उसके माता-पिता या संरक्षण के स्त्रोतों के अनुपूरक के रूप में समझी जाएगी जिसमें बालक को समुदाय में पुनः मिलाने के तथा उसकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य आदि की देखरेख हेतु आर्थिक व्यवस्था के प्रयासों में सहयोग हो माता-पिता या संरक्षण को बालक के प्रति उनके दायित्व को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कुटुम्ब की आय के अनुपूरक के रूप में समझी जायेगी।

(2) राज्य सरकार बालकों के लिए आवश्यकता तथा उपलब्धता के आधार पर प्रवर्तकता हेतु उपबंध कर सकेगी, जब वे स्वागत इकाई, आश्रय गृह/बाल गृह/विशेष गृह/पश्चात्वर्ती देखरेख संगठनों से उन्मुक्त हो।

(3) राज्य सरकार व्यक्तियों, संस्थाओं, सेक्टर, वित्तीय संस्थाओं, उद्योगों आदि द्वारा बिना किसी लाभ की आशा के निम्नलिखित के लिए प्रवर्तक या समर्थक करना अनुज्ञात कर सकेगी -

(एक) बालकों को उच्च शिक्षा के लिए बाल श्रमिक बंधुआ मजदूरी से निकालने के लिए किसी बालक या उसके कुटुम्ब की प्रवर्तकता के अधीन समर्थन दिया जायेगा।

(दो) व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के माध्यम से बालकों के व्यवहार में सुधार हेतु किन्हीं कार्यकलापों में संलग्न होना।

(तीन) ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए बालकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पिकनिक, अवकाश केम्प, चिकित्सीय सहायता टीकाकरण कार्यक्रम, विशेष चिकित्सा सहायता आदि अंतर्विद्यालय खेलकूद गतिविधियां सृजनात्मक कला प्रतियोगिता सेमीनार।

(चार) धंधा करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित कोई क्रियाकलाप, व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, सामुदायिक महाविद्यालय आदि की स्थापना।

(पांच) पुस्तकालय, खेलकूद क्रियाकलाप, उद्यान, विज्ञान/रेशम उद्योग, सृजनात्मक कला और प्रतियोगिताएं आदि या किसी अन्य विकास कार्यक्रम की स्थापना।

(छः) भवन की अधोसंरचना तथा सुविधाओं में सुधार करना, उसका निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना आदि।

(4) **प्रबंधन -** (क) जिला सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रवर्तकता कार्यक्रम के अधीन वित्तीय सहायता दी जाएगी। बोर्ड प्रवर्तकता के लिए आवेदन पत्र पर प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा, प्रत्येक मामले के आधार पर उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत करेगा और उसके लिए मंजूरी प्रदान करेगा।

(ख) उस संस्था के माध्यम से, जहां से बालक को उन्मोचित किया गया था, भुगतान किया जाएगा।

(ग) प्रवर्तकता प्राप्त करने वाले अभिकरण/संस्था प्रत्येक कार्यक्रम के लिए प्राप्त समस्त प्राप्तियों तथा भुगतान के उचित एवं अलग लेखा संधारित करेंगे।

(5) **बालकों का प्रवर्तकता के लिए चयन के लिए मानदंड** - बालक निम्नलिखित शर्तों पर प्रवर्तकता के लिए पात्र होंगे :-

(क) गरीबी रेखा से नीचे एकल माता-पिता/जैविक कुटुम्बों के साथ पुनः स्थापित बालक।

(ख) निःशक्त तथा अन्य विशिष्ट रूप से जरूरतमंद बालक, जिसे विशिष्ट हस्तक्षेप/इलाज की आवश्यकता है और जो इस अधिनियम के अधीन किसी संस्था या कार्यक्रम द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।

(ग) ऐसे परिवार में पुनःस्थापित किया गया बालक जिसमें माता-पिता निःशक्त या गंभीर रूप से बीमार हो, किन्तु बालक की देखभाल करने के इच्छुक हो तथा सक्षम हो।

(घ) बालक संस्था से जिसको उन्मोचित होने के पश्चात अपना चालू शैक्षणिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अधिकतम दो वर्ष की कालावधि के लिए प्रवर्तकता आवश्यक हो।

(ङ) सम्यक् विचारण के पश्चात् अन्य कोई मामले।

(6) **प्रवर्तकता अवधि** - जिला सलाहकार बोर्ड द्वारा परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर की सिफारिशों की जो समीक्षा तथा मूल्यांकन समिति द्वारा पृष्ठांकित की गई है। आधार पर तथा प्रत्येक मामले के आधार पर प्रवर्तकता समर्थन की अवधि विनिश्चित की जाएगी। तथापि समर्थन का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण किया जाएगा और जब तक आपवादिक परिस्थितियां न हो तीन वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जायेगा।

(7) **प्रवर्तकता समर्थन के लिए प्रक्रिया** - (क) स्वागत इकाई/आश्रय गृह/पश्चातवर्ती देखरेख संस्था के अपने-अपने परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर तथा सामाजिक कार्यकर्ता बालक के गृह पर जायेंगे और यह सत्यापित करेंगे कि बालक नियम 81 के खण्ड (5) में उल्लिखित मानदंड पूरा करता है।

(ख) प्रत्येक संस्था, जो अधिनियम के अधीन प्रवर्तकता समर्थन का लाभ उठा रही हो अर्हित परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर और सामाजिक कार्यकर्ता को प्रवर्तक किए गए बालकों के संबंध में समस्त निर्धारण, घर जाने सहित पुनर्विलोकन तथा अनुवर्तन का उत्तरदायित्व प्रदान करेगा।

(ग) परिवीक्षा अधिकारी/केसवर्कर तथा सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा माता-पिता/या बालक की मृत्यु/विवाह विच्छेद/पृथकता/निःशक्तता/बीमारी/माता-पिता/बालक की आय का समुचित प्रमाण या अभिलेख सत्यापित किया जायेगा तथा केस फाइल के साथ संलग्न किया जायेगा और एक रिपोर्ट तैयार की जायेगी तथा जिला सलाहकार बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) कुटुम्ब की अद्यतन स्थिति प्राप्त करने के लिए 6 माह में एक बार बालक का अवलोकन किया जाएगा और रिपोर्ट जिला सलाहकार बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए, कि बालक यथोचित शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य की देखरेख प्राप्त कर रहा है और वह दुरुपयोग और शोषण से मुक्त है तथा सावधानी रखी जाएगी।

(ङ) समस्त प्रवर्तक बालक उस समय तक औपचारिक रूप से स्कूल में/कुशलता प्रशिक्षण में व्यवसायिक प्रशिक्षण में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे जब तक केस वर्कर द्वारा सत्यापित बालक की निःशक्त या बीमारी की विशेष अवस्था न हो।

(च) किसी भी समय बालक के पिता की मृत्यु की दशा में बालक को संस्था में दाखिल कराया जाएगा तथा प्रवर्तकता बंद कर दी जायेगी किन्तु संस्था में रखना अंतिम आश्रय होगा।

(छ) बालक किसी अन्य स्रोत से प्रवर्तकता समर्थन प्राप्त नहीं करेगा।

(ज) जहां कहीं भी संभव हो बालक को अन्य विद्यमान शैक्षणिक योजनाओं तथा सेवाओं के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा।

(झ) जानबूझ कर प्रवर्तकता समर्थन का दुरुपयोग किए जाने पर व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी।

(ञ) बालकों के लिए पुनर्वास परिणामों का, जहां तक संभव हो, वार्षिक मूल्यांकन होगा तथा स्वतंत्र परामर्शी नियोजित किये जाएगे।

(ट) समाज कल्याण विभाग समुचित योजनाओं के माध्यम से प्रवर्तकता कार्यक्रम में अतिरिक्त परिवर्तनों की गणना करेगा।

## अध्याय-दस
## किशोर न्याय प्रणाली की समीक्षा

**82. निरीक्षण -** (1) समाज कल्याण विभाग का संचालक/आयुक्त या इनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसी संस्थाओं का निरीक्षण करेगा। कार्यक्रम विकास समीक्षा एवं मूल्यांकन सेल, जिला सलाहकार, समिति स्थानीय शासन प्राधिकारी, किशोर न्याय प्रशासन का संस्थागत तथा असंस्थागत कार्यक्रमों का निरीक्षण, समीक्षा एवं मूल्यांकन करेगे।

(2) निरीक्षण दोष निकलाने की कार्यप्रणाली नहीं होनी चाहिए, वस्तुतः इसे रचनात्मक होना चाहिए, निरीक्षण अधिकारी, प्रतिवेदन संचालक/आयुक्त समाज कल्याण विभाग को आवश्यक फालोअप हेतु देगा।

(3) दल (टीम) या तो पूर्व सूचना द्वारा या अचानक गृह का निरीक्षण कर सकेगा।

**83. रिपोर्ट करना -** (1) निरीक्षण समाप्त होने के पश्चात् समिति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह कम से कम पन्द्रह दिन से अनधिक सम्भावित समय के भीतर निष्कर्षों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, रिपोर्ट में संबंधित व्यक्ति द्वारा दिए गए सुझावों, निवेदनों या शिकायतों को, इन नियमों से सुसंगत उपबंधों सहित सुविधाओं के अनुपालन के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(2) अन्य संबंधित व्यक्तियों की राय को, जो उसके लिए प्रत्यक्षत उत्तरदायी है या जिनका नाम शिकायत में सम्मिलित है, भी नोट किया जाएगा तथा उनके कारणों व स्पष्टीकरणों को शब्दशः नोट किया जाएगा।

(3) निरीक्षण समिति किसी कदम के संबंध में, अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो अंतिम रूप से कोई सिफारिश कर सकेगी।

(4) यदि निरीक्षण समिति द्वारा कोई ऐसा तथ्य खोजा गया है जो दर्शाता है कि बालकों के अधिकारों से संबंधित विधिक उपबंधों का या किशोर न्याय संस्थाओं के कार्यो का उल्लंघन हुआ हो, तो सक्षम प्राधिकारी को अन्वेषण तथा अभियोजन हेतु संसूचित किया जाएगा।

**84. अनुवर्ती (फालो-अप) कार्यवाही -** समस्त संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के निष्कर्षों तथा बालकों के सुझावों पर विचार किया जाएगा।

**85. खुलापन तथा पारदर्शिता -** (1) अधीक्षक की अनुज्ञा से अतिथियों, विशिष्टतः स्थानीय शासन के प्रतिनिधि, स्वयं सेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, विख्यात व्यक्तियों, मीडिया या कोई अन्य व्यक्ति, के लिए समस्त गृह खुले रहेंगे जैसा कि अधीक्षक, बालक की सुरक्षा कल्याण और हित को ध्यान में रखते हुए उचित समझें।

(2) गृह का अधीक्षक गृह की दशा में सुधार करने के लिए उन स्थानीय संस्थाओं को, जिनके सदस्य यदि संस्था की सेवा करना चाहते हैं या तो उनकी विशेषज्ञताके माध्यम से योगदान देना चाहते हैं, सक्रिय अन्तर्ग्रस्तता को प्रोत्साहित करेगा।

(3) अधीक्षक एक आगन्तुक पुस्तिका रखेगा। आगन्तुक पुस्तिका में अगन्तुकों द्वारा की गई टिप्पणियों पर सलाहकार निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

(4) संस्था का मुआयना करते समय आगन्तुक ऐसी कोई बात नही कहेंगे या ऐसा नहीं करेंगे जो अधीक्षक के प्राधिकार को क्षति पहुंचाने वाला हो, अधिनियम या नियम का उल्लंघन करती हो या बालक के सम्मान को ठेस पहुंचाती हो।

**86. सामाजिक लेखा परीक्षण -** राज्य सरकार सामाजिक संपरीक्षा के आधार पर गृहों के कृत्यों तथा वार्षिक आधार पर अधिनियम के अधीन समस्त कार्यक्रम/स्कीम समीक्षा तथा मूल्यांकन करते हुए वृत्तिक अनुसंधान को बनाए रखेगी। यह बालकों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे प्रख्यात संगठनों, इसके अलावा स्वायत्ता निकाय जैसे राष्ट्रीय लोक सहकारिता संस्थान तथा बाल विकास, भारतीय बाल कल्याण परिषद, भारतीय सामाजिक कल्याण परिषद, भारतीय सामाजिक संस्थान चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, राष्ट्रीय सामाजिक संस्थान केन्द्र तथा राज्य स्तर पर समाज कल्याण बोर्ड, स्कूल आफ सोशल वर्क, आदि की सहायता से किया जाएगा।

**87. समीक्षा तथा मूल्यांकन -** (1) देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक देखरेख, जो की जा रही है, न केवल ऐसी संस्थाओं द्वारा, जो या तो स्वयं सरकार द्वारा या आंशिक रूप से समर्पित गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही हो, की जाएगी किन्तु अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा संचालित स्वयंसेवी संगठन द्वारा भी की जाएगी। बालक के संबंधित समस्त कार्यवाहियों जो चाहे सरकार या प्रशासकीय निकायों या बोर्ड या न्यायालय या स्वयंसेवी संगठनों द्वारा की जा रही हो, बालकों के सर्वोत्तम हित पर प्राथमिक रूप से विचार किया जाएगा।

(2) प्रत्येक जिले में न केवल बालक के दुर्व्यवहार अनैतिक व्यापार, बालक वैश्यावृत्ति आदि को रोकने किन्तु बालक को गुणात्मक सेवाएं भी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बालक देखरेख कार्यक्रम को समीक्षा तथा मूल्यांकित करने के लिए बालक संरक्षण समिति होगी जिसमें गैर सरकारी संगठन, मीडिया, शिक्षाविद, जनहितैषी, सरकारी प्रतिनिधि होंगे।

(3) राज्य सरकार बाल संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। बाल संरक्षण के समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाएगी -

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आयुक्त/संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा | - अध्यक्ष |
| 2. | जिला कलेक्टर | - सदस्य |
| 3. | पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त | - सदस्य |
| 4. | उपकुलपति, प्राचार्य, अथवा प्राध्यापक या शैक्षणिक संस्था में रीडर जो मनोविज्ञान, अपराधशास्त्र, समाज कार्य, गृह-विज्ञान ग्रामीण विकास आदि में विशेषज्ञ हो | - दो सदस्य |
| 5. | मीडिया कार्मिक | - दो सदस्य |
| 6. | गैर सरकारी संस्था | - तीन सदस्य |
| 7. | कार्पोरेट कार्मिक | - तीन सदस्य |
| 8. | संयुक्त संचालक/उपसंचालक पंचायत एवं समाज कल्याण | - सदस्य सचिव |
| 9. | अधीक्षक, गृह | - सदस्य |

(4) राज्य सरकार द्वारा उपनियम (3) के अनुक्रमांक (3) से (7) में विनिर्दिष्ट सदस्य नाम निर्देशित किये जाएंगे।

(5) समिति 6 माह में एक बार बैठक करेगी तथा बालकों से संबंधित कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन करेगी तथा बालकों से संबंधित समस्त मामलों में हस्तक्षेप करेगी। अध्यक्ष एवं सदस्य किसी भी बालक की देखरेख संस्था का, चाहे सरकार द्वारा स्वयं या ऐसी किसी स्वयंसेवी संस्था द्वारा, जिसे सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हो या न हो, चलाई जाती हो, निरीक्षण कर सकेगा।

(6) समिति की अवधि तीन वर्ष की होगी तथा तीन वर्ष के पश्चात् जिला कलेक्टर /आयुक्त/संचालक द्वारा पुनर्गठित की जाएगी।

**88. राज्य सलाहकार बोर्ड -**

(1) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 62 के अधीन यथा अपेक्षित सलाहकार बोर्ड गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे-

| | |
|---|---|
| मंत्री समाज कल्याण | - अध्यक्ष |
| सचिव, समाज कल्याण | - सदस्य |
| सचिव, शिक्षा | - सदस्य |
| सचिव स्वास्थ्य | - सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| सचिव, गृह | - | सदस्य |
| सचिव, विधि/न्यायिक | - | सदस्य |
| सचिव, श्रम तथा नियोजन | - | सदस्य |
| सचिव, कुटीर एवं लघु उद्योग | - | सदस्य |
| सचिव, तकनीकी शिक्षा | - | सदस्य |
| सचिव, उद्योग | - | सदस्य |
| सचिव, वित्त | - | सदस्य |
| पुलिस महानिदेशक | - | सदस्य |
| यूनीसेफ का प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| एक उद्योगपति | - | सदस्य |
| एक पत्रकार | - | सदस्य |
| प्रेस परिषद् का एक प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| दो सामाजिक कार्यकर्ता/स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| आयुक्त/संचालक, समाज कल्याण | - | सदस्य/सचिव |

(2) सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित मामलों में राज्य सरकार को सलाह दे सकेगा अर्थात् :-

(क) विभिन्न शासकीय तथा समुदाय कल्याण पर आधारित अभिकरणों के माध्यम से किशोर न्याय सेवाओं का विकास।

(ख) दोनों प्रवर्गों के बालकों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दृष्टि से मानवीय तथा भौतिक साधन गतिशील करने के उपाए तथा साधन।

(ग) किशोर न्याय पद्धति के विस्तार में आने वाले विभिन्न प्रवर्गों के किशोरों के लिए शैक्षणिक, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा पुनर्वास की सुविधाओं का विकास।

(घ) विधि की प्रक्रियागत माध्यम से किशोरों की समस्याओं को निपटाते समय बाल विकास के विभिन्न सेक्टरों के बीच समन्वय स्थापित करना।

(3) राज्य द्वारा संचालक/आयुक्त, समाज कल्याण विभाग की सिफारिश पर सलाहकार बोर्ड के अशासकीय सदस्यों को नाम निर्देशित किया जाएगा। अशासकीय सदस्य नामांकन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा पुनर्नामांकन के लिए पात्र होंगे। राज्य सरकार द्वारा युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अशासकीय सदस्यों की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। अशासकीय सदस्यों में आकस्मिक रिक्ति को किसी अन्य अशासकीय सदस्य की नियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी, जो इस शर्त पर पद धारण करेगा, कि वह व्यक्ति, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया हो, रिक्त न होने की स्थिति में पद धारण करता। सलाहकार बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा अधिकथित की जाएगी।

**89 जिला स्तरीय सलाहकार बोर्ड :-**

राज्य सरकार एक जिला सलाहकार बोर्ड की गठन करेगी जो अधिनियम के प्रभावी रूप से क्रियान्वन हेतु कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के निरीक्षण के कर्तव्य का भी पालन करेगा। जिला सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | कलेक्टर | - | अध्यक्ष |
| 2. | पुलिस अधीक्षक | - | सदस्य |
| 3. | जिला पंचायत का प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 4. | मुख्य चिकित्सा अधिकारी | - | सदस्य |
| 5. | उप संचालक, शिक्षा | - | सदस्य |
| 6. | सचिव, रेडक्रास | - | सदस्य |
| 7. | अध्यक्ष रोटरी/लायंस क्लब | - | सदस्य |
| 8. | दो सामाजिक कार्यकर्ता | - | सदस्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | नेबरहुड कमेटी के दो सदस्य | - | सदस्य |
| 10. | व्यापारी | - | सदस्य |
| 11. | दो दानदाता | - | सदस्य |
| 12. | उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण | - | सदस्य/सचिव |
| 13. | संबंधित गृह का अधीक्षक | - | सदस्य |

**(2) उद्देश्य -**

जिला सलाहकार बोर्ड, जिले में किशोर न्याय के प्रशासन से संबंधित क्रियाकलापों की निम्नलिखित दिशा में समीक्षा करेगा -

(क) अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित संस्थाओं के प्रशासन एवं क्रियाकलापों की समीक्षा करना।

(ख) अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित संस्थाओं का निरीक्षण करना तथा संचालक/आयुक्त, समाज कल्याण विभाग को उसकी रिपोर्ट भेजना।

(ग) गृहों के उन्नयन एवं विकास हेतु उपयुक्त कार्यक्रम प्रस्तावित करना।

(घ) जिले में परिवीक्षा कार्यों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त सुझाव देना।

(ङ) समाज में अंतःवासियों के पुनर्वास कार्यक्रम को सहयोग देना।

(च) अंतःवासियों के समस्त विकास एवं पुनर्वास हेतु आर्थिक सहायता करना।

(छ) अंतःवासियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिये समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न अभिकरणों के मध्य समन्वय तथा सहयोग स्थापित करने के लिए वातावरण निर्मित करना।

(ज) अधिनियम के अधीन संस्थाओं के सेटअप में सुनिश्चित न्यूनतम मानकों की समीक्षा करना।

(झ) असंस्थागत सेवाएं जैसे- परिवीक्षा, पोषण देखरेख दत्तक ग्रहण, प्रवर्तकता कार्यक्रम आदि की समीक्षा करना।

(ञ) विभिन्न विभागों, समुदाय आधारित कार्यक्रमों आदि के बीच सम्पूर्ण समन्वय तथा उनके प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त सुझाव देना।

(ट) संस्थागत एवं असंस्थागत सेवाओं में प्रभावीरूप से सुधार करने हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तावित करना।

**(3) अशासकीय सदस्यों का नाम निर्देशन -**

(क) जिला सलाहकार बोर्ड के अशासकीय सदस्यों का नामनिर्देशन संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

(ख) अशासकीय सदस्यों के कार्यकाल की कालावधि तीन वर्ष होगी। कलेक्टर द्वारा अशासकीय सदस्यों को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् पदच्युत किया जा सकेगा।

**(4) बैठक -** जिला सलाहकार बोर्ड की बैठक तीन माह में एक बार होगी।

## अध्याय-ग्यारह
## प्रकीर्ण

**90. किशोर न्याय निधि -** (1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन बालकों के कल्याण तथा पुनर्वास के लिए राज्य सरकार, अधिनियम की धारा 61 के अधीन राज्य स्तर पर स्वैच्छिक दान के अलावा एक निधि सृजित करेगी जो "किशोर न्याय निधि" (जो इस नियम में इसके पश्चात् निधि के रूप में निर्दिष्ट होगी) के नाम से जानी जाएगी।

**(2) निधि का उपयोग -**

(क) बालकों के अधिकारों को सुरक्षित करने वाले तथा बालकों के कल्याण तथा पुनर्वास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने।

(ख) गैर सरकारी संगठनों का सहायता अनुदान का संदाय करने।

(ग) राज्य सलाहकार बोर्ड तथा उसके प्रयोजनों के व्ययों को पूरा करने।

(घ) उपरोक्त प्रयोजनों के लिए तथा समस्त अन्य आनुषंगिक तथा प्रशासन किया जाएगा।

(3) राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा निधि का प्रबंधन तथा प्रशासन किया जाएगा।

(4) निधि की आस्तियों में किसी व्यक्ति का संगठन से स्वैच्छिक दान के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य विधिक या अविधिक निकायों से आवर्ती समस्त अनुदान और अभिदान सम्मिलित होंगे।

(5) यथास्थिति मांग पत्र या धनादेश द्वारा राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रत्याहरण किये जायेंगे, रु. 10,000/- (रुपये दस हजार) से अनधिक की राशि के मामले में सचिव द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किये जाएंगे तथा 10,000/- से अधिक की राशि के मामले में सचिव तथा राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित प्रबंध बोर्ड के सदस्य के सम्यक् रूप से हस्ताक्षर से किये जाएंगे।

(6) समस्त धन तथा सम्पत्तियों तथा निधि के सम्पूर्ण आय और व्यय के नियमित लेखे रखे जाएंगे। उन्हें चार्टर्ड एकाउन्टेंट की किसी अधिसूचित फर्म या बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी अन्य मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट से संपरीक्षित कराया जाएगा। संपरीक्षक यह भी प्रमाणित करेगा कि निधि से लिये गये व्यय सचिव द्वारा रखे जाएंगे। समस्त संविदाएं और अन्य आश्वासन प्रबंध बोर्ड के नाम से होंगे और उनकी ओर से सचिव द्वारा तथा प्रयोजनों के लए प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्राधिकृत एक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

(7) प्रबंध बोर्ड अपने एक या एक से अधिक सदस्यों को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा जो बोर्ड के मत में मात्र एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था है।

**91 लंबित मामले-** (1) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को अधिनियम और तदाधीन बनाये गए नियमों के फायदे से वंचित नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे सभी लंबित मामलों पर जो पूरे नहीं हुए हैं, अधिनियम और तदाधीन बनाये गये नियमों के निबंधनों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी और उन्हें निपटाया जायेगा।

(3) विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को उपनियम (1) के अधीन फायदे दिये जायेंगे और यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे फायदे न केवल ऐसे आरोपी को दिये जायेंगे जो अपराध किये जाने के समय बालक हो। अपितु ऐसे आरोपी को भी दिये जायेंगे जो किसी जांच या प्रकरण के लंबित रहने के दौरान बालक नहीं रह गए हैं।

(4) विधि उल्लंघन करने वाले किसी बालक के निरोध या वास की अवधि कर संगणना के लिए सभी अवधियों, जो बालक ने अभिरक्षा, निरोध या वास में बिताई है, सक्षम प्राधिकारी के अंतिम आदेश में अन्तर्विष्ट वास या निरोध की अवधि के भाग के रूप में संगणित की जाएगी।

**92. अभिलेखों/दस्तावेजों का निपटारा -** -बालकों के संबंध में अभिलेखों/दस्तावेजों को 7 वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए और तत्पश्चात् किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के आदेश द्वारा इसे नष्ट किया जा सकेगा।

**93. डाटा-बेस -** (1) संस्था बाल कल्याण समिति तथा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा संधारित प्रकरण नस्ती कम्प्यूटरीकृत तथा नेटवर्किंग होना चाहिए जिससे डाटा एकत्रित रूप से उपलब्ध हो सके।

(2) मिसिंग चिल्ड्रन ब्यूरो के माध्यम से लापता या खोये हुए बालकों से संबंधित डाटा विशेष रूप से कम्प्यूटरीकृत तथा स्थानीय एवं केन्द्रीय रूप से नेटवर्क होंगे, जो उनको पहचानने वाली मौलिक जानकारी के साथ बालकों के फोटोग्राफ की बारीक जांच को सुकर बनाएंगे। लापता बालकों से संबंधित समस्त डाटा यथासंभव विस्तृत रूप से प्रसारित किये जाएंगे।

(3) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समस्त मान्यता प्राप्त बाल गृहों तथा उपयुक्त संस्थाओं तथा डाटा पर आधारित अन्य संगठनों स्वयं सेवी परिवीक्षा अधिकारियों, अन्य सहयोगी सेवाओं के नाम तथा पते नियमित रूप से एवं अद्यतन रखे जाएंगे। अधिनियम की धारा 34 के अधीन यथा विहित की गई आयु तथा लिंग से संबंधित उपयुक्त सुविधाओं को भी सूची में वर्णित किया जाएगा।

**94. निरसन तथा व्यावृत्ति -**

इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पश्चात् मध्यप्रदेश किशोर न्याय नियम, 1988 निरसित हो जाएंगे :-

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के उपबंधों के अधीन की गई कोई कार्यवाई या किये गये कोई आदेश इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या किये गये समझे जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमृता बेक,** उपसचिव.

## प्ररूप-एक

(नियम 10 का उप नियम (10) तथा नियम 20 का उपनियम (2) देखिए)

## सामाजिक जांच रिपोर्ट के लिए आदेश

प्रति,

परिवीक्षा अधिकारी/स्वयं सेवी संगठन का भारसाधक व्यक्ति/
सामाजिक कार्यकर्ता/केस वर्कर

(1) यतः ........................... पुत्र/पुत्री (बालक का नाम) श्री ........................... निवासी ........................... के संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा ........................... के अधीन श्री ........................... से रिपोर्ट या शिकायत प्राप्त हुई है।

(2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा ........................... के अधीन श्री ........................... पुत्र/पुत्री श्री ........................... निवासी ........................... को मैंने बोर्ड/समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

आपको एतद्द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि आप उक्त बालक के चरित्र और सामाजिक पूर्ववृत की जांच करें और अपनी सामाजिक जांच रिपोर्ट ........................... को या इसमें पूर्व या ऐसे समय के भीतर जिसे बोर्ड/समिति द्वारा आपको अनुज्ञात किया गया है, प्रस्तुत करें।

सन् 20. ........................... के मास ........................... की तारीख ...........................

(हस्ताक्षर)
मुद्रा
प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड
अध्यक्ष, बालक कल्याण समिति

## प्ररूप-दो

(नियम 10 का उप नियम (13) देखिए)

## पर्यवेक्षण आदेश

जब बालक किसी माता-पिता, संरक्षण या अन्य उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखा गया हो

प्रोफाइल संख्या ........................ तारीख ........................ 2000

यतः (बालक का नाम) ने आज अपराध किया है और उसे श्री (नाम) ........................ पता ........................ की देखरेख के अधीन उक्त श्री ........................ द्वारा बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर रखा गया है और बोर्ड का यह समाधान हो गया है कि यह समीचीन हो गया है कि उक्त बालक के पर्यवेक्षण के अधीन उसे रखे जाने का आदेश करके कार्यवाही की जाये। एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि बालकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए ........................ अवधि के लिए ........................ परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर के पर्यवेक्षण के अधीन रखा जाए -

1. यह कि आदेश की प्रतियों के साथ उक्त श्री ........................ द्वारा निष्पादित बंधपत्र सहित बालक को उसमें नामित श्री ........................ परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर के समक्ष पेश किया जायेगा।

2. यह कि बालक को परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

3. यह कि बालक ........................ तक की अवधि के लिए ........................ में निवास करेगा।

4. यह कि बालक को परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर की अनुज्ञा के बिना ........................ जिले की अधिकारिता छोड़ने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

5. यह कि बालक को किसी दुश्चरित्रवान व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

6. यह कि बालक ईमानदारीपूर्वक और शान्तिपूर्ण रहेगा और नियमित रूप से स्कूल जाएगा, ईमानदारी से अपनी आजीविका अर्जित करने का प्रयास करेगा।

7. यह कि बालक उपस्थिति केन्द्र में नियमित रूप से उपस्थित रहेगा।

8. यह कि ऐसा व्यक्ति जिसकी देखरेख में बालक को रखा जाता है कि समुचित देखरेख शिक्षा और कल्याण के लिए व्यवस्था करेगा।

9. ऐसे व्यक्ति निवारक उपाय किए जाएंगे जिसकी देखरेख के अधीन बालक को यह देखने के लिए रखा जाता है कि बालक भारत में प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दण्डनीय कोई अपराध नहीं करता है।

10. बालक को स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या किसी अन्य मादक द्रव्य लेने से रोका जाएगा।

11. ऊपर उल्लिखित शर्तों के सम्यक् पालन के लिये समय-समय पर परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर द्वारा दिए गए निदेशों का निष्पादन किया जाएगा।

मास ........................ तारीख ........................ 200

(हस्ताक्षर)

मुद्रा

प्रधान मजिस्ट्रेट/ किशोर न्याय बोर्ड
अध्यक्ष, बालक कल्याण समिति

" अतिरिक्त शर्तें यदि कोई है, किशोर न्यायबोर्ड/बालक कल्याण समिति द्वारा भरी जाए।"

**प्ररूप-तीन**

(नियम 10 का उप नियम (15) तथा नियम 20 का उपनियम (10) देखिए)

**निरोध आदेश**

धारा ........................ की उपधारा ........................ धारा ........................

की उपधारा ........................ तथा धारा ........................

की उपधारा ........................

प्रति,

भारसाधक अधिकारी/परियोजना प्रबंधक

यतः दिनांक ........................ सन् 20 ........................ को (बालक का नाम) ........................ पुत्र/पुत्री श्री ........................ आयु ........................ निवासी ........................ प्रोफाइल संख्या ........................ में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा ........................ के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाला बालक/ देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालक पाये जाने पर धारा ........................ के अधीन मेरे द्वारा ........................ प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष, बालक कल्याण समिति, विशेष गृह/बाल गृह आश्रयगृह ........................, में ........................ कालावधि के लिए रखे जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आपको यह प्राधिकार दिया जाता है और अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त बालक को अपनी देखरेख में लेंगे और विधि के अनुसार पूर्वोक्त आदेश को निष्पादित किए जाने के लिए ........................ विशेषगृह/बालगृह/आश्रयगृह में उसे रखेंगे।

मेरे हस्ताक्षर से और किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

मास ........................ तारीख ........................ 2000

मुद्रा

(हस्ताक्षर)
प्रधान मजिस्ट्रेट/किशोर न्याय बोर्ड
अध्यक्ष , बालक कल्याण समिति।

संलग्न - निर्णय/आदेशों, यदि कोई हो, गृह और पूर्ववर्ती अभिलेख की विशिष्टयों की प्रति,
जो अपेक्षित न हो उसे काट दें।
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अधीन पूर्ववृत्त।
तारीख ........................ पारित आदेश, जिसमें निरोध धारा की अवधि, यदि कोई है, सम्मिलित है।

सक्षम अधिकारी

## प्ररूप-चार

(नियम 10 का उपनियम (14) तथा नियम 20 का उपनियम (11) देखिए)

धारा 15 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) /धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे किसी माता पिता/संरक्षक/नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति, जिसकी देखरेख में बालक को रखा जाता है, के द्वारा निष्पादित किए जाने वाला बंधपत्र ।

यतः मैं .......................... माता पिता/संरक्षक/नातेदार या उपयुक्त व्यक्ति होने के नाते (जिसकी देखरेख में ..........................) (बालक का नाम) को किशोर न्याय बोर्ड/बालक कल्याण समिति .......................... द्वारा रखे जाने के लिए आदेश किया है उक्त किशोर न्याय बोर्ड/बालक कल्याण समिति द्वारा एक प्रतिभूति/दो प्रतिभूति सहित .......................... रू. .......................... की राशि का बंधपत्र निष्पादित करने करा निदेश दिया गया है । मैं उक्त श्री .......................... को अपनी देखरेख के अधीन रखने के लिए आबद्ध करता हूं और मैं उक्त श्री .......................... के सद्व्यवहार के लिए स्वयं को जिम्मेदार होने के लिए और आबद्ध कर रहा हूं तथा .......................... आरंभ होने वाले .......................... वर्षो की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करने के लिए आबद्ध हूं ।

(1) यह कि मैं, परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड/बालक कल्याण समिति को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना अपने निवास का स्थान नहीं बदलूंगा ।

(2) यह कि मैं, बोर्ड/समिति की लिखित में पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना किशोर न्याय बोर्ड/बालक कल्याण समिति की अधिकारिता क्षेत्र की सीमाओं से उक्त श्री .......................... (बालक का नाम) को नही हटाऊंगा ।

(3) यह कि मैं, उक्त श्री ..................(बालक का नाम) को प्रतिदिन स्कूल/प्रतिदिन ऐसे कार्य, जो समिति द्वारा अनुमोदित किए जाए, के लिए तब तक भेजूंगा जब तक ऐसा करने से मेरे नियंत्रण से परे परिस्थितियां मुझे न रोकें ।

(4) यह कि मैं, उक्त श्री ..........................(बालक का नाम) को उपस्थिति केन्द्र नियमित रूप से तब तक भेजता रहूंगा जब तक ऐसा करने से मेरे नियंत्रण से परे परिस्थितियां मुझे न रोकें ।

(5) मैं बोर्ड/समिति को, जब कभी उसके द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, तत्काल रिपोर्ट करूंगा ।

(6) यह कि मैं उक्त श्री ..........................(बालक का नाम) के दुर्व्यवहारों या मेरी देखरेख से फरार होने पर पेश करूंगा ।

(7) यह कि मैं, परिवीक्षा अधिकारी, केस वर्कर की आवश्यक सहायता करूंगा जिससे कि वह पर्यवेक्षण के कर्त्तव्यों को पालन करने में समर्थ हो सके ।

(8) इसमें मेरे द्वारा कोई व्यक्ति कम किए जाने की दशा में मैं स्वयं को रु. .......................... की राशि सरकार को समपहृत करने के लिए आबद्ध करता हूं ।

मास .................. तारीख ...................... 2000

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित किया गया बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा अतिरिक्त शर्तें, यदि कोई हों, समुचित रूप से संख्यांकित करके प्रविष्टि की जाए ।( जहां प्रतिभूतियों के साथ कोई बंधपत्र निष्पादित किया जाना है जोड़े).

मैं/हम .......................... निवासी .......................... (पूर्ण विशिष्टियां सहित निवास स्थान) .......................... पूर्वोक्त श्री .......................... (बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम) .......................... के लिए मेरी स्वयं की प्रतिभूति/हमारी स्वयं की प्रतिभूतियों की घोषणा करते हैं और पालन करते हैं तथा उसमें उसका व्यतिक्रम किए जाने के मामले में मैं/हम .......................... श्री .......................... की उपस्थिति में आज तारीख .......................... 20 को ..........................रू. की राशि सरकार को समपहृत करने के लिए संयुक्तः या पृथकतः स्वयं का आबद्ध करते है ।

(हस्ताक्षरित)

**प्ररूप-सात**

(नियम 61 का उपनियम (1) एवं (3) देखिए)

मैं .......................... अवकाश देने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम .......................... राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, इस आदेश द्वारा .......................... पुत्र/पुत्री .......................... को निवासी .......................... संख्या .......................... जिले किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा .......................... के अधीन तारीख .......................... को .......................... अवधि के लिए किसी संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, बालगृह आश्रय गृह, पश्चात्वर्ती देखरेख गृह में निरुद्ध करने का आदेश दिया गया था और और जो अब .......................... गृह में है, उक्त श्री .......................... से इस शर्त पर कि वह निरोध की पूर्वोक्त अवधि में से बची अवधि के दौरान .......................... के पर्यवेक्षण और प्राधिकार के अधीन रखा जायेगा/रखी जायेगी, अवकाश पर रहने की अनुज्ञा देता हूं।

यह आदेश उस पर पृष्ठांकित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए दिया गया है, इन से किसी को भंग किए जाने पर यह प्रतिसंहृत किए जाने का दायी होगा।

अवकाश /आदेश देने वाले वाले सक्षम प्राधिकारी के
हस्ताक्षर और पदनाम

तारीख :
स्थान :

**शर्तें -**

(1) अनुपस्थित व्यक्ति .......................... जायेगा और उसकी निरोध अवधि के अवसान तक, जब तक कि माफी पहले रद्द न कर दी जाये, .......................... पर्यवेक्षण और प्राधिकार के अधीन रहेगा।

(2) वह .......................... की सहमति के बिना उस स्थान को या ऐसे अन्य स्थान को, जिसे उक्त श्री .......................... द्वारा नामित किया जाये, नहीं छोड़ेगा/छोड़ेगी।

(3) वह ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा/करेगी जो उसे उक्त श्री .......................... द्वारा नियोजन में समयपूर्वक और नियमित उपस्थिति के संबंध या अन्य रूप में प्राप्त हो।

(4) वह .......................... में उपस्थित केन्द्र में नियमित रूप से उपस्थित होगा/होगी।

(5) वह कोई अपराध करने से प्रविरत रहेगा/रहेगी और .......................... के समाधानप्रद रूप में एक मर्यादित और परिश्रमी जीवन व्यतीत करेगा/करेगी।

(6) उसके द्वारा ऊपर दी गई शर्तों में से किसी को भंग किए जाने पर उसे निरोध की अवधि में मंजूरप की गई माफी रद्द किए जाने की दायी होगी और ऐसा रद्दकरण किए जाने पर, उस पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 59 की उपधारा (3) के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

मैं यह अभिस्वीकार करता हूं कि मुझे ऊपर दी गई शर्तों की, जो मेरे सामने पढ़ी गई और मुझे समझा दी गई है, जानकारी है और यह कि मैं उन्हें स्वीकार करता हूं।

मुक्त व्यक्ति के
हस्ताक्षर या चिन्ह

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें .......................... (नाम) के समक्ष पढ़ी गई है को समझा दी गई है और उसने उन्हें ऐसी शर्तों के रूप में स्वीकार कर लिया है, जिन पर उसके निरोध की अवधि में माफी मंजूर की गई है और उसे तदानुसार तारीख .......................... को मुक्त कर दिया गया है।

प्रमाणन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
और पदनाम
(अर्थात् संस्था का भारसाधक अधिकारी)

## प्ररूप-पांच

### (नियम 62 का उपनियम (3) देखिए)

ऐसे बालक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाला बंधपत्र, जिसे आदेश दिया गया है।

अतः मैं .......................... निवासी .......................... (पूर्ण विशिष्टियां दें जैसे मकान क्र. .......................... मार्ग, ग्राम/शहर, तहसील, जिला, राज्य ..........................) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2000 की धारा .......................... के नियम .......................... के उप नियम .......................... के अधीन बंधपत्र निष्पादित करने पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा .......................... के अधीन किशोर न्याय बोर्ड/बालक कल्याण समिति .......................... द्वारा इसमें नीचे उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए मेरे मूलस्थान को वापस भेजने के लिए आदेश किया गया है। अतः अब, मैं .......................... अवधि के दौरान इन शर्तों का सत्यनिष्ठा से पालन करने का वचन देता हूं।

मैं, एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप से स्वयं को आबद्ध करता हूं -

(1) यह कि .......................... कालावधि के दौरान मैं उस ग्राम/शहर/जिला जहां मुझे भेजा जाता है, को साधारणतया नहीं छोड़ूंगा और मैं बोर्ड/समिति की पूर्व अनुज्ञा के बिना साधारणतया .......................... को वापस या उक्त जिले से बाहर भी कहीं नहीं जाऊंगा।

(2) यह कि उक्त अवधि के दौरान मैं उस ग्राम/शहर या उक्त जिले में, जहां मुझे भेजा जाता है, उसमें कार्य/स्कूल में उपस्थित रहूंगा।

(3) यह कि उक्त जिले में किसी अन्य स्थान पर मेरे द्वारा किसी कार्य/स्कूल में उपस्थित होने के मामले में बोर्ड/समिति को अपने सामान्य निवास स्थान के बारे में सूचित करूंगा।

हस्ताक्षर
(बालक का नाम)

## प्ररूप-छः

### (नियम 62 का उपनियम (3) देखिए)

मैं .......................... निवासी .......................... (संपूर्ण विशिष्टियां दें जैसे मकान क्रमांक, मार्ग, ग्राम/शहर, तहसील, जिला राज्य .......................... यह घोषणा करता हूं कि मैं निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के आदेश के अधीन .......................... आयु के ..........................(बालक का नाम) को भारसाधन लेने के लिए रजामंद हूं।

(1) यदि उसका आचरण असंतोषजनक है तो मैं तुरंत ''सक्षम प्राधिकारी'' को सूचित करूंगा।

(2) मैं उक्त श्री ..........................(बालक का नाम) के, जब तक वह मेरे भारसाधन में रहता/रहती है कल्याण और शिक्षा के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करूंगा और उसके पोषण के लिए समुचित प्रबंध करूंगा।

(3) उसके बीमार होने की दशा में उसे निकटतम अस्पताल में समुचित चिकित्सीय परिचर्या उपलब्ध कराई जायेगी।

(4) मैं वचन देता हूं कि जब कभी अपेक्षित होगा उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

मास .......................... तारीख .......................... 200

हस्ताक्षर

साक्षी (साक्षियों) के हस्ताक्षर
और पता (पते)

## प्ररूप-आठ

(नियम 10 का उपनियम (19) देखिए)

## जुर्माने का आदेश

मामला क्रमांक ........................... 20 तारीख ...........................

यतः ........................... (बालक/किशोर का नाम) निवासी ........................... (पूरा पता जैसे घर क्रमांक, सड़क, ग्राम/नगर, जिला आदि दीजिये) ........................... धारा ........................... के अधीन अपराध के लिये दोषी पाया गया तथा ........................... रुपये ........................... का जुर्माना देने के लिये उसे आदेशित किया गया है और किशोर न्याय बोर्ड का यह समाधान हो गया है कि उक्त किशोर के संबंध में यह समीचीन है कि उसे पर्यवेक्षण के अधीन रखने का आदेश हेतु कार्यवाही की जाए।

अतः एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि उक्त बालक को ........................... कालावधि के लिये श्री ........................... के पर्यवेक्षण में रखा जाए और वह निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा, अर्थात् -

(1) यह कि वह आदेश की तारीख से चौदह दिन के भीतर स्वयं को इसमें नामित परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, और आदेश की प्रति, पेश करेगा ।

(2) यह कि वह स्वयं को परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(3) यह कि इसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान अपने निवास स्थान और जीविका के साधन/कार्य स्थल/शिक्षा के स्थान और शिक्षा में हुई प्रगति के बारे में परिवीक्षा अधिकारी को जानकारी देता रहेगा ।

(4) यह कि वह उपस्थिति केन्द्र पर नियमित रूप से उपस्थित होगा ।

(5) यह कि वह लम्पट जीवन बिताने के लिए दुश्चरित्र व्यक्तियों का सहयोगी नहीं रहेगा ।

(6) यह कि वह ईमानदारी तथा शांति से रहेगा और नियमित रूप से स्कूल जायेगा/ईमानदारी से जीविकोपार्जन करने का प्रयास करेगा ।

(7) यह कि वह ऐसा कोई भी अपराध नहीं करेगा, जो भारत में प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा दण्डनीय हो ।

(8) यह कि वह मादक पदार्थों से प्रविरत रहेगा, और

(9) यह कि वह ऐसे निदेशों को कार्यान्वित करेगा जो कि परिवीक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर ऊपर उल्लिखित शर्तों के सम्यक् पालन के लिए दिए जायें ।

मास ........................... तारीख ........................... 200

हस्ताक्षर
प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड

(*) किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अतिरिक्त शर्त, यदि कोई हो, अंतः स्थापित की जा सकेगी, यदि आवश्यक हो पुनः क्रमांकित किया जाए यदि आवश्यक हो ।

## प्ररूप-नौ

(नियम 9 का उपनियम (12) देखिए)

### परिवीक्षा अधिकारी को बालक की गिरफ्तारी की सूचना

बालक का नाम ....................................................

आयु ....................................................

पुत्र/पुत्री/श्री ....................................................

निवासी ....................................................

किसकी देखरेख में ....................................................

गिरफ्तारी का दिनांक एवं समय ....................................................

गिरफ्तारी का स्थान ....................................................

वह धारा जिसके अधीन गिरफ्तार किया गया है ....................................................

मामले की संक्षिप्त जानकारी ....................................................

क्या संप्रेक्षण गृह में रखा गया है ....................................................

यदि हां तो उस संप्रेक्षण गृह का नाम ....................................................

तारीख ..........................

हस्ताक्षर<br>
भारसाधक अधिकारी<br>
पुलिस थाना

## प्ररूप-दस

(नियम 9 का उपनियम (13) देखिए)

### बालक की गिरफ्तारी की उसके माता-पिता या संरक्षक को सूचना

यतः बालकका नाम .......................... पुत्र/पुत्री .......................... आयु .......................... निवासी .......................... को धारा .......................... के अधीन गिरफ्तारी किया गया है तथा उसको संप्रेक्षण गृह .......................... में रखा गया है, को किशोर न्याय बोर्ड .......................... के समक्ष तारीख.......................... को प्रस्तुत किया जाएगा ।

.......................... माता-पिता/संरक्षक का नाम

निवासी .......................... को एतद्‌द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे किशोर न्याय बोर्ड .......................... में दिनांक .......................... समय .......................... उपस्थित हों ।

तारीख .......................... 20

हस्ताक्षर<br>
प्रभारी अधिकारी<br>
पुलिस थाना

**प्ररूप-ग्यारह**

(नियम 72 का उपनियम (1) देखिए)

## सामाजिक जांच रिपोर्ट

अनुक्रमांक ............................
किशोर न्याय बोर्ड/बालक कल्याण समिति ..........................
(पता) को प्रस्तुत कियागया ।

**परिचयात्मक जानकारी**

प्रोफाइल क्रमांक — परिवीक्षा विभाग

प्रोफाइल शीर्षक — फाइल क्रमांक

पुलिस थाना — धारा के अधीन

प्रस्तुकर्ता अभिकर्ता का ब्यौरा

व्यक्ति/अभिकरण का नाम जिसने बालक को प्राप्त, संपर्क या अभिरक्षा में लिया ।

पता

फोन/फैक्स/ई-मेल

**बालक के विधि की व्याप्ति के अंतर्गत आने का कारण**

यदि बालक विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित है तो किस धारा के अधीन, यदि बालक को देखरेख एवं संरक्षण को आवश्यकता है, तो बालक किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है -

गुमशुदा/खोया हुआ बालक

निराश्रित/परित्यक्त बालक

भागा हुआ बालक

मानसिक रूप से अशक्त बालक

अन्य

बालक के जन्म-मृत्यु से संबंधित डाटा

नाम — लिंग — धर्म

आयु — शिक्षा — व्यवसाय

स्थायी पता एवं संपूर्ण संपर्क जानकारी

विधि की व्याप्ति में आने से पहले अंतिम पता

बालक के वर्तमान निवास स्थान के समीपस्थ तीन पहचान चिन्ह

**पारिवारिक संरचना**

| पारिवारिक सदस्य | नाम | आयु | व्यवसाय/मज़दूरी | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|
| ब्यौर | | | स्कूल | जैसे कि |
| स्वास्थ्य | | | | |
| पिता/सौतेला पिता | | | | |
| माता/सौतेली माता | | | | |
| सिबलिंग्स | | | | |
| अन्य रिश्तेदार | | | | |

**प्रथम सम्पर्क डाटा**

(मिलने के समय, किसी निरीक्षण के पूर्व या विस्तृत जांच के समय संगहित किए गए डाटा) उस स्थान के, जहां बालक पाया गया था, समीपस्थ कम से कम तीन भूमि चिन्ह।

वह दशा जिसमें बालक प्राप्त किया गया।

निम्नलिखित के बारे में विशिष्ट टिप्पणी सहित -

आपातकाल ..........................कोई गंभीर क्षति/दुर्व्यवहार जिसमें देखरेख आवश्यक हो।

ऐसे क्रियाकलापों का विवरण जिसमें बालक सम्पर्क करते समय संलग्न था यदि सुसंगत हो, जैसे भीख मांगना, घूमना आदि।

**वेशभूषा -** तत्समय पहने गये कपड़े का रंग एवं प्रकार, कपड़ों की स्थिति आदि।

**शारीरिक स्थिति -** स्वस्थवृत्त, सामान्य स्वास्थ्य, भूख, चोटें अन्य कोई दृष्टिगत अशक्तता आदि।

**भावनात्मक स्थिति -** क्या बालक निरूद्ध था, गुमसुम था, सहायता चाह रहा था, क्या वह जानकारी सुगमता से दे रहा था आदि। किसी विशिष्ट दवाव जिसमें बालक लगातार था और उसके बारे में बालक द्वारा कारण दिया गया था।

रिश्तेदारों/प्रमुख व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम एवं विवरण जो बालक को जानते हों, जो बालक के संबंध में अन्य कोई जानकारी दे सकते हों।

बालक द्वारा किसी व्यक्तिगत सामान के ब्यौरे जिसे बालक स्वयं या उस समय पर कोई व्यक्ति प्रगट करने के लिये जो कि उस समय उसकी पृष्ठभूमि या परिस्थिति की और जानकारी उपलब्ध करा सके।

- बालक द्वारा बतलाये गये वर्तमान परिस्थिति के लिए कारण
- दवाव के कारण (बालक को घर क्यों छोड़ना पड़ा जैसे कि उसके द्वारा घर/पूर्व निवास में दुर्व्यवहार/हिंसा की शिकायत की गई हैं)

- आकर्षित होने के कारण अर्थात् (किन बाहरी प्रभावों के कारण बालक ने घर छोड़ा)
- माता-पिता/परिवार के प्रति रूख जैसा कि बालक द्वारा अभिव्यक्त किया गया हो (डर, स्नेह, या वापस घर जाना चाहता है या कोई वैकल्पिक आश्रय चाहता है)

**गृह संबंधी रिपोर्ट -**

घर का विवरण एवं जीवन में जीने की स्थिति

घर का प्रथम प्रभाव

निवास स्थान की स्थिति (कच्चा, पक्का कक्षों की संख्या, खड़ंजा-वासगृह क्षेत्र आदि)

वर्तमान में रहने की स्थिति

आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी

परिवार एवं पारिवारिक सदस्यों की क्रियाशीलता

भावनात्मक कारक

शारीरिक स्थिति

सामाजिक कारक

आर्थिक कारक

धार्मिक कारक

पारिवारिक सदस्यों के मध्य संबंध

माता-पिता के मध्य संबंध (बालक एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों के अनुसार)

माता-पिता एवं बच्चों के मध्य संबंध (बालक एवं पारिवारिक सदस्यों के अनुसार)

जांच अन्तर्गत बच्चे के साथ संबंध (बालक एवं अन्य पारिवारिक सदस्यों के अनुसार)

पैतृक कौशल एवं व्यवसाय

माता-पिता का घर में अनुशासन के प्रति रूख एवं बालक को प्रतिक्रिया

क्या बालक या परिवार के अन्य सदस्यों के विरूद्ध हिंसा या दुर्व्यवहार किया गया है (बालक तथा अन्य परिवार के सदस्यों के अनुसार)

**बालक का वृतान्त -**

शारीरिक दशा-कोई गंभीर बीमारी आदि

चिकित्सीय वृतान्त/मानसिक बीमारी/एम.आर.बालक के मित्र/साथी तथा उनके बारे में महत्वपूर्ण ब्यौरे

आदतें, रूचि (नैतिक आमोद-प्रमोद संबंधी आदि) बालक की शिक्षा/विद्यालय में रूचि जैसी कि उसके द्वारा अभिव्यक्त की जाए,

विद्यालय (विद्यालय, शिक्षक तथा सहपाठियों के प्रति व्यवहार तथा विपर्यवेन)

कार्य अभिलेख (धारित काम, छोड़ने का कारण यदि कोई हो)

व्यावसायिक रुचि (काम या कर्मचारियों के प्रति व्यवहार) प्रमुख लक्षण

**विधि की व्याप्ति के अधीन आने का कारण**

यदि बालक को देखरेख व संरक्षण देना आवश्यक समझा गया है तो उसकी वर्तमान परिस्थितियों के लिये बालक द्वारा क्या कारण दिये गये हैं ?

यदि बालक विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित है तो बालक द्वारा किये गये अभिकथित अपराधों के लिये क्या कारण दिए गए हैं।

किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति की उसके बारे में राय (माता-पिता/संरक्षण सामाजिक कार्यकर्ता/पड़ौसी आदि जो बालक को जानते हों) उस व्यक्ति द्वारा दिये गये कारण जो बालक से पहले मिला/प्राप्त किया/हिरासत में लिया।

उस दशा में जब बालक विस्थापित/दुर्घटना/संघर्ष से प्रभावित हुआ हो, सामाजिक उत्पत्ति का स्थान जांच रिपोर्ट में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी सम्मिलित होगी -

परिवार में पृथक होने का स्थान

उत्पत्ति के स्थान पर स्थिति तथा विस्थापन के लिए कारण

छत्तीसगढ़ में आने का कारण विशेषरूप से जब बालक अन्य राज्य से आया हो

छत्तीसगढ़ में ठहरने की अवधि

परिवार का कोई अन्य सदस्य बालक के साथ विस्थापित हुआ है

अन्य संस्थाएं, कैम्प में रहने (छत्तीसगढ़ में तथा छत्तीसगढ़ के बाहर)

वयस्क जो बालक के साथ छत्तीसगढ़ में रहा हो, यदि वह अधिनियम के अधीन किसी संस्था में स्थानांतरित नहीं हुआ है

उस वयस्क के साथ बालक का संबंध

प्रारंभिक केस वर्कर द्वारा बालक की आवश्यकताओं का यथा निर्धारण तथा अन्य विशेषज्ञ का निर्धारण

बालक द्वारा व्यक्त की गई आवश्यकताएं

इच्छाएं तथा योजनाएं।

**जांच का परिणाम -**

मामले का विश्लेषण तथा उपेक्षा के लिए कारण या ऐसे कार्य, जो विधि का उल्लंघन करने वाला समझा जाय, के लिये अस्थायी निष्कर्ष।

**समस्या का विश्लेषण -**

वैयक्तिक वृतान्त का सारांश

वर्तमान स्थिति तथा स्वभाग (प्रकृति) विवरण तथा उपेक्षा/झगड़ा/व्यवहार के विधि का उल्लंघन करने वाला समझे जाने वाले कारण, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, परिवार से संबंध, दुर्व्यवहार का वृतान्त, संस्था में प्रवेश के वृतान्त को फोकस करते हुए बालक का प्रकरण

**परिवार के वृतान्त का सारांश -**

परिवार के कार्य करने का प्रभाव

अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य, यदि कोई हो, जैसे महत्वपूर्ण घटना जो बालक को समझने में योगदान दे सके।

आवश्यकता विश्लेषण

बालक की आवश्कताएं जैसी बालक द्वारा बोधगम्य हो

बालक की आवश्यकताएं जैसी कि परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर द्वारा बोधगम्य हो, अन्य कोई राय या विशिष्ट अनुरोध जो उस समय पर बालक द्वारा व्यक्त किया जाए।

**अस्थायी निष्कर्ष -**

क्या बालक के घर से भाग आने की संभावना है, क्या वह खोया हुआ बालक है, वर्तमान परिस्थितियों में बालक के लिये अन्य कोई अस्थायी नियम सामान्य टिप्पणियां, व्यवहार के अतिरिक्त अन्य टिप्पणियां विशिष्ट संप्रेक्षण क्या बालक द्वारा दिए गए ब्यौरे उचित प्रतीत हो है उपचार के संबंध में सिफारिश तथा उसके लिये योजना बालक के अनुसार बालक के भविष्य की योजनाएं/आकांक्षाओं को देखते हुए प्रस्तुतकर्ता अभिकर्ता/परिवीक्षा अधिकारी/बालक कल्याण अधिकारी द्वारा सिफारिश के अनुसार।

परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर के हस्ताक्षर

## प्ररूप-बारह

(नियम 72 का उपनियम (2) का खंड (घ) देखिए)

## परिवीक्षाधीन का पाक्षिक प्रगति प्रतिवेदन

**भाग-एक**

- परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर का नाम
- माह
- रजिस्टर क्रमांक
- सक्षम अधिकारी
- प्रोफाइल क्रमांक
- बालक का नाम
- पर्यवेक्षण आदेश दिनांक
- बालक का पता
- पर्यवेक्षण अवधि

**भाग-दो**

साक्षात्कार के स्थान ........................................ दिनांक ........................................

........................................ ........................................

........................................ ........................................

1. जहां बालक निवास करता हो

2. किसी शैक्षणिक/प्रशिक्षण कार्यक्रम में की गई प्रगति

3. वह कौन सा कार्य कर रहा है/कर रही है तथा उसकी औसत मासिक आय कितनी है, यदि वह नियोजित हो

4. पोस्ट आफिस में बचत जमाव राशि

5. उसका बैंक में बचत खाता क्रमांक

6. उसके सामान्य व्यवहार एवं प्रगति के संबंध में टिप्पणी

7. क्या समुचित देखरेख में रहा ?

**भाग-तीन**

8. सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाहियां या

   (क) बांड की शर्तों में परिवर्तन

   (ख) निवास स्थान परिवर्तन

   (ग) अन्य मामले

9. पर्यवेक्षण अवधि की समाप्ति दिनांक

10. पर्यवेक्षण का नतीजा टिप्पणी सहित (यदि कोई हो)

11. माता-पिता या संरक्षक या उपयुक्त व्यक्ति का नाम एवं पता, जिसकी देखरेख में पर्यवेक्षण समाप्ति के पश्चात् बालक रहेगा।

प्रतिवेदन की तारीख

हस्ताक्षर

परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर

## प्ररूप-तेरह

(नियम 18 का उपनियम (1) देखिए)

### प्रस्तुत करने की प्रथम अवसर पर प्रस्तुतकर्ता, अभिकर्ता की रिपोर्ट

व्यक्ति/ अभिकरण की रिपोर्ट, जिसके द्वारा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक को किसी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया (प्रारूप भरते समय बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे)

1. इस रिपोर्ट के लिए जानकारी देते समय बालक/किशोर पर यथा संभव, दबाव नहीं डालना चाहिए।

2. यह प्ररूप बालक को प्राप्त करते समय, यथाशीघ्र भरा जावेगा, जिससे बालक के पाये जाने के समय कोई सूचना/यादें, जो बालक से संबंधित हो, संक्षिप्त की जा सके।

3. बालक/किशोर द्वारा दी गई किसी भी जानकारी में परिवर्तन का उल्लेख रिपोर्ट में किया जाना चाहिए।

1. बालक/किशोर को भेजने वाले व्यक्ति/अभिकरण का नाम ..........................................

2. पता ..........................................

3. फोन/फैक्स/ई-मेल ..........................................

4. निकटस्थ पुलिस थाने का नाम ..........................................

5. वह तारीख तथा समय जब बालक/किशोर पाया गया था ..........................................

6. प्राधिकारी का नाम जिसके समक्ष बालक/किशोर को प्रस्तुत किया गया ..........................................

7. बालक/किशोर का विवरण जब पाया गया ..........................................

8. बालक/किशोर का नाम एवं उपनाम यदि बालक/किशोर द्वारा दिए गया है ..........................................

9. बालक/किशोर की संभावित आयु ..........................................

10. स्कूल का नाम एवं पता यदि बालक/किशोर द्वारा दिया गया हो ..........................................

11. कार्य के स्थान का नाम, यदि बालक/किशोर नियोजित था ..........................................

12. बालक/किशोर को ज्ञात रिश्तेदारों या अभिकरणों के नाम तथा ब्यौरे ..........................................

13. व्यक्तिगत वस्तुओं के ब्यौरे, जो उसके पास पाये गये ..........................................

14. किसी परिवार के ब्यौरे, जो कि बालक द्वारा दिये गये ..........................................

15. वर्तमान परिस्थितियों का कारण, जैसा कि बालक/किशोर द्वारा दिया गया हो। ..........................................

- घटना के रूप में ऐसे पूर्ववृत्त तत्व, जिन्होने बालक/किशोर को उसका पूर्व का घर छोड़ने के लिए उत्प्रेरित किया एवं वह वर्तमान परिस्थिति में शिकायत थी।

- प्रभावी तत्व, अर्थात् कारण बालक/किशोर घर छोड़ने को क्यों मजबूर हुआ, जैसे कि क्या उसको घर/पूर्व निवास स्थान में दुर्व्यवहार/हिंसा की शिकायत थी।

- प्रभावी तत्व, अर्थात् कारण, क्यों बालक/किशोर बाहरी प्रभाव से घर के बाहर आने में आकर्षित हुआ था।

16. स्थान, जहां बालक/किशोर पाया गया, तीन निकटस्थ पहचान के चिन्हों के ब्यौरे सहित

17. विशेष टिप्पणियों सहित परिस्थितियां, जिनमें बालक पाया गया,

- आपात- क्या उस समय कोई गंभीर चोट/दुर्व्यवहार हुआ, जिस हेतु चिकित्सीय देखरेख आवश्यक थी।
- उन गतिविधियों का विवरण, जिनमें बालक/किशोर पाये जाने के समय लिप्त था।
- पोशाक उस समय पहनी गई पोशाक का रंग एवं प्रकार, वस्त्रों की स्थिति।
- शारीरिक अवस्था-स्वच्छता, सामान्य, भूख, चोट, दिखने वाली अन्य निःशक्तता।
- भावनात्मक अवस्था-क्या बालक/किशोर तनावग्रस्त, थका हुआ, सहायता चाह रहा था, क्या वह तत्काल जानकारी देने हेतु इच्छुक था?
- माता-पिता/परिवार के प्रति व्यवहार, जैसा कि बालक द्वारा वर्णित हो, (डर, स्नेह, क्या वह वापिस घर जाने का इच्छुक था, या अन्य कोई वैकल्पिक आश्रय चाहता है ?)
- अन्य कोई विशिष्ट अवलोकन (सामान्य टिप्पणी, व्यवहार, क्या बालक द्वारा दी गई जानकारी सत्य प्रतीत होती ?)
- तत्समय बालक द्वारा दी गई कोई राय या किया गया विशिष्ट अनुरोध

**टिप्पणी** - इस रिपोर्ट के लिए जानकारी पूर्व संस्था द्वारा रखे गए दस्तावेजों से ली जानी चाहिए तथा उसकी छाया प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए।

## प्ररूप-चौदह

(नियम 69 का उपनियम (1) देखिए)

## समीक्षा पत्रक

**(1) स्थानन पर पूर्ण सामंजस्य की स्थिति**

खराब, औसत, ठीक अच्छा, बहुत अच्छा

- बालक के अनुसार
- प्राथमिक केस वर्कर के अनुसार
- बालक द्वारा दिये गये अनुसार उपरोक्त के लिये कारण
- प्राथमिक केस वर्कर द्वारा दिये गये निष्कर्ष के अनुसार

उपरोक्त के लिये कारण

भविष्य के लिये अनुशंसा

**(2) संस्था की दैनिक गतिविधियों में सहभागिता**

खराब, औसत, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा

- बालक के अनुसार

गंभीर रूप से मानसिक रूप से रोगी

विधि का उल्लंघन किया जा अभिकथित

**सामाजिक वृतान्त -**

**नोट -** यह जानकारी सामाजिक केस वर्कर द्वारा अभिलिखित की जाएगी तथा जब कभी अतिरिक्त जानकारी बालक के संबंध में प्राप्त हो, नियमित रूप से अद्यतन रखी जाएगी।

**(1) माता-पिता**

- दोनों जीवित एवं साथ है
- दोनों जीवित परन्तु अलग-अलग
- माता एवं जीवित सौतली माता
- पिता एवं जीवित सौतेले पिता
- माता-पिता में से एक की मृत्यु (अकेली माता या पिता)
- सौतेले माता/पिता के द्वारा देखरेख की गई
- दोनों जीवित नहीं
- जानकारी नहीं

**(2) संरक्षक**

- मामा/मामी
- रिश्तेदार
- दादी/दादा/माता-पिता
- पड़ौसी/समुदाय

**(3) बालक एवं उसका पता**

- अत्यंत स्पष्ट एवं पहुंचने योग्य-बालक द्वारा बताये गये पहुंचने योग्य समीपवर्ती स्थान
- स्पष्ट परन्तु पहुंचना कठिन
- स्पष्ट परन्तु पहुंचने योग्य नहीं आसपास के परिवार का विस्तृत विवरण बताना है
- बहुत खराब वर्णन

**(4) घर की आर्थिक स्थिति**

- परिवार की मासिक आय
- घर-झोपड़ी खपरे का छोटा घर, छोटा कांक्रीट घर, अच्छा घर

- परिवार-भिक्षुक, घूमने वाला, स्थाई
- भोजन प्रतिदिन
- घर पर सायकल, कार, पंखा, टी.व्ही, रेडियो, कूलर
- पहने गये कपड़े फट गए है अन्तिम बार नये कपड़े बालक को कब प्राप्त हुए
- चप्पल, जूते

**(5) बालक घर जाने का इच्छुक है**

- घर से भयभीत है
- घर जाने को बार-बार कह रहा है
- अलग सा है
- घर नहीं जाना चाहता

**(6) माता-पिता रिश्तेदार को जानकारी है**

- माता-पिता जानते हैं - बालक यहां है स्वेच्छिक प्रवेश
- माता-पिता को बालक द्वारा बताया गया है किन्तु उनको बालक की यहां होने की जानकारी है
- माता-पिता संरक्षक को जानकारी नहीं है
- बालक द्वारा किसी को नहीं बताया गया

**(7) बालक को शारीरिक कष्ट/किसके द्वारा प्यार किया गया**

- पिता शराब पीते तथा पीटते हैं
- कार्य की स्थिति मालिक बार-बार पीटता है
- बालक अगर कमाता नहीं है तो परिवार के सदस्य पीटते है
- मित्रों द्वारा पीटा जाता है
- शिक्षकों द्वारा पीटा जाता है
- माता-पिता संरक्षकों द्वारा प्यार किया जाता है
- माता-पिता के अलावा परिवार में किनके द्वारा प्यार किया जाता है
- परिवार के बाहर किसी के द्वारा प्यार किया जाता है

**(8) बालक द्वारा घर छोड़ना-आदत**

- बालक द्वारा प्रथम बार घर छोड़ा गया

- घर एक से ज्यादा बार छोड़ा गया

- बालक की बार-बार घर छोड़ने एवं वापिस आने की आदत है

- बालक को घर छोड़ने की माता-पिता द्वारा सलाह दी गई

**(9) बालक के परिवार के सदस्य एवं उनके कार्य**

- पिता/संरक्षक

- माता

- छोटा भाई

- बड़ा भाई

- छोटी बहिन

- बड़ी बहिन

**(10) बालक के घर छोड़ने का कारण**

## प्ररूप-सोलह

(नियम 78 के खंड (2) के उप खंड (ख) का मद (एक) देखिए)

**बालक को विधिक रूप से दत्तक ग्रहण हेतु घोषित करने के लिए परिवीक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट**

परिवीक्षा अधिकारी का नाम

जिला

पी.ई. क्रमांक तारीख

**(1) बालक की विस्तृत जानकारी जिसके लिए परित्यक्त प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।**

(क) नाम

(ख) आयु

(ग) पहचान चिन्ह, आदि

(2) संगठन का नाम एवं पता जिसके द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गई है।

(3) क्या संगठन को दत्तक ग्रहण प्रक्रिया हेतु अनुज्ञप्त किया गया था, यदि हां तो प्रदत्त अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की कालावधि को सम्मिलित करते हुए ब्यौरे दिए जाए।

(4) बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत आवेदन पत्र की तारीख।

(5) बाल कल्याण समिति द्वारा परिवीक्षा अधिकारी को दिये गये पत्र का क्रमांक तथा तारीख

(6) संगठन द्वारा बालक को कैसे प्राप्त किया गया (विवरण जैसे-सूचना स्रोत, परित्यक्त किया गया स्थान, बालक को प्रभार में लिये जाने की तारीख एवं समय आदि दिए जाएं।

(7) क्या संगठन द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने को बालक को प्राप्त करने की रिपोर्ट भेजी गई थी, यदि हां तो ब्यौरे दिए जाएं।

(8) क्या बालक की प्राप्ति के बारे में संगठन द्वारा बाल कल्याण समिति को कोई रिपोर्ट भेजी गई (ब्यौरे दिए जाएं)।

(9) बालक के जैविक माता-पिता या हितबद्ध संरक्षकों की पहिचान के लिए पुलिस द्वारा की गई कार्यवाई, ब्यौरे दिए जाएं।

(10) जैविक माता-पिता या हितबद्ध संरक्षकों को खोजने के लिए संगठन द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाई , ब्यौरे दिए जाएं।

(11) परिवीक्षा अधिकारी द्वारा संचालित विस्तृत जांच।

(12) सिफारिश

परिवीक्षा अधिकारी/सामाजिक कार्यकर्ता

**प्ररूप-सत्रह**

(नियम 80 के उपनियम (4) के खंड (अ) का उपखंड (ख) की मद (दो) देखिए)

## पोषक परिवार के घर के संबंध में जानकारी

घर के संबंध में जानकारी की रिपोर्ट में निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा -

1. पहचान संबंधी जानकारी, जैसा कि पोषक/माता-पिता के इतिवृत संबंधी जानकारी, जिसमें सम्मिलित है पहचान संबंधी जानकारी, शिक्षा, परिवार का इतिवृत, चिकित्सीय वृतान्त, रोजगार वृतान्त, निवास एवं सुविधाएं, जीवन जीने का तरीका, पालन/बालकों की देखरेख का अनुभव एवं बालक को पोषण देखरेख में लेने का उद्देश्य, प्रस्तावित पोषण देखरेख अवधि में समर्थन में आवश्यक दस्तावेज, जैसे आयु का प्रमाण पत्र, विवाह का प्रमाण पत्र, सामान्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र संदर्भित पत्र, परिवार के अन्य निवासरत सदस्यों की सहमति, दंपत्ति के छायाचित्र, बालक का छायाचित्र, बालक के संबंधित जानकारी।

2. प्रस्तावित पोषक परिवार की पूर्वगामी जानकारी, जिसमें सम्मिलित है,

- उनके खुद के बाल्यकाल अनुभव, पालन पोषण एवं अंतर वैयक्तिक संबंध।
- परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी
- पोषक परिवार के बालकों एवं अन्य रिश्तेदारों का पोषण देखरेख योजना के संबंध में रुख।
- प्रस्तावित पोषक परिवार की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा एवं धार्मिक पहचान।
- दाण्डिक अपराध एवं बालक के दुर्व्यवहार संबंधी किन्हीं आरोपों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति।

3. परिवार का नवीनतम छायाचित्र।

4. प्रस्तावित पोषक परिवार की शारीरिक, शैक्षणिक, भावनात्मक एवं शैक्षणिक प्रास्थिति।

5. परिवार की स्वास्थ्य संबंधी प्रास्थिति एवं स्वास्थ्य वृतान्त के संबंध में चिकित्सीय रिपोर्ट।

6. नियोजन एवं वित्तीय संसाधन।

- प्राथमिक केस वर्कर के अनुसार
- बालक द्वारा दिये गये अनुसार उपरोक्त के लिए कारण
- प्राथमिक केस वर्कर द्वारा दिये गये निष्कर्ष के अनुसार

उपरोक्त के लिये कारण

भविष्य के लिये अनुशंसा

**(3) शैक्षणिक उपलब्धियां (यदि लागू हों)**

खराब, औसत, संतोषजनक, अच्छा, बहुत अच्छ

- उपरोक्त के लिए बालक द्वारा दिए गए कारण
- उपरोक्त के लिए प्राथमिक केस वर्कर द्वारा निशिचत किये गये कारण-
- शिक्षक/शिक्षकों द्वारा उपरोक्त के लिए दिए गए कारण
- उपरोक्त के लिए माता-पिता/संरक्षकों (यदि लागू हों)
- द्वारा दिये गए कारण
- भविष्य के लिए सिफारिश

**(4) व्यावसायिक प्रशिक्षण में उपलब्धियां (यदि लागू हों)**

खराब, औसत, संतोषजनक, अच्छा, बहुत अच्छ

- उपरोक्त के लिए बालक द्वारा दिए गए कारण
- उपरोक्त के लिए प्राथमिक केस वर्कर द्वारा निश्चित किये गये कारण-
- शिक्षक/शिक्षकों द्वारा उपरोक्त के लिए दिए गए कारण
- उपरोक्त के लिए माता-पिता/संरक्षकों द्वारा दिये गए कारण (यदि लागू हों)
- भविष्य के लिए सिफारिशें

**(5) सामान्य व्यवहार**

- व्यवहार में कोई विशेष परिवर्तन

(सकारात्मक या नकारात्मक, भावनात्मक स्थिति पर विशिष्ट अवलोकन संबंधी योजना बनाने)

- बालक की राय एवं बालक द्वारा दिये गए अनुसार उक्त के लिए कारण
- प्राथमिक केस वर्कर निष्कर्ष के अनुसार कारण
- भविष्य के लिये अनुशंसा

**(6) स्वास्थ्य स्थिति**

- स्वास्थ्य में कोई विशिष्ट परिवर्तन
- जैसीकि चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवलोकित की गई हो
- जैसीकि प्राथमिक केस वर्कर द्वारा अवलोकित किया गया हो
- अन्य कोई विशेष शिकायत, जो कि बालक द्वारा समीक्षा के दौरान बताई गई हो
- बालक द्वारा दिये गये अनुसार उक्त के लिए कारण
- प्राथमिक केस वर्कर के निष्कर्ष के अनुसार उक्त के लिए कारण
- माता-पिता/संरक्षक द्वारा उक्त के लिए कारण (यदि लागू हो) की जाने वाली कार्यवाई

**(7) बालक द्वारा अपने व्यवहार/उपलब्धि में अभिलेख में प्रगति में प्रयास**

खराब, औसत, ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा

- बालक द्वारा उक्त के लिए दिये गए कारण के अनुसार
- प्राथमिक केस वर्कर के निष्कर्ष के अनुसार उक्त के लिए कारण
- कोई विशेष उपलब्धियां
- भविष्य के लिए सुझाव/अनुशंसाएं

**(8) अन्य कोई घटनाएं, जो पूर्व समीक्षा के अंतरिम समय के दौरान घटित हुई हों तथा वर्तमान समीक्षा के समय अभिलिखित करने हेतु आवश्यक हो।**

- घटना का प्रकार
- बालक, माता-पिता/संरक्षण एवं केस वर्कर की घटना के कारण एवं परिणाम के संबंध में राय
- बालक की प्रगति के लिए अनुमान

(9) कोई बिन्दु, जो बालक द्वारा उसकी/उसके समीक्षा रिपोर्ट के संबंध में उठाये गये हों।

(10) अन्य कोई सुसंगत अवलोकन या जानकारी अनुशंसाएं

**प्ररूप-पन्द्रह**

(नियम 73 का खंड (क) देखिए)

**देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों का वर्गीकरण एवं समस्या की पहचान**

खोया हुआ

परित्यक्त किया गया

7. आवास एवं सामुदायिक वातावरण।

8. उद्देश्य।

9. स्नेह के तथा नैतिक एवं सुरक्षात्मक वातावरण में पालन पोषण संबंधी देखरेख एवं पर्यवेक्षण उपलब्ध करने की क्षमता।

10. सकारात्मक संदर्भ एवं रिश्तेदारों, मित्रों, समुदाय से भावनात्मक सहयोग संबंधी विवरण।

11. विशेषज्ञों की बहु अनुशासनात्मक सहयोग टीम द्वारा निर्धारण (यथासंभव) निम्नानुसार किया जावे -

- प्रस्तावित पोषक माता-पिता के लिए स्वीकृति हेतु कारण

- बालक का विवरण (आयु, लिंग, सहोदर को अपनाना, विशिष्ट आवश्यकताओं वाला बालक आदि) से दत्तक ग्रहण को प्राथमिकता देने एवं पालन पोषण हेतु सक्षम है।

## प्ररूप-अठारह

(नियम 40 के उपनियम (4) के खंड (अ) का उपखंड (क) देखिए)

## पोषण देखरेख हेतु आवेदन

आवेदक का नाम ..................................................

विवाहित/अविवाहित .................................................. आयु ........................................

पता ..................................................

दूरभाष क्रमांक ..................................................

बालकों की संख्या .................................................. आयु ........................................

आवेदक का रोजगार ..................................................

पति का रोजगार ..................................................

पत्नी का रोजगार ..................................................

आय के अन्य स्त्रोत ..................................................

क्या आपके द्वारा पूर्व में कभी बालक की देखरेख की गई थी ? (यदि हां तो ब्यौरे दीजिए)

बालक का नाम .................................................. आयु ....................पोषण/देखरेख की कालावधि.................................................. पोषण हेतु कारण .................................................. क्या आप अल्प अवधि पोषण देखरेख करने हेतु सहमत हैं ?

हां ☐ नहीं ☐

यदि हां, कालावधि का उल्लेख करें ..................................................

संदर्भ (दो व्यक्तियों का नाम एवं पता)

उस बालक की आयु, लिंग एवं अन्य विशिष्टताएं,

जिसे पोषण हेतु चाहा गया है

दिनांक

## प्ररूप-उन्नीस

(नियम 43 का उपनियम (1) देखिए)

## प्रमाणीकरण हेतु आवेदन-पत्र

नगर/ग्राम

तालुक

जिला :

1. संस्था का नाम .........................................
2. स्थापना का दिनांक .........................................
3. किस अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन किया गया है ? क्रमांक, तारीख एवं रजिस्ट्रेशन का स्थान आदि सहित ब्यौरे दीजिए।
4. निधि के स्रोत एफ.सी.ए. सहित ब्यौरे दें -
5. शासी निकाय के सदस्यों के नाम एवं उनके पते
6. संस्था की गतिविधियां
7. यदि कोई वित्तीय सहायता, राज्य/केन्द्र/अर्द्ध शासकीय/अन्य वित्तीय अभिकरणों, जिसमें विदेशी अनुदान सम्मिलित है, से किन्ही गतिविधियां/कार्यक्रमों हेतु, प्राप्त हुई हो, विवरण दिया जाए।
8. उपलब्ध अधोसंरचना.
   - (क) परिसर का कुल क्षेत्र।
   - (ख) भवन में प्रत्येक तल का नींव (प्लिंथ) क्षेत्र एवं तलों की संख्या।
   - (ग) खेल का मैदान।
   - (घ) शैक्षणिक कार्यक्रमों हेतु भवनों के ब्यौरे-प्रत्येक कक्षा का घनाकार क्षेत्र।
   - (ङ) व्यावसायिक गतिविधियों के ब्यौरे एवं व्यावसायिक केन्द्र का नींव क्षेत्र, प्रत्येक व्यवसाय का घनाकार क्षेत्र।
   - (च) रसोई कक्ष, सोने के कक्ष, प्रार्थना कक्ष आदि।
   - (छ) प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की सुविधायें
   - (ज) यदि कोई विद्यालय लगा हुआ नहीं है तो परिसर से बाहर विद्यालय की दूरी।
   - (झ) पुस्तकालय के ब्यौरे, आवासी खेल, विज्ञान प्रयोगशाला आदि (यदि उपलब्ध हो) समीपस्थ अस्पताल (शासकीय) पता एवं दूरी।
9. संस्था में स्वच्छता संबंधी स्थिति।
10. जल स्रोत पर्याप्त है अथवा नहीं, विवरण देवें।

11. पत्र व्यवहार का पता, टेलीग्राम, फैक्स, ई-मेल आदि को सम्मिलित करते हुए।

12. संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता।

13. वर्तमान कार्यक्रमों से जुड़े कर्मचारियों के ब्यौरे।

14. अन्य कोई सुसंगत जानकारी।

15. शासी निकाय का संकल्प।

## घोषणा

मैं, एतत्द्वारा, संगठन के प्रबंधन की ओर से यह घोषणा करता हूं कि प्रबंधन, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 तथा उससे संबंधित नियमों में विनिर्दिष्ट समस्त शर्तों को पूर्ण करेगा तथा मैं वचन देता हूं कि उक्त अधिनियम में प्रमाणीकरण हेतु अधिकथित समस्त शर्तों का, जिनका किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 तथा उससे संबंधित नियमों द्वारा संव्यवहार किया जा रहा है, पालन करूंगा और ऐसे विवरण प्रस्तुत करूंगा, जो आयुक्त/संचालक, समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा अपेक्षित किए जाएं।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

## प्ररूप-बीस

(नियम 30 के उपनियम (4) का खंड (आ) का उपखंड (च) देखिए)

## पोषण देखरेख करार

मैं/हम (पोषक माता-पिता/का नाम) ................................ जिन्होंने (बालक का नाम) ................................ को मेरे/हमारे घर में तारीख ................................ को ................................ से प्राप्त किया है, वचन देता हूं/देते हैं कि समस्त निम्नलिखित कृत्य करूंगा/करेंगे -

**बालक की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करना -**

- बालक की भोजन, वस्त्र एवं आश्रय के लिए मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति।
- नियमित रूप से बालक के पोषण हेतु पौष्टिक भोजन की पूर्ति।
- बालक के वस्त्रों की आवश्यकताओं की नियमित जांच करना तथा वर्ष भर बालक को अच्छे वस्त्र धारण करना।
- बालक की व्यक्तिगत देखरेख, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करना।
- यह देखना कि बालक स्वस्थ है एवं अच्छे में तैयार किया गया हो, तथा जब आवश्यक हो निजी स्वच्छता संबंधी निर्देश देना।
- बालक की चिकित्सीय आवश्यकताओं का नियमित परीक्षण किया जाता है तथा पूर्ति की जाती है।
- बालक द्वारा स्वस्थ नियमित दैनिक दिनचर्या के पालन को सुनिश्चित करना।
- बालक को नियमित एवं पर्याप्त व्यायाम करने हेतु अवसर प्रदान करना।

**बालक की भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति की सुनिश्चित करना**

- परिवार की समस्त गतिविधियों में बालक को सम्मिलित करें।
- स्नेह व्यक्त करें। पर्याप्त स्नेह स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें।
- बालक के जैविक परिवार से सहयोगी संबंधों की स्थापना करें।
- बालक के परिवार या वृतान्त के बारे में नकारात्मक चर्चा न करें। सुनें एवं सहानुभूति रखें।

- बालक को उसके घर से अलग होने संबंधी और स्थानन संबंधी परेशानियों के निवारण हेतु सामन्जस्य प्रक्रिया अपनाई जाकर सहयोग करें।
- बालक की गोपनीयता का सम्मान किया जाय।

**बालक की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करना**

- बालक को स्कूल में प्रवेश दिया जावे।
- स्कूल में दैनिक उपस्थिति हेतु व्यवस्था करना।
- बालक को स्कू संबंधी कार्य को पूर्ण करने हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जावे।
- बालक के शैक्षणिक उन्नति की मानीटरिंग करें।
- स्कूल के बाद की अपेक्षित बैठकों में उपस्थित हों।
- स्कूल के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों, खेल आदि की सुविधा उपलब्ध कराना।

**बालक में अनुशासनात्मक स्थिति को सुनिश्चित करना -**

--आयु के आधार पर अनुकूल तथा वास्तविक अनुशासन के पालन हेतु उचित मार्गदर्शन दिया जाना तथा शारीरिक दंड नही देना।

**परिवीक्षा अधिकार/समाज कल्याण अधिकारी के साथ कार्य**

- समस्त बैठकों में उपस्थिति तथा पूर्ण रूप से भाग लेना।
- परिवीक्षा अधिकारी/समाज कल्याण अधिकारी को बालक का घर एवं स्कूल में व्यवहार एवं उन्नति संबंधी जानकारी उपलब्ध करना।
- समस्त आपात की स्थिति में परिवीक्षा अधिकारी/समाज कल्याण अधिकारी को सूचित करना।
- चाह गए समस्त दस्तावेजों को समय पुर प्रस्तुत करना।
- बालक के स्थायित्व, उपचार, विकल्पों आदि की योजनाओं में भाग लेना।
- संबंधित परिवीक्षा अधिकारी/समाज कल्याण अधिकारी को अपने निवास तथा पते में परिवर्तन की योजना की तुरंत सूचना देना।
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 एवं नियमों कार्यवाही एवं अधिकथित सिद्धांतों का अनुसरण।
- परिवीक्षा अधिकारी/समाज कल्याण अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकथित नियमों के उल्लंघन की दशा में घर से बालक को हटाने की कार्यवाही हेतु सहमत होना।

................................
पोषक माता-पिता के हस्ताक्षर एवं
(पोषक माता-पिता का पता)

## प्ररूप-इक्कीस

(नियम 72 के उपनियम (2) का खंड (ण) देखिए)

## वृतान्त पत्रक (फालोअप)

(लाइसेंस पर उन्मुक्त का वृतान्त पत्रक)

1. अनुक्रमांक
2. लाइसेंस पर उन्मुक्त बालक का नाम
3. लिंग, आयु, धर्म
4. बालक का पता
5. संस्था का नाम एवं बालक को प्रवेश क्रमांक
6. सक्षम प्राधिकारी का आदेश क्रमांक एवं दिनांक जिसके द्वारा स्थानन हेतु आदेशित किया गया है।
7. स्थानन की कालावधि एवं उन्मुक्ति की वास्तविक तारीख।
8. समुदाय आधारित कार्यक्रम पर उन्मुक्ति की तारीख
9. संस्था में शैक्षणिक स्तर।
10. संस्था में प्राप्त किया गया व्यावसायिक प्रशिक्षण (यदि कोई हो)
11. समुदाय आधारित कार्यक्रम हेतु उन्मुक्ति की तारीख एवं क्रमांक।
12. क्या परिवार सहायता योजना के अन्तर्गत समुदाय आधारित कार्यक्रम के अधीन उन्मुक्त किया गया।

---

पर्यवेक्षण करने वाले परिवीक्षा अधिकारी का नाम

परिवीक्षा अधिकारी का पता

परिवीक्षा अधिकारी द्वारा इस लाइसेंस पर प्रभार लेने की तारीख (फालोअप पत्रक भी संलग्न किया जायेगा)

---

निरंतरता पत्रक/फाओअप पत्रक

| मुख्य इकाई में प्रवेश की तारीख | वर्गीकरण समिति की अनुसंशायें | प्रवेश का कारण |
|---|---|---|
| | (क) शैक्षणिक स्थिति<br>(ख) व्यावसायिक प्रशिक्षण<br>(ग) व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम<br>(घ) अन्य उपचार कार्यक्रम | प्रवेश हेतु मूल बिन्दुओं के ब्यौरे |

| तारीख | फालोअप ब्यौरे | परिवीक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर |
|---|---|---|

## प्ररूप-बाईस

(नियम 55 का उपनियम (5) देखिए)

## चिकित्सीय वृतान्त पत्रक

प्रवेश क्रमांक

बालक का नाम ..................................

आयु ..................................

माता-पिता/संरक्षक का पता ........................... स्थायी ..................... वर्तमान ..................................

प्रवेश की तारीख ..................................

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवेश हेतु आदेश का क्रमांक और तारीख ..................................

उन्मुक्ति की संभावित तारीख ..................................

प्रवेश के समय ऊंचाई एवं वजन ................................

शारीरिक संरचना ................................

प्रवेश के समय बालक की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति

उपस्थित/अनुपस्थित/ज्ञात नहीं ................................

(क) श्वास संबंधी तकलीफ
(ख) श्रवण संबंधी क्षीणता
(ग) आंखों का रोग
(घ) दंत रोग
(ङ) हृदय रोग
(च) त्वचा रोग
(छ) यौन सांसर्गिक रोग
(ज) स्नायु संबंधी विचार
(झ) मानसिक निःशक्तता
(ञ) शारीरिक निःशक्तता
(ट) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

बालक का चिकित्सीय वृतान्त (संक्षेप में)

माता-पिता/संरक्षक का चिकित्सीय वृतान्त (संक्षेप में)

## प्ररूप-तेईस

(नियम 73 का खंड (क) देखिए)

## केस हिस्ट्री पत्रक

**क व्यक्तिगत डाटा**

1. नाम पुरुष/स्त्री (सही श्रेणी पर निशान लगाएं)

2. (क) प्रवेश के समय आयु

   (ख) वर्तमान आयु

3. धर्म — हिन्दू (ओ.सी./बी./सी./एस.सी.सी./एस./एस. टी.)
   मुस्लिम
   ईसाई
   अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

4. निवास स्थान की स्थिति — शहरी/उपनगरी/ग्रामीण/गंदी बस्ती/औद्योगिक/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

5. मूल जिला तथा राज्य

6. घर का वर्णन
   (1) क्रांकीट भवन/कवेलू घर/झोपड़ी/फुटपाथ/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
   (2) तीन शयन कक्ष/दो शयनकक्ष/एक शयनकक्ष/कोई अलग शयन कक्ष नहीं।
   (3) स्वयं का/किराये का।

7. किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया
   (1) पुलिस-स्थानीय पुलिस किशोर सहायता पुलिस ईकाई/रेल्वे पुलिस/महिला पुलिस
   (2) परिवीक्षा अधिकारी, जेल/सामाजिक सुरक्षा
   (3) समाज कल्याण संगठन
   (4) सामाजिक कार्यकर्ता
   (5) माता-पिता/संरक्षक (कृपया रिश्तेदारी विनिर्दिष्ट करें)
   (6) बालक/बालिका स्वयं,

8. परिवार को छोड़ने के कारण
   (1) माता-पिता/संरक्षकों/सौतेले माता-पिता द्वारा दुर्व्यवहार
   (2) आजीविका की खोज में
   (3) कुलीन समूहों का प्रभाव
   (4) माता-पिता की अक्षमता
   (5) माता-पिता की अपराधिक व्यवहार
   (6) माता-पिता का पृथक्करण
   (7) माता-पिता की मृत्यु
   (8) निर्धनता
   (9) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9. बालक पर हुए दुर्व्यहार का प्रकार -
   (क) मौखिक दुर्व्यवहार -माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया दर्शायें)
   (ख) शारीरिक दुर्व्यवहार
   (ख) लैंगिक दुर्व्यहार-माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया दर्शायें)
   (ग) अन्य माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया दर्शायें) -

**10. बालकों के साथ किया गया अभद्र व्यवहार -**
   (1) भोजन न देना माता-पिता/रिश्तेदार/नियोक्ता/अन्य (कृपया दर्शायें)
   (2) क्रूरता से पीटना माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया दर्शायें)
   (3) चोट पहुंचाना माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया दर्शायें)
   (4) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) माता-पिता/सहोदर/नियोक्ता/अन्य (कृपया दर्शायें)

**11. शोषण, जिसका सामना बालक द्वारा किया गया -**
   (1) बिना भुगतान के कार्य करना
   (2) अधिक समय हेतु कार्य के लिए कम दरों पर भुगतान
   (3) अन्य (कृपया दर्शायें)

**12. प्रवेश के पूर्व बालक के स्वास्थ्य की स्थिति -**
   (1) श्वसन संबंधी विकार-वर्तमान/जानकारी नहीं/अनुपस्थित
   (2) श्रवण संबंधी क्षीणत्व वर्तमान/जानकारी नहीं/अनुपस्थित
   (3) नेत्र रोग वर्तमान/जानकारी नहीं/अनुपस्थित
   (4) दंत रोग वर्तमान/जानकारी नहीं/अनुपस्थित
   (5) हृदय रोग वर्तमान/जानकारी नहीं/अनुपस्थित

(6) त्वचा रोग वर्तमान/जानकारी नहीं/अनुपस्थित
(7) यौन रोग वर्तमान/जानकारी नहीं/अनुपस्थित
(8) स्नायु संबंधी विकार-वर्तमान/जानकारी नहीं/अनुपस्थित
(9) मानसिक अशक्तता-वर्तमान/जानकारी नहीं/अनुपस्थित
(10) शारीरिक अशक्तता-वर्तमान/जानकारी नहीं/अनुपस्थित
(11) अन्य (कृपया दर्शायें)-वर्तमान/जानकारी नहीं/अनुपस्थित

13. **प्रवेश के पूर्व बालक किस के साथ था -**
(1) माता-पिता/पिता-माता /दोनों
(2) संरक्षक-रिश्तेदारी
(3) मित्रों
(4) फुटपाथ
(5) रात्रि आश्रय
(6) अनाथालय/समतुल्य गृह/छात्रावास
(7) अन्य (कृपया दर्शायें)

14. संस्था में रखने के पूर्व माता-पिता की बालक से — नियमित/कभी-कभी/यदाकदा/ कभी नहीं
भेंट संस्था में रखने के पश्चात् — नियमित/कभी-कभी/यदाकदा/ कभी नहीं

15. संस्था में रखने से पूर्व बालक की परिवार से भेंट — नियमित/कभी-कभी/यदाकदा/त्यौहारों के समय/गर्मी की छुट्टियों के दौरान/जब कभी बीमार हो/कभी नहीं
संस्था में रखने के पश्चात् — नियमित/कभी-कभी/यदाकदा/त्यौहारों के समय/गर्मी की छुट्टियों के दौरान/जब कभी बीमार हो/कभी नहीं

16. संस्था में रखने के पूर्व माता-पिता से पत्र व्यवहार — नियमित/कभी-कभी/यदाकदा/त्यौहारों के समय, गर्मी की छुट्टियों के दौरान/जब कभी बीमार हो/कभी नहीं
संस्था में रखने के पश्चात् — नियमित/कभी-कभी/यदाकदा/त्यौहारों के समय/गर्मी की छुट्टियों के दौरान/जब कभी बीमार हो/कभी नहीं

**ख. बचपन का वृतान्त**

(12 वर्ष की आयु तक)

17. मां का गर्भावस्था के दौरान भोजन -
(I) पोषक भोजन लिया गया
(II) सामान्य भोजन
(III) अपर्याप्त भोजन

18. गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य -

(1) माता संक्रमित रोगों से ग्रसित थी
(2) माता द्वारा गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल किया गया/लिया गया
(3) माता को दुर्घटना/चोट पहुंची
(4) प्रतिरोधी दवाइयों का इस्तेमाल किया गया
(5) ऐसे कोई ब्यौरे उपलब्ध नहीं

19. जन्म विवरण -

(1) सामान्य प्रसव/अधिक समय का प्रसव/शल्यक्रिया द्वारा

(2) कम वजन/सामान्य वजन/ज्यादा वजन

20. टीकाकरण की जानकारी

21. विकलांगता की जानकारी

(1) श्रवण संबंधी क्षीणत्व — जन्म से/दुर्घटना से/रोग से
(2) बोलने संबंधी क्षीणत्व — जन्म से/दुर्घटना से/रोग से
(3) शारीरिक विकलांगता — जन्म से/दुर्घटना से/रोग से
(4) मानसिक विकलांगता — जन्म से/दुर्घटना से/रोग से
(5) अन्य (कृपया दर्शायें) — जन्म से/दुर्घटना से/रोग से

**ग. परिवार के ब्यौरे**

22. घर की संरचना

| क्रमांक | नाम | संबंध | आयु | लिंग | शिक्षा | व्यवसाय | आय | स्वास्थ्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| मानसिक रोग का वृतान्त | विकलांगता | आदतें | सामाजिकता |
|---|---|---|---|

23. परिवार का प्रकार -

न्यूक्लीयर परिवार/बड़ा परिवार/संयुक्त परिवार/विघटित परिवार

24. परिवार में सदस्यों के मध्य संबंध

(1) माता एवं पिता — मधुर/मधुर नहीं/ज्ञात नही
(2) पिता एवं बालक — मधुर/मधुर नहीं/ज्ञात नही
(3) माता एवं बालक — मधुर/मधुर नहीं/ज्ञात नही
(4) पिता एवं सहोदर — मधुर/मधुर नहीं/ज्ञात नही
(5) माता एवं सहोदर — मधुर/मधुर नहीं/ज्ञात नही
(6) बालक एवं सहोदर — मधुर/मधुर नहीं/ज्ञात नही

25. परिवार के सदस्यों द्वारा कारित अपराध का वृतान्त -

| क्रमांक | संबंध | अपराध की प्रकृति | कोई गिरफ्तारी यदि कोई हो | परिरोध की कालावधि | दिया गया दंड |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पिता | | | | |
| 2. | सौतेला पिता | | | | |
| 3. | माता | | | | |
| 4. | सौतेली माता | | | | |
| 5. | भाई | | | | |
| | (1) | | | | |
| | (2) | | | | |
| | (3) | | | | |
| | (4) | | | | |

6. बहिन
   (1)
   (2)
   (3)
   (4)
7. बालक
8. अन्य (चाचा, चाची, दादी)

**26. परिवार के स्वामित्व के सम्पत्तियां**

(1) भू-संपत्तियां (कृपया क्षेत्र विनिर्दिष्ट करें)
(2) घरेलू सामान, गाय/ पशु/ बैल अन्य
(3) वाहन-दो पहिया/तीन पहिया/चार पहिया (लारी, बस, ट्रेक्टर, कार, जीप)
(4) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

**27. परिवार के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति**

(1) माता-पिता नियोजित/विशेष विवाह/स्थानीय गठबंधन
(2) भाई नियोजित/विशेष विवाह/स्थानीय गठबंधन
(3) बहिनें नियोजित/विशेष विवाह/स्थानीय गठबंधन

**28. पारिवारिक सदस्यों की सामाजिक गतिविधियां -**

(1) सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में भाग लेना
(2) सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेना
(3) सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों में भाग नहीं लेना
(4) ज्ञात नहीं

**29. प्रवेश के पूर्व बालक की माता-पिता द्वारा देखरेख -**

(1) अत्यधिक सुरक्षात्मक
(2) स्नेहपूर्ण
(3) सजगता से
(4) स्नेहपूर्ण नहीं
(5) सजगता से नहीं
(6) उपेक्षापूर्ण

**ग. किशोरावस्था का वृतान्त (12 एवं 18 वर्ष की आयु के बीच)**

**30. जवान**

कम आयु
मध्य आयु
विलंब से

**31. अपचारिता व्यवहार के ब्यौरे, यदि कोई हो -**

(1) चोरी
(2) जेब काटना

(3) ताड़ी बेचना
(4) मादक द्रव्य की फेरी लगाकर बिक्री करना
(5) छोटे अपराध
(6) हिंसात्मक अपराध
(7) बलात्कार
(8) उपरोक्त कोई नहीं
(9) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट कीजिए)

**32. अपचारी व्यवहार का कारण**

(1) माता-पिता की उपेक्षा
(2) माता-पिता की अत्यधिक सुरक्षा
(3) माता-पिता का आपराधिक व्यवहार
(4) माता-पिता का प्रभाव (नकारात्मक)
(5) कुलीन समूहों का प्रभाव
(6) शराब/मादक द्रव्य खरीदना/बेचना।
(7) अन्य (कृपया दर्शायें)

**33. आदतें**

(क)

(1) धूम्रपान
(2) शराब पीना
(3) मादक द्रव्य का सेवन (विनिर्दिष्ट करें)
(4) जुआ खेलना
(5) वैश्यावृत्ति
(6) उपरोक्त कोई नही

(ख)

1. टी.व्ही देखना
2. सिनेमा देखना
3. पुस्तकें पढ़ना
4. धार्मिक गतिविधियां
5. उपरोक्त कोई नही

**34. नियोजन के ब्यौरे -**

गृह में आने से पूर्व बालक के नियोजन के ब्यौरे -

| क्रमांक | नियोजन का वर्णन | अवधि | अर्जित मजदूरी |
|---|---|---|---|
| (1) | कुली | | |
| (2) | पन्नी बीनना | | |
| (3) | मैकेनिक | | |
| (4) | होटल कार्य | | |
| (5) | चाय की दुकान | | |
| (6) | साइकिल की दुकान पर कार्य | | |
| (7) | जूता पालिश | | |
| (8) | घरेलू कार्य | | |
| (9) | अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) | | |

**घ. नियोजन के ब्यौरे**

**35. आय के उपयोग के ब्यौरे -**

(1) परिवार को पारिवारिक आवश्यकता हेतु भेजे गये
(2) कपड़ों पर
(3) जुए के लिए
(4) वेश्यावृत्ति हेतु
(5) शराब हेतु
(6) मादक द्रव्यों हेतु
(7) धूम्रपान हेतु
(8) बचत

**36. बचत के ब्यौरे**

(1) नियोजक के पास
(2) मित्रों के पास
(3) बैंक/पोस्ट आफिस
(4) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

**37. कार्य करने के घण्टों की अवधि**

(1) 6 घंटे से कम
(2) 6 से 8 घंटे का मध्य
(3) 8 घंटों से ज्यादा

**ङ. शैक्षणिक ब्यौरे**

**38. गृह में प्रवेश से पूर्व किशोर की शिक्षा के ब्यौरे -**

(1) निरक्षर
(2) पांचवी कक्षा तक पढ़ाई
(3) पांचवी कक्षा से ऊपर परन्तु आठवी कक्षा से कम
(4) आठवीं कक्षा से ऊपर परन्तु दसवीं कक्षा से नीचे
(5) दसवीं कक्षा से ऊपर की पढ़ाई

**39. स्कूल छोड़ने का कारण**

(1) अंतिम कक्षा में अनुत्तीर्ण होना जिसमें अध्ययन किया गया था
(2) स्कूल की गतिविधियों में रूचि की कमी
(3) शिक्षकों का उदासीन व्यवहार
(4) साथी समूहों का प्रभाव
(5) परिवार को सहयोग हेतु अर्जित करना
(6) माता-पिता की अचानक मृत्यु
(7) शाला का कठोर वातावरण
(8) स्कूल में भागने के कारण अनुपस्थित रहना
(9) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

**40. स्कूल के ब्यौरे, जिसमें अध्ययन किया गया -**

(1) नगर निगम/नगर पालिका/पंचायत यूनियन

(2) शासकीय/पिछड़ा वर्ग कल्याण स्कूल
(3) निजी प्रबंधन
(4) कान्वेंट

**41. निर्देशों का माध्यम -**

हिन्दी, तमिल
अंग्रेजी, मलयालम, तेलगु , कन्नड़
अन्य भाषा (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

**42. गृह में प्रवेश के पश्चात् आज दिनांक तक की शैक्षणिक उपलब्धि**

| वर्ष संख्या | कक्षा जिसमें अध्ययन किया गया | प्रोन्नत/रूके रहे |
|---|---|---|

**43. गृह में प्रवेश से आज दिनांक तक प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण**

| वर्ष संख्या | व्यावसायिक व्यापार का नाम | प्राप्त विशेष योग्यता |
|---|---|---|

**44. गृह में प्रवेश से आज दिनांक तक विकसित पाठ्यक्रम से बाह्य गतिविधियां**

(1) स्काउट
(2) खेल (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
(3) एथेलेटिक्स (कृपया दर्शायें)
(4) रेखांकन
(5) चित्रकला
(6) अन्य (कृपया दर्शायें)

**च. सामाजिक हिस्ट्री**

**45. किशोर गृह में प्रवेश के पूर्व मित्रों की जानकारी -**

(1) सहकार्मिक
(2) सहपाठी
(3) पड़ौसी
(4) अन्य (कृपया दर्शाएं)

**46. मित्रों का सर्वाधिक अनुपात**

(1) शिक्षित
(2) निरक्षर
(3) समान आयु वर्ग
(4) आयु में बड़े
(5) आयु में छोटे
(6) समान लिंग
(7) विपरीत लिंग

**47. समूह में सदस्यों के ब्यौरे**

(1) सिनेमा प्रेमी संगठन से संबंधित (नाम का उल्लेख करें)
(2) धार्मिक समूह में संबंधित
(3) कला एवं क्रीड़ा से संबंधित
(4) गिरोहों से संबंधित

(5) स्वयंसेवी सामाजिक कार्य संघ से संबंधित
(6) अन्य (कृपया दर्शायें)

**48. समूह/संघ में की स्थिति**
(1) नेता
(2) द्वितीय चरण नेता
(3) मध्य चरण नेता
(4) सामान्य सदस्य

**49. समूह में सदस्यता लेने का प्रयोजन**
(1) सामाजिक सेवा की गतिविधियों के लिए
(2) खाली समय व्यतीत करने हेतु
(3) मनोरंजन हेतु गतिविधियां
(4) विचलन गतिविधियां हेतु
(5) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

**50. समूह/संघ का रुख**
(1) सामाजिक मानकों का आदर एवं मानकों का पालन
(2) मानकों का उल्लंघन का इच्छुक
(3) नियमों के उल्लंघन हेतु प्रेरित

**51. समूह के मिलन स्थल/स्थान**
(1) सामान्यतः निर्धारित स्थान
(2) जल्दी जल्दी स्थानों का परिवर्तन
(3) कोई विशिष्ट स्थान नहीं
(4) सुगमता के आधार पर मिलने का स्थल नियत करना

**52. बालक के प्रथम बार परिवार से बाहर आने पर समाज की प्रतिक्रिया**
(1) सहयोगी
(2) अस्वीकार
(3) दुर्व्यवहार
(4) अभद्र व्यवहार
(5) शोषण

**53. बालकों के प्रति पुलिस की प्रतिक्रिया जब से संपर्क हुआ हो**
(1) भावपूर्ण
(2) क्रूरता
(3) दुर्व्यवहार
(4) शोषण
(5) अभद्र व्यवहार

**54. बालकों के प्रति जन सामान्य की प्रतिक्रिया**

**हस्ताक्षर**

**परिवीक्षा अधिकारी/केस वर्कर**

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2006

क्रमांक एफ 1-78/2006/सक/26, (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 खण्ड (3) के अनुसरण में किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत बनाये गये नियम, 2006 की अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमृता वेक,** उपसचिव.

Raipur, the 14th December 2006

## NOTIFICATION

No. F 1-78/2006/sw/26 (1).— In exercise of the power conferred by the Section 68 of the Juvenile justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (Central Act, No. 56 of 2000) the State Government of Chhattisgarh is hereby pleased to make the following rules, namely :—

## Rule
## Chapter - 1
## PRELIMINARY

**1. Short title and commencement :-** (1) These rules may be called as the Chhattisgarh Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2006.

(2) These rules shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette".

**2. Definition :-** In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000. (Central Act, No. 56 of 2000)

(b) "Adoption" means taking into custody and responsibility permanently of a Juvnile or a Child who has not completed eighteen years of age and who shall have all the rights and privileges of a natural born child,

(c) "Child with special needs" means a child for whom specialized services or interventions are necessary to facilitate proper care and rehilitation in addition to reguler service provided under the said Act,

(d) Place of safety" means any place or institution (not being a police lock up or jail) he person in charge of which is willing to temporarly receive and take care of the child and which in the opinion of the Competent Authority, may be a place of safety for the child,

(e) "Foster Care" means placement of a child with a nuclear family or group foster home,

(f) "Pre adoptive Foster Care" means placement of a child in a family temporarily till the child can be rehabilitated in a permanent home,

(g) "Foster Child" means a child placed with a foster parent or foster family,

(h) "Foster Parent's" means the person's who is not a parents of the child, but is willing to underake the responsibility for care and maintenance of the child as his or her parent/s without necessarily legal rights of property etc,

(i) "Extended family" means relatives of the child with whom he/she can be placed in foster care,

(j) "Group Foster Care" means care of a group of children in one family or a group foster home run by an Non-Government Organisation,

(k) "Social Workers" means social workers duly recognied and empanelled by the Competent Authority, who are professionals or specially trained to provide Social Work expertise in areas such as counseling, adoption, Community Service, foster care, sponsorship and any other such service,

(l) "Form" means the form annexed to these rules,

(m) "Institution" for the purpose of these rules, means an observation home or a special home or a children's home or a shelter home set up under section 8, 9, 34, 37 and 44 of the siad Act;

(n) "Office-in-Charge" means a person appointed for the control and management of an institution certified or recognized as such under the Act,

(o) "Government" means the Government of Chhattisgarh.

(p) "Secondary Victimization" means and refers to behaviours and attitudes of authorities and personnel in the juvenile justice system towards children within the system, which further traumatizes victims,

(q) "Sexual abuse" occurs when any adult uses a child for sexual pleasure. Sexual abuse can be physical, verbal or emotional and includes:-

(i) Sexual touching and fondling.
(ii) Exposing Children to adult sexual activity or pornographic movies and Photographs.
(iii) Having children pose, undress or perform in a sexual fashion on film or in person.
(iv) Rape or attempted rape.
(v) Forcing, tricking, bribing, threatening or pressuring a child into sexual awareness or activity,

(r) "take responsibility" means being responsible for the physical, mental, emotional and over all health and safety of the child,

(s) "Probation Officer" means an Officer appointed by the State Government as a probation Officer under the Probation of Offenders Act, 1958 under the said Act, specifically for the purpose of discharging the duties and functions relating to Child,

(t) All words and expressions defined in the Act and the code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974) but not defined in these Rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act or the said code respetively,

(u) CARA Guidelines: means the Guidelines issued by the Central Adoption Resource Agency from time to time to regulate matters relating to adoption of Indian children,

(v) The words and experssion used in these rules but not defined ther in shall have the same meaning respectively as assigned to them in the juvenile justice (Care and protection of Children) Act,2000 (Central Act No. 56 of 2000)

## CHAPTER - II
## JUVENILE IN CONFLICT WITH LAW

**3. Juvenile Justice Board :-** (1) The Juvenile Justice Board shall consist of a Metropolitan/Chief Judicial Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class, as the case may be, and two social

workers of whom at least one shall be a woman, forming a bench.

(2) Every such bench shall have the powers conferred by the code of criminal procedures 1973 (No. 2 of 1974).

(3) A Magistrate with special knowledge/training in child psychology or child welfare shall be appointed as a Principal Magistrate of the Juvenile Justice Board.

(4) In case the Principal Magistrate with such special knowledge and training is not available, then the State Government shall provide for such short-term training.

(5) The two social workers, of whom at least one shall be a women, shall be appointed by the State Government.

**4. Selection of the members of Juvenile Justice Board :-** (1) The selection of the social workers members of the board shall be made by a selection committee consisting of the following persons namely -

(a) District and Session's Judge
(b) District Collector
(c) Commissioner of Police/District Superintendent of Police.

(2) There shall be panel of not more than five names indentified from willing and competent persons in the district chooser by the committee.

(3) The Government shall appoint social workers members to the board, only from the persons recommended by the selection committee. No persons shall be eligible for appointment unless he recommended by the selection committee.

**5. Qualifications of Social Workers :-** (1) The social workers to be appointed as a member of the Board shall be a person, who

(a) has been actively engaged in planning, implementing and administering health, education or other welfare activities pertaining to child rights issues for at least five years.

(b) a graduate from a recognized University.

(c) a teaher, a doctor, retired public servant or a professional who is involved in the work concerning juveniles or.

(d) a social workers who has been directly engaged in child welfare.

(2) No practicing lawyer shall be appointed a chairman or member of the board.

(3) The appointment of Member may be terminated by the State Government in accordance with the provisions of sub-section (5) of Section 4 of the Act.

(4) A member may at any time resign by giving one month notice in writing to the State Government.

(5) A casual vacancy among the members may be filled by appointment of another members for the remaining period of tenure of the member in whose place the appointment in made.

**6. Term of the Member of the Board :-** The term of the Member of the Board shall be five years from the date of his appointment provided that a social worker member of the Board shall be eligible for appointment for a maximum of two term's one shall not be more than 65 year's of age.

**7. Time and Place of sitting of the Juvenile Justice Board :-** (1) The Board shall hold its sittings

in the premises of a observation home. The board shall meet on two working days of a week on Wednesday and Thursday from 11:00 a.m. to 5:00 p.m. and seen the more number of case . The board may think of additional meetings.

(2) The final disposition of the enquiry shall be passed by atleast two members of whom one shall be the Principal Magistrate.

(3) In case of difference of opinion in the process of disposition or interim order if any to be made, the opinion of the majority shall prevail, but, where there is no such majority, the opinion of the Principal Magistrate shall prevail. In such cases, the Principal Magistrate shall record in writing the circumstances that led to him to take the final decision.

**8. Honorarium :-** The social worker members of the Juvenile Justice Board shall be paid a Honorarium as the State Government may determine from time to time.

**9. Procedure through which a child may be produced before the Board :-** (1) Persons through whom a child alleged to be in conflict with law may be produced before the board.

(a) The officers of the Special Juvenile Police Unit.
(b) Any Police Officer.
(c) The Child herself/himself.
(d) Any recognized voluntary organization willing to take responsibility.

(2) Wherever possible, all such persons shall, except at the time of arrest, only wear civil clothes and not a uniform' unless specific circumstances require the said officer to wear a Police uniform in the interest of the child. However,; they shall at all times have their identification card that shall be produced on demand.

(3) The concerned Police Officer shall perform the role of friend of the child. He/she shall perform all the specific roles and responsibilities required by Police with regard to children alleged to be in conflict with law. He/ she shall. work in close co-ordination with the Social Workers in the Special Juvenile Police Unit arid perform only specialized roles expected by the police. All Police Officers are ultimately responsible for the care and protection of the children.

(4) The social workers at the Special Juvenile Police Unit shall be the caseworker in relation to the Children alleged to' be in conflict with law and shall also perform on the role of friend of the child. He/she shall receive the the child is a sensitive and friendly manner and enable him or her to feel at ease during the entire process of first and preliminary inquiry.

(5) As soon as child in conflict with the law is apprehended by the Police, the Police shall place the child under the charge of the special juvenile police unit or the designated police officer. In case a recognized voluntary organized takes a child to the Juvenile Justice Board, the voluntary Organization shall also inform the concerned Police Station.

(6) The special juvenile police unit or any other producing agent shall produce the child before the Magistrate or a Member or the Board within 24 hours of his apprehension (excluding the time taken to bring the child from the Police Station/place of safety to the Board). In case of delay in production before the Magistrate/Board. The details of not doing so are recorded in the Police Daily/General Diary. Preliminary inquiries should be completed as soon possible and care shall be taken not to cause any stress to the child for purposes of extracting information for assessment or the initial reports.

(7) The child shall be informed promptly and directly of the charges against her/him in a language and manner that she/he understand so as to ensure fill comprehension of the same..

(8) On arrest the child shall be given all possible assistance to enable her/him to fulfil her/his right

to call any person of her/his choice over the phone or otherwise.

(9) The child shall not be compelled to confess or give testimony. No form of torture or harassment shall be used In order to extract information from the child.

(10) On arrest, the child shall not be kept in the lock up of the police station or jail in order to conduct the preliminary inquiries. Instead, in the shortest possible time not exceeding eight hours, she/he shall be taken to (or observation home) a place of safety such as the Special Juvenile Police Unit or other such organization wherever such organization is present. When a child is kept in a place other than the special juvenile police unit, the officer-in-charge of the Said shall immediately inform the special Juvenile Police unit of that jurisdiction and shall as far as possible work in co-ordination. All such places shall be child friendly places with an environment, services and facilities which respect the children as persons and enable them to relax, play express their opinions, participate in decisions them and have access to caring and responsible adults. The Police/recognized voluntary organization to ensure the safety of the children apprehended or kept under their charge.

(11) The child alleged to be in conflict with law shall be provided with' nurturing care a, well as other services deemed necessary at that time, such as immediate medical attention, basic needs, counselling, etc.

(12) The special juvenile police unit to which the child is brought, shall inform the concerned Probation Officer of such apprehension in Form IX to obtain information regarding the antecedents and family background of the child and other material circumstances likely to be useful for assistance to the Board for making the inquiry.

(13) The Designated Child Welfare Officer or officers from the special juvenile police unit shall in the shortest possible time, inform the parents or legal guardian about arrest of the child in Form X. During any further questioning of the child, they shall ensure the presence of the parent or legal guardian. The concerned officer may also make a connected attempt to identify someone as a "fit person'-preferably a social worker who knows and is willing to take responsibility of the child. The Officer along with the fit person shall consult the child and determine together-, whether it is in her/his interest to inform the parent/legal guardian, taking into account the cases where there present/legal guardians allegedly exploit or abuse children.

(14) the social worker of the special juvenile police unit or the Senior Social Worker in case of the recognized voluntary organization, shall as far as possible make a visit to the place of the child as well as to the place of the alleged crime and prepare a social investigation report narrating the circumstances of apprehension and offence committed and with the description on the possible reasons why the child has allegedly committed the crime.

(15) The producing agent may make a report with recommendations to the Board. Such recommendations may include immediate release after admonition or reconciliation to be facilitated by the Child Welfare Officer at the juvenile police unit itself Whenever appropriate and possible, children alleged to have committed petty offences may be released from the special juvenile police unit itself, when one member or the bench of the Board a-accepts such recommendations within the maximum 24 hour Period for preliminary inquiry. If the Board ratifies such a recommendation,. the said child shall be released from the place of safety itself. If the Board decides not to take this recommendation into account. then the said child may be transferred to the Observation Home produced before the Board.

**10. Procedure to be followed by a juvenile justice board in holding inquiries :-** (1) In every case in connection with a child,. the Board shall obtain a birth certificate or medical opinion regarding his age and his physical and mental conditions.

(2) The Board shall satisfy itself either from the declaration of Police in writing or otherwise that the child was not kept in Police lock up or jail prior to he production of the child before the Board and that he/she was produced within 24 hours of taking charge. The Board shall also satisfy that the child has not been subjected to ill treatment or harassment either by the Police or by any other person from the time of taking charge. The Board shall also ensure that no girl was taken into charge by police between sunset and sunrise, provided if the circumstances warrant, that she was kept under the care of a woman in a place of safety or in an Observation

(3) No juvenile or the child shall be handcuffed or fettered under the provisions of the Act and the rules made thereunder.

(4) When the child is presented first time before the Board, the Board shall immediately determine wheth.. the child can be released on bail. It the child can be release og bail then the court shall release the child either to a parent, guardian and fit person/institution or on personal bond by the child.

(5) When the child is presented before the Board, shall communicate to the child in a child friendly manner- a home like isle environment, and in a manner that the child can understand the substance the charge against him/her. The child shall be asked "whether he/she committed the offence of which he or she is accused.

(6) If the child accept that he/she committed the offence of which he or she is accused, then the Board records the acceptance and issue the appropriate order. If offence is not serious, the Board shall wherever possible issue a reprimand and release the child.

(7) When witnesses are produced for examination, the Board shall exercise the power conferred on it by section 165 of the Indian Evidence Act, 1872, so as to question them as to bring out any point which may go in favour of the child.

(8) If the child does not accept the substance of the charge, then the Board shall proceed to hear the prosecution a take all evidence produced by the prosecution and also hear the accused and take all evidence as he/she produces in his/her defence.

(9) The Board may if it thinks fit on the application of the prosecution side or the child, issue a summons to any witness directing him to attend or to produce any document or thing.

(10) The Board shall address its inquiry with the question that why the child committed the offence and how best to redress the causative factors. In accordance with subsection (2) of Section 10 the Board shall also order in Form I to a Probation Officer, or otherwise to conduct a social investigation, reporting on the character and antecedents of the child with a view to assessing the best possible mode for placement, such as, with the family, institution or otherwise permissible under the Act.

(11) The order to be issued by the Board shall take into account-

(a) the views of the child

(b) the best interest of the child

(c) the fact that detention should be a last resort and for the shortest possible period of time. Only in the case of serious offences or chronic repeaters the Board shall order detention.

(12) The State Government shall recognize registered voluntary organizations to supervise and submit periodical reports, and directed by the Board regarding the orders passed under clause (b) and (c) of sub-section (1) of Section 15 of the Act.

(13) When a child is placed under the care of a parent or a guardian and if the Juvenile Justice Board deems it expendient to place the child under the supervision of a probation officer, it shall issue a supervision order in Form II.

(14) The Competent Authority may, while making an order placing a juvenile under the care of a pare lit, guard fit person, as the may be direct such parent, guardian or fit person to execute a bond with or without sureties in Form IV.

(15) Whenever the Juvenile Justice Board orders a child to he kept in an institution, it shall, forward to the Officer-in-charge of such institution a copy of its order in Form III with particulars of the home and parents or guardian and previous record.

(16) All children shall be kept in such a home which is nearest to where he/she belongs, unless it is not in his/her interest to do so, such as in situations of conflict/disaster.

(17) The officer-in-Charge of an institution certified as special home under sub-section (2) of Section 9 of the Act shall be informed in advance by the Board before any child is committed to it.

(18) The Officer-in-Charge of an institution may on receipt of the information intimate in writing objections, if any, to the committal of the child and the objections shall be fully taken into consideration by the Board before the child is committed to the said institution.

(19) In case the board orders in Form VIII to the parent of the child or the child to pay a fine, the amount realized will he be deposited in the government treasury.

(20) When a child is produced before an individual member of the Board, the order given by the member shall be retified in the next meeting of the Board.

(21) The Board shall initiate action against any media for publishing any matters relating to children in need of care and protection, if such material leads to the identification of the child.

**11 Procedure in respect of sections 23,24,25 and 26 of the Act :-** The offences against the juvenile or child specified in sections 23,24,25 and 26 shall be either bailable or non bailabe besides being cognizable under the provision of the code of criminal procedure Act, 1973 (No. 2 of 1974) and the provision of bail or otherwise, shall apply on the police Board and the concerned accordingly.

# CHAPTER -III
# CHILD IN NEED OF CARE AND PROTECTION

**12. Child Welfare Committee.** (1) The Committee shall consist of a Chairperson and four other members as the State Government may think fit to appoint, of whom at least one shall be a woman, and another an expert on matters concerning children.

(2) The Committee shall function as a bench of Magistrate and shall have the powers conferred by the Code of Criminal Procedure, 1973 on a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate.

(3) State Government may, be notification in the Official Gazette, constitute for a district or a group of districts specified in the notification, one or more child welfare committees.

(4) The Selection Committee shall consist of following seven members, namely -

(i) a retired judge of the High Court or retired Secretary to the State Government having experience in social Welfare shall be the Chairperson of the Selection Committee.

(ii) Two representatives or reputed non-governmental organizations working in the

area of child welfare,

(iii) A representative from an academic body :

(iv) Two representatives of the concerned department of the State Government, and

(v) A representative of the State Human Rights Commission or such recognized agency or cell or a retired special Judicial Magistrate.

13. **Selection of the Chairperson and Members of Child Welfare Committee :-** (1) The Selection of Chairperson and members of Child Welfare Committee shall be made by a Committee consisting of the following persons:-

(I) District and Sessions Judge

(II) District Collector

(III) Commissioner of Police/District Superintendent of Police.

(2) There shall be a panel of not less than ten names identified from willing and competent persons in the district, chosen by the Selection Committee.

(3) The Government shall appoint Chairperson/Members of the committee only from the list of persons recommended by the Selection Committee.

(4) No persons shall be eligible for appointment unless he is recommended by the Selection Committee.

14. **Qualifications of Chairperson and Member of Child Welfare Committee -** (1) A person to be selected as a Chairperson/member of the Child Welfare Committee shall have either of the following qualifications, with five years experience in their respective field:

(a) a graduate from a recognised university

(b) Respectable, well educated Citizen with the background of special knowledge of social work, child psychology. Education, Sociology or Home Science.

(c) A teacher or a doctor or a senior retired public servant who has been involved in work concerning child welfare or

(d) A Social Worker of repute who has been directly engaged in work on child rights.

(2) No practising Lawyer shall be appointed.

(3) The appointment of Chairperson/Member may be terminated by the State Government at any time in accordance, with Ll he-provisions of sub-section (4) of Section 29 of the Act.

(4) Any Chairperson/Member may at any time resign by giving one months notice in writing to the State Government.

(5) Any vacancy may be filled by appointment of another Social Worker for remaining period of the term of the member in whose place he is appointed.

15. **Tenure of the Committee :-** The tenure of the Chairperson and the members of the Committee shall be five year provide d, 'a member of the Committee shall be eligible for appointment for a maximum of two terms and shall be age of 35 to 65 years.

16. **Time and Place of sitting of the Child Welfare Committee :-** (1) The Committee shall hold its sitting in the premises of a children's Home or any other place as may be determined by the

Government from time to time and the Committee meet at least two days in a week on Friday and Saturday from 11 .00 a.m. to 5.00 p. m. However, the Chairperson may extend the sitting time in case any important business is to be transacted.

(2) The quorum for the meeting shall be three members which may include the Chairperson.

(3) Any decision taken by an individual member, when the committee is not sitting shall require ratification by the committee in its next sitting.

(4) The final disposal of cases relating to children in need of care and protection, shall take place in the office of the committee, by the order of atleast two members.

17. **Honorarium :-** Members of the committee shall be paid honorarium as the State Government may determine from time to time.

18. **Procedure of the Child Welfare Committee: -** (1) When any person/organisation authorised under the Act receives a child in need of care and protection, he/she/they may also produce the child before the Committee with the social investigation report of the circumstances in Form-XIII under which the child came to their notice. They may also be encouraged to assist in efforts to trace the family.

(2) If the child has been received by a Police person other than officers of the Special Juvenile Police Unit, she/he shall, as far as possible transfer the care of the child to the Special Juvenile Police Unit, or any other appropriate non-police person under Section-32 of the Act.

(3) The case the Committee is not sitting, the child shall not be kept in the police station or jail, but shall be taken a place of safety such as a designated Shelter Home run by a recognized or authorised non governmental organization and if not then to a Child help line or such organization, wherever such organization is available. Such authorities shall give the highest priority to the most expeditious processing of such case's to ensure the shortest possible duration of such detention pending inquiry, which itself should be a measure of last resort.

(4) The child shall be admitted at any time and the Officer-In-Charge of the Children's Home/ Reception Unit shall receive the child irrespective of the time. A child brought during the night shall be produced before the Committee at its next sitting for obtaining order.

(5) The child's access to caring responsible adults and provision of other basic needs shall be ensured during this pen period of institutionalisation. A medical check up shall be done if it is found that the child requires it or if he child/specifically requests for the same. Special attention shall be given to girls and other children requiring specialized care.

(6) (i) The producing agent on his own or with the assistance of any other persons shall immediately inform the parents or guardian. The producing agent shall ensure that the parents/guardian of the child is present at the time of preliminary enquiry An exception may be made when it is considered by the case worker/Probation Officer in consultation with the child who has specifically expressed his/her right not to inform the parents/Guardian, that it is against the best interest of the child to do so. Reasons for these exceptions shall be expressed in writing.

(ii) Where a child parents or guardian cannot be contacted earlier, or as mentioned in clause (I), if the child specifically wishes that they not be contacted, any other fit person accepted by the child and considered appropriate by the. case worker/probation officer, shall be informed of the child's desire to seek assistance under the Act so that he or she can attend the preliminary inquiry.

(7) A preliminary inquiry shall be completed as soon as possible, Care shall be taken not to cause any stress to the. child, for purposes of extracting information for the assessment/initial reports, keeping

in mind that many children are not ready to share information at this initial stage. Every possible effort shall be made to engage the child through making a positive relationship of trust. The person handling the child case shall make every attempt to trace and associate the family in the inquiry, unless such procedure is believed to cause undue stress to the child or such mdi an interaction is not in his/her best interest. Assistance of the police recognized voluntary organizations/ child line may also be taken. The Social Worker/Probation Officer of the institution/organization in which the child is admitted at the initial stage shall as far as possible make a visit to the home of the child and prepare a social investigation report which is to be recorded.

(8) In case, the child is found to be lost or missing detailed inquires shall be made as provided in sub-rule (7)of Rule 18.

(9) Children who are more than two years of age, shall be produced before the Committee within twenty four hours's after the reception of the child excluding the journey time by the organization. For children under two -years of age, the organization shall send a written report along with the photograph, within 48 hours of admission, excluding journey time.

19. **Persons through whom a child may he produced before the Committee :-** Any child in need of care protection shall be produced before the committee by the following persons.

(a) Any Police Officer of Special Juvenile Police Unit or a designated Police Officer;

(b) Any public servant;

(c) Childline, a registered voluntary organization, or by such other voluntary organization or an agency as may be organized by the state Government;

(d) Any Social worker or a public spirited citizen authorised by the State Government; or

(e) By the child himself.

20. **Procedure for detailed Inquiry after Producing the Child before the Committee:-** (1) When a child is brought before the committee, the committee shall assign the case to a Probation Officer Social Worker/Case worker child/Welfare Officer/Officer in charge, as the case may be, of the home or any appropriate recognized agencies most be in form I for conducting a detailed inquiry. The producing agent shall be encouraged to participate in the detailed inquiry, as to avoid multiple inquiries.

(2) The Committee shall direct the concerned person/organization the details/particulars to be enquired into for ' rehabilitation. The direction for the inquiry under section 33 of the Act must be in form I. The Committee shall also maintain a list of experts in the field of psychology, counselling, etc. in consultation with the Department of Social Welfare. Who willing to provide such services. The Committee may direct such professionals to furnish a special report about the child in need of care and protection.

(3) The detailed inquiry must be completed within 4 months unless special circumstances do not permit to do in the interest of the child. Under such circumstances written extension must be taken by the Inquiring furnish agency section 33 (2) of the Act.

(4) Medical Check up/assistance may be done/given if the personnel concerned think fit or if the child for the same. Care shall be taken to ensure that such medical examination is conducted in a sensitive manner.

(5) Where a child's parents or guardian cannot be contacted earlier, or as mentioned in sub-rule (6) of rule 18 and if the child specifically wishes that they not be contacted, the Probation Officer shall make a concerted identify any other fit person accepted and considered appropriate by the child and

shall inform him or her child's desire to seek assistance under the Act so that he or she can attend the inquiry.

(6) The committee shall make arrangement to send the child to the designated place of safety. or the ('Children's Home having' appropriate facilities, regarding Age and sex during the pending detailed inquiry. Children should as far at he lodged in a home closest to where they belong, unless it is not in their interest such as in situations of diaster/conflict.

(7) The Committee may refuse temporary custody of the child to parents/guardians if the release is found likely to be against the best interests of the child. Such reasons shall be recorded in writing and further detailed inquires shall be made for suitable placement.

(8) The child may be escorted by a representative of a voluntary organization or a Police Officer, or by any other arrangement deemed appropriate by the Committee. Escort by Police shall be a measure of last resort. The preference shall be given to desisgnated Police Officers or those attached to an Special Juvenile Police Unit.

(9) After completion of the inquiry, if the child is ordered to continue in the children's home, the Committee shall carry out an annual review of the progress of the child in the home.

(10) Whenever the Committee orders a child to be kept in an institution, It shall forward to the Officer-in Charge of such institution a copy of its order in Form III with particulars of the home and parent's or guardian and previous record.

(11) The Competent Authority may while making an order placing a child under the care of a parent, guardian or as the case may be direct such parent, guardian or fit person to enter into a bond in Form IV with or without sureties.

## CHAPTER-IV
## ESTABLISHMENT OF INSTITUTIONS UNDER THE ACT

21. **Observation Home :-** ( 1) The State Government may establish and maintain Observation Home either by itaalf - afi ment with voluntary organization in every district or a group of districts as may be required or the temporary reception of any child alleged to be in conflict with law during the pendency of any inquiry regarding them under the Act.

(2) Separate institutions shall be maintained for boys and girls.

(3) Inmates of the institutions shall be classified and separated in accordance with their degree of offence and their age. as follows

Age group up to 12 years

Age group of 12 to 16 years

Age group of 16 to 18 years

(4) The State Government may also certify or recognised any institution as observation home for the purpose of this, Act.

22. **Objective of the Observation Home :-** (1) Opportunities to pursue Education shall be offered through the provision of creative non-formal classes that enable the child to sustain his/her interest in formal education especially- if the child has attended such school.

(2) Special counselling sessions may be conducted by trained persons to enable children alleged to be in conflict to deal with their feelings and fears about their situation and to offer them legal aid.

(3) In any case, children shall be offered opportunities to make constructive use of their time even during this short period of observation.

23. **Management of Observation Home :-** Management of Observation Home shall be maintained by an office-in-charge specifically appointed to hold office as superintendent of the institution, who is under the control and supervision of the senior department district officer and district collector and Commissioner/Director of Social Welfare. The custody of children in conflict with law in the observation home shall be Judicial Custody.

24. **Admission of a Child :-** (1) Admission of child in the observation home shall be made round the clock and the Officer-in-charge of observation home is bound to receive the child irrespective of the time.

(2) Admission of child in the observation home or a place of safety shall be made by the Juvenile justice Board by issuing a placement order duly signed and seal affixed. No child other than a child in conflict with law shall be kept in an observation home.

(3) The Officer-in-Charge shall be authorised to detain in the observation home a child brought during the night he is produced before the juvenile justice board, the next day for obtaining an order.

(4) The Officer-in-Charge shall refuse admission of a child whose age, identification marks and offence for which he is charged etc.. has not been mentioned specifically. Provided further admission can also be refuse if the placement order is not signed duly or corrections not attested properly or brought without any seal affixed,

(5) The Superintendent/Officer-in-charge will be personally responsible to see that no child is admitted unauthorised. He will keep a proper check when a child admitted at odd hours.

25. **Special Homes. :-** (1) The State Government may establish and maintain Special Home either by itself or under an agreement with voluntary organization in every district or a group of districts as may be required for the reception, care, treatment and rehabilitation of children in conflict with law who have been directed to undergo institutions training for his activities against law.

(2) Separate institutions shall be maintained for boys and girls.

(3) Inmates of the institutions shall classified and separated in accordance with their degree of offence and their age as follows -

Age group of 12 years

Age group of 12 to 16 years

Age group of 16 to 18 years

(4) The State Government may also certify or recognised any institution as Special home for the purpose of this Act.

26. **Objectives of Special Home:-** The objectives of the Special Homes shall be-

(1) (a) to receive a juvenile in conflict with law who has been ordered by Juvenile Justice Board;

(b) to provide opportunities to receive emotional and psychological support;

(c) to facilitate the child to receive proper health care, education, vocational training behaviour modification programmes etc.;

(d) to ensure the child to be protected from secondary victimization and assist the child

for development and growth;

(e) to prepare the child for reintegration within the community as a changed person;

(f) Special Programmes : Programmes may be to -

(i) Assist the child to accept rather than to avoid' responsibility for his/her actions;

(ii) Help the child to focus on helping to resolve problems identified as contributing to their offending behaviour;

(iii) Assist the child to develop practical alternative ways of coping with stressors;

(iv) Involve, wherever possible, families of offenders to work on family issues likely to reduce offending

(v) Remediating educational deficits in basic skills to raise social competence;

(vi) Help to develop market place work skills, which can lead to further training opportunities, -qualifications and real jobs;

(vii) Assist the child in establishing and strengthening relationships with significant others who can then become mentors and role models.

(viii) Involve the child in empowering experiences of assessing their own needs and planning and monitoring their own case plans.

(ix) Help the child to develop skills and confidence to assert positive leadership and self-discipline.

(2) Efforts may be made to develop a Victim Offender Reconciliation Programme (Concept taken from Victin Offender Reconciliation Programme, www.vorp.com) with such experts involving interested and competent Non-Government Organization. The objectiv of such programmes may be to offer avenues for communication, responsibility reconciliation and restitution.

(3) A programme for Group Counselling and other such services shall be evolved with the help of experts in the field.

(4) A programme to offer and monitor meaningful and effective community service to children in conflict with law, who are ordered to undergo for the same, may be evolved with the help of competent and sensitive Non-Governmental Organizations/experts. The objective of such community service shall be to enable the child to move towards becoming an adjusted member of the community and it shall in no way futher stigmatize the child or violate his rights.

27. **Management of Special Home :-** management of Special Home and shall be maintained by an Officer in charge speciaficially appointed to hold office as superintendent of the institution who is under the control and superivision of the department district officer, district collector and Commissioner/Director of Social Welfare.

28. **Admission of Child :-** (1) A child in conflict with law shall be admitted on a written placement order issued and duly signed by the Juvenile Justice Board for the purpose of the receiving institutional programme.

(2) No child shall be admitted or kept in the special home without any valid placement order issued by the Juvenile Justice Board or any other Competent Authority exercising the

powers of the Juvenile Justice Board.

(3) No child shall be kept in the Special Home beyond the date upto. Which the child can be kept as per orders on Juvenile Justice Board.

(4) If a child is to be kept in special home beyond the date up to which the child was ordered to be kept in the institutins, the formal order of the juvenile justice board shall be obtained in advance to complete the academic or vocational training till the closure of the academic year.

29. **Children Home :-** (1) The State Government may establish and maintain Children Home either by itself or under an agreement with voluntary organization in every district or a group of districts as may be required for children in need of care and protection.

(2) Separate institutions shall be maintained for boys and girls.

(3) Inmates of the institutions shall classified and separated in acordance with their age as follows-

Age group up to 12 years.

Age group of 12 to 16 years

Age group of 16 to 18 years

(4) The State Government may also certify or recognised any institution as Children home for the purpose of this Act.

(5) Each children home should be a comprehensive child care centre.

30. **Objective of the Children Home :-** The objectives of the Children Home shall be -

(a) To receive a child in need of care and protection.

(b) To facilities the child to receive educational and vocational training, behaviour modifications programmes for personal growth and developments.

(c) To ensure that the child develops positive attitude towards family and creates a linkage with the family.

31. **Management of Children Homes :-** Management of Children Home shall be maintained by an officer-in-Charge specifically appointed to hold office as superintedent of the institution, who is under the control and supervision of the seniour department district officer, district Collector and Commissioner/Director of Social Welfare.

32. **Admission of Child :-** (1) Children who are in need of care and protection shall be admitted in the childrens home as per the orders of the Child Welfare Committee.

(2) Children conflict with law cannot be admitted in children home under any circumstances.

33. **Reception Unit :-** (1) There shall be a Reception unit in every childrens home which shall take care of children during the pendency of enquiries by the Child Welfare Committee.

(2) Admission of Children in the childrens home shall be made by the order of the child welfare committee. No children shall be admitted in the institution without a formal order from the Child Welfare Committee.

(3) The Officer in charge of the institution shall not discharge the admitted child from the institution in any manner without the consent of the Child Welfare Committee.

(4) No girl child, during admission, shall be subjected to scrutiny and checkup by any male staff of the institution.

(5) Every girl child shall be subjected to medical examination within 24 hours of her admission by a lady Medical Officer either by the Government doctor or by the panel of approved lady doctors maintained in the institution. Every child on admission shall be kept in the reception unit till such time the enquiry related to the child is completed by the child welfare committee.

34. **Disposition of Children from Reception Unit :-** Children in the Reception Unit shall be discharged from the Reception Unit on the orders of the Child Welfare Committee. The child welfare committee may order that —

(a) The child shall be restored to the care of parents or relatives as per the orders of the Child Welfare Committee, or

(b) The child shall be shifted to the regular unit of the childrens home for further development activities of the child, or

(c) The child shall be transferred to a similar children homes or, a shelter-home or a fit institution or under the care of fit person or.

(d) If a child belongs to some other State/District the child shall be transferred to the respective Child Welfare Committee for further enquiry and disposition.

35. **Transfer/Escorts :-** (1) The transfer of a child to any of the children homes or, shelter home in other State shall be made within a week of the orders of the Child Welfare Committee and the cases related to transfer to another State shall be completed within 30 days by arranging proper escorts.

(2) The transfer of children shall be given effect by a travel documents issued by the Officer--in-Charge of the Institution.

(3) Girl child shall be escorted by female staff accompained by a male staff.

36. **After Care Homes :-** (1) After Care Homes may be set up to take care of children after they leave special homes and children's homes. These after care services shall be offered to all children/youth beween the ages of 18-20 years in order to empower them and facilitate their smooth transition from institution life into the community.

(2) Objective of these homes would be to enable such children to learn life skills, which will enable them to adapt to society. During their stay in these homes these children should be encouraged to move away from an institution bases life to a normal one.

(3) Target groups shall include who have either left special homes or children's homes.

(4) The Key components of the model may include setting up to temporary homes for a group of youths, who can be encouraged to learn a trade and contribute towards the rent as well as the running of the home. There should also be provision for a peer counsellor. The counsellor may be in regular contact with these youths to discuss their rehabilitation plan and provide creative outlets for their energy, to tide over crisis periods in their life.

(5) The programmes under the sheme of after Care Programmes shall include :-

(a) Facilitating employment generation for these youth. When a youth has saved a sufficient amount, she/he can be cnouraged to stay in a place of his/her own and move out of the group home, or the youth must continue staying in the home. The youth who are learning a vocational trade could be given a stipend. This shall be stopped when the youth gets a

job.

(b) Loans to these youth to set up entrepreneurial activities would also be arranged.

(c) Micro-credit and entrepreneurship training as well income generation programmes should be offered.

(d) Girls especially shall be encouraged to take up further education and take admission in other Government Hostels. Though they may be financially and otherwise supported in case they opt to be married, such an option shall not be the only one offered to them as a reintegration strategy. When on discharge from the After Care Home, youth who has absolutely no parent or guardian or mentor, youth shall be referred to appropriate recognized agencies or Non Governmental Organizations for further training or apprenticeship or other such rehabilitative measure.

(e) A peer turned counsellor would also be available for youth at these homes since at this stage of life they can be turned into crime or drug dependence and such other habits or deviant behaviour, hence the need for a counsellor.

(f) As far as possible, these after care homes shall be located within the community in areas that enable the youth to come in contact with a healthy social and community life. Each home would house 6-8 youths who could opt to stay together. One peer counsellor can be in-charge of a cluster of 5 homes.

(g) Where possible, the State Government may make efforts to dovetail the After Care Home Programme with other State and Central Government schemes that may enable the youth to take advantage of opportunities to secure a better future on his or her own.

37. **Shelter Home :-** (1) For the children in urgent need of care and protection, such as destitutes, street children, run-away children etc. the State Government shall support creation of the requisite number and not less than one Shelter homes through voluntary organizations. Local Authority Children with special needs from Children's Homes may also be referred to these Shelter Homes for special care, if such special care is avilable.

(2) The Shelter homes may be run in a manner, which facilities following two stages of intervention during the period of initial contact with children :-

(a) **First Contact :-** The first stage of intervention shall be made through initiating first contact invervention similar to street contact centers located on Railways Stations or other areas of high density of children at risk.

(b) **Transit Care :** The second stage shall be to facilitate a more settled setting for children in crisis who require transit care prior to long-term placement.

(3) **Infrastructure :-** The first contact centers of the shelter home shall have a fairly large physical space for reception of children along with attached bathing and toilet facilities. The shelter homes for transit care shall have the minimum facilities of boarding and lodging besides the provision for fulfillment of basic needs in terms of clothing, food, health care and nutrition, etc. as well as additional facilities for education, vocational training and recreation. Both these centers of the shelter home shall be managed in such a way as to provide child centered community based reception centers for children.

(4) The Child Welfare Committee, Special Juvenile Police Units, Public Servants, Child lines, Voluntary Organizations, Social Workers and the children themselves may refer a child to such facilities.

(5) The legal requirements of investigation and disposal shall not apply in cases of children

residing in the shelter home, except giving information to the committee and the police about the missing or homeless children besides initiating legal action in the interest of the child in terms of Act or other child related laws.

**(6) Duration of stay in the shelter homes :-** The Staff of the Shleter homes shall make a case plan for each child and work with the child to try and find a suitable placement as soon as possible. No child shall ordinarily stay in the transit care shelter home for more than 3 to 6 months, in case of Government funding, all children who have not been placed in such home shall be referred to other Non Government Organization for further follow up. A list of such Non Governmental Organization shall be maintain and effective liaison and networking initiated to facilitate such referrals.

**(7) Management** — The Shelter Home shall be run by recognized or authorized voluntary organizations having a minimum of one year in dealing with children in especially difficult circumstances. The Shelter Home shall to the extent possible be managed by taking into account the principles and standards outlined in the Rules listed in the Chapter VII on Institutional Management, in acordance with the needs of the child.

**38. Objectives of the Shelter Home :-** (1) There shall be following objectives of the Shelter homes.

(a) Identify and receive children who are at risk and in need of urgent care and protection as well as those who specifically seek help in that jurisdiction.

(b) Build up a friendly relationship with the child so as to enable him/her to understand and share the reasons for his/her present situation as well as to participate in a decision regarding his/her placement.

(c) Offer quick assessment services and referrals to detailed assessment and other services.

(d) Offer services of counselling, recreation, medical non-formal education and temperary, open and freely accessible 24 hours shelter.

(e) Directly link up with competent authorities and institutions under the Act coming under that jurisdiction as well as network with the Child Help line of the area and all other recognized fit persons, voluntary organizations and fit persons willing to assist in the work of the Shelter Home.

**(2) Location (estibleshment)** - The Shelter Home shall preferably be located in areas of high density of children in difficult circumstances such as Railway Stations, market places and other commercial areas.

**(3) Jurisdiction :-** The State Government shall encourage for setting up at least one Shelter Home in every District.

**(4) Affiliation to the Jurisdictional Police Station :-** Every Shelter Home shall be affiliated to the Jurisdictional Police Station and to the Child Help Line for any specific assistance.

**(5) Staffing pattern :-** The staffing pattern of the Shelter Home may be as under :-

(a) One Senior Social worker who is qualified or has special training or experience in working with children in especially difficult circumstances.

(b) One Junior para professional with special training or experience in working with children in especially difficult circumstances.

(c) One helper.

(d) Two youth peer counsellor performing the role of friends of children.

**(6) Shelter Homes for Children with Special Needs : Such as Mentally Challenged Children:**

The State Government may run Children's Homes for mentally challenged children and children with multiple disabilities as per need. All Rules of Chapter VII of these Rules shall be applicable in these Homes.

**39. Children Affected by Displacement, disaster and Conflict —** Children affected by displacement, disaster and conflict shall be dealt with as children in need of care and protection under these Rules. However, certain additional principles and Rules to provide for special care shall be observed as stated below :—

(1) Special Provisions for children affected by displacement, disaster and conflict —

(a) Children shall be informed of their own situations as well as the details of their family if known, the progress in resettlement and any other issue that may be relevant to the child.

(b) There shall be no discrimination based on caste, language, ethnic origin, gender, or any other status by either staff or other children. Due consideration shall be given to the dynamics associated with conflict or other such situation.

(c) **Respect for cultural needs :-** Keeping in mind that the child may be from a diverse cultural background every effort shall be made to be sensitive of the child's cultural and social needs. Such efforts may be to cook food familiar the child, identify persons who speak the language of the child to interact with the child and make the child comfortable and secure so as to reduce the stress of being in an alien environment. The child shall be allowed to follow his or her own religion, rituals and festivals.

(d) Family and community-based re-integration shall be given priority. Howver, with due regard to the root cause and special circumstances of the case exceptions may be made with reasons recorded in writing.

(e) The competent authorities shall respect and ensure respect for relevant rules of international humanitarian law applicable in situations of armed conflict.

**(2) Reporting :-** Only a trained social worker, child psychologist or child psychiatrist shall assess the situation of the child and prepare the report. Personnel shall make every effort to understand, report and respond to the Tourism Officer deep psychological impact on such children and shall strive to receive and deal with the child sensitively. In preparation of the report and during all other procedures, every effort shall be made to avoid secondary victimization.

**(3) Procedure :-** Need Assessment of child shall be done by a child psychologist or trained social worker within four days of arrival of the child in the contact. All other procedures may be such as prescribed in chapter III of these Rules.

**(4) Non-institutional Care :-** As far as possible, the child shall not be institutionalized in a State Institution but kept in a foster home under the foster care scheme, by foster parents who are specially oriented and trained to care for such children. The foster home shall serve as a home for interim care. During the child's stay in the interim home a basic standard of care that will meet with the child's physical, emotional, developmental and other needs shall be ensured.

**(5) Counselling and trauma care :-** Children who have been sexually abused, mentally disturbed or traumatized due to such disaster, conflict or displacement etc., or who have particular needs such as those arising from having a HIV positive status shall, wherever possible be attended to by a child psychologist, a trained social worker or a psychiatrist and given immediate medical attention and

counselling. Regular councelling sessions with children (not less frequently than once a week) with trained personnel shall be faciliatiated.

**(6) Education :-** As far as possible, education that facilitates the continuation of the child's previous education, must be imparted to the child during stay in foster home or any other fruther long-term placement during the interim period. Such education may also be faciliated through non-formal methods.

**(7) Legal protection and assistance :-** Special care shall be taken to ensure that the legal rights of such children are respected and action taken under the relevant laws.

**(8) Family Tracing :-** For a child who has been found and who has not been admitted through volutary procedures, the immediate task shall be to trace the family or the nearest known relative. This task shall be completed within the shortest appropriate period of times as under :-

(a) Every effort must be made to trace the family/extended family and understand the history of the child, before placing the child in any long term care. Community based initiatives that are found to be sustainable and in the interest of children may be identified and acailed of after due consideration. If children are orphaned and have no extended family then keeping in mind the principle of best interest of the child, alternative, foster or adoptive families may be identified preerably from within the child's community.

(b) When it has come to the notice of the competent authorities that there is a cause connected with he children, especially girls are being abused exploited during such situations such children shall be identified and referred to recognized Non Governmental Organisations, civil society organizations, fit persons or other state run Institutions for long term care, and the adult offenders dealt with under the relevant laws Special care shall be taken to prevent such children from being arbitrarily transferred or placed with persons who do not have the best interest of the child at heart such as those who arrange the marriage of such children for their supposed protection during such time of disturbance.

**(9) Follow up :-** Probation Officer or any other recognized voluntary organization or civil society organization that will follow up on the child must be identified. This organization must communicate within a month of resettlement about the well being of the child. The following issues shall be addressed at time of resettlement —

(a) Condition in home state and a report on the desirability of the child continuing to stay in the home state considering the present condition of disaster, conflict or other such reasons for displacement.

(b) Situation of family or other persons who have been caring for the child prior to displacement.

(c) Care plan for re-intergration and rehabilitation taking into account the feelings and opinion of the child about placement.

**(10) Sponsorship :-** If the family is unable to take care of the child for financial reasons, sponsorship support for the family shall be considered.

(11) Alternate arrangement if the child is not placed back to his/her home state, or placed in foster care of adoption, he or she may be referred to a Shelter Home for special care.

**40. Referral Services for Children with Special Needs :-** (1) The Competent Athority shall identify the recognize insitutions providing specialized services to children with special needs and refer the children to these institutions so that their particular needs are met.

(2) Such services shall be provided for physically challenged children, street children, sexually

abused children, children with HIV/AIDS, children of prisoners, child prostitutes, children addicted to substances, terminally/chronically ill children and any other such type of children.

(3) Children with special needs, referred to other specialized services or institutions run by recognized voluntary organizations, shall be covered under the sponsorship scheme under this Act so that the child is covered with costs on referral.

# CHAPTER - V

# JUVENILE POLICE UNIT

**41. Special Juvenile Police Unit :-** (1) The State Government shall create a minimum one Special Juvenile Police Unit at the district which shall operate as a Centre for Comprehensive First Contact Care for children under the Act.

**(2) Objective of the Special Juvenile Police Unit :-** The objectives of the Special Juvenile Police Unit shall be as under :-

(a) To identify and receive children at the point of First contact, undertake outreach work in the jurisdiction to identify children at risk and conduct home visits of children.

(b) To build up a friendly relationship with the child so as to enable her/him to understand and share reasons for her/his present sitution as well as to participate in a decision regarding proceedings concerning her/him.

(c) To conduct an individualized quick assessment and inquiry and offer counseling, medical attention, recreation services as well as referral to detailed assessment and other services.

(d) To provide child help line and emergency outreach services through 1098.

(e) To network with the Child Help Line of the area and all other recognized fit persons/ institutions and voluntary organizations willing to assist in the work of the SJPU as well as directly link up with competent authorities and institutions under the Act coming under that jurisdiction.

(f) To take on the role of the Child Friendly First Intervention Centres and perform the function of a Community Based Reception Unit of the Observation Home/Children's Home to receive, undertake preliminary inquiries, provide timely counseling and early intervention by operationalising the principle of diversion.

(g) To co-ordinate and upgrade the police treatment towars children.

(h) To operate a mobiel Special Juvenile Police Unit which may be called upon by the concerned police station whenver a child is either apprehended or received under the Act.

(i) To function as a place of safety for children.

(j) Any other tasks which the unit shall have to perform in the couse of their ordinary duties in a child centered manner.

(3) **Location of Special Juvenile Police Unit :-** The Special Juvenile Police Unit shall not be located within the precincts of a Police Station, but it shall be located within the premises of a space being utilized by a recognized voluntary organization or a public educational institution or any such place. In addition mobile unit of the Special Juvenile Police Unit may be set up, which shall liacon with the respective juricdictional Special Juvenile Police Unit.

(4) **Jurisdiction :-** (a) The Special Juvenile Police Unit shall have the jurisdiction on a number of Police Stations in a particular zone as identified as necessary by the SJPU for taking into account the density of children at risk in the area by the Special Juvenile Police Unit. Every District shall have a minimum of one Special Juvenile Police Unit.

(b) **Affiliation to the Jurisdictional Police Station** — Every Special Juvenile Police Unit shall be affiliated to the nearest police station for documentation and for any specific assistance.

(5) **Staff of the Special Juvenile Police Unit** — (a) A Child Welfare Officer shall be designated in term of Section 63 of the Act not below the rank of Inspector or Sub-Inspector of Police.

(b) The Juvenile Police Unit at the district level shall function under the supervision of a Child Welfare Officer and two Voluntary Social Workers of whom one shall be a woman and another preferably child expert or having relevant experience.

(c) One Junior Social Worker who is qualified or experienced as a para pprofessional with a minimum of one year experience in dealing directly with children in especially difficult circumstances. (One of these two Social Workers shall be a women).

(d) A minimum of one Police Constable who shall be a woman.

(e) One helper.

(f) Two youth counselors taking on the role of 'friends of Children' who come to the Special Juvenile Police Unit.

(g) One Police Officer.

(h) Clothing to be worn by persons designated to deal with children under the Act — Wherever possible, all such persons shall, except at the time of arrest, only wear civil clothes and not a uniform unless specific circumstances require the said Officer to wear a Police uniform in the interest of the child. However, they shall at all time have on their person, an indentification that shall be produced on demand.

(6) **Management :-** (a) Every Special Juvenile Police Unit may net work by a recognized voluntary organization having experience and or training in directly working with children in especially difficult circumstances.

(b) All Special Juvenile Police Unit's shall report directly to the Commissioner/Superintendent of Police.

**(7) Procedure :-** (a) The staff of the Special Juvenile Police Unit shall receive the child who has been identified as needing the services provided under the Act according to the principles outlined in these Rules and proceed to conduct preliminary inquiries and offer services that the child may need at this point of initial contact.

(b) Special investigations and reports that are required to be undertaken by the Police shall be made in addition to which social investigation reports may also be made by the social workers of the Special Juvenile Police Unit. The social investigation report of the social worker attached to the Special Police Unit may be considered.

(c) Every police station shall display the main features of Juvenile Justice Act on the board in the entrance of the police station.

(8) **Missing Children's Bureau :-** (a) The State Government shall et up a Missing Children's Bureau for documentation and publishing information relating to Missing Children.

Computerized software shall be put in place to facilitate such a service. Attempts shall be made to network with all other similar facilities set up around the country so as to facilitate speedy scanning and transmission of information about such children around the country. This shall also serve as a database of missing Children.

(b) The Missing Children's Bureau shall be linked up to the Child Help line wherever avilable as well as to all major Police Stations in each District.

(c) All citizens found to be directly related to or otherwise authorised to access this information shall be allowed free access to this data base. Persons found to be abusing this databse against the interests of childen shall be investigated and the necessary action shall be taken.

## CHAPTER - VI
## RECOGNITION AND CERTIFICATION OF INSTITUTIONS

**42. Recognition of fit person or fit institition :-** (1) Any suitable individual, body of individuals, any association, place or institution, the occupier or manager of which is willing temporarily to receive a child in need of care, protection or treatment for so long a period as may be necessary and to bring or to give facilities for bringing up any child entrusted to its care in conformity with the religion of his birth may be recognized by the Competent Authority as fit person or fit institution.

(2) A list of names and the addresses of fit persons and fit institutions approved by the Competent Authority shall be kept in the office of the Board/Committee and shall be used when necessary. Effots shall be made to identify and recognize institutions, which meet the needs of children requiring specilized intervention and services.

(3) After committal of a child by the competent authority to an institution recognized as a fit institution with collateral branches, the manager of such institution may send the child to any of the branches of such institution after giving an intimation to the Competent Authority under whose orders the child was committed.

(4) Before declaring any person/instution as fit person/fit instutition, the Competent Authority shall hold due enquiry and only on satisfaction shall given recognition as such.

43. **Certification/recognition and Transfer of Institution :-** (1) If the management of any organization desires that its organization may be certified or recognized under the Act, the same shall make a written application in Form XIX together with a copy each of the rules, bye-laws, articles of association, list of members of the soceity/association running the organization, office bearers and a statement showing the status and past record of social or public service of the organization and the society running the organization to the Director Social Welfare through district collector, director Social Welfare shall recommend the application to state Government.

(2) The State Government shall, after verifying the provisions made in the organization for the boarding and lodging general health, education, vocational training and treatment services may grant certification/recognition under Section 8, 9, 34, 37 and 44 of the Act, as the case may be this shall be on the condition that the organization comply with the standards and offer services as laid down under the Act and these rule and agrees to ensure an all round growth and development of children placed under its charge.

(3) The State Government may transfer the management of any State run institution under this Act to a voluntary organization of repute that has the capacity to run such an instuitution and certify that said voluntary organization as a fit institution to own the requisite responsibilities.

**44. Joint Management :-** (1) State run institution may also be managed by Non-Governmental

Organizations. Roles and responsibilities as well as other details of management may be finalized after specific and individualized consultation with the said organization and these may be agred on through a Memorandum of Understanding for a specified period of time.

The Memorandum of Understanding shall be signed by the parties in the following manner, namely:-

(a) the roles and responsibilities of each party.

(b) the areas in which financial/programmatic inputs will be made by the collaborating agency.

(c) Mechanisms for the review of the joint management,

(d) Space for the participation of the children.

(e) The roles and responsibilities of the staff/volunteers who come into these institutions as part of the joint management efforts.

(f) Any other matter relevant to the particular situation at the time.

(2) The institution and the infrastructure already available with the State Government as under the Juvenile Justice Act, 1986 shall be suitably used for implementing the Act.

(3) The State Government, if dissatisfied with the conditions, rules, or management of the organization certified or recognized under the Act, may at any time, giving two months notice served on the manager of the organization, declare that the certificate or recognition of the organization as the case may be, shall stand withdrawn as from a date specified in the notice. From the said date of organization shall cease to be an organization certified or recognized under Section 8, 9, 34, 37 or 44 of the Act, as the case may be.

(4) The decision to withdraw or to restore the certificate, or recognitions of the organization may be taken on the basis of a thorough investigation by a specially constituted advisory board under Section 62 of the Act. One the report of the advisory board, the Officer-in-Charge of the home shall be asked to show cause to given an explanation within 30 days.

(5) When an organization ceases to be an organization certified or recognized under Section 8, 9, 34, 37 or 44 of the Act, the children kept therein shall under orders of the Designated Officer empowered in this behalf by the State Government by either :-

(a) Discharged absolutely on such conditions as the Officer may impose; or

(b) Transferred to some other institution established, certified or recognized under Section 8, 9, 34, 37 or 44 of the Act, in accordance with the provisions of the Act and rules relating to discharge and transfer. Intimation of such discharge or transfer shall be given to the Board or the Committee as the case may be.

**45. Grant-in-aid to certified or recognized organization :-** (1) An organization certified or recognized under Section 8, 9, 34, 37 or 44 of the Act may, while the period of certification or recognition is in force, apply for grant-in-aid to the State Government for maintenance of children recived by them and or the provisions of the Act and for expences incurred on their education, treatment, vocational training, development and rehabilitation. The grant-in-aid may be granted by the State Government at such rates, which shall be able to meet the prescribed normal in such manner and subject to such conditions as may be mutually agreed by both parties.

(2) In case of transfer of management of Government run homes under Section 8, 9, 34, 37 and 44 of the Act to voluntary organization, the same budget which the government was spending on that

home, shall be given to the voluntary organizations as grant-in-aid under the memorandum of understanding signed between both parties describing other role and obligations.

# CHAPTER-VII
# INSTITUTIONAL MANAGEMENT

**46 (1) Proection of the rights of the more volunerable children within institution:-** (a) All authorities, officers and personnel shall, at all times sensitive to the needs of children who are vulnerable because of age, sex, gender, sexual orientation, HIV status, serious illness or any other reason. Affirmative action shall be encouraged

(b) The State Government/Voluntary organization shall set up separate insitutions for boys and girls. Seperate facilities shall be set up for girls who are above the age of 10 years and below the age of 10 years. With respect institution for boys, separet facilities for the age groups up to 12 years. 12-16 and 16-18 years shall be set up. Separate facilities shall be set up for children in the age group up to 0-5 years with appropriate facilities for the infants.

**(2) Reception of the Child.-** (a) The placement of Children in insitution shall only take place uinder conditions that take full account of their particular needs and special requirements according to their age, personality, sex and type of offence if applicable, as well as mental and physical health, and which ensure their protection from herful influences and risk situtions.

(b) The pricnipal criterion for the separation of different categories of children. shall be the best suited care to the particular needs of the individuals concerned and the protection of their physical, mental and moral integrity and well-being.

(c) The child shall be received in a caring manner by presonnel who have been trained and sensitized to the special needs and feelings of children being institutionalized. The child shall be administered a hair cut, if necessary and given a bath in a manner that protects and affirms the dignity of the child. Lice lotion shall be used whenever possible as an alternative to shaving.

(d) The child shall be allotted a locker to store his or here personal belongings and other valuables.

(e) The immediate needs and apprehensions of the child such as the need for urgent medical care and the need to contact parents shall be attended to in a prompt efficient and nurturing manner.

(f) The Officer-in-Charge shall verify the orders of the Juvenile Justice Board and child welfare committe before receiving the child.

(g) A copy of the rules governing the observation/special home/children home and a written description of their rights and obligation in a language they can understand. togehter with the address of the authorities competent to receive complaints such as Child line, Child Welfare Committee, Juvenile Justice Board, neighbourhood committees, District level committies as well as the address of public or private agencies and organizations which provide legal assistance shall be provided to the child at the time of reception. The child shall have access to theses at any time on request.

For those childrn who are illiterate or who cannot understand the language in the written form or in any other way need assistance, the information should be conveyed in a manner enabling full comprehension.

(h) The child shall be oriented to understand the regulations governing the internal organization of the institution, the goals and methodology of the care provided, the disciplinary requirements and procedures, other authorised methods of seeking information and of making complaints. and all such other matters as are necessary to enable him/her to understand fully their rights and obligations during

the period of institutionalization.

**47. Maintenance of Registers** :- (1) The Officer-in-Charge shall maintain in the office such registers and forms as may be prescribed by the Act and these Rules.

**(2) Case file** - The case file shall contain the following particulars :-

(a) All reports, including social investigation reports, legal records, medical records and records of disciplinary proceedings, and all other documents relating to the form content and details of treatment, shall be placed in a confidential individual file. These files shall be kept up to date, accessible only to authorised persons including the child himself or herself and classified in such a way as to be easily understood.

(b) Where possible, every child shall have the right to contest any fact or opinion contained in his or her file so as to permit rectification of inaccurate, unfounded or unfair statements. In order to exercise this right, any person shall be allowed who is authorised by the Juvenile Justice Board or the Child Welfare Committee to have access to and to consult the file on request. Upon release, the records of children shall be sealed, and, at an appropriate time shall be destroyed.

(c) The case file of each child shall be maintained in the institution containing the following information as applicable —

(i) Central index number

(ii) Annual photograph

(iii) Report of the person/agency who produced the child before the Competent Authority : (same as the format of the Social investigation report)

(iv) Probation Officer's report (also in the format of the Social Investigation Report)

(v) Information from previous institution.

(vi) Observation reports from staff member relating to the child's progress in education, health report of menstruction (in case of girls), emotional status, Social history.

(vii) Summary Report by Officer-in-Charge.

(viii) Reports from Medical Officer. I.Q. testing. aptitude testing, educational/vocational tests.

(ix) Initial classification sheet and Care plan of the child.

(x) Special precautions to be taken, including those relating to diet, allergies, allergic reactions to any medicine, details of persons who may not be provided access to the child etc.

(xi) Leave and other privileges granted.

(xii) Quarterly progress report from various sections;

(xiii) Review sheet including violation of rules, regulations.

(xiv) Pre-release programme.

(xv) Final progress report; (records of education/vocational training, health and other progress reports may be included here with a conclusion summarizing all of the above)

(xvi) Leave of absence/release on licence.

(xvii) Final discharge (shall include the pre-release report and final decision that has been made on the recommendations of that report)

(xviii)Remarks.

**(3) Care and Rehabilitation Plan :-** The care and rehabilitation plan shall be prepared in the following manner :- (a) The incharge, counsellor, wherever available, along with the Probation Officer, caseworker or social worker shall after consultation, prepare a Care plan for every child in the home. The care plan shall be based on a case history of the child admitted to an institution, which shall be maintained on a quarterly basis. This information may be collected through all possible and available sources, including home, parents or guardians, employer, school, friends and community and interview with the child himself or herslef. The report shall also identify psychological and social factors relevant to the specific type and level of care and programme required by the child.

(b) The educational level and vocational aptitude shall be assessed on the basis of test and interview conducted by the teacher, the vocational trainer and other technical staff, wherever possible.

(c) The care plan shall be reviewed from time to time form appropriate development and rehabilitation including options for restoration to family/foster care/adoption and review shall not be delayed beyond a year. To focus should be on providing family and community based re-integration programmes. Children shall be consulted while determining their care plan. When special rehabilitative treatment is required, and the length of stay in the institution permits, trained functionaries of the institutional shall prepare a wwritten, individualized treatment plan specifying treatment objectives and time-frame and the means, stages and delays with which the objectives shall be approached.

(d) Based on the above care plan the appropriate linkage may be established with outside specialists and community-based welfare agencies, psychologists, psychiatrists, child guidance clinic, hospital and local doctoss, open school etc. so as to access the best appropriate care for each child.

(e) This report, together with the report prepared by a Medical Officer who has examined the child upon admission, shall be forwarded to the 'Monitoring and Evaluation Committee' of each Home for purposes, of determining the most appropriate placement for the child within the institution and the specific type and level of care and programme required to be pursued.

**48. Particpation of Children :-** (1) The Voluntary organisations related to the Welfare activities of Children shall be involved in planning of programmes, reception of children, management of the homes and grievance redressal. Wherever possible the Voluntary organisations shall be facilitated experts or functionaries trained in mobilizing participatory processes with children. The Voluntary organisations shall work in close co-ordination with the Monitoring and Evaluation Committee.

(2) Children who are unable to play their role effectively in the interests of all the children in the institution may be asked by the children to step down through a suitable process. Whenever possible involvement of parents in the running of the institutions shall be facilitated.

**49. Identity :-** No child who is received into the institution shall have his or her name changed by the personnel. The authorities shall respect each chid's religious, cultural and social identity.

**50. Daily activities :-** (1) Each institution shall have a well-planned daily schedule, which endeavour to fulfill the basic needs and rights of the child.

(2) The schedule shall be arrived at in consultation with the inmates, Non Government Organization working in the area of child rights, neighbourhood committees, District Level Committee specially those partnering with the institution shall to the greatest extent possible facilitate this planning of the schedule.

(3) The institution shall involve the outside community including students, NGO's clubs and societies in planning and conducting various activities including games, music education, excursion etc.

(4) Special programmes may be organized for Sundays and Holidays.

**51. Nutrition** — (1) Every Officer in charge shall ensure that every child has the rights to adequate and appropriate nutition. Residents shall receive food that is suitably prepared and presented at normal meal times and of a quality and quantity to satisfy the standards of dietetics, hygience and health and as far as possible, religious and cultural requirements. Clean drinking water should be available to every child at any time.

(2) The State Government shall prepare a Diet Scale for children in consultation with nutrition experts so that the diet becomes balanced, nutritious and varied. Special diet may be provided on holidays and festivals and to the sick children as required. The suggested dietary scale could be as follows —

| Article | Recommended Dietary Allowance |
|---|---|
| Flour | 300 gms.per hea per day |
| Rice | 300 gms. per head per day |
| Vegetables | 250 gms. per head/day |
| Pulses | 125 gms. per hea per day |
| Sugar | 40 gms. per head per day |
| Vegetables oil/fats | 40 gms. per head per day |
| Milk/curd | 300 gms. per head per day without adding water |
| Break fast (Ground nuts, channa, Poha) | 50 gms. per head per day |
| Tea leaves | 4 gms per head per day |
| Fruits | 45 gms per head per day (Three time a week) |
| Spices | 10 gms. per head per day Mixed as per regional requirements. |
| Salt | 15 gms per head per day |

**Other Items** —

| | |
|---|---|
| Tooth Powder | 50 gms. per month |
| Hair oil | 100 gm. per month |
| Bath Soap | 1 per month |
| Soap (for washing clothes) | 2 Nos. per month. |

**Note :-** The suggested dietary scale could be modified according to the local needs. Where no LPG gas available, firewood/fuel scale will apply during the period of non-availability of gas also.

**52. Clothing, bedding and other articles :-** (1) To the extent possible children shall have the right to use their own clothing other than uniform. Institutions shall ensure that each child has personal clothing suitable for the climate and adequate to ensure good health, and which in no manner is degrading or humilitation. Children removed from or leaving an institution for any purpose shall be allowed to wear their own clothing. They shall not wear uniforms, taking into account that such procedure tends to label and stigmatize children.

(2) Each child shall be provided with clothing and bedding including customary under-garments, towels, jersey for winter, school uniform for children attending outside schools. durry, bed-sheets, blanket, pillow, chappal or shoes, utensils as required, and tooth powder, soap, oil, comb etc. as per the laid down by the State Government from time to time. The minimum suggested scale for clothing and bedding could be as follows :-

| **Articles** | **Norms (per resident)** | |
|---|---|---|
| | Non school going children | Mentally challenged children |

| | | |
|---|---|---|
| Shirts | 3 Terricot/cotton shirts per year | 5 Terricot/cotton shirts per year |
| Nickers/Pyjama/Skirt | 3 Terricot/cotton half pant per years upto 12 years<br>3 Terricot/cotton trousers per year above12 years | 5 Terricot/cotton half pants per year |
| Kachha | 4 per year | 6 per year |
| Banian | 4 per year | 4 per year |
| Brassieres for girls above 13 years | 4 per year | 4 per year |
| Towels | 2 per year | 2 per year |
| Scarf/Chunni Above 12 years of age | 2 per year for girls only | 2 per year |
| Leather Schoes | 1 per year | 1 canvas shoes per year |
| Chappal to girls | 1 per year | 1 per year |
| Handkerchiefs | - | - |
| Canvas PT Shoes | 1 per year | - |
| Half sleeves sweater | 1 in 2 years | 1 per year |
| Woolen Jersey | 1 in 2 years | 1 in per year |
| Sanitary pads for girls above 13 years | as needed | as needed |
| Socks Nylon | 2 per year | 2 per year |

**Note :-** Additional one set of all these articles shall be kept as reserved stock @ of 20% of the strength of the children. School going children shall be provided all sets of school uniforms on time. The suggested clothing and bedding scale could be modified according to the local needs.

**53. Services, which conform to requirements of the health and dignity of the child :-** (1) Children deprived of their liberyt have the right to facilities and services that meet all the requirements of health and human dignity.

(2) The design of the institutions and th physical environment to the extent possible, shall be in keeping with the rehabilitative aim of residential treatment with due regard to the need for the child for privacy, sensory stimuli, opportunities for association with peers and participation in sports. physical exercise and leisure-time activities. Though existing infra structure available with the State Government may be utilized, a concerted effort shall be made to re-organize the decor of all State institutions so that they project the image of child centred Homes and not that a Jail or government office Coloured paint for walls and furniture, posters and exhibition boards shall be made available to children themselves who may use the same the decorate their home.

(3) The design and structure of the homes shall be such as to minimize the risk of fire and to ensure safe evacaution from the premises. There shall be an effective alarm system in case of fire, as well as formal and drilled procedures to ensure the safety of the children. Facilities shall not be located in areas where there are known helath or other hazards or risks.

(4) Sleeping accommodation shall normally consist of small group dormitories, while bearing in mind local standards, During sleeping hours there should be regular, unobstrusive supervision of all sleeping areas and group dormitories, in order to ensure the protection of each child. Every child shall be provided with separate and sufficient bedding, which shall be clean when issued, kept in good order and changed often enough to ensure cleanliness.

(5) Sanitary installations should be so located and of a sufficient standard to enable every child to comply, as required, with their physical needs in privacy and in a clean and decent manner. Children shall not be made to clean the toilets.

(6) Sanitation and Hygene :- Each institution shall have the following facilities —

a. Sufficient and treated drinking water;

b. Sufficient water for bathing and washing clothes, maintenance and cleanliness of the premises;

c. Proper drainage system.

d. Arrangements for disposal of garbage;

e. Protection from mosquitoes;

f. Sufficient number or latrines in the proportion of at least one latrine for seven children.

g. Sufficient number of bathrooms in the proportion of at least one bathroom for ten children.

h. Sufficient space for washing;

i. Cleanliness in the Kitchen;

j. Fly-proof-kitchen;

k. Sunning of bedding and clothing;

l. Availability of medical facility.

**(7) Accomodation :-** The minimum standard of accommodation shall be as follows to the extent possible —

Dormitory : 40 square feet per juvenile
Classroom : Sufficient accommodation.
Workshop : Sufficient workspace.

**Play ground :-** Sufficient playground area should be provided in each institution according to the total number of children in the institution and all children/children allowed to play for at least two hours in a day in the playground.

(8) The dormitories, classrooms and workshops shall have sufficient cross ventilation and light.

**54. Education and vocational training :-** (1) Education shall be provided outside the institution wherever possible, in formal schools run by the State/State Aided Institution/Institutions recognized by the State. Such education shall be provided by qualified teachers through programs integrated with the education system of the country so that, after release, children may continue their education without difficulty.

(2) Every child of compulsory school age in any facility including the observation home has the right to education suited to his or her needs and abilities and designed to prepare him or her for return to society. Special methodologies based on Minimum Levels or Learning as prescribed by the National Council of Educational Research and Training, as far as possible be incorporated into the educational system within correctional institutions to meet the special learning needs of children such as street children, etc. Special attention shall be given by the administration of the facilities to the education of children with particular cultural or ethinic needs or any other special needs. Children who are illiterate or have cognitive or learning difficulties shall have the right to special education.

(3) Children above compulsory school age who wish to continue their education shall be permitted

and encouraged to do so, and every effort shall be made to provide them with acess to appropriate educational programms.

(4) Diplomas or educational certificates awarded to children while under the Act shall not indicate in any way that the child has been institutionalized in such institution.

(5) Every institution should provide access to a library that is adequately stocked with both instructional and recreational books and periodicals suitable for the childern, who should be encouraged and enabled to make full use of it.

(6) Every child, except those is temporary care in the observation home, above the age of compulsory sch ol education shall have the right to receive vocational training in occupation likely to prepare him or her for future employment.

(7) Each home except the observation home shall facilitiate vocational training under the guidance of trained instructors. The home shall develop networking with institute of Technical Instrruction (ITI), Government and private Organization/Enterprises, Agencies/Non government Organization's with experitse and placement agencies.

(8) With due regard to proper vocational selection and to the requirements of institutional administration, children should be encouraged to choose the type of work they wish to perform.

(9) Children shall be provided, where possible and in accordance with the child Labour Act, with opportunties to pursue work, remuneration and continue education or training, but shall not be required to do so. Work, education or training shall not cause the continuation of the child's stay within the institution;

(10) Wherever possible, children shall be provided with the opportunity to perform remunerated labour, if possible within the local community, as a complement to the vocational training provided in order to enhance the possibility of funding suitable employment when they return to their communities. The type of work shall be such as to provide appropriate training that will be of benefit to the children following release. The organization and methods of work offered in facilities shall resemble as closely as possible those of similar work in the community, so as to prepare children for the conditions of normal occupational life.

**(11) Earnings :-** Eery child who performs work shall have the right to an equitable remuneration, if such work is remunerative. The interests of the children and of their vocational training shall not be subordineated to the purpose of making a profit for the juvenile justice institution or a third party. 3/4 Part of the earnings of a child may be set aside to constitute a saving fun to be handed over to the child on release. The child may have the right to use the remainder of those earnings to purchase articles for his or her own use or to idemnity the victim injured by his or her offence or to send it to his or her family or other persons outside the institution.

**(12) Reward :-** Rewards to the children as may be fixed to by the management of the home from time to time may be granted by the officer-in-Charge as an encouragement to steady work and good behaviour. These rewards shall be pesented to the child within a period of two months of his earning it after obtaining a proper receipt from the child.

(13) The religious beliefs of children shall be duly respected and no classes shall be conducted which attempt to profelytize in the name of education.

(14) **Inspection of academic and vocational training :-** The monitoring and Evaluation committes shall report to the Inspection committee or to any other relevant specialized inspection committee set up in the state having special jurisdiction on the issue of education. such as the District Educational

Officer, Director of Technical Education, any recognized education consultants.

**55. Medical Care:-** (1) Every child shall receive adequate medical care, preventive and remedial, including dental, ophthalmologic and mental haealth care, etc., as well as pharmaceutical products and special diets as medically indicated. All such medical care shall, where possible, be provided to children through the appropriate health facilities and service of the the community in which the institution is located, in order to provent stigmatization of the child and promote self-respect and integration into the community.

(2) Each institution shall provide for the necessary medical facilities to ensure that -

(a) Regular facilities are available for the medical treatment.
(b) Arrangements are made for the immunization coverage.
(c) A system is evolved for referral of serious cases to the nearest civil hospital or treatment centers.
(d) That sick children shall be constantly under medical treetment supervision.
(e) In the event of break out of contagious/infectious diseases, segregation must be ensured.

(3) Each child admitted in any home shall be medically examined by the Medical Officer within 24 hours and also at the time of transfer/release/leave of the child to a special home or in case of children in need of care and protection before any family/community placement, within a similar period before transfer and further at any other time that may be considered necessary by the Medical officer or the officer-in-charge. The child shall be oriented to the need for such an examination. Such medical examination shall be conducted by trained and sensitized medical professional in a manner that protects the dignity and rights of the child.

(4) No surgical treatment shall be carried out on any child without the previous consent o his parents or guardian, unless either the parent or guardian cannot be found and the condition of the child is such that any delay would, in the opinion of the Medical Officer, involve unnecessary suffering or injury to the health of the Juvenile. Proper direction to this effect must be obtained from the juvenile justice Board or the Child Welfare Committee at the earliest.

(5) A health record of each child in the institution shall be maintained in From XXII on the basis uarterly medical check-up. The medical record of each child shall be meticulously maintained in the file of the child. The record shall also include weight and height record, any sickness and treatment and other physical/mental problem if any.

(6) Any medical officer who has reason to believe that the physical or mental health of a child, has been or will be injuriously affected or any other condition, should report this fact immediately to the superintendent in question and to the concerned authority for safeguarding the well-being of the child.

(7) A child, who is suffering from mental illness, should be treated in a specialized institution under independent medical management. Steps should be taken, by arrangement with appropriate agencies, to ensure any necessary continuation of mental health care after release.

(8) Observation/Special homes/Children's homes shall refer such children who requirespecialized drug abuse prevention and rehabilitation programs to an approved place administered by qualified functionaries. These programs shall be adapted to the age, sex and other requirement of the children concerned.

(9) Medicines should be administered only for necessary treatment on medical grounds and, when possible, after having obtained the informed consent of the child concerned. In particular, they must not be administered with a view to eliciting information or a confession, as a punishment or as

a means or restraint. Children shall never be tested in the experimental use of drugs and treatment. The administration of any drug should always be authorised any carried out by qualified medical functionaries.

(10) Each home shall as far as possible, have the service of a trained counsellor, according to the counsellor or child ratio prescribed. Service of child guidance Center, Psychology and Psychiatric Department or similar Agencies may also be availed.

(11) The family or guardian of a child and any other person designated by the child have the right to inquire about the state of health of the child the family or guardian shall be informed.

(12) The superintendent of the juvenile justice institution should immediately notify the family or guardian of the child concerned, or other designated person. in case of death, illness requiring transfer of the child to an outside medical institution, or a condition requiring clinical care within the home for more than 48 hours. Notice shall also be given to the authorities of the state of which a child is a resident.

**56. Mode of Dealing with child suffering from contagious diseases or mental complaint :-** (1) When a child kept in a home unde the provisions of the Act or placed under the care of a fit person or a fit institution is found to be suffering from a disease requiring prolonged medical treatment or physical or mental complaint that will responded to treatment or is found addicted to a narcotic drug or psychotropic substance, the child may be shifted by an order of the authority empowered in this behalf to an approved place set up for such purpose for the remainder of the term for which he has to be kept in custody under the order of the competent authority or for such period as may be certified by Medical Officer to be necessary for the proper treatment of the child.

(2) Where is appears to the authority ordering the shifting of the child under sub rule (1) that the child is cured of the disease of physical or mental cmplaint he may if the child is still liable to be kept in custody, order the person having charge, send child to the home or fit person from which or from whom he was shifted or if the child is no longer liable to be kept in home, order him to be discharged.

(3) Where it is found that the child has been institutionalized because his or her partner in marriage or parent or guardian is suffering from a contagious disease, support throught the sponsorship scheme shall be given to the said person to enable the child to be restored to the family as soon as possible. The best interest of the child shall be the paramount consideration. As far as possible, all new cases coming for voluntary admission to the child Welfare commitee shall be screened and appropriate non-institutional option, explored.

(4) If there is no organization either within the jurisdiction of the competent authority or nearby state for sending the child suffering from contagious diseases as required in Section 58 of the Act, necessary organization shall be set up by the state government at such places may be deemed fit by the Government for necessary treatment.

(5) Institutional authorities shall also provide children and institutional staff with access to HIV related prevention information and education. Facilities for voluntary testing and counselling, means of prevention, treatment and care shall be provided in a phased manner. confidentiality should be assured and mandatory testing, segregation and denial of access to facilities and privileges prohibited. Compassionate early release or referral of residents living with AIDS shall be considered.

57. **Recreation. :-** (1) Every child shall have the right to at least two hours for daily free exercise, in the open air whenever permits, during which time appropriate recreational and physical training shall normally be provided. Adequate space, installation and equipment shall be provided for these activities.

(2) Every child shall have additional time for daily leisure activities part of which should be

devoted if the child so wishes to arts and creaft skill development.

(3) The institution shall ensure that each child is physically able to participate in the available programs of physical education, Remedial physical education and therapy shall be offered, under medical supervision, to children needing it.

58. **Religion :-** Every child shall be allowed to satisfy the needs of his or her religious and spirtiual life, by performing/attending the service or prayers provided in the institution or by conducting his or her own prayers, and having possession of the necessary books or items of religious observation and instruction of his or her religion.

59. **Visits and outside communication :-** (1) Every Child shall have the right to receive regular and frequent visits, particularly once a week and not less than once a month in circumstances that respect the need of the child for privacy, contact and unrestricted communication with the family and wherever applicable the defense counsel.

(2) Every means shall be provided to ensure that children, have adequate communication with the outside world, which is an integral part of the right to fair and humane treatment and is essential to the preparation of children for their return to society.

(3) Children shall be allowed to communicate with their families, friends and other persons or representatives of reputable outside organization to leave the home for a visit to their home and family and to receive special permission to leave the home for educational, vocational or other important reasons. The time spent outside the institution shall be counted as part of the period of sentence.

(4) The receipt of letters by the children of the institution shall not be restricted and they shall have freedom to write as many letters as they like at all reasonable times, Wherever the probation officers are of the opinion that is would be in the child' best interest to communicate with his or her parents, the children should be encouraged to keep their links to the family alive by writing at least one letter a month for which the postage shall be provided.

(5) Every child shall have the right to make local telephone calls at least twice a week to his parents/Guardian/Close relatives etc. and shall be assisted an necessary in order effective to enjoy this right. The cost of the call may be borne by the child herself or himself. For children who do not have saving or any other such financial support, the institution may support the child to contact his or her parents or guardian over the phone for immediate communication. The instituation may offer such assistance if possible. Every child shall have the right to receive telephone calls. Every child shall have the right to contacts the child helpline at least once a week and anytime during an emergency.

(6) Children shall have opportunity to keep themselver informed regularly of the news by reading newspapers, periodicals and other publications, through access to radio and television programs and motion pictures and throught the visits of the representatives of any association youth society, club or organization in which the child is interested.

60. **Privacy. :-** (1) The possession of personal effects is a basic element of the right to privacy and essential to the psychological well being of the child. The right of every child to possess personal effects and to have adequate storage facilities for them shall be fully recognized and respected.

(2) Every institution shall have a locker for each child where he or she can store his or her personal belongings.

(3) In every institution a register of money, valuables and other articles, which the child wishes to entrust for safekeeping, shall be maintained which may be called the "Personal Belonging Register" . The entries relating to each child shall be read over to child in the persence of a witness whose

signature shall be obtained in token of the correctness of such entires. All such entries shall be countersigned by the Officer-in-Charge.

(4) The money, valuables and other articles shall be kept with the Officer-in-Charge in safe custody.

(5) When such child is transferred from one institution to another, all his property, valuables, shall be sent along with the child to the Officer-in-Charge of the institution to which he has been transferred together with a full and correct statement of the description and estimated value thereof.

(6) At the time of the release of such juvenile, the property or valuables kept in safe custody and the money deposited in the name of child shall be handed over to the child and an entry made in that behalf in the register. Such entry shall be signed by the the Officer-in-Charge.

(7) When a child of an institution dies, therein the property left by the deceased and the money deposited in the name of the child shall be handed over by the Officer-in-Charge to any person who established his claim thereto and executed an idemnity bond. A receipt shall be obtained from such person for having received such property and the amount. If no claimant appears within a period of six months from the date of death/escape of such juvenile, the property and amount shall be disposed of as per the decision taken by the monitoring and evaluation committee.

**(8) Prohibited Articles** - No person shall bring into institution the following prohibited articles.

(a) Fire-arms or othes weapons, whether requiring license or not (like. lathi. spears, swords etc.)
(b) Alcohol and spirit of every description,
(c) Bhang, Ganja, Opium and other Narcotic/psychotropic substances,
(d) Tobacco, or
(e) Any other articles specified in this behalf by the state Government by general or special order.-

61. **Leave of the child :-** (1) A child shall be informed at the earliest possible time of the death: Serious illness or injury of any immediate family member and shall be provided with the opportunity to attend the funeral of the deceased to go the the beside of a critically ill relative.

(2) The child from any institution, may be allowed to go on leave of absence/or released on license and stay with his family during examination emergencies or special occasion like marriage in the family etc.

(3) The leave of absence for short period not exceeding seven days excluding the journey time may be recommended by the officer incharge but such leave shall be granted by the Board in From VII.

(4) The parents or guardian of the child shall submit an application to the superintendent requesting for release of the child or leave, stating clearly the purpose for the leave and the period of leave.

(5) If the superintendent considers that granting of such leave is for the reason mentioned above or otherwise in the interest of the child, he shall call for a report of the probation officer on the advisability or otherwise and forward the case to the competent authority/Board.

(6) The parent or guardian shall arrange to escort the child from and to the institution and bear the travelling expenses, in exceptional cases or during any emrgency, the officer-in-Charge may arrange to escort the child to the place of the family and back.

(7) If the child runs away from family during the leave period, the parent or guardian are required to inform the Officer--in-Charge of the insitution immediately and try to trace the child and if found send the child to the institution.

(8) If the Juvenile or child does not return to the institution on expiry of the sanctioned leave the board shall refer the case to the police for taking the charge of the Juvenile or child and bring back to the institution.

(9) The period of such leave shall be deemed to be part of the period of stay in the institution. Only in the case of children in conflict with the law, the time which elapses after the failure of a child to return to the institution within the stipulated period shall be excluded in computing the period of his detention in the institution.

(10) Well-rounded programme of pre-release planning and follow up of cases discharged from special homes shall be organized in all institutions in close collaboration with existing Government and voluntary welfare Organization.

62. **Procedure for sending a child outside the jurisdiction of the Competent Authority :-** (1) In the case of child whose ordinary plac or residence lies outside the jurisdiction of the competent authority and if the competent authority deems it necessary to take action under section 50 it shall direct a probation officer to make enquiries as to the fitness and willingness of the relative or other person to receive the child at the ordinary place of residence and whether such relative or other fit person can excecise proper care and control over the child

(2) Any child who is a foreigen national and who has lost contact with the family shall also be entitled for protection. The child shell be repariated, at the earliest to the countary in Co-ordination with the Ministry of External Affairs and respective Embassy or High Commission.

(3) On being satisfied on the report of the probation officer/case worker/child welfare officer as the case may be, the competent authority may send the child, if necessary on execution of a bond in Form V by the child to the said relative or fit person or giving an undertaking by the said relative of fit person in form VI.

(4) A copy of the order passed by the competent authority under section 50 shall be sent to:-

(a) The Probation Officer who was directed to submit a report under sub-rule (1),
(b) The Probation Officer, if any, having jurisdiction over the place where the child is to be sent.
(c) The Competent Authority having Jurisdiction over the place where the child is to be sent and
(d) The Relative or the persons who is to receive the child.

(5) Any breach of a bond or undertaking or the both given under sub-rule (3) above shall render the child liable to be brought before the competent Authority who may make an order directing the child to be sent to home.

(6) During the pendency of the orders under sub-rule (3), the child shall be sent by the competent authority to an observation home/children home.

(7) In the case of a child where the Competent Authority deems it expedient to send the child back to his ordinary place of residence under section 50, the Competent Authority shall inform the relative of the fit person who is to receive the child accordingly and shall invite the said relative or fit person to come to the home to take charge of the child on such date as may be specified by the competent Authority.

(8) The competent Authority inviting the said relative or fit person under sub-rule (7) may also direct, if necessary the payment to be made by the Officer-in-Charge of the home of the actual expenses of the relative or fit person's journey both ways by the appropriate class and the child's journey from the home to his ordinary place of residence, at the time of sending the child.

(9) If the relative of the fit person fails to come to take charge of the child on the specified date the child shall be taken to his ordinary place of residence by the escort of the home under the Act.

In the case of a girl at least one escort shall be a female.

63. **Transfer** - (1) The transport of children shall be carried out the expense of the administration in coveyances with adequate ventilation and light, in condition that in no way subject them to hardship or indignity. Children shall not be transferd from one institution to another arbitarily.

(2) During the enquiry, if it is found that the child hails from the place outside the jurisdiction of the competent Authority the competent Authority shall order the transfer of the child to the competent Authority having jurisdiction over the place of residence of the child.

(3) The Juvenile/Child in an institution can be transferred to any other institution by the Commissioner/Director of Social Welfare Department. The proposal for transfer of juvenile/Child shall be made by the superintendent with proper jusitification.

(4) No transfer shall or ordinarily be proposed on the ground that the child has created problems or is difficult to be managed in the existing institution.

(5) The proposed transfer would bring the juvenile near his family and would help him in his rehabilitation.

(6) Any other reason for which the transfer would be in the interest of the welfare of the juvenile/ Child.

(7) No child shall be tranferred out of the district/city for the purpose of adoption without the concurrence of the child Welfare Committee or the Juvenile Justice Board..

(8) On receipt of tranfer order, the superintendent shall arrange to escort the child at the government cost to the place/person as specified in the order. The child case file and records shall be sent along with the child.

64. **Release** :- (1) The Officer-in-Charge shall maintain a roster of the cases to be released on the expirty of the period of stay as ordered by the board. Each case shall be placed before the Monitoring and Evaluation Committee to ensure that there is a smooth transitive back to society. With regard to those extreme cases in which the child is kept for the maximum period, action may be initiated six months befoe they attain the age of 18 years.

(2) Timely information of the release of a child and of the probable date of release shall be given to the parent of guardian and the parent or the guardian shall be invited to come to the institution to take charge of the child on the date. Parent shall be informed six months prior to release and the child is prepared for release through a formal counselling session with the councellor. The child, family councellor in co-ordination with each other shall make the rehabilitation plan. If necessary, the actual expences of the parent or guardian's journey both ways and of the juvenile's journey from the institution shall be paid to the parent of guardian by the officer-in-Charge at the time of the release of the juvenile, if the parent of guardian as the case my be, fails to come to take charge of the child on the appointed date, the escort of the institution shall take the child. A female escort shall escort girls.

(3) At the time of release of discharge from Special Home and Juvenile Home the Officer-in-Charge shall provide a set of summer/winter clothing as the case may be, and Pocket money of Rs. 50/- to the child along with any other savings.

(4) If the child has no parent or guardian and all placement options with Non-Government Organization has failed then he may be sent to an aftercare organization.

(5) The Officer-in-Charge of a girl's institution shall in cosultation with the girls generate suitable life options for the girls and if the girls are so inclined consider getting them married in accordance with the procedure laid down by the Competent Authority.

(6) The Officer-in-Charge shall order the discharge of any juvenile, the period of whose detention has expired and inform the competent authority within 7 days of the action taken. If the date of release falls on a Sunday or another public holiday, the child may be released on the preceding day, entry to that effect being made in the regiser of discharge. The Officer-in-Charge shall in all cases, order the payment of an allowance, which shall take care of living and travel expense.

(7) In appropriate case the Officer-in-Charge may provide the child with such necessary financial aid through the sponsorship programme under the provisions of the Act or through a sponsor identified, provide small tools as may be necessary to start a business subject to such maximum cost as may be fixed and also identify organization where the children who cannot start businesses can work as apprentices.

(8) The Officer-in-Charge may, subject to the approval of the competent authority, allow at their own request such girls or boys as have no place to go to stay in the institution/or foster homes identified after the period of their detention has expired, till some other suitable arrangments are made.

65. **Escape :-** (1) The Officer-in-Charge shall immediately send the guards in search of the child at places like Railway Station, bus stands and other places where the child is likely to go;

(2) The parents or guardians shall be informed immediately about such escape if known;

(3) A report shall be sent to the area Police Station along with the details/description of the juvenile, with identification marks and a photograph, with a copy of Juvenile Justice Board and the authorities concerned;

(4) The Superintendent shall hold an inquiry about each escape and send his report to the concerned competent authority.

(5) In the event of child leaving the home without permission, the information shall be sent to the police and the family, if known. The detailed report along with the efforts to trace the child shall be sent to the committee for information in the subsequent sitting of the committee.

66. **Disciplinary procedures :-** (1) Disciplinary measures and procedures in all institutions under the Act shall maintain the interest of safety and in over of community life. It shall be consistent with the upholding of the inherent dignity of the child and the fundamental objective of institutional are, namely, instilling a sense of justice, self-respect and respect of the basic rights of every person.

(2) All disciplinary measures constituting cruel, inhuman or degarding treatment shall be strictly prohibited. These shall include corporal punishment such as beating the child, placement in a dark cell, closed or solitary confinement or any other punishment that may compromise the physical or mental health or access to education of the child concerned. The reduction of diet and the restriction or denial of contact with family members shall be prohibited for any purpose. Labour shall always be viewed as an educational tool and a means of promoting the sefl-respect of the child in preparing him or her for return to the community and shall not be imposed as a punishment. No child shall be punished more than once for the same offence. Collective or mass punishments shall be prohibited.

(3) Recourse to instruments of restraint or force for any purpose shall be prohibited. Instruments of restraint and force can only be used in exceptional cases, where all other control methods have been exhausted and failed, and only as explicitly authorised and specified by law and regulation they should not cause humiliitation or degradation and shall be used destructively and only for the shortest possible period of time. By order of the Superintendent of the administration, such instruments, might be resorted to in order to prevent the cfhild from influcting self-injuries to others or serious destruction of property. In such instances, the Superintendent should at once consult medical and other relevant functionaries and report to the Competent Authority.

(4) The general unauthorised carrying and use of weapons or any other instruments of violence such as canes, sticks, chains, belts, ropes and whips by functionaries shall be prohibited in all institutions established under the Act.

(5) The concerned Probation Officer/Case Worker or the Superintendent shall be the only persons competent to impose punishments. All other functionaries as well as children shall not be competent to impose punishments.

(6) A report of misconduct should be presented promptly to the competent authority, which should decide on it without undue delay. The concerned Competent Authority should conduct a through examination of the case.

(7) No child shall be punished except in strict accordance with the terms with these Rules. No child shall be punished unless he or she has been informed of the alleged offence in a manner appropriate to the full understanding of the juvenile, and given a proper opportunity of presenting his or her defence, including the rights of appeal to the concerned Competent Authority or the Inspection Committee. Complete records should be kept of all disciplinary proceedings.

(8) No children shall be responsible for disciplinary functions except in the superivison of specified social, educational or sports activities or in self Government programs.

**67. Proceudre on the death of a Child.:- On the occurrenc of any case of death or suicide the following procedure shall be adopted :-** (a) If a child dies within 24 hours of his admission to the institution an inquest and post-mortem examination shall be held.

(b) Whenever a sudden or violent death or death from sucicide or accident takes place, immediate information shall be given to the Officer-in-Charge and the Medical Officer. The Officer-in-Charge and the Medical Officer should examine and inspect the dead body. In case a child dies due to causes other than natural causes if the cause of death is not known or if the death has occurred due to suicide or violence or accident or whenver there is any doubt or complaint or question concerning the cause of death of any child, the Officer-in-Charge shall inform the Officer-in-Charge of the Police Station having jurisdiction. The Officer-in-Charge shall also immediately given intimation to nearest Magistrate empowered to hold inquests.

(c) Upon the death of a child a during the period of stay in the institution, the nearest relative shall have the right to inspect the death certificate, see the body and determine the method of disposal of the body. In such circumstances, there shall be an independent inquiry by a sub committee appointed by the Inspection Committee to inquiry into the causes of death, the report of which shall be made accessible to the nearest relative. This inquiry should also be made when the death of a child occures within six months from the date of his or her release from the institution and there is reason to believe that the death in related to the period of detention.

(d) The Medical Officer shall report to the Officer-in-Charge about the happening of the natural death of a child and see that the body is decently removed to the mortuary.

(e) In case of natural death or due to illness of child of an observation home or special home the Officer-in-Charge shall obtain a report of the Medical Officer stating the cause of death. A written intimation about the Death shall be given immediately to the nearest Police Station, Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee, National Human Rights Commission and the authority concerned.

(f) The parents of guardians of the deceased child shall be contacted and the Officer-in-Charge shall wait for 24 hours for the arrival of relatives. After the inquest is held, the body should be disposed of in accordance with the known religion of the Juvenile.

**68. Procedure in the case of custodial rape or sexual abuse :-** (1) In the event of custodial rape

and/or sexual abuse, the action shall be taken as follows :-

(a) In case any resident or any other person has observed known or has reason to suspect that sexual abuse has occurred and makes a complaint to th Superintendent or through the grievance box or through Child Line or through any other means or it comes to the notice of the Medical Officer or other staff that one or more of the following general behaviour changes has been observed in a child, a report shall be made to the Juvenile Justice Board or the Child Welfare Committee for a special investigation into the possibility of sexual abuse. It shall be the responsibility of all functionaries to report such suspicions immediately. The report shall be based on observations of sudden onest of behaviour changes such as-

(i) Copying adult sexual behaviour

(ii) Persistent sexual play with other children, themselves, toys or pets.

(iii) A suddent increase in sexual knowledge, through language or behavious, that is beyond what is normal for their age and circusmtances.

(iv) Unexplained pain, swelling, bleeding or irritation of the mouth, genital or and area; urinary infections; sexually transmitted diseases.

(v) Hints, indirect comments or statements about the abuse.

(2) The Juvenile Justice Board shall direct the Special Juvenile Police Unit in the local police-Station, wherever present o register case against the accused person under the relevant section fo the Indian panel Code. The Special Juvenile Police Unit will conduct necessary investigations under the supervision of specialized agencies wherever possible. If a functionary of the institution is suspected to be invovled the functionaries concerned shall be immediately suspended during pending further inquiry.

(3) If the person suspected of sexually abusing a child is himself or herself a child then the child shall be referred to a specialized institution or any other such agency, for consultation/counselling who shall prescribe the appropriate course of action.

(4) If the child reports sexual abuse/rape after leaving the institution to any person, the person shall bring the same to the notice of the Juvenile Justice Board or Child Welfare Committee who will then institute an inquiry.

(5) In the event of any other crime committed in respect of residents, the Juvenile Justice Board/ child welfare committee will take cognizance and arrange for necessary investigation to be carried out by Special Juvenile Police Unit under the supervision of specialized agencie wherever possible.

(6) Care shall be taken to ensure that the victimized child receives proper care and physical and psychological treatment and that due care is taken to avoid secondary victimization during the investigation.

**69. Monitoring end Evaluation Committee** — (1) There shall be a Monitoring and Evaluation Committee constituted in each institution and programme under the Act, which shall meet periodically to ensure that the procedures laid down above are complied with so as to ensure that the rights of children are guaranteed. They shall meet at least once a month to review on the basis of Form XIV and make recommendation on all cases within the institution. They shall also fulfill responsibilities associated with decision making on placement an assessment of the care provided to the child during stay in the institutions.

(2) The Monitoring and Evaluation Committee shall be constituted in each institution consisting of the following functionaries —

| | |
|---|---|
| Officer-in-Charge / Superintendent | Chairperson |
| Probation Officer/Psychologist | Member/Secretary |
| Medical Officer | Member |
| House Master/Metron | Member |
| Instructor/Vocational Teacher | Member |
| Conselor if any | Member |
| Representative of the children residing in the institution | Member |
| Representative of Neighbourhood Committee if any | Member |

(3) There shall be a Mess Committee in each institutions consisting of Metron, Cook and two representatives of immates to finalise the menu of Breakfast/Lunch/Dinner to ensure that the Children can have the food according to their taste, liking and interest accordingly.

(4) A greiveance box, which is freely accessible to children to deposit anonymous complaints, shall be maintained by each institution established under the Act. Children shall not be subjecteed to any punishment for having accessed these grievance reddressal systems. Appropriate guidance may be given by the counsellor/probation officer of each institution as to the respossible use of the same.

# CHAPTER - VIII
# FUNCTIONARIES UNDER THE ACT

**70. General duties of functionaries :-** (1) The State Government shall ensure that the qualifications, knowledge, attitudes and skills expected from each functionary are in line with basic standards. The administration section along with persons responsible for social audit, inspection, monitoring and evaluation shall specifically listen to, monitor and address the issues emerging out of monthly staff meetings and Children groups meetings in each institution under the Act.

(2) All functionaries under the Act shall be deemed to be public servants, and hence be legally accountable for the performance of the duties assigned to them. Further all voluntary organizations, social workers and others voluntering under this Act shall be accountable to the competent authorities and the Inspection Committees/Social Audit.

(3) In the performance of their duties, functionaries of residential facilities shall respect and protect the human dignity and fundamental human rights of all children, in particular, as follows —

(a) No member of the institution or institutional functionaries shall inflict, instiage or tolerate any act of torture of any form of hearsh, cruel, inhuman or degrading treatment, punishments, correction or discepline under any pretext or circumstances whatsoever;

(b) All functionaries shall rigorously oppose and combat any act of corruption, reporting it without delay to the competent authorities;

(c) All functionaries shall function under these Rules. Functionaires who have reason to believe that a serious violation of the these Rules has occurred or is about to occure should report the matter to their superior authorities vested with reviewing or remedial power;

(d) All functionaries should ensure the full protection of the physical and mental health of children, including protection from physical sexual and emotional abuse and exploitation, and shall take immediate action to secure medical attention whenever requried;

(e) All functionaries should respect the right of the child to privacy, and in particular should safeguard all confidential matters concerning children or their families learned as a result of their professional capacity;

(f) All functionaries should seek to minimize any differences between life inside and outside the institution which tend to lesson due respect for the dignity of children as human beings.

**71. Duties of the Superintendent :-** The Superintendent shall be responsible for the following - (1) The general duties functions and responsibilities of the officer in charge will be as follow & :-

(a) Ensuring that the rights of the child are protected and all procedures laid down in the Rules are complied with;

(b) Providing homely atmosphere of love affection, care development and Welfare of Children;

(c) Planning implementation and co-ordinating all institutional activities; programmes and operations;

(d) Handlign discipline problems keeping in mind the rights of the child as well as the procedures laid down;

(e) Maintaining minimum standards in the Home;

(f) Monitoring of children, training and treatment programmes and correctional activities;

(g) Allocation of duties to functionaries;

(h) Attending to functionaries welfare and staff discipline;

(i) Preparation of budget and control over financial matters;

(j) Proper storage and inspection of food stuff;

(k) Stand by arrangement for water storage, emergency lighting etc;

(l) Careful handling of plant and equipment;

(m) Accident and fire prevention measures;

(n) Supervision over officer administration;

(o) Monthly officer inspection and maintaining of order book. This book shall record and display orders of the Superintendent as well as any follow up details;

(p) Daily inspections and round of institution;

(q) Inspections and tasting food prepared for child from the main vessel in the kitchen itself and managing the menu to ensure that the basic principles of good nutrition such as colour, texture, taste, smell and variety are complied with.

(r) Taking prompt action to meet emergencies;

(s) Taking appropriate rehabilitation measures;

(t) Conducting staff meetings every month during which he/she shall elicit and respond to problems relating to saff, children and other matters relating to the institution. A minute book shall be maintained for this purpose and every resolution or discussion shall be given due consideration and process;

(2) The Superintendent shall ensure the maintenance of report and case files of children. The case file of each child shall be maintained in the institution containing the following information as applicable :—

(a) Report of the person/agency who produced the child before the Board;

(b) Probation Officer's report shall be cofidential.

(c) Information from previous instutiton;

(d) Initital interview material, information from family members, relatives, community, friends and miscellaneous information;

(e) Source of furhter information;

(f) Observation reports from staff members;

(g) Reports from Medical Officer, I.Q. testing, aptitude testing, education/vocational tests;

(h) Social history;

(i) Summary and analysis by Officer-in-Charge;

(j) Initial Classification sheet;

(k) Instruction regarding training and treatment programme and about special precautions to be taken;

(l) Leave and other privileges granted;

(m) Violation of rules, regulations, special achievements ( to be recorded in review report and not in this report)

(n) Quarterly progres report from various sections;

(o) Review sheet;

(p) Menstruction report (in case of girls);

(q) Pre-release programme;

(r) Final progress report; (records of education/vocational training, health and other progress reports may be included herewith a conclusion summarizing all of the above);

(s) Leave of absence/release on license;

(t) Final discharge (shall include the pre-release report and final decision that has been made on the recommendations of the report);

(u) Follow up reports;

(v) Central index number;

(w) Annual photograph;

(x) Remarks

(3) All the case files maintained by the Institutions and the Juvenile Justice Board shall be computerized and networked so that the data is centrally available.

All data relating to missing children shall be disseminated as widely as possible. Data relating to missing or lost children shall be specially computerized and networked locally and centrally the setting up of Missing Children's Bureaus which shall facilitate the scanning of children's photographs alongwith their basic a identifiying information.

**72. Duties of the Probation Officer :-** (1) On receipt of information from the Officer-in-Charge the Special Juvenile Police unit under clause (b) of Section 13, the probation officer shall inquiry into

the antecedents and family history of the child and such other material circumstances, as may be necessary and submit a social investigation report in Form XI as early as possible to the Board.

(2) Every Probation Officer shall carry out all directions given by a Board/Committee or concerned authority and shall perform the following duties —

(a) To make inquiries regarding the home and school conditions, conduct, character and health of juvenile/child under their supervision.

(b) To attent regularly the proceedings of Juvenile Justice Board or the Child Welfare or the Child Welfare Committee and submit reports;

(c) To maintain diary case file and such register as may be prescribed from time to time;

(d) To visit regularly the residence of the juvenile/child under their supervision and also places of employment or school attended by such children and to submit regularly, fortnightly reports in Form XII.

(e) To accompany children wherever possible, from the office of the board to observation home, special home, children's home or fit person, as the case may be;

(f) To bring before the board/committee, immediately children who have not been of good behaviour during the period of supervision.

(g) Follow-up of children after their release from the organizations and extending help and guidance to them;

(h) Establishing linkages with voluntary workers and organizations to facilitate rehabilitation and social reintegration of children and to ensure the necessary follow up;

(i) Enquiring from each child under his/her care as to whether his/her need of food and clothing are met as per standard;

(j) Enquiring from each child under his/her care as to whether the cleanliness of the premises and maintenance of physical infrastructure including provisions of water and electricity etc. have been complied with.

(k) Doing a social investigation of the child through personal interview and from the family, social agencies and other sources.

(l) Ensuring that the rights of the child are protected and all procedures laid down in the rules are compiled with.

(m) Facilitating the orientation, monitoring, education, vocational and rehabilitation programmes.

(n) Facilitating the pre release programme and helping the child to establish contacts, which can provide emotional and social support to the child after their release;

(o) To prepare follow up reports in Form XXI about the Juvenile child who is released on licence.

(3) The Probation Officer shall not employ children under their supervision for their own purposes or take any private service from them.

(4) To augment the existing probation service, Probation Officers may be appointed from the voluntary organization and social workers found fit for the purpose by the Competent Authority, Similarly honorary and voluntary probation services may also be co-opted into implementation machinery by the orders of the Competent Authority.

**73. Duties of the Case Worker** — The general duties functions and responsiblities of case worker or Child Welfare Officer shall be as follows :

(a) Making social investigation / case history of the Juvenile or the child through personal interview and from the family Social agencies and other sources in Form XXIII.

(b) Clarifying problems of the Juvenile or the child and dealing with theri difficulties in institutional life.

(c) Participating in the orientation, monitoring, education, vocational and rehabilitation programmes.

(d) Establishing co-operatrion and understanding between the Juvenile or the child and Officer-in-Charge.

(e) Assisting the Juvenile or the child to develop contacts with family and also providing assitance to family members.

(f) Participating in the pre-release programme and helping the juvenile or the child to establish contact which can provide emotional and social support to juvenile or child after their release.

(g) Ensuring that the children's need of food and cloth are met as per the specified standard. Ensure the cleanliness of the premises and maintenance of physical infrastructure including provisions of water and electricity.

**74. Key Duties of House Master/Matron.** — The general duties, functions and responsibilities of the House Master/Matron shall be follows —

(a) Ensuring that the rights of the child are protected and all procedures laid down in the Rules are complied with.

(b) He shall perform the role of parent, friend, mentor and guide to the children under his/her care. In this capacity he/she shall play with the children, nuture them as persons, listen to and within their means, respond to their individual needs.

(c) Handling discipline problems keeping in mind the rights of the child as well as the procedures laid down.

(d) Maintenance, sanitation and hygiene.

(e) Implementing daily routine in an effective manner and ensuring children's participation through the Children Group.

(f) Escorting children whenever they go out of the home.

**75. Recognition of Honorary Probation Officers:-** The State Government shall recognized the services of a panel or trained voluntary personnel who may be also attached to a recognized voluntary organization to serve as honorary Probation Officers, in addition to the list of honorary Probation Officers. This procedure may be undertaken to reduce the number of inquiries for each case.

**76. Training of functionaries** — The Directorate of Panchyat & Social Welfare shall provide for training of functionaries of each of category of staff in keeping with their statuory responsibilities and specific jobs requirements. The training programme shall include —

(a) Orientation and Training of the newly-recruited staff.

(b) Refresher training courses for every staff member at least once in three years.

(c) Staff conferences, seminars, workshops, along with the various components/functionaries of

Juvenile Justice System, governments etc., at various levels of the functionaries organization.

**77. Organization of functionaries :-** (1) The strength of functionaries as per hom shall be determined according to the duty, posts, hours of duty per day as the base for each category of staff. The institutional organizational set up shall be fixed in accordance with the size of the home, the capacity, workload, distribution of functions and requirements of programmes.

(2) The whole time staff in home may consist of Superintendent, Probation Officer (in case of Observation Home/Special Home), Case Workers (in care of children's home/shelter home/after care organization), Child Welfare Officers, Counselor, Educator, Vocational Training Instructor, Medical Staff, Administratrive Staff, Care Takers, house master/metron, store keeper, cook, helper, washerman, cleaners, gardeners as required.

(3) The part-time staff, may include qualified doctor Psychaitrist, Psychologist, occupational therapist and other professionals as may be required by time to time.

(4) The staff of the home shall be subject to the overall supervision of the Superintendent who by order shall determine their specific responsibilities and shall keep the concerned authority informed of such orders made by him from time to time. The duties and responsibilities of the staff under him shall be fixed in keeping with the statutory requirements of the Act. The Superintendent and such other staff who may be required, shall live in the quarters provided for then within the premises of the home.

(5) The number of posts in each category of staff shall be fixed on the basis of capacity of the institution. The staff shall be appointed in accordance with the educational qualifications, training, experience, etc. required for each category. The suggested staffing pattern for an institution with a capacity of 100 children could be as mentioned below —

| S.No. | Designation | No. of post |
|---|---|---|
| 1. | Superintendent | 1 |
| 2. | Counsellor | 2 |
| 3. | Case Worker/Probation Officer | 3 |
| 4. | House Master/Metron | 4 |
| 5. | Educator | 2 |
| 6. | Vocational Instructor | 1 |
| 7. | Doctor | 1 (part-time) |
| 8. | Paramedical staff | 1 |
| 9. | Store Keeper cum Accountant | 1 |
| 10. | Driver | 1 |
| 11. | Cook | 1 |
| 12. | Helper | 2 |
| 13. | Sweeper | 2 |
| 14. | Art & Craft cum Music Teacher | 1 (part-time) |
| 15. | Gardner | 1 (part-time) |

| 16. | Peon | 1 |
|---|---|---|
| | **Total** | **25** |

The number of posts in the category of counsellor, Case worker/Probation Officer, House Master/ Metron, educator and vocational instructor shall proportionally increase with the increase in the capacity of the institution.

# CHAPTER-IX
# REHABILITATION AND SOCIALREINTEGRATION

**78. Adoptio .** — As the family is the best option to provide care and protection for children, adoption shall be e first alternative for rehabilitation and social reintegration of children who are orphaned, abandoned, neglected and abused.

**(1) Adoption Agencie :-** (a) The State Government shall recognise childrens home or, State run Government homes for orphans as adoption agencies both for scrutiny and placement of such children within the country.

(b) The process of scrutiny and placement of children on adoption shall be done by probation officer.

(c) Any Government run hospitals or private hursing homes etc. which find an infant as abondoned within the premises shall report to recognised adoption agency.

(d) The agency which receive a child or an infant should report to the nearest police station and also the child Welfare Committee at the earliest within six hours. Police on receipt of such reports shall made an entry in register and an intimation shall be sent to the Juvenile Police Unit for appropriate enquiry. The Police should file a Primlinery reports to Child Welfare Committee within a week.

(e) Any child who is eligible for adoption and residing in an unrecognised home shall for the purpose of adoption be transferred to a recognised home.

**(2) Procedure in the case of abandoned children :-** (a) An abandoned child can be given in a adoption only when the committee declares such a child to be legally free for adoption an order to that effect is signed by atleast two member of the committee of which one shall be a Chairperson.

(b) Before declaring the child as abandoned and certifying him as legally free for adoption, the committee shall institute a process of enquiry, which shall include —

(i) A thorough enquiry shall be conducted by the Probation Officer or case worker or Special Juvenile Police Unit as the case may be, shall be conducted and a report in Form XVI containing finding submitted within a maximum period of 1 month.

(ii) Declaration by the placement agency, stating that there has been no claimant for the child even after making notification in atleast one leading news paper, television and radio announcement and after waiting for a period for one month the time which shall run concurrently to the inquiry to be conducted and report submitted under clause (a).

(iii) The Committee shall make a release order declaring the child legally free for adoption within the period of six weeks from the date of application in the case of children below the age of two years and three months in the case of children above two years. Provided that no child above seven years who can understand and express his opinion shall be placed in adoption without his consent.

**3. Procedure in the case of surrender of child :-** The following procedure shall be adopted in

the case of surrendered child who has parents of guardian. Any parent who voluntarily surrenders his/her over the child/children in various circumstances the following guidelines shall be adopted by the agency concerned —

(a) The Social Worker of the concerned agency shall counsel the parents explaining the conseuqences of adoption and explore the possibility of parents retaining the child.

(b) If the surrender is inevitable a deed of surrunder documents shall be executed in a non judicial stamp paper in the presence of Child Welfare Committee.

(c) Such as surrendered deed shall explain the reason for surrender and other relevant information of the child. It shall be written in the regional language. The document shall contain the information that parent has a rights to revoke the surrendered deed within two months from the date of execution of the said deed.

(d) If both the parents are living, both of them should exeucte the deed.

(e) If a surrender deed is executed by any one of the parent; in such case the person who executes deed should declare the present position of the second parent. In case of the death of any one parent, the death certification shall be produced. In such circumstances the report of the Probation Officers shall be called by the Child Welfare Committee and the procedure relating to the abandoned children shall be followed.

**(4) Role of licensed or recognised Government and non-Government agencies for adoption—**

(a) In the case of a anabandoned child the recognized agency shall within 48 hours report to the Committee alongwith the copy of the report file with the Police Station in whose jurisdiction the child was found abandoned ;

(b) The adoption agencies may initiate the process of clearance at the earliest, in the case of abandoned children for the purpose of adoption within a period of two months and for placing application before the committee for the declaring the child legally free for adoption.

(c) In case of a child surrendered by his biological parent or parents by executing a documents of surrender, the adoption agency shall make an application directly to the board for giving the child in adoption.

(d) The adoption agencies shall wait for completion of reconsideration time of two months given to the parent or parents.

(e) Serious efforts shall be made for counselling the parents so as to persuade them to retain the child and if the paretns are still unwilling to retain then such children shall be kept initially in foster care of arranged for their sponsorship.

(f) In the case of a surrendered or abandoned child who is legally free for adoption the licenced agency shall have the discreation to place the child in pre-adoption foster care under intimation to the board, within one week of its placement pending the final order.

**(5) Role of children homes/State run orphanges as placement agencies** — The recognised children home and State run orphnges recognised by the State Government as placement agencies, shall peform the following duties and resonsibilities;

(a) Receiving of applications, screening and identification of prospective adoptive parents.

(b) Conduct a home study report of the prospective adoptive parents upon identification.

(c) Matching a child with the prospective adoptive parents and place the child on temporary Foster Care for a maximum period of six months.

(d) Regular follow up during Foster Care period and report prepations.

(e) Process the adoption procedure in the Child Welfare Committee and Juvenile Justice Board.

(f) Co-ordination with voluntary co-ordinating agency.

(g) Maintainance of records relating to adoption.

(h) Profile of children.

(i) Follow-up for at least three years after adoption.

**(6) Guidelines for the preparation of homes study report :-** The following shall be the critaris for the prepartion of home study report —

(a) Social status and family background.
(b) Description of homes.
(c) Standard of living as it appears in the home.
(d) Current relationship between husband and wife.
(e) Current relationship between the parents and children (if any children)
(f) Development of already adopted children (if any).
(g) Current relationship between the couple and the members of each other family.
(h) Employment status of the couple.
(i) Health details such as clinical tests, health conditions, past illness etc.
(j) Economics status of the couple.
(k) Accomodation for the child.
(l) Schooling facilities
(m) Amenities in the home.
(n) Reason for wanting to adopt a child.
(o) Attitude of grand parents and relatives towards adoption.
(p) Anticipated plans for the adoptive child.
(q) Legal status of the prospective parents.

**7. Follow-up :-** The follow-up of child placed within the country will be as follows —

(a) If any preplacement (foster care) is effected there should be a regular monitoring and evaluation of the foster care. A professionaly trained social worker should visit the family regularly.

(b) The follow up format should be completed and forwarded by the recognised placement agency to voluntary co-ordinating agency and the director/commissioner social welfare once in six months.

(c) The agency should see that legal adoption is effected at the earliest thereby safeguarding the interest of the child.

(d) Even after legal adoption the agency should keep in touch with the family for a period of three years.

(e) Post adoptive counselling should be provided by the agency to the adoptive parent.

**(8) Records :-** The following records and registers shall be maintained by every recognised Childrens Home and State run Orphanges.

(a) Admission register

(b) A separate file on each child in the prescribed format giving full details/history. Relevant legal documents of every adoption and childs background/history should be maintained atleast for a period of 18 years for future reference.

(c) Register or prospective adoptive parents with details.

**(9) Disruption proceedings :** - (a) Adopted children or Adoptive Parents or Probation Officers or Social Workers of accrediated Children's Home shall have the right to make complaints or initiate disruption processes by writing to the Child Welfare committee/Juvenile Justice Board.

(b) After the Child Welfare Committee has consented to the disruption, the child shall be returned to be Children's home where from he or she was taken. A report of the circumstances under which this decision was taken and the efforts made to sort out any problems shall be recorded and submitted to the Child Welfare Committee, the Department of Social Welfare and the Voluntary Co-ordinating Agency.

(c) The child may be removed and placed in an alternate home/transit home whenever there is serious mal adjustment, after obtaining the consent of the Child Welfare Committee.

(d) Upon disruption of a placement the Committee shall recommend alternate placement of the child with adequate provisions for counselling and care.

**(10) Juvenile Justice Board in Adoption** — Children who had been dealt with under the various provisions of Juvenile Justice (care and protection of children) Act 2000 shall be placed in Adoption. The Juvenile Justice oard is the Competent Authority to place such children in adoption. In addition to the guideline issued by the Government the guide line on adoption issued by the Central Adoption Resource Agency and the Supreme Court Judgement issued from time to time shall apply.

(a) In the case of surrendered child it shall be the duty of the Juvenile Justice Board to ascertain from the parents about the authenticity of the declaration given by the biological parents. While doing so the parents can be informed that their declaration can be used against them as witness.

(b) The Board shall ensure that the child is placed on adoption within the country and licenced agency along can approach the Juvenile Justice Board for adoption.

(c) The list of approved agencies should be kept in every Juvenile Justice Board.

**(11) Juvenile Justice Board and Adoption Procedure** — The Juvenile Justice Board shall ensure the following process for declaration adoption of a children :-

1. The licensed agecy shall furmish the following documents with their application for adoption order

(a) License certificaire issued by the Government.
(b) Registration Certificate.
(c) Surrender deed if any,
(d) Abandonedment certificate issued by the Child Welfare Committee (if any),
(e) Authorisation letter from the authorised signatory of the agency, authorising the social worker to file the application before the Juvenile Justice Board.
(f) Child study report and medical report.
(g) Home study report about the prospective parents done by a social worker voluntary co-ordinating agency or any other licensed adoption agency.
(h) Income certificate of the prospective adoptive parents.
(i) Property certificate of the prospective adoptive parents.

(j) Job certificatre of the prospective adoptive parents.
(k) Health certificate of the prospective adoptive parents.
(l) Marriage certificate or evidence of marriage of the prospective adoptive parents.
(m) three referral letters from the respectable people of the society.
(n) A letter of consent for adoption.
(o) Photos of the child and the adoptive parents duly attested by competent person.

(ii) The prospective adoptive parents alongwith the placement agency shall file a joint petition before the Juvenile Justice Board with all the relevant documents. In case of single parent the person shall alone file a petition.

(iii) The concerned institution or agency a which offer the child for adoption shall be the co-respondent.

(iv) On admission of an application from a recognised agency for adoption the board shall call for independent enquiry by recognised scrutinising agency and the scrutiny report shall be submitted within a period of two weeks.

(v) The Board shall undertake a process of enquiry which will include interviewing the prospective parents, verifying the documents and the report for the scrutinising agency. If the board is satisfied that the placement is in the best interest of the child, it will pass a final order giving permanent custody to the adoptive parent/parents an order of adoption shall be signed by the Principal Magistrate besides at least any one of the two members of the board.

(vi) The Board shall fix the date of birth on the report of the medical experts. The Juvenile Justice Board shall direct the appropriate authority to Insure a birth certificate incorporating the date of birth, date of adoption and the names of adoptive parents.

(vii) As far as possible the time taken for passing an adoption order shall not exceed Three months of the date of filing. The order shall also include provision for a periodic follow up report either by the Probation Officer/Case Worker or adoption agency to ensure the well beings of the child. The period of such follow up shall be not less than Three years and such other period as the Juvenile Justice Board may direct. The follow up shall be made once in 6 months.

**(12) Child Welfare Committee and Adoption Procedure :-** The Child Welfare Committee shall ensure the following process for declaring a child who is legally free for adoption.

(A) The licensed or approved Agency should furnish the following documents with petition in duplicate for declaring a child who is legally free for adoption;

(a) Photograph of the child be affixed on both the petitions.
(b) Fit Institution Certificate Copy.
(c) Licence Certificate issued by the Government
(d) Discharge Summary and Hospital Records in case the child was abandoned in the hospital.
(e) Any orders of the Government authorising the Institution to take custody of the children who are abandoned in hospitals or public plaes.
(f) A copy of the temporary custody order.
(g) Registration Certificate.
(h) Surrender Deed (if any),
(i) Authorisation loetter from the authorised signatory of the agency authorising Social Worker to file the petitions before the Child Welfare Committee,
(j) Publication of the photograph and other details of the child.
(k) Photos of the child being taken at the time of admission and the recent photo of the child with a declaration that both the photos relate to the same child.

(l) Copy of the report sent to the nearest Police Station together with acknowledgement received from the Police Station.

(m) Health status of the child with probable age.

(n) Descriptive marks of the child duly certified.

(o) Declaration by the Agency that it has furnished all the information available them and they are bonafide to the best of their knowledge.

(B) If the Application from of the agency shall be rejected if any of the documents is missing and agency has to file a fresh petition subsequently.

(C) If the application is field along with the relevant documents as speicifed in cluase (a) to (o) above the application shall be admitted by the Committee. On admission of an application the committee shall call for a report of Probation Officer.

(D) The Child Welfare Committee shall determine the date of birth in the interest of the child based on the report of the medical expert.

(E) As far as possible the time taken for passing an order shall not exceed 6 weeks in respect of a child who is below Two years of age and in respect of child above Two years of age, within Three months from the date of filing.

(F) The Child Welfare Committee shall ensure that no child is kept unauthorisedly in any of the organization which is not recognized under the provisions of the Act. either as a fit institution or as Childrens Home or as licensed agency for adoption.

**79. Foster Care** — (1) As far as possible younger children who have been relinquished or destitued shall be referred to adoption rather than foster care in the interest of continued care.

(2) Younger children who are not placed in adoption shall preferably be placed with a couple in individual foster care/group foster care till the child is able to return home whenever family circumstances are considered conducive.

(3) Pre-adolescents may be referred to group foster homes.

(4) Older children may be encouraged to live in peer group homes under the foster care of persons willing to supervise such arrangements.

(5) Foster care, though temporary in nature, may continue, if necessary until adulthood, but should not preclude either prior return to the child's own parents or adoption.

(6) In all matters of foster family care, the prospective foster parents, the appropriate child and his or her own parents shall adequately be participated. The Child Welfare Committee shall be responsible for supervision to ensure the welfare of the child.

(7) Twins and siblings shall not be separated by a foster placement except under extraordinary circumstances. If for some reason they have been separated, arrangement shall be made for them to remain in contact.

(8) The wishes of the child concerning the proposed fostering shall be taken into account before placement.

**80. Short term/temoporary foster care** — (1) The temporary foster care refers to physical custody/care of the child till he/she is able to return to the biological family as soon as the family circumstances improve. Temporary short-term foster care shall not exceed four months and temporary long term foster care shall not exceed five years. After five years if the child cannot return to the biological family, the foster care period may be extended or the child placed in a group foster home. The procedure for placements shall be as prescribed by the Central Adoption Resource Agency Guidelines.

(2) The temporary foster care shall be carried out by the probation officer/care worker/social worker, as the case may be under the supervision of the Competent Authority. The total period of temporary foster care shall not exceed five years.

**(3) Persons competent to be foster parents —** The following persons may apply to be foster parents—

(a) A Single Parent
(b) Couple
(c) Members of the extended family of the child
(d) Non Government Organisation or other recognized person or agency willing to take responsibility of a child/children in individual or group foster care.

**(4) Procedure fos foster care : - (a) Procedure for selection of parents. —** (a) An application to foster a child shall be given to the Competent Authority in Form XVIII through a Probation Officer case worker or to the person in charge of the approved residential home who shall forward the application to the Department of Social Welfare/the Child Welfare Committee.

(b) If the application is prima facie satisfactory then the Child Welfare Committee shall authorize the Probation Officer to undertake the following steps —

(i) Probation Officer/Case Worker to interview the prospective foster parent/s and assess that he/she is suitable to foster a child. In particular the Probation Officer shall investigate the motivations of the prospective foster parents so as to ensure that the intention is not to employ the child as domestic help.

(ii) To visit the home of the prospective foster parent/s and confirm that it is likely to meet the requirements of the particular child and that the conditions in it are satisfactory. The family home should provide adequate rooms based on the number of children with bathroom and kitchen and provide a safe environment with adequate sanitary and living conditions to promote health and well being of the child. The Home study report of Foster family shall be given in Form XVII to the Child Welfare Committee.

(iii) To ensure that at least two persons who have known the foster parent/s well can vouch for his/her good character and suitability to care for the child;

(iv) To establish the person-in-charge of any Government medical unit in the area that no person in the house hold of the prospective foster parent/s is suffering from any physical or mental illness likely to affect the child adversely;

(v) To establish from the local authorities or from the Officer in charge of the Police Station in the area that no person in the home has a police record or has been convicted of a serious criminal offence rendering it undersirable for the child to associate with that person;

(vi) To ensure that the foster parent/parents have a stable emotional environment within the family.

(vii) To ensure that the foster parent/parents have minimum income to meet their needs and not be dependent on the foster care maintenance payment.

(viii) To ensure that the foster care family is willing to follow rules laid down including regular visits of pediatrician, maintenance of child helath record etc.;

(ix) To ensure that the family shall be willing to sign and agreement to return the child to the agency under specified circumstances like disruption, abuse and neglec of the child and where the

child has been unable to adjust to the foster family;

(x) To ensure that the foster parent is willing to attend training/orientation programmes prior to placement and thereafter when found necessary;

(xi) To ensure that in case of employed parents, adequate childcare arrangements are made after school hours;

(xii) To ensure that the members of the immediate family living in the same house give their consent to the placement of the foster child.

**(B) Procedure for placement of the child :-** (a) The Committee shall ensure that the child is examined by a qualified medical practitioner who shall report in writing on the child's physical and mental condition prior to placement. However in the case of an emergency the medical report shall be made within four weeks after the placement.

(b) Ensure that efforts have been made to trace the family before the child is placed.

(c) Ensure that the child has been through a preliminary assessment including;

**(i) Mental/Development Assessment :-** Suggested reference by the Denver Development Scale or any other suitable instrument.

**(ii) Educational Assessment :-** As per the Minimum Levels of Learning Schedule.

**(iii) Temperament Assessment :-** An assessment of the Child's temperament needs to be made based on emotionally, level of activity, attention and concentration ability, sociability levels, aggression, rhythm of food and sleep child's motivations, dependability, adaptability.

(d) Ensure that the child has been introduced to the couple and has had a minimum of three interaction and two home visits as well as he requisite number of counselling session with the concerned Social Welfare Officer/Probation Officer..

(e) On completion of the above process the Probation Officer shall prepare a Home study Report in Form XVII.

(f) If the Home Study Report is approved by the Child Welfare Committee, then the foster parents shall enter into a foster care agreement in Form. XX, which includes the rights and responsibilities of the foster parents. Each foster parent shall be given a copy of the agreement. A copy of the undertaking shall also be sent to the concerned Probation Officer/Caseworker and to the Commissioner/Director of Social Welfare Department.

(g) The child shall then be placed with the couple/single parent/Group home.

**(C) Target Group** :- (a) The children from dysfunctional in a state families or from institutions or the children whose bilogical parents are either incapicitated or in a state of crisis and unable to provide the care and protection to the child.

(b) Foster care is a boon to children without roots growing up in orphanges and child welfare institutions to find an opportunity to lead a family life;

(c) Children who can not be placed on adoption due to various reasons can be considered for Foster Care;

(d) Foster Care can be either short term or long term depending upon the needs.

(e) De-institutionalization of children and placing them in Foster Care can be made with the encurrence of Child Welfare committee.

**(D) Programme Implementation :-** The Foster Care shall be implemented in each district or for a group of districts through Non-Governmental Organization which are recognized as fit institution by Child Welfare Committee/Juvenile Justice Board on the advice of the Commissioner/Director of Social Welfare specifically for this purpose.

**(E) Follow-up :** (a) There shall be regular visits carried out by the Probation Officer/Child Welfare Officer/Social Case Worker, as the case may be so to protect the best interest of the child.

(b) Review of the placement report to be made every six months by the Monitoring and Evaluation Committee. These Reports shall be submitted to the Child Welfare Committee and the Department of Social Welfare.

(c) In case of victimization of the child in the foster home, appropriate action shall be taken against the parents.

(d) When the foster placement begins the person placing the child shall submit to the foster parent a list of immunizations carried out in respect of the child and indicate to the foster parent the list of the other immunization required to be effected in repsect of the child and foster parent shall ensure that those immunizations are carried out. The foster parents and the district porbation and social welfare officer shall at all times keep a record of the immunization in respect of the child.

(e) Where the child placed with a foster parent is under five years of age, the child shall be medically examined by a Competent Medical Officer:

(i) Within one month after the date of placement and

(ii) Thereafter once every six months.

(f) Where a child placed with a foster parent is above the age of five years, the child shall be medically examined by medical functionaries once in a year:

(g) The Probation Officer/Case worker concerned shall, so far as possible assist the foster parent in ensuring the carrying out the requirements.

**(F) Disruption :-** (a) If the Probation Officer/Case Worker feels that it is in the best interest of the child, he/she may make a report regarding the necessarily for disruption and submit it to the Child Welfare Committee.

(b) The Probation Officer/Caser Worker shall also produce before the Child Welfare Committee the record of effort put in to remedy the maladjustment;

(c) The child may be removed and placed in an alternative home/transit home wherever mal adjustment occurs, after obtaining the consent of the Child Welfare Committee and giving the foster parents an opportunity to be heard;

(d) In the case of an emergency the child may be removed based on the discretion of the probation Officer/Case Worker in consultation with the Superintendent and other staff of the children's home, according to conditions such as physical, or sexual abuse, or exploitation;

(e) Upon disruption of a placement the Child Welfrare Committee shall recommend alternate placement of the child with adequate provisions for counselling and care.

**(G) In case of sickness/death of the child or death of the foster parents :-** (a) If a child is seriously ill the foster parent shall as soon as possible inform to the concerned Probation Officer/Case

Worker who shall inform the parents/guardinans and the Child Welfare Committee;

(b) If the foster child dies, the foster parents shall make every effort to obtain a medical certificate of death and a post mortern report within 24 hours.

(c) He or she shall also immediately inform the Probation Officer/Case Worker concerned, who shall inform the parents/guardians, Department of Social Welfare and the Child Welfare Committee.

(d) In the case where the child has been placed with a single foster parent who has died the child shall be returned to the approved home from where the child was received;

**(H) Responsibilities of Child Welfare Committee/Placement Agencies/Children's Home:-** (a) Foster care placement shall be made only through recognized/accredited bodies and Probation Officer/Case Workers by the Child Welfare Committee;

(b) The Child Welfare committee shall develop,maintain update and employ a written policy and procedures manual;

(c) The placement agencies/children's home shall satisfy itself that all alternatives to keep the child in his/her family have been explored and that foster care is the optimal choice of care for the child.

(d) The placement agency/children's home shall identify, screen, orient and provide training to the foster families;

(e) The placement agencies/children's home along with the Child Welfare Committee shall device a system to ;

(i) assess the needs of the child and the foster family;
(ii) match the needs of the child with the abilities and resources fo the foster family,
(iii) prepare both the child and the foster family of the plaement.

(f) The Child Welfare Committee/Placement Agencies/children's Home Competent Authority or agency shall support the child's contac with the biological family whenever possible and when conductive to the child's best interest.

(g) The Placement Agencies/Children's Home along with the Child Welfare Committee shall begin permanency planning for the child soon after the placement.

(h) The Child Welfare Committee alongwith the Placement agencies/children's Home shall develop a procedure for participation with the foster family in a periodic mutual review. This review will evaluate the strengths and needs of the foster family for caring for the child and the relationship between the competent authority or agency and the foster family.

(i) The Child Welfare Committee alongwith placement agencies/children's home shall develop a policy to recognize the positive contributions made by foster families to the field to child welfare.

(j) The Child Welfare Committee shall develop written policies and procedures for the closure of foster homes under the different circumstances. This will include voluntary withdrawal of service by foster families as well. The procedure shall provide the foster parent/parents an opportunity to be heard before the decision to withdraw the service is arrived at.

(k) The placement agency/children's home shall develop individual case records which

shall include periodic narrative reports relating to the child's and the biological family's involvement with foster care.

**81. Sponsorship —** (1) Sponsorship services shall be considered to supoplement the resources of the child and his or her parent or guardian so as to support efforts to re-integrate the child into the community and finance his or her education, vocational training, health care, etc. or to supplement the family income to encourage parent or guardian to fulfill their responsibility o the child.

(2) The State shall provide for the sponsorship of children based on need and availability of resources when they are discharged from the reception unit/shelter home/children's home/special home/ after care institution.

(3) The State Government may allow individuals, institutions, corporate sectors financail instutiton, industries etc. to sponsor or support the following without excepting any gain in return;

(i) Any child or his family shall be supported under sponshorship to withdraw children from child labour/bonded labour for higher education.

(ii) Any activites pertaining to improve the behaviour of children through personality development Programme.

(iii) Cultural programmes, picnics, holiday camps, medical assistances, immunisation programmes, special medical assistance, etc. inter school sports activities, creative arts and competition seminar for children involving eminient personalaties etc.

(iv) Any activities pertaining to the job oriented training programmes, establishment of vocational rehabilitation centres, community college etc.

(v) Establishment of libraries, sports activities, horticulature/sericulture, creative arts and competitions etc. or any other developmental programme.

(vi) Improving infrastructure and ameneties, construction or alteration of building etc.

**(4) Management :-** (a) The financial Assistance under the sponsorship programme shall be administered by the District Advisory Board. The board shall process application for sponsorship put up as per provisions on a case by case basis and accord sanction for the same.

(b) The payment shall be made through the institution from where the child was discharged.

(c) The agency/institution receiving sponsorship shall maintain proper and separate accounts of all the receipts and payment for the programme.

**(5) Criteria for Selection of Children for sponsorship :-** The Children shall be eligible for sponsorship on the following conditions —

(a) Children reinstated with single Parent/biological families who are under below poverty line.

(b) Disabled and other special needs children requiring specialized intervention/treatment and referred from any institution or programme under this act.

(c) Children reinstated into the family, where the parent is disabled or chronically ill but is willing and able to take care of the child.

(d) Where the child requires sponsorship to complete his/her or going education/vocational training after discharge from the institution, up to a maximum period of two years.

(e) Any other cases after due consideration.

**(6) Duration of the Sponsorship :-** The duration of the sponsorship support shall be decided by District Advisory Board on a case by case basis, based on the recommendations of the Probation Officer/Case Worker which has been endorsed by the Monitoring and Evaluation Committee. However the support shall be renewed every year and shall not exceed three years unless under exceptional circumstances.

**(7) Procedure for sponsorship support —** (a) The Probation Officer/Case Worker and Social Worker of the respective reception unit/shelter home/children's home/after case institution shall visit the home of the child and verify that the child fulfils the criteria mentioned in clause (5) of Rule 82.

(b) Each institution availing of the sponsorship support under the Act. shall accord the responsibility of undertaking all assessments, home visits, documentation, review and follow up of sponsored children to the qualified Probation Officer/Case Worker and Social Worker.

(c) Appropriate proof of record of death/divorce/separation/disability/illness/income of parent or child, shall be verified and attached to the case file and a report shall be prepared and submitted to the District Advisory Board by the Probation Officer/Case Worker and Social Worker.

(d) Follow up of the child once in six months to get an update on the family situation shall be made and a report shall be submitted to the District Advisory Board. Care shall be taken to ensure that the child is getting adequate education, nutrition and health care and the child is free from abuse and explotation.

(e) All sponsored children shall regaularly attend formal schooling/skill training/vocational training unless under special instances of disability or illness of the child, which shall be verified by the Caseworker.

(f) In the event of death of parents at any time the child has to be institutionalized and the sponsorship shall be discontinued. But institutionalisation shall be the last resort.

(g) The child shall not receive sponsorship supoort from any other source.

(h) Wherever possible, the child shall be referred to other existing education schemes and services.

(i) Appropriate action shall be taken against pesons found to be deliberately misusing the sponsorship support.

(j) There shall be a yearly evaluation of the rehabilitation outcomes for children as far as possible and independent consultants shall be employed.

(k) The Department of Social Welfare shall work out the additional modalities of the sponsorship programme through a suitable scheme.

## CHAPTER - X
## MONITORING OF JUVENILE JUSTICE SYSTEM

**82. Inspection :-** (1) The Director/Commissioner Social Welfare Department and any other Officer authorised by him shall inspect such organization. The programme development monitoring and evaluation cell, The District Advisory Committee, Local Government Authority shall inspect, monitor and evaluate the institutional and non institutional programmes on Juvenile Justice Administration.

(2) The inspection should not be a fault finding mechanism rather it should be constructive. The

Inspecting Officer shall furnish a report to the Director/Commissioner Social Welfare for necessary follow up.

(3) The team may visit the home either by prior intimation or by surprise.

**83. Reporting** — (1) After completing the inspection, the Committee shall be required to submit a report on the findings within the shortest possible time not exceeding fifteen days. The report should include the suggestion, request or complaint as made by the concerned person, an objective evaluation of the compliance of the facilities with the relevant provisions of these rules.

(2) Opinion of other relevant persons including those directly responsible for or named in the complaints shall also be noted and their reasons and explanations noted verbatim.

(3) The Inspection Committee shall finally make any recommendations regarding any steps considered necessary to ensure compliance.

(4) Any facts disocvered by the Inspection Committee which indicate the violation of legal provisions concerning the rights of children or the operation of a juvenile justice institution has occurred shall be communicated to the Competent Authorities for investigation and prosecution.

**84. Follow up action** — The findings of the inspection and the suggestion of the children shall be taken into consideration by all concerned authorities.

**85. Opennes and Transparency** — (1) All Homes shall be open to visitors with the permission of the Superintendent particularly for the represenatives of Local Self Government voluntary organisations, social Workers, researchers, medicos, academicians prominent persoanlities, media and any other person, as the Superintendent considers appropriate keeping in view the security, Welfare and the interest the child.

(2) The Superintendent of the home, shall encourage active involvement of local community in improving the conditions in the homes, if the members of the community want to serve the institutional want to contribute through their expertise.

(3) The Superintendent shall maintain a visitors book. The remarks of the visitors given in visitors Book shall be considered by the Advisory inspecting authority.

(4) While visiting an institution, the visitors shall not say or do anything that undermines the authority of the superintendent is in contravention of the Act or rules or impinges on the dignity of the child.

**86. Social Auditing** — The State Government shall maintain professional research based social audit to monitor and evaluate the functioning of the Homes and programmes/schemes under the Act on an annual basis. This shall be done with the help of leading organizations working with the children, besides Autonomous bodies like National Institute of Public Co-operation and Child Development Indian Council for Child Welfare, Indian Council for Social Welfare, Indian Social Institute, Childline India Foundation, National Institute of Social Defence Central and State level Social Welfare Boards, School of Social Work etc.

**87. Monitoring and Evaluation** — (1) Children in need of care and protection are being taken care not only by institutional either run by Government on its own or by a supporting non-Governmental Organisation financially but also by voluntory organisation on its own resourcses. All actions concerning children whether under taken by Government or administrative bodies or Board or Court by voluntry organisation the best interest of the children shall be the prime consideration.

(2) In each district there shall be a child protection committee being represented by non-governmental organisation, media academicians, philanthorists, Government representatives to monitor

and evaluate the chil care programme with the objective of not only to prevent child abuse, illegal trafficking, child prostitution etc., but also to ensure qualitative services to children and intervene in all issues concerning children.

(3) The State Government shall ensure to facilitate the optimum usage of community resourses to ensure child protection. To monitor and evaluate child Protection there shall be anethic Committee concisting of the following persons .

| | | |
|---|---|---|
| (1) | Commisoner/Director, Panchayat & Social Welfare | Chairperson |
| (2) | District Collector | Member |
| (3) | Superintendent/Commissioner of Police | Member |
| (4) | Vice Chancellor, Principal or Professor or Reader of an academic institution specialized in Psychology, criminology, Social Work, Home Sciences, Rural Development etc. | Two Members |
| (5) | Media Personnel | Two Members |
| (6) | Non Governmental Organisations | Three Members |
| (7) | Corporate personnel | Three members |
| (8) | Joint Director/Deputy Director, Panchayat & Social Welfare | Member |
| (9) | Suprintendent of homes | Member |

(4) The member specified in serial number (3) to (6) of sub-rule (3) shall be nominated by the State Government.

(5) The committee shall meet once in six months and review the issue concerning the children related programmes and intervene all matters concerning children. The Chairperson and members shall visit any child care institution whether run by Government on its own or by voluntary organisation wit or without financial support from Government.

(6) The term of the committee shall be three years and shall be reconstituted by the District Collector after three years.

**88. State Advisory Board :-** (1) The State Government shall constitute Advisory Board as required under Section-62 of the Act, consisting of the following

| | |
|---|---|
| Minister Social Welfare | Chairman |
| Secretary Social Welfare | Member |
| Secretary Education | Member |
| Secretary Health | Member |
| Secretary Home | Member |
| Secretary Law/Judicial | Member |
| Secretary Labour & Employment | Member |
| Secretary Cottage & Small Scale Industries | Member |
| Secretary Technical Education | Member |
| Secretary Industries | Member |
| Secretary Finance | Member |
| Director General of Police | Member |
| A representative of UNICEF | Member |
| An Industrialist | Member |
| A Journalist | Member |
| A representative of Press Council | Member |
| Two Social Workers/representatives of Voluntary Organisation | Member |
| Commissioner/Director Social Welfare | Member, Secretary |

(2) The Advisory Board may advise to the State Government in the Following matters namely:-

(a) development of Juvenile Justice Service through various official and Community based Welfare agencies.

(b) the ways and means of mobilising human and material resources to ensure social justice to the juveniles of both categories.

(c) the development of facilities for educational vocational training and rehabilitation for various categories of juveniles coming within the purview of the Juvenile Justice System.

(d) the co-ordination between various sectors of child development in dealing with the problems of Juveniles processed through the law.

(3) The non official members of the Advisory Board shall be nominated by the State Govenment on the recommendation of the Director/Commissioner Social Welfare Department. The non official members shall hold office for a term of 3 years from the date of nomination and shall be eligible for re-nomination. The non official member may be terminated by the State Government after giving reasonable opportunity. Any casual vacancy among non official membes shall be filed by the apointment of anohter non official who shall hold office so long as the person in whose place is apointed would have held it if the vacancy had no iccurred. The procedure for the meetings of the Advisory Board shall be laid down by the State Government.

**89. District Advisory Board :-** (1) The State Government shall constitute a District Advisory Board which shall also perform the role of inspecting the programmes and activities for the effective implementation of the Act.

The District Advisory Board shall consists of the following:

| | |
|---|---|
| 1. Collector | Chairperson |
| 2. Superintendent of Police | Member |
| 3. Representative of Zila Panchayat | Member |
| 4. Chief Medical Officer | Member |
| 5. Deputy Director Education | Member |
| 6. Secretary Red-Cross | Member |
| 7. Chair person Rotary/Lions Club | Member |
| 8. Two Social Workers | Member |
| 9. Two members of Neighbour-Hood Committee | Member |
| 10. Businessman | Member |
| 11. Two Donor | Member |
| 12. Deputy Director Panchayat & Social Welfare | Member, Secretary |
| 13. Superintendent of concerning Home | Member |

**(2) Objective :-** The District Advisory Board shall review the activities relating to the Administration of Juvenile Justice in the District on the following lines;

(a) Review the administration and activities of institutions established under the provisions of the Act.

(b) Inspect the institutions established under the provisions of the Act and report to the Director/ Commissioner of Social Welfare Department.

(c) Propose suitable programmes for the upgradation and development of the homes.

(d) Review the probation work in the district and propose suitable suggestions for effective

implementation.

(e) To give support to the programme for the rehabilitation of inmates in the society.

(f) To generate financial support to the immates for their entire development and rehabilation.

(g) To create linkages between various agencies working in the field of social welfare for co-ordination and co-operation. To bring the immates in the main stream of the soceity.

(h) To reveiw the minimum standards ensured in the institutions set up under the Act.

(i) To review the non institutional services like Probation, Foster care, Adoption, Sponsorship Programmes etc.

(j) To review the inter coordination between the various departments, community based programmes etc. and suggest the suitable remmedial measures for effective functioning.

(k) To propose necessary suggestions to improve the quality of institutional and nonistitutional services effectively.

(3) Nomination of non official members:

(a) Nomination of the non official members of District Advisory Board shall be made by the concerning Collector of the district.

(b) The tenure of the Non Official membes shall be for a period of three years. The non official member may be terminated by the Collector after giving reasonable opportunity.

**(4) Meetings :-** The District Advisory Board shall once in Three months.

## CHAPTER - XI
## MISCELLANEOUS

**90. Juvenile Justice Fund :-** (1) The State Government shall create a fund at State level under section 61 of the act to be called the 'Juvenile Justice Fund' (herein-after in this rule referred to as fund) for the Welfare and rehabilitation of the child dealt with under the provisions of the Act. Besides voluntary donation.

(2) The fund shall be used —

(a) to secure the rights and implement programmes for the welfare and rehabilitation of children.

(b) to pay grant-in-aid to non-official organizations.

(c) to meet the expenses of State Advisory Board and its purpose.

(d) to do all other things that are incidental and conducive to the above purposes.

(3) The Fund shall be managed and administered by the State Advisory Board.

(4) The assets of the fund shall include all such grants and contributions, recurring or non-recurring, from the central and State Government or any other statutory or non-statutory bodies set up by the Central or State Government as well as the voluntary donations from any individual or organisation.

(5) ithdrawals shall be made by cheques or requisitions, as the case may be of the State Advisory Board in the case of amounts not exceedings Rs. 10,000 (Rupees ten thousand) shall be duly signed by the Secretary and the amount exceeding Rs. Ten thousand shall be duly signed by the Secretary and the Member of the Board of Management to be nominated by the State Advisory Board.

(6) Regular accounts shall be maintained of all money and properties and all incomes and expenditure of the Fund and shall be audited by notified firm of Chartered Accountants or any otehr recognized authorities as may be appointed by the Board. The auditors shall also certify that the expenditure from the funds shall be maintained by the Secretary. All contracts and other assurences shall be in the name of the board of management and signed on their behalf by the Secretary and one Member of the Board of Management authorised by it for the purpose.

(7) The Advisory Board may delegate to one or more of the members such of its powers, which in its opinion are merely a procedural arranagement.

**91. Panding Cases :-** (1) No juvenile in cofilict with law or a child shall be denied the benefits of the Act and the rules made there under.

(2) All pending cases which have not received a finality shall be death with and disposed of in terms of the provision of the Act and the rules made there under.

(3) Any juvenile in conflict with law a child shall be given the benefits under sub-rule (1) and it is hereby clarified that such benefits shall be amde available not only to those accused who was a child at the time of commission of an offence, but also to those who ceased to be a child during the pedency of any engiry or trial.

(4) While computing the period of detention of stay of chi8ld in conflict with law or of a child, all such period which the juvenile or the child has already spent in custody, detention or stay shall be counted as a part of the period of stay or detention contained in the final order ot the copetent authority.

**92. Disposal of records/documents :-** The record/documents in respect of children should be kept in a safe place for a period of 7 years and thereafter be destroyed by the order of Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee.

**93. Data Bases :-** (1) All the case files maintained by the Institutions, the Child Welfare Committee and the Juvenile Justice Board should be computerized and networked so that data is centrally available.

(2) Data relating to missing or lost children shall be specially computerized and networked locally and centrally through th setting up of Missing Children's Bureaus, which shall facilitate the scanning of children's photographs along with their basic identified information. All data relating to missing children shall be disseminated as widely as possible.

(3) Names and addresses of all recognized Children's Homes; fit institutions and other data base of organization, Voluntary Probation Officers, other support service shall be maintained and updated regularly by the competent authorities. Age and sex appropriate facilitates as prescribed under section 34 of the Act, shall also be mentioned in the list.

**94. Repeal and Saving** — The Madhya Pradesh Juvenile Justice Rules, 1988 shall stand repeated immediately after the commencement of these Rules:

Provided that any action taken, order, made under the provisions of the Rules so repeated shall be deemed to have been taken or made under the corresponding provisions of the Rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMRITA BECK, Deputy Secretary.

# FORM-I

[ See sub-rule (10) of Rule-10 and sub-rule (2) of Rule 20 ]

**Order for Social investigation Report**

To,

Probation Officer/Person-in-charge Voluntary Organization/Social Worker/Case Worker.

Whereas (1) a report/complaint under section ...................... of the Juvenile Justice (Care and Proection of children) Act, 2000 has been received from ............................................ is respect of (name of the child) son/daughter of ................................................ residing at ............................................

(1) ............................................................ son/daugther of ..................................................... residing at ..................................................... has been produced before the Board/Committee under section ............................................. of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.

You are hereby directed to enquiry into the character and social antecedents of the said child and submit your social investigation report on or before ............................................................................ ...................................... or within such time allowed to you by the Board/Commiteee.

Date this ..................................................... day of ............................................. 20.......

SEAL

(Signature)
Principal Magistrate/Juvenile Justice Board
Chairperson, Child Welfare Commitee

# FORM-II

[ see sub-rule (13) of Rule-10 ]

**SUPERVISION ORDER**

when the Child is placed under the care of a parent, guardian or other fit person

Profile No. ......................, of ................................... 20 ..................

Whereas (name of the child) has this day found to have committed an offence and has been placed under the care of (name) .................. (address) .................... on executing a bond by this said ......................... and the court is satisfied that it is expedient to deal with the said child by making an order placing him/her under supervision.

It is hereby ordered that the said child be placed under the supervision of ....................................... probation officer/case worker, for a period of ..................................... subject to the following conditions—

1. That the child along with the copies of the order and the bond executed by the said ..................... ..................... will be proeuced before the probation officer/caseworker named therein ...............................
2. That the child will be submitted to the supervision of the Probation Officer.

3. That the child resides at .................................................. for a period of ..........................................

4. That the child will not be allowed to quit the district jurisdiction of .................................................. without the permission of the probation officer/case worker.

5. That the child will not be allowed to associate with bad charactors.

6. That the child will live honestly and peacefully, and will go to school regularly/endeavour to earn an honest livelihood.

7. That the child will attend the attendance centre regularly.

8. That the person under whose caer the child is placed will arrange for the proper care, education and welfare of the child.

9. That preventive measure* will be taken by the person under whose care the child is placed to see that the child does not commit any offence punishable by any law in force in India.

10. That the child will be prevented from taking narcotic drugs or psychotropic substances or any other intoxicants.

11. That the directions given by the probation officer/case worker form time to time, for the due observance of the conditions mentioned above, will be carried out.

Date this .................................... day of .................................... 200 ........................

SEAL

(Signature)
Principal Magistrate/Juvenile Justice Board
Chairperson, Child Welfare Commitee

* Additional conditions, if any, may be inserted by the Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee.

## FORM-III

[ See sub-rule (15) of Rule-10 and sub rule (10) of Rule 20 ]

### Order of Detention

Vide sub-section .......................... of section .............................. sub-section ...................... of section and sub-section .................................... of section ................................

To

The Officer in charge/Project Manager

..........................................................

Whereas on the ................................ day of .............................. 200 .............. (of the child) son/daughter of ........................................ aged .............................. residing at .................................... being found in Profile .................................... to be child in conflict with law/child in need of care proection under section .......................................... is ordered by me .................................... Principal Magistrate, Juvenile Justice Board/Chair Person, Child Welfare Committee, under section .................................. of Juvenile Justice Act, 2000 kept in the Special Home/Children Home/Shelter Home ............................ for a period of ........................................

This is to authorize and require you to receive the said child into your and to keep him/her in the Special Home/Children Home/Shelter Home .......................................... for the aforesaid order to be there carried into according to law.

Given under my hand and the seal of Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee.

This .............................. day of ...................... 20 ..........................

SEAL

(Signature)
Principal Magistrate/Juvenile Justice Board
Chairperson, Child Welfare Commitee

Encl.

Copy of the judgement, if any, of order, particulars of home and record :

Strike, which is not required.

Previous history under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children Act, 2000.

Date ........................

Order passed including period of detention if any Section

Competent Authority

## FORM-IV

[ See sub-rule (14) of Rule-10 and sub rule (11) of Rule 20 ]

**Bond to be executed by a Parent/Guardian/Relative or fit person in whose care a child is placed under**

Clause (e), sub-section (1) of Section 15/Sub-Section (3) of Section 39

Whereas I .......................................... being the parent, guardian, relative or fit person under whose care (name of the child has been ordered to be placed by the Juvenile Justice Board./Child Welfare Committee ................................................. have been directed by the said Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee to execute a bond in the sum of Rs. ..................... (Rupees ............................................. ) with one surety*/two sureties. I hereby bind myself on the said ................................ being placed under my care I shall have the said ................................. properly taken care of and I do further bind to myself to be responsible for the good behaviour of the said ................................... and to observe the following conditions for a period of .......................... years comencing from ..............................

2. That I shall not change my place of residence without giving previous intimation in writing to the Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee through the Probation Officer/Child Welfare Officer.

(2) That I shall not remove the said ................................... (name of Child) from the limits of the jurisdiction of the Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee without previously obtaining the written permission of the Board/Committee :

(3) That I shall send the said ......................... (Name of Child) daily to school/to such daily work as is approved by the Board/Committee unless prevented from so doing by circumstances beyond my control;

(4) That I shall send the said .......................... (Name of Child) to an Attendance Centre regularly unless prevented from so doing by circumstances beyond my control;

(5) That I shall report immediately to the Board/Committee whenever so requried;

(6) That I shall produce the said ........................ if he/she seriously misbehaves or absconds from my care;

(7) That I shall render all necessary assistance to the Probation Officer/Case Worker to enable him to carry out the duties of supervision;

(8) In the event of my making default herein. I bind myself to forfiet gto Government the sum of Rs. ..................... (Rupees ..............................................).

Dated this ............................ day of ........................ 20.

Before me signed
Signature of person executing the bond
The Juvenile Board Justice/Child Welfare Committee may enter additional conditions if any, numbering them properly.

(Where a bond with surerities is to be executed add)

I/We ........................................................................ of ............................................... (place of residence with full particulars) ......................................... hereby declare myself, surety/ourselves sureties for the aforesaid ............................ (name of the person executing the bond) .......................... do and perform and in case of his making fault therein; I/We hereby bind myself/ourselves jointly said severally to forefeit to government the sum of Rs. ............................................... dated this the ......................... day of ....................... 20 .................... in the presence of.

(Signed)

## FORM - V

[ See sub-rule (3) of rule 62 ]

## Bond to be signed by child who has been ordered

Whereas, I ............ inhabitant of .................... (give full particulars such as house No. road, village/town, tehsil, district, State ........................................................ have been ordered to be sent back to my native place by the native place by the Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee .......................... .................... under section .................... of the Juvenile Justice (Care and Proetection of Children) Act, 2000 on my entering into a bond under sub-rule ....................... of rule ............................. of the Juvenile Justice (Care and Proection of Children) Rule 20 .................. to observe the conditions mentioned herein below. Now, therefore, I solemnly promise to abide by these conditions during the period .........................

I hereby bind myself as follows :

(1) That during the period .......................... I shall not ordinarily leave the village/town/ district to which I am sent and shall not ordinarily return to ............................ or go anywhere also beyond the said district without the prior permission of the Board/Committee.

(2) That during the said period I shall attend work/school in the village/town or in the said district to which I am sent;

(3) That in case of my attending work/school at any other place in the said district I shall keep the Board/Committee informed of my ordinary place of residence.

Signature

(Name of Child)

## FORM-VI

[ See sub-rule (3) of rule 62 ]

I ................................................................ resident of .................................................... (give full partulcars such as house No., road, village/town, tehsil, district, State ............................................ do hereby declare that I am willing to take charge of .............................. aged .............................. under the orders of the Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee ................................ subject to the following terms and conditions.

(1) If his/her conduct is unsatisfactory I shall at once inform the 'competent authority'.

(2) I shall do my best for the welfare and education of the said ........................ (Name of Child) as long as he/she remains in my charge and shall make proper provision for his her maintenance.

(3) In the event of his/her illness, he/she have proper medical attention in the nearest hospital.

(4) I undertake to produce him/her before the 'competent authority' when so required.

Dated this ........................ day of .................. 20 ..................

Signature

Signature and address of witness (es) :

## FORM-VII

[ See sub-rule (3) of rule 61 ]

I ...................................................................................... name and designation of the releasing authority State Government/UT Administration, do by this order permit ...................................... son/ daughter of .................... cast ........................................ residence .......................................... number .............................. who was ordered to be detained in a observation home, special home, children home, shelter home, after care home by the Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee ................................ under section ................. of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, for term of .......................... on the ......................... day of .................... 2.................................. and who is now in the ................................ homes, at ................................... to be discharged from the said ...................................... on condition that he/she be placed under the supervision and the authority of ...................................... during the remaining position of the aforesaid period of stay.

This order is granted subject to the conditions endorsed hereon, upon the breach of any which it shall be liable to be revoked.

Dated Signature and Designation of Releasing/

Ordering Authority.

Place :

**Conditions :**

(1) The released person shall proceed to .......................................... and live under the supervision and authority of ............................... until the expiry of the period of his/her detention unless the remission is sooner cancelled.

(2) He/She shall not, without the consent of the .................................. remove himself/herself from that place or any other place, which may be named by the said ..................................

(3) He/She shall obey such instruction as he/she may receive from th said ........................ with regard to punctual and regular attendance at employment or otherwise.

(4) He/She shall attend the Attendance Centre at ................................... regularly.

(5) He/She shall obstain from committing any offense and shall lead a sober and industrious life to the satisfaction of ...............................

(6) In the event of his/her committing a breach of any of the above conditions the remission of the period of detention hereby granted shall be liable to be cancelled and on such cancellation he/she shall be dealt under sub0section (3) of Section 59 of the Juvenile Justice (Care and Proection of Children) Act, 2000.

I hereby acknowledge that I am aware of th above conditions which have been read over/explained to me and that I accept the same.

( Signature or mark of the released person)

Certified that the conditions specified in the above order have been over/exploained to (Name) ....................................... and that he/she has accepted them as the conditions upon which the remission of the period of detention has been granted to him/her and that he/she has been realized accordingly on the .....................................

Signature and Designation of the certifying authority
(i.e. Officer-in-Charge of the institution)

## FORM-VIII

[ See sub-rule (19) of rule 10 ]

## Order of fine

Case No. ..................... of ....................... 200 ..........................

Whereas ............................................................................................................................

(name of the Child/juvenile)

resident of ........................................................................................................................

( give full address such as house No. road, village, town District etc. )

has this day been found guilty offence under section ................ and has been ordered to pay find of Rs. ............................................. and the Juvenile Justice Board is satisfied that it is expedient to deal with the said Juvenile by making an order placing him/her under supervision.

It is hereby ordered that the said Child/Juvenile be placed under the supervision of .................................... ...................................... and shall observe the following conditions namely :-

(1) that he will present himself within 14 days from the date of this order before the Probation Officer named herein and will produce the copy of the order :

(2) that he will submit himself to the supervision of the Probation Officer.

(3) that he will during the period specified herein keep the Probation Officer advised of his place of residence and means of livelihood/place of work/place of education and progress in education;

(4) that he will attend the attendence centre regularly;

(5) that he will not associate with *bad character to lead a dissolute life;

(6) that he will live honestly and peaceably and will attend to school regularly/endeavour to earn an honest livelihood.

(7) that he will not commit any offence punishable by any Law in force in India;

(8) that he will abstain from taking intoxicants; and

(9) that he will carry out such directions as may from time to time be given by the Probation Officer, for the due observance of the conditions mentioned above.

Dated this ......................... day of ...................... 200 ...........................

Signature
Principal Magistrate
Juvenile Court

*Additional conditions if any, may be inserted by the Juvenile Board/Court if necessary. To be renumbered if necessary.

## FORM-IX

[ See sub-rule (12) of rule 9 ]

## Information of arrest of a Child/Juvenile to the Probation Officer

Name of the Juvenile

..........................................................................................................

Age

..........................................................................................................

Son/Daughter of

..........................................................................................................

Residing at

..........................................................................................................

Under the care of

..........................................................................................................

Date and time of arrest

..........................................................................................................

Place of arrest

.................................................................................................

Section under which arrested

.................................................................................................

Brief history of the case

.................................................................................................

Whether kept in the

.................................................................................................

Observation Home and

.................................................................................................

if so name of the

.................................................................................................

observation Home ?

.................................................................................................

Date

Signature
Officer-in-Charge of the
Police Station.

## FORM-X

[- See sub-rule (13) of Rule 19 ]

### Information of arrest of a juvenile of his/her parent or guardian

Wheras name of the juvenile ................................................ son/daughter of ..................... ............aged ........................................ Resident of ........................................................................ has been arrested under section ......................... and has been kept in the observation Home at .................. ............................... will be produced before the Juveniel Court at ........................... (on date) ...............:

Name of the parent/Guardian .

Resident of ......................................................... is hereby directed to be present the Juvenile Justice Board ............................................ on ................................: at (time) ..........................

Date

Signature
Officer-in-Charge of the
Police Station.

# FORM-XI

[ see sub-rule (1) of Rule 72 ]

## Social Investigation Report

Serial No. ........................

Submitted to the Juvenile Justice Board/Child Welfare Committee ......................... (Address)

INTRODUCTORY INFORMATION

Profile No. :

Probation Department

Profile No.

Under Section

Title of Profile

Police Station

Details of Producing Agent.

Name of the person/agency who received, contacted or apprehended the child:

Address:

Phone/Fax-mail :

REASON FOR CHILD COMING UNDER THE PURVIEW OF THE LAW

If the child is alleged to be in conflict with law, under what Section

If the child is in need of care and protection, what is the child classified as :

Missing/Lost child

Orphanced/abandoned child

Runaway child

Mentally challenged child

Others

DEMOGRAPHIC DATA OF THE CHILD

Name

Age Sex Religion/

Education Occupation

Permanent Address and all contact information

Last address before coming under the purview of the law

Three nearest landmarks to child's present home

FAMILY COMPOSOTION

Member of Family Name Age Occupation/Wages Other

Details School Such as

health

Father/Step Father

Mother/Step Mother

Siblings

Other relatives.

FIRST CONTACT DATA

(Data collected at the time of reception, prior to any visit or detailed inquiry)
Date and time the child was found:
Place where the child was found giving details of at least three nearest landmarks.

Condition in which the child was received with specific remarks about
(3) Emergency; any serious injury/abuse requiring medical attention
-Description of activity the chid was engaged in at the time of being contacted, if relevant-such as begging, roaming etc.
Dress : the colour and type of dress worn at the time, condition in which the clothes were, etc.
-Physical conditions: hygiene, general health, hunger, injuries any observable disability etc.
-Emotional conditions: whether the child was distressed, appeared lost, asking for help, whether he/she was willing to share information readily etc. Any specific stress that the child may be currently under the reason for the same a given by the child
Name and details of relatives/significant persons/organization known to the child who can provide any further information about him/her
Details of any personal belongings that the child may choose to reveal on his/her person at the time, which could provide further information about his/her background or circumstances at the time.

Reason for the present circumstances as given by the child:
-Push factors (i.e. reasons why child was forced to leave home such as whether he/she complains of abuse/violence within the home/previous residence)

(4) Pull factors (i.e. reason why child was attracted out of the home by outside influences)
-Attitude towards parent/family as expressed by the child (fear, affection, whether he/she wants to go back home or is seeking alternate shelter etc.)

HOME STUDY REPORT
Description of home and living conditions
Initial impression of the home
Nature of place of resident (kutcha, pucca, number of rooms, pavement dwelling, locality etc.)
Present living conditions
Comment on Economic Status

Functionality of the family and family members
Emoition factors
Physical condition
Social factors
Economic factors
Religious factors

Relationship between family members
Relationship between parents (acording to the child and other family members)
Relationship between parents and children (according to the child and family members)
Relationship with child under investigation (according to the child and other family members)

Parenting skills and practices
Parent attitude towards discipline in the home and child's reaction

Is there any violence or abuse agains the child or other family members ?
(According to the child and other family members)

HISTORY OF CHILD

Physical condition - any serious illness etc.
Medical history/Mental illness/MR etc.
Friends/associates for the child significant details about them
Habits, interests (moral, recreational etc.)
Child's interest in education/schooling as expressed by him/her School (attitude towards school, Teachers class mates and vice-versa)
Work record (jobs held, reasons for leaving if any)
Vocational interests, (attitude towards job or employers)
Outstanding characteristics

REASONS FOR COMING UNDER THE PURVIEW OF THE LAW

If the child is considered as being in need of care and protection, what are the reason given by the child for his/her present circumstances ?

If the child is alleged to be in conflict with the law what are the reasons given by the child for havig allegedly committed the crime ?
Any other significant person's (parent/guardian/social worker/neighbour etc. known to the child) opinion of the same ?

Reason given by the person who first met/received/apprehended the child

In the case of Children affected by Displacement/Disaster/Conflict, the social investigation report shall contain the following additional information :
Place of origin
Place of separation from family
Situation at place of origin and reasons for displacement
Reason for coming to Chhattisgarh specifically if the child has come from anothe State.
Period of stay in Chhattisgarh.
Any other family member displaced with the child.
Other institutions, camps lived in (In Chhattisgarh and outside Chhattisgarh)
Adult who accompanied the child to Chhattisgarh if not transferred from an Institution under the Act.
Child's relationship with the adult:
Needs of the child as assessed by the primary case worker and other expert assessments
Needs, desires and plans as expressed by the child;

RESULT OF INQUIRY

Analysis of the case and tentative conclusions as to the reason for neglect or actions deemed to be in conflict with the law.

**Problem analysis**

Summary of personal history
Present situation and context of child Focusing on nature, description and cause of neglect/conflict/ behaviour deemed as being in conflict with law, educational background, relationship with family, history of abuse, history of institutionaliztion etc.)

Summary of family History
Impression of functionality of family

Other facts of importance if any such as significant incidents, which may contribute to the understanding of the child.

**NEED ANALYSIS**

Needs of the child as perceived by the child
Needs of the child as perceived by the probation officer/case worker
Any opinion or specific request expessed by the child at the time:

**TENTATIVE CONCLUSIONS :**

Is the child likely to have run away from home, is he/she a lost/missing child, any other tentative conclusion for the child coming to be in the present circumstances.
Any other remarks or specific observation such as any out of the ordinary remarks, behaviour, whether the details given by the child seem to be genuine, etc.

Recommendation regarding treatment and plan for the same.

According to the child taking into account the future plans/aspiration of the child.
As recommended by the Producing agent/Probation Officer/Child Welfare Officer.

Signature of the Probation Officer/Caseworker.

## FORM-XII

[ See clause (d) sub-rule (2) of Rule 72)

## Fortnightly Progress report of Probationer

Part I
Name of the robation Officer/Case Worker
For the month of
Register No.
Competent Authority
Profile No.
Name of the Child
Date of Supervision Order
Address of the Child
Period of Supervision

**Part II**

Places of interview Dates
................................................ ................................................
................................................ ................................................
................................................ ................................................

1. Where the child is residing ?

2. Progress made in any educational/training course
3. What work he/she is doing and his/her monthly average earning, if employed.
4. Savings kept in the Post Office.
5. Savings Bank Account in his/her name
6. Remarks on his/her general conduct and progress.
7. Whether properly cared for ?

Part III

8. Any proceedings before the competent authority of or
   (a) Variation of conditions of bond
   (b) Change of residence
   (c) Other matters.
9. Period of supervision completed on ........................
10. Result of supervision with remarks (if any)
11. Name and addresses of the parent of guardian or fit person under whose care the child is to live after the supervision is over.

Date of report

Signature of the Probation Officer/Case Worker

## FORM-XIII

[ See sub-rule (1) of Rule 18 ]

## Report of producing agent on first stage of production

Report of the person/agency who produced the child in need of care and protection before any authority. (Points to be taken care of while filling the form)

1. As far as possible the child/juvenile should not be coerced into providing information for this report.
2. This form shall be filled as soon as possible to the time of receiving the child/juvenile at the time of being found.
3. Any changes in the information provided by the child/juvenile should be mentioned in this report.

   1. Name of the person/agency referring the juvenile/child.
   2. Address
   3. Phone/fax/E-mail
   4. Name of the nearest police station
   5. Date and time the child/juvenile was found
   6. Name of the authority before whom the child/juvenile was produced
   7. Details of the child/juvenile when found.
   8. Name and alias of the child/juvenile as and if given by the child/juvenile
   9. Approximate age of the child/juvenile.
   10. Name and address of the school if given by the child/juvenile
   11. Name of place of work if the child/juvenile was employed.
   12. Name and details of relatives or agencies known to the child/juvenile
   13. Details of any personal belonging found on his/her person at the time
   14. Details of any family as given by the child at the time.
   15. Causes of constant situation as expressed by the child.

Reasons for the present circumstances as given by the child/juvenile - what was the predisposing

factor in terms of what incident provoked the child/juvenile to leave his/her previous residence and come to be in the present circumstances.

— Push factos i.e. reasons why th chid/juvenile was forced to leave such as whether he/she complains of abuse/violence within the home/previous residence.

— Pull factors i.e. reasons why child/juvenile was attracted out of the home by outside influencies.

16. Place where the child/juvenile was found giving details of at least three nearest landmarks

17. Condition in which the child/juvenile was found with specific remarks about

— emergency : whether there was any serious injury/abuse requiring medical attention.

— Description of the activity the child was engaged in at the time of being found..

— Dress : the colour and type of dress worn at the time, condition in which the clothes were.

— Physical condition : Hygiene, general health, hunger, injuries, any observable disability.

— Emotional condition : whether the child was distressed, appeared lost, asking for help, whether he/she was willing to share informaion readily.

— Attitude towards parents/family as expressed by the child/juvenile (fear, affection, whether he/she was willing to go back home or is seeking alternate shelter)

— Any outstanding observation (any out of the ordinary remarks, behaviour, whether the details given by the child seem to be genuine, etc.)

— Any opinion or specific request expressed by the child at the time.

**Note** - Information of this report should be taken from documents maintained by the previous institution and Xerox copies of the same should be enclosed.

## FORM - XIV

[ See sub-rule (1) of Rule 69 ]

## Review Sheet

(1) Degre of overall adjustment to placement

Poor Average Fair Good very good

According to the child
According to the Primary case worker
Reasons for the same as given by the child.
Reasons for the same as concluded by the Primary Case Worker
Recommendations for the future

(2) Participation in the daily activities of the Institution

Poor Average Fair Good very good
According to the child
According to the primary Case Worker
Reasocn for th same as given by the child.

Reasons for the same as concluded by the Primary Case Worker
Recommendations for the future

(3) Performance in academics (if applicable)

Poor Average Fair Good very good
Reasons for the same as given by the child
Reasons for the same as concluded by the Primary Case Worker
Reasons for the same given by the teacher/s
Reasons for the same as given by the partents/guardians (if applicable)
Recommendations for the future.

(4) Performance in vocational training (if applicable)

Poor Average Fair Good very good
Reasons for the same as given by child.
Reasons for the same as concluded by the Primary Case Worker
Reasons for the same given by the teacher/s
Reasons for the same as given by the partents/guardians (if applicable)
Recommendations for the future.

(5) General Behaviour
any significant changes in behaviour (positive or negative with specific observation on emotional status, coping strategies)
Opinion of the child and reasons for the same as given by the child.
Reasons for the same as concluded by the Primary Case Worker.
Recommendations for the future.

(6) Health Status
any significant changes in health
as reported by the medical officer
as observed by the primary case worker
any speicific complaints that the child has to make at the time of the review
Reasons for the same as given by the child.
Reasosnf or the same as concluded by the Primary Case Worker
Reasons for the same as given by the partents/guardian (if applicable)
Action to be taken.

(7) Attempts of the child to enhance his/her behaviour/performace record

Poor Average Fair Good very good
Reasons for the same as given by child.
Reasons for the same as concluded by the Primary Case Worker
Any special achievements.
Suggestions/Recommendations for the future

(8) Any incidents that have taken place during the interim period of previous review and the present review that needs to be recorded

Nature of incident
Opinion of the child, parent/guardian and case worker about the cause and result of that incident

Implications for the child's progress.

(9) Any points brought up by the child with regard to his/her review report
(10) Any other relevant observation or information.
Recommendations.

## FROM-XV

[ See clause (a) of rule 73 ]

**Classification of children & problem identification with regard to children in need of care and protection**

Missing
Abandoned
Mentally ill of seriously Retarded
Alleged to be in conflict with law

**Social History**

**Note** — This information shall be recorded by the Social Case Worker and updated regularly as and when additional information is received about the child.

(1) Parents :

Both alive an together
Both alive but separated
Mother and stip mother alive
Father and step father alive
One of the parent dead (single parent)
Looked after by step mother/father
Both not alive
Not known

(2) Guardians
Maternal uncles/aunts
Relatives
Grandmother/father/parents
Neighbours community

(3) Child and the address
Very clear and can be located
Clear but difficult to locate-nearby major places told by the child is located
Clear but not locatable-describes family surroundings in detail
Description very poor.

(4) Economic situation at home.
Earnings of the family per month
Home jhopdi, small thatched house, small concrete house, good house
Family-begging, migrating, stationery
Meals per day
At home-cycle, Car, Fan, TV, Radio, cooler
Clothes worn are torn, Last a child had a new one.

Footwear.

(5) Child wants to go home
Afraid of home
Crying to go home
Indifferent
Not wanting to go home

(6) Parents/relatives are aware
Parents know that the child is here voluntary admission
Parent have been told by the child but do not known that the child is here
Parents/guardian do not know
Child did not tell anybody

(7) Torture to the child/loved by whom
Father drinks and beats
Work situation-owner beats repeatedly
If the child do not earn the family members beat
Beaten by friends
Beaten by teachers
Loved by parents/guardians
Loved by whom in the family other that the parents
Loved by someone outside the family

(8) Child leaving home-habit
Child has left home for the first time
Has left home more than once
Child has a habit of leaving home and returning home repeatedly
Child is advised by the parents to leave home.

(9) Members in the child's family and their work.
Father/guardian
Mother
Younger brother
Elder brother
Younger sister
Elder sister

(10) Reasons as to why the child left home.

## FORM-XVI

[ Item (i) of sub clause (b) of sub-cluase (2) of Rule 78 ]

ENQUIRY REPORT OF PROBATION OFFICER TO DECLARE A CHILD AS LEGALLY FREE FOR ADOPTION.

NAME OF THE PROBATION OFFICER

DISTRICT
P.E. No.

DATE

(1) Details of the child against
Whom the abandoned certificate
is requested.
(a) Name
(b) Age
(c) Identification marks etc.

(2) Name & address of the organisation
Which has filed the petition before
The Child Welfare Committee

(3) Where the Organisation was
Licenced to process Adoption
If so, the details are to be furnished including the validity of the period
of licence granted.

(4) Date of application filed before the Child Welfare Committee.

(5) Child Welfare Committee No. and Date of
reference to the Probation Officer.

(6) How the organisation received the child ? (The details such
as sources information, place of abandoned, date and time
of taken charge of the child etc., are to be furnished)

(7) Whether the organisation has sent a report.
to the nearest Police Station about the Receipt of the child.
If so, details are to be furnished.

(8) Whether the organisation has sent a report
To be Child Welfare Committee about the
Receipt of the child (details are to be furnished)

(9) The action taken by the Police to identify the Biological
parents or the interested guaridnas.
Details are to be furnished.

(10) The action initiated by the organisation to trace the
Biological parents or the interested guardians,
Details are to be furnished.

(11) The detailed enquiry conducted by the
Probation Officer

(12) Recommendation.

Probation Officer/Social Worker

# FORM - XVII

[ See item (ii) of sub clause (b) of clause (A) of sub rule (4) of rule 80 ]

## HOME STUDY OF FOSTER FAMILY

Home Study Report shall contain the following :

1. Identifying information such as background information of the foster parent/parents including identifying information, education, family history, medical history, employment history, residence & facilities, lifestyle, parenting/child care experience and the motivation to take child in foster care, duration of foster care offered, supported by necessary documents such as certificates of proof of age, proof of marriage, general health certificate income statement, letters of reference, consent of persons residing in the family photographs of the couple, photos of child. Case study of the child.

2. Antecedents of the prospective foster family including:

   Their own childhood experiences, upbringing, and interpersonal relationships,
   Information on other members of the family
   Attitudes of the children and relatives of the foster family towards the foster care plan
   Social, ethno-cultural, linguistic and religious identify of the prospective foster family
   Sanctions against any charges of criminal offence and child abuse.

3. Recent photograph of the family.
4. Physical, intellectual, emotional and educational status of prospective foster family.
5. Medical report on the family's health status and health history.
6. Employment and financial assets.
7. Accommodation and community environment
8. Motivation
9. Ability to provide nurturning care and supervision in an atmosphere of affection and moral and material security.
10. Statement of positivge reference and emotional support from relatives, friends community.
11. Assessment by a multidisciplinary support team of professionals (as far as possible) stating:
    Their reasons for approving the prospective foster parent/s
    Details of the child (age, sex acceptance of siblings, special needs child etc.) they would prefer to adopt and are capable of parenting.

# FORM-XVIII

[ See sub cluase (a) of clause (A) of sub rule (4) of rule 80 ]

APPLICATION FORMAT FOR FOSTER CARE

Name of the Applicant ..........................................................................................

Married/Single ........................................................ Age ..........................................

Address ..................................................................................................................

.............................................................................. Tel No. ....................................

Number of children ........................................ Age ...............................................

Employment of Applicant ...........

Employment of Husband .............

Employment of Wife ...........

Other Source of Income ................

Have you ever fostered a chil before ? (If so given particulars)

| Name of the Child | Age | Periof of Foster Care |
|---|---|---|
| ............................ | ............................ | ............................ |
| ............................ | ............................ | ............................ |

Reasons to Foster :

............................

............................

Are you willing to undertake short-term foster care ?

Yes No

If Yes, Specify the Period ....................................

Refrence (Name & Address of two persons)

Age, Sex and other specification of child you desire to foster;

DATE :

## FORM - XIX

[ See sub rule 1 of rule 43 ]

### APPLICATION FOR CERTIFICATION

Taluk Town/village

**District:**

1. Name of the institution.
2. Date of establishment
3. Please furnish the details under which Act, the registration is made with No. Date place of registration etc.
4. Sources of funds with details
5. Names of members of governing body and their addresses.
6. Activities of the organisation
7. If financial assistance is recevied for any activites/programmes from State/Central Quasi Govt./ Other funding AGencies including foreign grant the Details may be furnished.
8. Infrastructure available

(a) Total area of the campus
(b) Plinth area of each floor of the building and number of floors.
(c) Play grounds
(d) Details of buildings for academic programmes cubical areas of each Class room.
(e) Details of vocational inputs and the Plinth areas for Vocational centre. Cubical area as each trade.
(f) Kitchen, dormitories, prayer hall etc.,
(g) Facilities for Primary education Secondary Education, Higher Secondary Education.
(h) If no school Section is attached the Distance of outside school from the campus.
(i) Details of library, indoor games, science lab etc. (if available)
Nearest hospital (Government) address and distance.

9. Sanitary conditions in the institutions.

10. Water resource whether adequate or not should be spelled out.

11. Address for communication including grams, Fax, E-mail etc.

12. Name & address of the contact persons.

13. Details of staff in their existing programmes.

14. Any other relevant information.

15. Resolution of the governing body.

### DECLARATION

On behalf of the management of the organisation. I hereby declare that the Management shall fulfil all conditions specified in the Juvenile Justice (Care and protection of children) Act, 2000 and the rules relating thereto and I promise to comply with all the conditions laid down for certification being dealt with by the Juvenile Justice (Care and Protection of children) Act, 2000 as laid down by the said Act and rules relating thereto and to furnish such return as may be required by the Commissioner/ Director Panchayat and Social Welfare

Authorised Signatory

## FORM - XX

[ See sub clause (f) of clause (B) of sub clause (4) of rule 80 ]

### Foster care agreement

I/We (name of foster parent/s ............................................ who received (name of child) .......................... in my/our home on (date) ................. from ........................ under take that we will do all of the following :

**Ensure that the child's Physical Needs are met :**

- Meet the child's basic needs for food, clothing and shelter
- Feed the child nourishing meals on a regular basis
- Regularly check the child clothing needs and keep the child well clothed year around.

- Provide for the child's personal care, health and hygiene needs
- See that the child is clean and well groomed. Teach personal hygiene methods when necessary
- That the child's medical needs are regularly checked and met.
- Assure that the child follows a healthy, structure daily routine.
- Provide opportunities for the child to get regular and sufficient exercise.

**Ensure that the child's emotional needs are met:**

- Include the child in all family activities.
- Express affection often. Demonstrate affection in appropriate, healthy ways.
- Seek to establish supportive relationship with child's biological family.
- Never speak negatively about the child's family or history. Listen and empathize.
- help children advance through the grieving and adjustment process that accompanies removed from their homes and placement.
- Respect confidentiality of the child.

**Ensure that the child's, Educational needs are met:**

- Enroll the child in a school
- Provide for daily attendance at school.
- Provide a quiet physical space for the child to complete school assignments.
- Monitor the child's educational progress
- Attend any after school meetings requried
- Provide access to after school activities, sports etc.

**Ensure discipline tasks are undertaken :**

- Provide consistent and relaistic discipline and guidance that is age appropriate and does not involve corporal punishment.

**Work with Probation Officer/Social Welfare Officer :**

- Attend all meetings and participate fully.
- Provide adequate information regarding the child's progress, behaviours at home and school to the probation officer/social welfare officer.
- Notify the probation officer/social welfare officer immediately in all emergencies.
- Submit all requested documents in a timely manner.
- Participate in planning for the child permanency, treatment, option etc.
- Inform the probation officer/social welfare officer concerned immediately of plans to change residnece and address
- Adhere to procedures and principles laid down in the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 and Rules.
- Agree that the social welfare officer/probation officer can remove the child from the home in the case of any violation of any of the rules laid down under this Act.

............................................

(signed foster Mother)

and

(Address of foster parents)

# FORM-XXI

[ See clause (0) of sub rule (2) of rule 72 ]

## HISTORY SHEET

(History Sheet of Licence discharged pupils)

1. Serial Number
2. Name of the pupil discharged on licnece
3. Sex, Age, Religion
4. Address of the child.
5. Name of the institutions and child's admission number
6. Order No. and date of Competent Authority Who orders the placement.
7. Period of placement and Actual date of discharge.
8. Date of Discharge on Community based Programme
9. Educational standard in the Institution.
10. Vocational Training (if any) undergone in the Institution
11. Number and Date of release on Community Base Programme.
12. Whether discharged on Community based under Programme under Family Assistance Scheme.

---

Name of the Supervising Probation Officer

Address of the Probation Officer

Date from which the Probation Officer takes charge of this Licence

(Follow up sheet shall be added)

## CONTINUATION SHEET/FOLLOW-UP SHEET

| Date of admission in the Main Unit | Recommendation of the Classification Committee<br>(a) Educational input<br>(b) Vocational training<br>(c) Personality Development Programmes<br>(d) Other treatment programmes | Reason for admission Details of the caustic factors for admission |
|---|---|---|
| DATE | FOLLOW-UP DETAILS | |

Signature of Probation officer

(d) Others Parents/Siblings/employers/Others (Pl. specify)

10. Types of ill-treatment met by the child

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Denial of food | Parents/Siblings/Employers/Others (Pl. specify) |
| (ii) | Beaten mercilessly | Parents/Siblings/Employers/Others (Pl. specify) |
| (iii) | Causing injury | Parents/Siblings/Employers/Others (Pl. specify) |
| (iv) | Others (Pl. specify) | Parents/Siblings/Employers/Others (Pl. specify) |

11. Exploitation faced by the child

(i) Extracted work without payment

(ii) Little (Low) wage with longer duration of work

(iii) Others (Pl. specify)

12. Health Status of the child before admission

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Respiratory disorders | Present/Not known/Absent |
| (ii) | Hearing impairment | Present/Not known/Absent |
| (iii) | Eye diseases | Present/Not known/Absent |
| (iv) | Dental | Present/Not known/Absent |
| (v) | Cardiac diseases | Present/Not known/Absent |
| (vi) | Skin diseases | Present/Not known/Absent |
| (vii) | Sexually transmitted diseases | Present/Not known/Absent |
| (viii) | Neurological disorders | Present/Not known/Absent |
| (ix) | Mental handicap | Present/Not known/Absent |
| (x) | Physical handicap | Present/Not known/Absent |
| (xi) | Others (Pl. specify) | Present/Not known/Absent |

13. With whom the child was staying prior to admission

(i) Parent(s) Mother/Father/Both
(ii) Guaridn(s) Relationship
(iii) Friends
(iv) On the Street
(v) Night Shelter
(vi) Orphanges/Similar Homes/Hostels
(vii) Others (Pl. specify)

14. Visit of the parents to meet the child Prior to institutionalisation — Frequently/Occasionally/Rarely/Never

After institutliasation — Frequently/Occasionally/Rarely/Never

15. Visit of the child to his family prior to institutionalisation — Frequently/Occasionally/Rarely/during festival times/during summer holidays/whenver fallen sick/never

After instituilisation — Frequently/Occasionally/Rarely/during festival times/during summer holidays/whenver fallen sick/never

16. Correspondence with parents prior to institutioanlisation — Frequently/Occasionally/Rarely/during festival times/during summer holidays/whenver fallen sick/never

After institutionalisation — Frequently/Occasionally/Rarely/during festival times/during summer holidays/whenver fallen sick/never

**B. CHILDHOOD HISTORY** (Upto the age of 12 years)

17. Diet of Mother during pregnancy
    - (i) Taken nutritious diets
    - (ii) Ordinary diet
    - (iii) Inadequate food intake.

18. Health during pregnancy
    - (i) Mother infected with contagious diseases
    - (ii) Mother consume/used contraceptives
    - (iii) Mother met with accident/injured
    - (iv) Intake of antibiotics
    - (v) No such details available

19. Birth details
    - (i) Normal delivery/prolonged delivery/caesarian
    - (ii) Under weight/Normal weight/over weight

20. Details of immunisation provided

21. Details of handicap
    - (i) Hearing impairment — By Birth/After accident/diseases
    - (ii) Speech impairment — By Birth/After accident/diseases
    - (iii) Physical handicap — By Birth/After accident/diseases
    - (iv) Mental handicap — By Birth/After accident/diseases
    - (v) Other (Pl. specify)

**FAMILY DETAILS**

**22. Household composition**

| S. No. | Relationship | Age | Sex | Education | Occupation | Income | Health | History of Mental illness | Handicap | Habit | Socialisation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

23. Type of family

    Nuclear family/Extruded family/Joint family/Broken famiy

24. Relationship among the family members
    - (i) Father and mother — Cordial/Not cordial/Not known
    - (ii) Father and child — Cordial/Not cordial/Not known
    - (iii) Mother and child — Cordial/Not cordial/Not known
    - (iv) Father and siblings — Cordial/Not cordial/Not known
    - (v) Mother and siblings — Cordial/Not cordial/Not known

(vi) Juvenile and siblings Cordial/Not cordial/Not known

25. History of crime committed by family members

| S.No. | Relationship | Nature of Crime | Arrest if any made | Perior of confinement | Punishment awarded |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Father | | | | |
| 2. | Step Father | | | | |
| 3. | Mother | | | | |
| 4. | Step mother | | | | |
| 5. | Brother | | | | |
| | (i) | | | | |
| | (ii) | | | | |
| | (iii) | | | | |
| | (iv) | | | | |
| 6. | Sister | | | | |
| | (i) | | | | |
| | (ii) | | | | |
| | (iii) | | | | |
| | (iv) | | | | |
| 7. | Child | | | | |
| 8. | Other's (uncle/aunty/grandmother) | | | | |

26. Proprties owned by the family (I) Landed properties (Pl. specify the area) (ii) Household articles Cows/Bull/Others (iii) vehicle two wheeler/three wheeler/Four wheeler/(lory/bus/car/tracker/jeep) (iv) Other (Pl. specify)

27. Marriage details of family members

(i) Parents Arranged/Special Marriage/Local Union

(ii) Brothers Arranged/Special Marriage/Local Union

(iii) Sisters Arranged/Special Marriage/Local Union

28. Social activities of family members

(i) Participated in social and religious function
(ii) Participate in cultural activities
(iii) Does not participate in social and religious function
(iv) Not known

29. Parental care towards Juvenile before admission

(i) Over protection
(ii) Affectionate
(iii) Attentive
(iv) Not affectionate
(v) Not attentive
(vi) Rejection

## C. ADOLESCENCE HISTORY (Between 12 and 18 Years)

30. Puberty
Early
Middle age
Late

31. Details of delinquent behaviour if any

(i) Stealing
(ii) Pick pocketing
(iii) Arrack selling
(iv) Drug pedaling
(v) Petty offences
(vi) Violent crime
(vii) Rape
(viii) None of the above
(ix) Others (Pl. Specify)

32. Reason for delinquent Beahviour

(i) Parental neglect
(ii) Parental overprotection
(iii) Parents criminal Behaviour
(iv) Parents influence (negative)
(v) Peer group influence
(vi) To buy drugs/alcohol
(vii) Others (Pl. specify)

33. Habits

A
(i) Smoking
(ii) Drinking
(iii) Drug abuse (specify)
(iv) Gambling
(v) Prostitution
(vi) None of the above

B
(i) Watching T.V.
(ii) Go to movie
(iii) Reading books
(iv) Religious activities
(v) None of the above

34. Employment details

Employment details of the Juvenile prior to entry into Juvenile Home

| S.No. | Details of Employment | Duration | Wage earned |
|---|---|---|---|
| (i) | Cooly | | |
| (ii) | Rag picking | | |
| (iii) | Mechanic | | |
| (iv) | Hotel Work | | |
| (v) | Tea Shop Work | | |
| (vi) | Cycle Shop work | | |

(vii) Shoe Polish
(viii) House hold works
(ix) Other (Pl. specify)

## D. EMPLOYMENT DETAILS

35. Details of income utilisation

(i) Sent to family to meet family need
(ii) For dress materials
(iii) For gambling
(iv) For prostitution
(v) For alcohol
(vi) For drug
(vii) For smoking
(viii) Savings

36. Details of Savings

(i) With employers
(ii) With friends
(iii) Bank/Post Officer
(iv) Other (Pl. Specify)

37. Duration of working hours

(i) Less than six hours
(ii) Between six and eight hours
(iii) More than eight hours

## E. EDUCATIONAL DETAILS

38. The details of education of the Juvenile prior to the admission to Juvenile Home.

(i) illierate
(ii) Studied upto V. std.
(iii) Studied above V Std but below VIII Std.
(iv) Studied above VIII Std but below X Std.
(v) Studied above X Standard

39. The reason for leaving the school.

(i) Failure in the class last studied
(ii) Lack of interest in the school
(iii) Indifferent attitude of the teachers
(iv) Peer group influences
(v) To earn and support the family
(vi) Sudden demise of parents
(vii) Rigid school atmosphere
(viii) Abstention followed by running away from school
(ix) Other (Pl. specify)

40. The details of the school in which studied last

(i) Corporation/Municipal/Panchayat Union
(ii) Government/Backward Class Welfare School

(iii) Private Management
(iv) Convents.

41. Medium of instruction

Hindi
Tamil
English
Malayalam
Telugu
Kannada
Other language (Pl. specify)

42. After admission to Juvenile Home the educational attainment from the date of admission till date.

No. of years Class studied Promoted/Detained

43. Vocational training undergone from the date of admission into Juvenile Home till date

No. of years Class studied Promoted/Detained

44. Extra curricular activities developed from the date of admission into Juvenile Home Till date.

(i) Scout
(ii) Sports (Pl. specify)
(iii) Athletics (Pl. specify)
(iv) Drawing
(v) Painting
(vi) Others (Pl. specify)

## F. SOCIAL HISTORY

45. Details of friendship prior to admission into Juvenile Home

(i) Co-workers
(ii) School/Classmate
(iii) Neighbours
(iv) Others (Pl. specify)

46. Majority of the friends are

(i) Educted
(ii) Illiterate
(iii) The same age group
(iv) Older in age
(v) Younger in age
(vi) Same sex
(vii) Opposite sex

47. Details of membership in group

(i) Associated with cine fans association (Pl. mention the name)
(ii) Associated with Religious group
(iii) Associated with arts and sports club
(iv) Associated with gangs

(v) Associated with voluntary social service league
(vi) Others (Pl. specify)

48. The position of the juvenile in the groups/league

(i) Leader
(ii) Second level leader
(iii) Middle level functionary
(iv) Ordinary member

49. Purpose of taking membership in the group

(i) For Social service activities
(ii) For leisure time spending
(iii) For pleasure seeking activities
(iv) For deviant activities
(v) Other (Pl. specify)

50. Attitude of the group/league.

(i) Respect the social norms and follow the rules
(ii) Interested in violating the norms
(iii) Impulsive in violating the rule

51. The location/meeting point of the group

(i) Usually at a fixed place
(ii) Places are changed frequently
(iii) No specific places
(iv) Meeting point is fixed conveniently

52. The reaction of the society when the Juvenile first come out of the family.

(i) Supportive
(ii) Rejection
(iii) Abuse
(iv) Ill-treatment
(v) Exploitation

53. The reaction of the police towards children whenver they were dealt with

(i) Passionate
(ii) Cruel
(iii) Abuse
(iv) Exploitation
(v) Ill-treatment.

54. The response of the general public towards the children.

signature

Probation Officer/case Worker

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2007.